बुधवार, 16 जुलाई, 1980

25 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 28, बुधवार, 16 जुलाई, 1980/25 आषाढ़, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 552, 553, 557, 558 और 560 से 563	...	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 551, 554 से 556, 559 और 564 से 571	...	22—32
अतारांकित प्रश्न संख्या 4368 से 4375, 4378 से 4404, 4406 से 4418, 4420 से 4447 और 4449 से 4526	...	32—153
सदस्यों की गिरफतारी और दोष सिद्धि	...	153—154
(सर्वश्री जगपाल सिंह और मंगलराम प्रेमी)		
विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में	...	155—157
सभापटल पर रखे गये पत्र	...	158—159
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	160—170
दूर संचार सेवाओं में गम्भीर गड़बड़ी और व्यवधान		
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	...	160—164
श्री कार्तिक उरांव	...	160—162
श्री कमला मिश्र मधुकर		167—168
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति पांचवां प्रतिवेदन	...	170—171
नारियल जटा उद्योग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 348 दिनांक 2 जुलाई, 1980 के उत्तर में शुद्धि		
श्री चरणजीत चानना	...	—171
नियम 377 के अधीन मामले	...	171—175
(एक) चलती गाड़ियों में डाके की घटनाओं में वृद्धि के समाचार		
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	...	171—172

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(दो) मार्डन बेकरी आफ इंडिया लिमिटेड उज्जैन को छंटनी किए गए कर्मचारियों को तुरन्त बहाल करने की आवश्यकता श्री सत्यनारायण जाटिया	...	172
(तीन) निर्माताओं द्वारा मिलावटी सीमेंट बेचे जाने की जांच करने की आवश्यकता प्रो० के० के० तिवारी	...	173
(चार) अगरपाड़ा वर्गीकृत सड़क के रखरखाव के लिए केन्द्र द्वारा अधिक धन दिये जाने की आवश्यकता श्री अर्जुन सेठी	...	173
(पाँच) कुवैत स्थित एयर इन्डिया के कार्यालय के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता श्री वी० एस० विजयराघवन	...	174
(छः) सेलम रेलवे स्टेशन से उत्तरी राज्यों को नारियल की ढुलाई के लिए वैगनों की कमी श्री के० अर्जुनन	...	175
(सात) निडामंगलम मत्तारगुडी रेलवे लाइनों पर सवारी/माल गाड़ी सेवा को पुनः चालू करना श्री एस० सिंगाराधाडीवेल	...	175—176
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1980-81	...	176—250
कृषि मंत्रालय और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय		
श्री मलिक एम० एम० ए० खां	...	176—183
श्री अनादि चरण दास	...	184—187
श्री नाथूराम मिर्धा	...	187—193
श्री एच० एन० नन्जे गौडा	...	193—195
श्री मधुसूदन वैरोले	...	195—198
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	...	198—201
श्री रणवीर सिंह	...	201—204

विषय		पृष्ठ
श्री मनोरंजन भक्त	...	204—209
श्री अमर राय प्रधान	...	209—211
श्री दिग्विजय सिंह	...	211—214
श्री के० ए० स्वामी	...	214—216
श्री चौधरी मुलतान सिंह	...	217—219
श्री राम प्यारे पनिका	...	219—222
श्री लक्ष्मण मलिक	...	222—224
श्री कुम्भाराम आर्य	...	225—230
श्री आर० वी० स्वामीनाथन	...	230—242
श्री लहना सिंह तुर	...	242—244
श्री सतीश प्रसाद सिंह	...	244—248
श्री गदाधर साहा	...	—248
आधे घण्टे की चर्चा	...	251—265
बिहार में विधान सभा चुनावों के परिणाम घोषित करने में विलंब		
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	
श्री पी० शिव शंकर	...	251—265
श्री रामावतार शास्त्री	....	257—262
श्री निरेन घोष	...	262—265

लोक सभा

बुधवार, 16 जुलाई, 1980/25 आषाढ़, 1902 (शक)

लोकसभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 551—प्रो० मधु दण्डवते। वह नहीं आयेंगे। कम से कम उन्होंने मुझे पहले सूचित करने की कृपा तो की है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं। मुझे उनका पत्र प्राप्त हो गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप किसी अन्य सदस्य को प्रश्न पूछने का निदेश दे सकते हैं। एक ऐसा नियम है जिसके अन्तर्गत सदस्य प्रश्न पूछने के लिये किसी अन्य सदस्य को प्राधिकृत कर सकता है और एक अन्य नियम भी है जिसके अन्तर्गत आप उस अन्य सदस्य को बुला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं वह नियम लागू नहीं करूंगा।

अगला प्रश्न—प्रश्न संख्या 552, श्री नन्जे गौडा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राज्य तथा जिला स्तर तक ले जाना

*552. **श्री एच० एन० नंजे गौडा** :

श्री के० लकप्पा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राज्य तथा जिला स्तर तक ले जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है जिनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए नये-नये सुझाव हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी० एस० टी०) पहले से ही समयबद्ध अनुसंधान परियोजनाओं के लिए या राज्य और जिला स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबद्ध गतिविधियों के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करता रहा है। विभाग ने 17 राज्य अनुसंधान विकास और अभि-

कल्प समितियां स्थापति किए जाने के कार्य में सहायता प्रदान की है। इन समितियों का मुख्य कार्य लघु उद्योगों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना, उनकी संवीक्षा करना तथा उन्हे उपयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं को भेज देना है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) ने भी अनुसंधान और विकास संस्थाओं तथा अन्य उपयुक्त स्रोतों से स्थानीय उद्योगों को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों की राजधानियों में पौलि-टैक्नोलोजी ट्रांस्फर सैन्टर स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों को स्थापित किए जाने का व्यय राज्य सरकारों और उद्योग संघ ने वहन किया है। इसके अतिरिक्त, सी० एस० आई० आर० की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं, क्षेत्रीय केन्द्र और इसकी राष्ट्रीय प्रयोग-शालाओं इत्यादि की शाखाएं देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। यह भी तय किया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राज्य परिषदों के विकास को प्रोत्साहित किया जाए। ये राज्य परिषदें अपने-अपने राज्यों में वैज्ञानिक गतिविधियों के आयोजन, समन्वय, प्रोत्साहन एवं इनका प्रसार करने के लिये फोकल बिन्दुओं के रूप में कार्य करेंगी। ये परिषदें वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए निधियां प्रदान कर सकेंगी, उनके उपयुक्त मार्ग दर्शन और मानीटरन को सुनिश्चित कर सकेंगी। आयोजन एवं समन्वय द्वारा वर्तमान अवसंरचना और क्षमताओं को पूर्ण उपयोगीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) 1980-85 की योजना अवधि के लिए, विशेषत: युवकों में वैज्ञानिक रुचि का सम्वर्द्धन करने के लिए एक नई योजना तैयार की जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों के अतिरिक्त इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसियेश, विभिन्न विज्ञान अकादमियों, इंजीनियरों के व्यावसायिक संघ को भी इस प्रयास में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इस बारे में और अधिक ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : महोदय, यह समाचार मिला है कि 'नेचर' नामक एक विज्ञान पत्रिका को किये गये एक इन्टरव्यू में प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह चाहती है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति राज्य और सम्भवतः जिला स्तरों पर कार्य करें। कुछ मुख्य केन्द्रों को छोड़कर जिला स्तर पर प्रौद्योगिकीय तथा वैज्ञानिक संस्थाएं बहुत कम हैं। यदि ऐसी संस्थाएं है भी, तो जो विषय वहां पढ़ाये जाते हैं और जो प्रशिक्षण वहां दिया जाता है वह बहुत ही अपविस्तृत हो जाता है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास न केवल विद्यमान संस्थाओं में सुधार करने के लिये अपितु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का, बिशेषरूप से जिला स्तर पर, विस्तार करने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम है। क्या स्थानीय उत्पादों के संदर्भ में स्थानीय आवश्यकतों के अनुरूप या जिला और ग्रामीण स्तरों पर कृषि पर आधारित संस्थाएं स्थापित करने हेतु इन संस्थाओं को ढालने के लिये कोई विशेष योजनाएं हैं ?

श्री विजय एन० पाटिल : छोटे उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिये नवम्बर, 1973 में लगभग 17 राज्य अनुसंधान, अभिकल्प तथा विकास समितियां बनाई गई थीं और जिला स्तर

पर इन समितियों के कार्यकरण को सुदृढ बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। अतः इस समय ज़िला स्तर पर लगभग 10 परियोजनाएं चल रही हैं और निकट भविष्य में और योजनाएं आरम्भ की जायेंगी।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : महोदय, बताया गया है कि नवयुवकों में वैज्ञानिक रुचि का सम्वर्द्धन करने के लिये सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है। उन्होंने कहा है कि 1980 से 1985 की योजना अवधि में वे ये योजनाएं बना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गत 2½ या 3 वर्षों में ऐसी कोई योजना बनाई गई थी। यदि हां, तो क्या प्रोत्साहन दिया गया था या नहीं—मै इस प्रश्न का विशिष्ट रूप से उत्तर चाहता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग साइंस कांग्रेस एसोसिएशन तथा वैज्ञानिकों के लिये अन्य ऐसी एसोसिएशनों के माध्यम से आई० एस० सी० ए० के वार्षिक अधिवेशन में नवयुवकों के लिये ऐसा करने का सोचें ताकि अर्थपूर्ण चर्चा में युवा पीढ़ी को शामिल किया जा सके।

दूसरे, यह आशा की जाती है कि इन गतिविधियों के लिये बजट प्रावधान मुख्यतः नव युवकों के लिये परिसंवाद, संगोष्ठियां तथा लेक्चरों का आयोजन करने के लिये होगा। जहां, तक अन्य ब्यौरे का सम्बन्ध है, मैं बता सकता हूं कि आई० एन० एस० ए०, आई० एस० सी० ए० तथा अन्य व्यावसायिक संगठनों द्वारा संगोष्ठियां आयोजित की जाती है। विचार गोष्ठियों तथा सेमिनारों सम्बन्धी रिपोर्टों का प्रकाशन होता है और अलग-अलग युवा वैज्ञानिकों को इस प्रयोजनार्थ देश के अन्दर भ्रमण के लिये यात्रा अनुदान दिये जाते हैं। इस समय ये कार्य किये जा रहे हैं। अन्य ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और हम ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार विज्ञान को ढालने का प्रयास करेंगे।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री को ये वक्तव्य देने के लिये बधाई देता हूं। महोदय, 1971 में जब वे प्रधान मंत्री थीं, तो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योजना बद्ध ढंग से काम किया गया था। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि जनता शासन के गत 2½ वर्षों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान के सारे काम को पूर्णतः ठप्प कर दिया गया।

महोदय, प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमें विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी आयोजना को नया रूप देना होगा और मैं दिनांक 21 जून के उनके वक्तव्य से कुछ शब्द उद्धृत करता हूं :

"श्रीमती गांधी का विचार है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आयोजना का विस्तार केन्द्रीय सरकार से बाहर भी किया जाना चाहिये।"

माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के निष्कर्ष, विचार-विमर्श तथा परिणाम जनसाधारण तक

भी पहुंचेगे ताकि समाज का जिसमें देश के युवा भी शामिल है सुधार किया जा सके ? इसके अलावा सरकार का विचार और क्या-क्या कार्य-क्रम बनाने का है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, मैं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में माननीय सदस्य की रुचि और विशेष रूप से इसको उन क्षेत्रों, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों और होनहार युवा लोगों में फैलाने में रुचि रखने की प्रशंसा करती हूं ।

जैसा कि मेरे साथी ने थोड़ी देर पहले बताया कि विभिन्न राज्यों तथा जिलों में अनेक अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है । उनमें अधिकांश छोटे शहरों में हैं क्योंकि पहले आवश्यक कार्य किए बिना इसके परिणाम गांवों तक नहीं पहुंच सकते । उदाहरण के तौर पर कुछ परियोजनाएं ये हैं : ग्रामीण प्रौद्योगिकी को तैयार करने तथा लागू करने का कार्यक्रम वर्धा जिले में 5 परियोजनाएं । यह गांवों के लिए एक विज्ञान केन्द्र है । इसी तरह इसका प्रयोग सामान्य रूप से ग्रामीण विकास और विशेष रूप से चन्द्रपुर, जो महाराष्ट्र में पुणे के निकट है, के विकास में किया जा रहा है । बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद, रुड़की आदि में ऐसी अनेक समन्वित बायोन्गैस प्रौद्योगिकी और उपयोगिता परियोजनाएं चल रही हैं । गांवों में पीने के पानी की सप्लाई,लघु सिंचाई आदि में इसका प्रयोग करने के लिए कम कीमत के सौर सेल है । कृषि उत्पादों को सुखाने तथा उनका भण्डार करने के लिए सौर अनाज ड्रायर हैं । शहडोल, मध्य प्रदेश में पर्यावरण आयोजना तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी सम्बन्धी परियोजना है । उत्तर भारत में ग्रामीण ऊर्जा खपत सम्बन्धी अध्ययन किये गये हैं और माडल तथा विलेज इको-सिस्टम सम्बन्धी अध्ययन किये गये हैं । इसी तरह से होनहार तथा युवा वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता दी जा रही है । अनुसंधान योजनाएं चलाई जाती हैं जो उन्हें अनेक विषयों में अनुसंधान कार्य आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं । हाल ही में हमने भारतीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी एक संगोष्ठी को सहायता दी थी जिसका आयोजन युवा वैज्ञानिकों की एक समिति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान के अन्तर्गत किया था । हमें आशा है कि इस गोष्ठी की विशिष्ट सिफारिशों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा सकेगा । इण्डियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन भी युवा लोगों को प्रोत्साहन दे रही है और वह उन्हें अपने पेपर पढ़ने की अनुमति दे रही है ।

नई योजना में विभाग ने विकास के लिए तैयार किए जा रहे आधारभूत ढांचे का उपयोग करने के लिए कुछ तुरन्त कदम उठाने हेतु 1 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है । हमारे पास विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए उच्च प्राथमिकता प्राप्त योजनाएं हैं । हमारे पास युवा लोगों में विज्ञान में रुचि पैदा करने, राज्य परिषदों के विकास के लिए सहायता प्रदान करने और विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग का सम्वर्द्धन करने सम्बन्धी योजनाएं हैं । ये केवल कुछ ही योजनाएं हैं । परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देती हूं कि सरकार इस विषय को महत्व देने के लिए पूर्णतया जागरूक है ।

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : इस देश के ग्रामीण विकास के महत्व को देखते हुए मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ऊर्जा के नवीकरण किये जाने वाले वैकल्पिक साधनों का विकास करने में गहरी रुचि ले रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सौर ऊर्जा, गोबर गैस संयोजों, वायु ऊर्जा, समुद्री लहरों से पैदा की जाने वाली ऊर्जा सम्बन्धी उद्योगों को राजसहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री विजय एन० पाटिल : हम आर. एण्ड डी. के माध्यम से उन उद्योगों को राजसहायता देते हैं और करों में छूट देते हैं, जो ऊर्जा के नवीकरण किये जा सकने वाले साधनों के क्षेत्र में ऐसा अनुसन्धान करने में काफी आगे हैं। करों में छूट और एन. आई. सी. के माध्यम से दिये गए अनुदानों के रूप में प्रोत्साहन दिया जायेगा।

डा० कर्ण सिंह : जनता तक विज्ञान को ले जाने का एक अत्यन्त कारगर तरीका बच्चों के लिए विज्ञान आन्दोलन है जिसके लिये विभिन्न जिलों में बाल विज्ञान संग्रहालयों की स्थापना करना आवश्यक है। कुछ गैर-सरकारी एजेन्सियां, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि, इस क्षेत्र में काम कर रही है, परन्तु यह अभी तक भारत सरकार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग या शिक्षा मंत्रालय के कार्य का एक अंग नहीं बन पाया है। क्या प्रधान मन्त्री कृपया सदन को बतायेंगी कि क्या जिला स्तर पर राष्ट्रीय बाल संग्रहालय की यह योजना आरम्भ की जायेगी और छठी योजना अवधि में क्रियान्वित की जायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं सकारात्मक उत्तर नहीं दे सकती। परन्तु यह एक अच्छा सुझाव है। हमें यह देखना है कि इसके लिए सही व्यक्तियों को खोजा जाय। कभी-कभी विचार तो अच्छा होता है परन्तु उसकी क्रियान्विति से प्रयोजन हल नहीं होता। जैसा कि डा० कर्णसिंह जानते हैं विज्ञान संग्रहालयों के बारे में कहीं कहीं अच्छा कार्य किया जा रहा है जबकि अन्य स्थानों पर यह बहुत साधारण रूप से चल रहा है। अतः जनता में जागरुकता पैदा करनी होगी ताकि स्थानीय लोग रुचि लें। उन्हें इसके लिए माँग करनी चाहिए न कि ऊपर से कोई चीज उन पर थोपी जाय। परन्तु यह एक अच्छा विचार है। ऐसे संग्रहालयों और स्कूल तथा कालेज के छात्रों द्वारा किये जाने वाले दौरों के माध्यम से उनकी रुचि बढ़ाने के लिए काफी काम किया जा सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : इस उद्देश्य के बावजूद कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे, सच बात तो यह है कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा गावों में रोजमर्रा के कार्यों, जैसे कि आटा पीसने या किसानों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों, आदि के बारे में अधिक ध्यान नहीं दिया गया है।

इस प्रकार के कई क्षेत्रों की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीचे तक नहीं पहुंच सकी है, जहां वह थोड़े से ही खर्चे से बड़ी लाभकारी और प्रभावी सिद्ध हो सकती है। क्या प्रधान मन्त्री वास्तव में इस दिशा में व्यक्तिगत रुचि लेंगी कि केन्द्रीय स्तर पर कोई विभाग स्थापित हो ताकि इसको नीचे तक ले जाया जाये, विशेषकर यह

सुनिश्चित करने के लिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक नई दिशा मिले ताकि हमारे ग्रामीण आदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पूरा-पूरा फायदा उठा सकें ।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : मैं वास्तव में इसमें रुचि लेती रही हूं । यह सिलसिला अब से नहीं, कई वर्षों से जारी है । वस्तुत: माननीय सदस्य पायेंगे कि सांइस कांग्रेस में अपने कुछ भाषणों में मैंने इस ओर विशेष जोर दिया है । कि जहां उच्च प्रौद्योगिक और अत्याधुनिक विज्ञान चाहते हैं उसी के साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि कि अन्य स्तरों पर खूब काम हो । वैज्ञानिकों से मैंने जो चीजें करने को कहा है और जो कि देश के कुछ भाग में चालू भी हुई है । उदाहरण के तौर पर बैलगाड़ी के पहियों के सम्बन्ध में है । यदि आप बैलगाड़ी के पहियों पर टायर चढ़ा देते हैं, तो उससे आपकी सड़क का बचाव तो होता ही है । साथ ही साथ बैलों को भी कम मेहनत करनी पड़ती है तथा गति भी बढ़ती है । और किसान को भी फायदा होता है । इसी प्रकार चक्की को लीजिए । जहां हाथ से चक्की पीसी जाती है, वहां यदि आप उसमें बालबियरिंग लगा दें तो हमारी ग्रामीण बहनों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ।

इसी तरह की और कई चीजें हैं जिनके बारे में मैं खुद बताती रही हूं । उदाहरण के तौर पर मुझे बताया गया है कि देवरिया जैसे जिले में अब एक भी बैलगाड़ी ऐसी नहीं है जिसके पहिए पर टायर न चढ़ा हो । अत: लोग इन चीजों को अपना रहे हैं । माननीय सदस्यों की यह जानकारी होगी कि हमारे कृषक भाईयों ने जिनको विश्व वाले दुविधाकसो मानते थे, इन नई चीजों को अपनाने में बिल्कुल खिलवाड़ नहीं किया है । जब भी कहीं कोई नई चीज आई है, उन्होंने उसको अपनाया है ।

श्री जगन्नाथ राव : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अनुसंधान कार्यों का समन्वय कर रहा है ?

श्री विजय एन० पाटिल : सी एस० आई० आर० और आई० सी० ए० आर० के विभिन्न कार्यों में जहां कहीं भी समन्वय की जरूरत है, वहां समन्वय है । किन्तु सर्वथा ऐसा नहीं रहता क्योंकि ये दोनों अलग-अलग संगठन है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत व्यापक विषयों में अनुसन्धान कार्य कर रही है और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद खासकर औद्योगिक विकास की दिशा में अर्थात व्यावहारिक अनुसंधान के क्षेत्र में ही अनुसन्धान तथा अन्य कार्य कर रही है । किन्तु जब कभी समन्वय की जरूरत होती है, वह किया जाता है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतरह तथा सहमत हूं कि समन्वय तथा इन विचारों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । मैं अपने माननीय साथी के पहले प्रश्न के उत्तर में यह कहना चाहूंगी कि कई तरह की बैठकें आयोजित की जानी है जैसे "गांव के कारीगर और साइंस" जो वर्धा में सेवाग्राम में हुई थी । और इसके अतिरिक्त

हमारे यहां अन्य अभियान भी चले हैं ताकि विज्ञानिकों को दस्तकारों तथा उनकी जरूरतों के बारे में ज्यादा जानकारी हो सके।

जैसलमेर में सैनिक अभ्यासों के बाद अवशिष्ट पड़ी वस्तुओं की चोरी

*553. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसलमेर जिले के गोली-बारी क्षेत्र में सेना द्वारा समय-समय पर गोला-बारी का अभ्यास किया जाता है;

(ख) क्या इन अभ्यासों में आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग भी किया जाता है जिसके कारण उस क्षेत्र में आवशिष्ट पदार्थों के रूप में लोहा, जस्त, सीसा और अन्य पदार्थ दूर-दूर तक बिखर जाते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि निकटवर्ती क्षेत्रों के लोग अवैध रूप से इस क्षेत्र में घुस जाते हैं और इन मूल्यवान धातुओं की चोरी करते हैं तथा उन्हें बेच देते हैं;

(घ) क्या रक्षा विभाग ने ऐसे मामलों में कोई कानूनी कार्यवाही की है और यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है तथा अब कितने व्यक्तियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) क्या रक्षा विभाग का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन क्षेत्रों में अवैध रूप से कोई भी प्रवेश न कर सके, कोई विशेष व्यवस्था करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) चान्दमारी क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश और धातु बरतन की चोरी के मामलों की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को की जाती है जो अपराधियों पर अनधिकृत प्रवेश और चोरी के मुकदमें चलाती है। अब तक ऐसे 76 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये हैं। इनमें से तीन व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा सजा दी गई है और बाकी व्यक्तियों पर अभी मुकदमा चल रहा है।

(ङ) इस क्षेत्र में स्थानीय ग्रामवासियों के अनधिकृत प्रवेश को प्रत्यक्ष तौर पर रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चांदमारी के इतने बड़े क्षेत्र में बाड़ा लगाना असंभव है। फिर भी चान्दमारी क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सेना-कार्मिक और स्थानीय पुलिस नियमित रूप से गश्त लगाती है। चान्दमारी क्षेत्र में चेतावनी के नोटिस भी लगाए गए हैं कि लोग इस क्षेत्र में प्रवेश न करें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : जो केसेज हुए हैं, उनमें 76 पकड़े गए हैं और इन केसेज में कन्विक्शन हुआ है, इसको देखते हुए कितना भी एरिया विस्तृत हो, बड़ा हो, उसमें खर्चा भी

अधिक आये, पर बिना फैन्सिग के व्यवस्था नहीं हो सकती । यदि फैसिंग बहुत ही मुश्किल है तो जो रैगुलर गश्त होती है क्या उनकी संख्या बढ़ाकर अनेक स्थानों पर गश्त कराकर पूर्ण व्यवस्था करा सकेंगे ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने इस प्रजोजनार्थ बाड़ लगाने के महत्व की बात ठीक ही नहीं है । परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को पता होगा 58 किलो मीटर ×32 किलो मीटर के लगभग क्षेत्रफल की बाड़ लगाना बड़ा मंहगा पड़ेगा । फिर भी माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायेगा और इस दिशा में हम आवश्यक कदम उठायेंगे ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : ये धातुयें बड़ी कास्ट्ली है । उनके कलेक्शन से बहुत से लोग रईस और पैसे वाले हो गये हैं । डिफेंस डिपार्टमेंट से उनका किस प्रकार का सम्बन्ध है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, परन्तु अगर इन धातुओं का कलेक्शन सुरक्षा विभाग खुद ही अपने कर्मचारियों द्वारा कर ले, तो क्या यह उचित नहीं रहेगा ?

श्री० सी० पी० एन० सिंह : यह बहुत ही अच्छा सुझाव है और इस पर हम लोग लोग उचित कदम उठायेंगे । हमने इस बारे में पहले ही सोच लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न 554, श्री० बी० वी० देसाई—अगला 555, श्री निहाल सिंह···अगला प्रश्न, श्री पी० के० कोडियन—कोई भी उपस्थित नहीं । क्या यह कोई संगठित चीज है ?

एक माननीय सदस्य : श्री कोडियन अस्वस्थ हैं । वे अस्पताल में भर्ती हैं ।

सैन्ट्रन ब्लेड कम्पनी का ब्रुकबांड के साथ विलय

*557. **श्री आर० के० महालगी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय सैन्ट्रन ब्लेड मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र का ब्रुकबांड इन्डिया लिमिटेड के साथ विलय संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ताकि पहली कम्पनी को पुनः चालू किया जा सके ; और

(ख) : यदि हां तो इसके कारण हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा एकाधिकार प्रतिवघात्मक व्यापार व्यवहार (एम. आर. टी. पी.) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत कम्पनियों के विलय संबंधी आवेदनों पर कम्पनी कार्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है । उद्योग मंत्रालय में इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री आर० के० महालगी : महोदय, सरकार ने सैन्ट्रान कारखाने को प्रतिवर्ष 250 मिलियन ब्लेड बनाने का लाइसेन्स दिया था। यह कारखाना औरंगाबाद में है जो कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में एक पिछड़ा जिला है। दुर्भाग्यवश वर्ष 1976 में इस कारखाने की हालत खराब हो गई। महाराष्ट्र सरकार के अधीन एक निवेश अभिकरण सीकाम द्वारा तथा यूको बेंक द्वारा इसको भारी मात्रा में पैसा दिया गया और उसके बाद इस सैन्ट्रान कारखाने की हालत सुधरी है। इसके साथ ही ऐसा लगता है कि विलय का आवेदन किया गया है। माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर को देखते हुए क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या उद्योग मन्त्रालय ने मेरे प्रश्न के प्राप्त होने के बाद उक्त आवेदन के बारे में कम्पनी कार्य मन्त्रालय से पूछताछ की है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री चरन जीत चानना : मैं माननीय सदस्य को पहले ही बता चुका हूं कि एकाधिकार निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों का इस प्रकार का विलय कम्पनी कार्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस प्रश्न के प्राप्त होने पर हमने कम्पनी कार्य-विभाग से स्थिति के बारे में पूछा था और हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है वह यह है कि वे इस पर विचार कर रहें हैं। हमें उनसे कोई अन्तिम सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री आर० के० महालगी : ब्रुक बाण्ड इण्डिया लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार को इस आशय का कोई मार्ग निर्देशन देगी कि वह यह देखे कि सैन्ट्रान के इस कारखाने का विलय ब्रुक बाण्ड इण्डिया लिमिटेड, जो कि बहुराष्ट्रीय कम्पनी है, के बजाय किसी और बेहतर भारतीय कम्पनी के साथ किया जाये ?

श्री चरन जीत चानना : यदि कम्पनी कार्य विभाग इस मामले को हमको निर्दिष्ठ करता है, तो हम इसमें उचित कार्यवाही करेंगे। कम्पनी 'क' अथवा 'ख' के बारे में माननीय सदस्य के कहने पर मैं यहां कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री निरेन घोष : जब प्रौद्योगिकी पूर्णतया उपलब्ध है तब इस प्रश्न पर एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा विचार करने की बात ही कहां उठती है। हमारे बड़े निर्माताओं की प्रौद्योगिकी काफी उन्नत है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए इस विशेष यूनिट को अपने हाथ में लेगी, और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरनजीत चानना : मैं माननीय अध्यक्ष को पहले ही सूचित कर चुका हूं, कि अधिग्रहण और विलय की अनुमति देने का प्रश्न दूसरे मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है और यह प्रश्न उसी से पूछा जाय। मैं तो माननीय सदस्य को केवल इतनी जानकारी दे सकता हूं कि ऐसे आवेदन पत्रों की सरकार द्वारा जांच की एक प्रक्रिया है। सरकार द्वारा जांच पड़ताल पूरी कर लिये जाने के पश्चात ही प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मेरे वास्तविक प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मन्त्री महोदय बतायेंगे ...? (व्यवधान) क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि यह ब्रुक बाण्ड कम्पनी जो मूलत: ब्रिटिस नियंत्रण वाली कम्पनी है, बीजक सम्बन्धी गम्भीर अनियमितताओं के एक मामले में फंसी थी।

यह मामला पकड़ा गया था और इसमें उन्हें दण्डित किया गया था। यदि ऐसा है, तो उन्हें आप विस्तार की अनुमति क्यों दे रहे हैं जिसमें वे अपना काला धन प्रयोग में लायेंगे जो उनके डीलरों और एजेन्टों के पास रखा हुआ है।

श्री चरन जीत चानना : पता नहीं माननीय सदस्य के वास्तविक और अवास्तविक प्रश्न के बीच आप किस प्रकार भेद करते हैं। मेरे विचार से वह सदैव वास्तविक प्रश्न ही पूछते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश उनके पास ब्रुकबाण्ड के बारे में जो आंकड़े हैं उन पर उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। उन्होंने ब्रुक बाण्ड कम्पनी के बारे में अधिक जानकारी होगी · (**व्यवधान**)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह तो मेरे पास हैं और योगदान·· (**व्यवधान**)।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए मार्गदर्शी निर्देश

*558. **श्री चित्त बसु :** क्या गृह मन्त्री हरिजनों के शोषण तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों पर अत्याचारों के बारे में 12-?-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 205 और 19-3-80 के अतारांकित प्रश्न संख्यां 1116 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या मार्गदर्शी निदेशो प्रेपित किए गये हैं; और

(ख) उन पर राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकारों को मार्ग, दर्शी निदेश गृहमन्त्री के अर्ध सरकारी पत्र सं० 111-11011/4/80 एन० आई० डी० (डी) तारीख 10 मार्च, 1980 के द्वारा भेजे गए थे। गृह मन्त्री के अर्ध सरकारी पत्र की एक प्रति-लिपि लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं० 1077 तारीख 19 मार्च, 1980 के उत्तर में सभा पटल पर रखी गई थी। अर्ध सरकारी पत्र की एक प्रतिलिपि पुनः सभा पटल पर रखी जाती है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1092/80)

(ख) राज्य सरकारों को भेजे गये मार्गदर्शी निदेशों पर उनके द्वारा की गई कार्यवाही को सूचित करने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में सूचना जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री चित्त बसु : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर तथा सभा पटल पर रखे गये पत्रों से यह प्रतीत होता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए गृहमंत्री ने 10 मार्च तथा 15 मार्च को राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मार्गदर्शी सिद्धांत

भेजे हैं। परन्तु तथ्य यह है कि इन व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांतों के बावजूद और गृह मंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों को लिखने के पश्चात् भी गत कुछ महीनों में अत्याचारों के मामले बढ़ते ही रहे हैं। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि हरिजनों पर फिर से तेजी से अत्याचार होने के कारण क्या है और सरकार इन्हें रोकने के लिये आगे और क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : कारण सर्वविदित है। एक आर्थिक है और दूसरा सामाजिक। सरकार ने जो उपाय किये हैं उनका उल्लेख प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा गृह सचिव के पत्रों में उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किया गया है। इसके पश्चात् मुख्य सचिवों, गृह सचिवों और विधि सचिवों की बैठक बुलाई गई और उसमें सरकार ने समाज के दुर्बल वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के महत्व पर बल दिया है।

श्री चित्त बसु : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गृहमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन के मामले में राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई गई है, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का एक विशेष सम्मेलन बुलाने का है, जिससे स्थिति की गम्भीरता के बारे में उनसे चर्चा की जा सके और अधिक प्रभावी उपाय किये जा सकें, जिससे हरिजनों पर इन अत्याचारों को रोका जा सके ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने सुझाव नोट कर लिया है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह जब से गाइडलाइन्स गई हैं, लगता है इन्होंने इनडाइरेक्टली यह भी टेलीफोन तो नहीं कर दिया है कि क्राइम बढ़ाओ क्योंकि आप आज का अखबार पढ़िये, बिहार में चार हरिजनों को बाँध बांध करके उन पर घोड़े दौड़ाए गये जिससे दो की मृत्यु हो गई और दो को बाद में गोली मार दी गई। यह बहुत गम्भीर मामला है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका अखबार बोल रहा है कि घोड़ों से कुचलवाया और पुलिस अधिकारियों ने कुचलवाया।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मंत्री महोदय ने 11 पेज का पत्र भेजा है प्रिवेंटिव और प्रिकाशनूरी मेजर्स के लिए और 5 पेज का पत्र भेजा है अर्थ-शास्त्र के ऊपर। मैंने इसको पढ़ा है। जितने भी प्रश्न हैं, आधे तो कवर करते हैं लेकिन जो कंक्रीट बातें कहनी चाहिए वह आपने नहीं कही हैं आपने कबूल किया है कि सारा का सारा मामला जमीन से शुरू होता है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री रामविलास पासवान : मैं प्रश्न पूछता हूं क्या मंत्री महोदय जमीन के मामलों को संविधान की 9वीं सूची में रखेंगे, हरिजन आदिवासियों को अपनी रक्षा के लिए हथियार देंगे और सभी प्रशासकीय पदों पर 25 प्रतिशत हरिजन आदिवासियों की नियुक्ति करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह सजेस्चन्स हैं जो नोट कर लिए हैं। लेकिन जो पहले उन्होंने कहा कि क्राइम्स बढ़े हैं, वह गलत है। मेरे पास आंकड़े हैं—1980 में 3786 केसेज हुए जबकि 79 में करेस्पाँडिंग मंथ्स में 4343 हुए थे। इस तरह से केसेज घटे हैं।

श्री रामविलास पासवान : मैंने पूछा था जमीन के मामलों को संविधान की 9वीं सूची में रखेंगे, उनको हथियार देंगे जैसे बिहार की पहली सरकार ने दिए थे। और प्रत्येक विकासशील पद पर उनकी 25 प्रतिशत नियुक्ति करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो सजेस्चन्स हैं।

श्री रामविलास पासवान : तो फिर हम कैसे क्वेश्चन्स करें, यह आप बता दें।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं महसूस करती हूं कि हथियारों के बांटने का यह प्रश्न बहुत गम्भीर है। हम इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं समझती कि बिहार में जिस प्रकार का प्रस्ताव था, उस प्रकार अन्धाधुन्ध तरीके से हरिजनों को हथियार देने से उनकी सहायता हो सकेगी। उन्हें अपनी रक्षा स्वयं करने में निश्चित रूप से समर्थ होना चाहिए, परन्तु दूसरों को उत्तेजित होने और कुछ खराब काम करने के लिए हमें बहाना नहीं देना चाहिए। कुछ व्यक्ति कह सकते हैं कि "उनके पास हथियार हैं", चाहे वे उनको इस्तेमाल भी न करें. उन्होंने पहले हथियारों का इस्तेमाल किया।" यह बहुत गम्भीर मामला है, जिसके बारे में हम किसी भी व्यक्ति के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी सरकार ने मार्गदर्शी नियम राज्य सरकारों के पास भेजे हैं—यह आपने अभी कहा है—तो मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हुई ? उन लोगों ने मार्गदर्शी नियमों के अनुसार कौन कार्यवाहियां की हैं, ताकि हरिजनों और आदिवासियों पर होने वाले जुल्मों को रोका जा सके ?

गृह मंत्री (श्री जैलसिंह) : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी इन्होंने कहा कि प्रान्तीय सरकारों पर इन गाइड लाइन्स का क्या असर हुआ, मैं इसके प्रति आपको बताना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकारों ने इन बातों पर पूरा ध्यान देकर अपनी हिदायत निचले तबके तक पहुंचा दी है, लेकिन यह बात बार-बार कहना कि एट्रोसीटिज बढ रही हैं, सही नहीं है। मैं यह कहता हूं कि आज कोई भी वाकयात छिपाये नहीं जाते हैं और रजिस्टर किये जाते हैं। पुलिस को हिदायत है कि छोटे-से-छोटे आदमी की शिकायत को रजिस्टर किया जाए, पहले दबा लिया जाता था। इनको दबाने के बावजूद स्पीकर साहब आप जरा गौर करेंगे कि 1975 और 1976 में जो हरिजनों पर एट्रोसीटिज हुई है, वे हैं 7,781 और 5,980। लेकिन 1977 और 1978 में इनका नम्बर बढ़ा है और वे हैं 10,879 और 15,079। ये आंकड़े उनके जमाने के हैं मैं आप से कहता हूं कि आप हमारी सहायता कीजिए, मिलवर्तन दीजिए, को-आपरेशन दीजिए। ये बीमारियां पिछले तीन सालों में पैदा हो गई थीं, अब ये धीरे-धीरे खत्म होंगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मन्त्री महोदय ने लम्बा उत्तर दिया है। प्रधान मंत्री भी यहां पर हैं। यह बहुत गम्भीर समस्या है केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल होना चाहिए। अकेला कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध नहीं रोक सकता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कानून में इस आशय का संशोधन करेगी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए जमानत नहीं हो सकेगी ? क्या सरकार केवल राज्य सरकारों का ही नही, बल्कि किसान/मजदूर संगठनों और समाज के सभी वर्गों का भी सहयोग प्राप्त करेगी ? इसे पार्टी स्तर से ऊपर समझा जाना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, यह बहुत अच्छा सुझाव है। हम इसे ध्यान में रखेंगे। हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, यह एक सुझाव है। मैंने इसे नोट कर लिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हममें से सदन के किसी भी सदस्य को इस तथ्य से सन्तोष नहीं हो सकता कि हरिजनों और अनुसूचित जनजातियों पर पहले की अपेक्षा कम अत्याचार हो रहे हैं। मैं निश्चित रूप से यह कहूंगा कि आंकड़े भ्रामक हैं। कोई यह कह सकता है कि आपातकाल में हरिजन आगे आने और अपनी शिकायतें दर्ज कराने में भयभीत थे। मैं उसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता।

अगर आप पिछले तीस वर्ष की अवधि पर ध्यान दें, तो लगभग 400 जिलों या 385 जिलों में से, मुझे नहीं पता कि कितने जिले हैं, लगभग 400 जिले तो होंगे ही—लगभग पचास जिलों में प्रायः हरिजनों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध होते हैं। इसलिए, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस आशय के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने के प्रश्न पर विचार किया है कि प्रत्येक राज्य और केन्द्र में विशेष हरिजन और अनुसूचित जनजाति अपराध शाखा होनी चाहिए, जिससे सम्भावित अपराध के लिए उन पचास जिलों पर हम निगरानी रख सकें। सामान्यतः हमारे पास अग्रिम जानकारी होती है, परन्तु चूंकि गुप्तचर ब्यूरो ऐसे अपराधों के बजाय राजनीतिज्ञों के बारे में जानकारी एकत्र करने में व्यस्त है, इसलिए निवारक कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। क्या सरकार ने पृथक गुप्तचर ब्यूरो स्थापित करने के प्रस्ताव पर कभी विचार किया है, जिससे हम इन पचास विशिष्ट जिलों पर निगरानी रख सकें ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : गुप्तचर ब्यूरो प्रत्येक अपराध के लिए है। परन्तु निश्चित रूप से एक हरिजन प्रकोष्ठ है, जो हरिजनों के विरुद्ध अपराधों पर निगरानी रखता है। हमने मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत निर्देश जारी कर दिये हैं कि अपराध होने के तत्काल बाद डी० एम०, कलक्टर या किसी जिम्मेदार अधिकारी को तत्काल मौके पर जाकर मुआयना करना चाहिए।

हैवी इंजीनियरी निगम, रांची में हानि

*560 **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरी निगम, रांची (सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम) अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और संचित हानि अब कुल लगभग 200 करोड़ रुपए हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इन भारी हानियों के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) इस घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निगम को क्या कार्यवाही करने के लिए कहा है ; और

(घ) यदि हां तो निमम की स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) हानियों का मुख्य कारण विशेपरूप से पिछले तीन वर्षों में उत्पादन का कम होना है ।

(ग) कम्पनी से कहा गया है कि वह उत्पादन में सुधार लाये और गैर-उत्पादक खर्च को कम करे ।

(घ) कम्पनी के काम का गहराई से अध्ययन किया जा रहा है और कुछ कमियों का पता लगाया गया है । कम्पनी के और अच्छे कार्यकरण और क्रयादेशों के समय पर निष्पादन के लिए उच्च प्रबन्ध को सुदृढ़ करने और प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं । कम्पनी के लिए और अधिक क्रयादेश प्राप्त करने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : कारखाने की क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता कितनी है और कम उत्पादन के क्या कारण है ?

श्री चरणजीत चानना : वस्तुतः कारखाने की क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि औसत आंकड़े से कोई मतलब नहीं निकलता । कम्पनी के तीन बड़े प्रभाग हैं और प्रत्येक प्रभाग में 20 से अधिक कर्मशालायें हैं । इसलिए, क्षमता के उपयोग के आंकड़ों की इस प्रकार से गणना नहीं की जा सकती ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : कुल कितना घाटा हुआ है ? क्या कोई उत्पादक व्यय हुआ है और कारखाने ने क्या निवारक उपाय किये हैं ?

श्री चरणजीत चानना : मैंने सदन को यह सूचित किया है कि वस्तुतः हम सारे मामले का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और सम्पूर्ण प्रवन्ध-व्यवस्था में आमूल सुधार किया जा रहा है । माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है । वस्तुतः हमने वर्ष 1975-76 में अच्छा कार्य किया था । जब घाटे में चल रही कम्पनी निर्माण-अवधि के दौरान थी, वर्ष 1974 -75 में घाटा 14.43 लाख रु० से घटकर 4.38 लाख रु० रह गया था । वर्ष 1975-76 में कम्पनी ने

लाभ कमाना शुरू कर दिया था और उसे 2.14 लाख रु० का मुनाफा हुआ था। वर्ष 1976-77 में 3.26 लाख रु० का लाभ हुआ था। वर्ष 1977-78 में 30.26 लाख रु० का घाटा हुआ था। वर्ष 1978-79 में घाटा 27.75 लाख रु० था। वर्ष 1979-80 में जब हमने कम्पनी को अपने नियन्त्रण में लिया, घाटे की राशि बढ़कर 37.77 लाख रु० हो गई थी। मेरी इच्छा यह है कि इसका उपचार करने के लिए इलेक्ट्रोनिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसका समाधान करने में कुछ समय लगेगा। जब मैं यह करता हूं कि हम सम्पूर्ण समस्या का अध्ययन कर रहे हैं, तो मेरा तात्पर्य यह है कि हम सही विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हम कोई गलत कार्य न करें। इस कम्पनी की हालत बहुत खराब है और हम इसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बतलाया है कि घाटे का कारण उत्पादन का कम होना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्पादन क्यों कम हो रहा है, इसके क्या कारण हैं ?

मंत्री जी ने यह भी बतलाया है कि अन-प्रोडक्टिव (अनुत्पादक) खर्चे भी हो रहे हैं जिन की वजह से घाटा है। मैं जानना चाहता हूं कि अनुत्पादक व्यय क्यों हो रहे हैं और वे क्या हैं ? अनप्रोडेक्टिव एक्सपेंडीचर क्या क्या हुए और इन्हें करने की इजाजत क्यों दी गयी ? जो आर्डर बढ़ाने के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसके बारे में हम यह जानना चाहेंगे कि वह किन-किन देशों के साथ किस-किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं और उनके परिणाम क्या निकले ?

श्री चरणजीत चानना : आपने यह पूछा है कि उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं ? इसमें हमने इसके लगभग सभी कार्यक्षेत्रों में स्टडी कर के देखा है। निम्न कमजोरियां पाई गई हैं : उत्पादन संबंधी योजना, निर्गमित क्षेत्र संबंधी योजना, विपणन प्रणाली का विकास, प्रौद्योगिकीय योग्यताएं, बिक्री के बाद की असन्तोषजनक सेवा इत्यादि।

माननीय सदस्य महोदय ने अनुत्पादक खर्चों के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं उनका ध्यान अपने उत्तर की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें मैंने कहा है कि हानियों का मुख्य कारण विशेषरूप से पिछले तीन वर्षों में उत्पादन का कम होना है। कम्पनी से कहा गया है कि वह उत्पादन में सुधार लाये और अनुत्पादक खर्च को कम करे। हमने यह सामान्य दिशा-निर्देश दिए हैं। हम इसका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। हमने शीर्षस्थ प्रबन्धक-मण्डल को यह सामान्य दिशा-निर्देश दिए हैं कि इस अध्ययन की समाप्ति तक इन्हें किसी भी प्रकार के अनुत्पादक खर्च की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हम अनुत्पादक खर्चों की सही संख्या के बारे में पता नहीं लगा सकते।

माननीय सदस्य महोदय का तीसरा प्रश्न था कि क्या हमें क्रयादेश प्राप्त हो रहे हैं ? हम प्रत्येक स्थान से क्रयादेश प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने उन देशों के नाम जानने चाहें हैं, जिनसे क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। इसके लिए किसी देश के प्रति कोई विशेष आग्रह नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बता सकता हूं कि हमें वर्ष 1980-81 के लिए

सोवियत संघ से 6 करोड़ रु० मूल्य के तथा अगले वर्ष के लिए 22.5 करोड़ रु० मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसकी यही सीमा नहीं है। हम गढ़ाई, ढलाई इत्यादि कार्य भी करते हैं। जो भी देश हमसे इस प्रकार का कार्य करवाना चाहता है, हम उसे अवश्य करेंगे।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : क्या उद्योग मंत्री जी इस तरह की गाइडलाइन्स बनायेंगे जिससे कि पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में जो लोसेज होते हैं उनके लिए किसी पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जा सके ? यह बात बार-बार देखी जाती है और यह बात एक ही अण्डरटेकिंग में नहीं है, बहुत सी जगहों पर ऐसे लोसेज होते रहते हैं जिनके कारण सरकार की बदनामी भी होती है। क्या इसके लिए सरकार कोई कदम उठायेगी ?

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य महोदय का सुझाव बहुत उपयोगी है। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक उपक्रम के कार्य की क्रमवार जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त, माननीय सदस्य महोदया यह भी अवश्य जानती होंगी कि सरकार ने इन उपक्रमों के कार्यकरण की जांच के लिए एक समिति का गठन पहले ही कर दिया है।

श्री निरेन घोष : रांची स्थित यह हैवी इंजीनियरी निगम न केवल भारतवर्ष में अपितु, एशिया में अपने प्रकार का सबसे बड़ा कारखाना (वर्कशाप) समझा जाता है। यह एक अपराध है कि इसकी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्या यह सच है कि इसने 10 लाख टन की अधिष्ठापित क्षमता वाली एक इस्पात मिल का निर्माण किया था ? यदि हां, तो क्या कारण है कि जब नई इस्पात मिलों का निर्माण किया जा रहा है, तो इस कार्य के लिए हैवी इंजीनियरी निगम की सेवाओं का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। इस बात की शिकायतें मिली हैं कि हैवी इंजिनियरी निगम को लगातार क्रयादेशों से वंचित किया जा रहा है। लम्बे समय से किसी तकनीकि प्रवन्धकीय कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया गया है। तथा योजनाबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया में हानि हो रही है। क्या आप अविलम्ब इस पूरी प्रक्रिया को बदलने का विचार रखते हैं ? देशी उद्योग भी हैवी इंजीनियरी निगम को क्रयादेश दे सकते हैं। आप क्यों इस निगम को समाप्त कर देना चाहते हैं ?

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य ने इस्पात संयंत्र सहित आंकड़ों का जो विवरण दिया है, वह सही है।

दूसरा सुझाव यह दिया गया है कि हमें क्रयादेश प्राप्त करने तथा इसकी कार्यसंचालन संबंधी प्रक्रिया को बदल देना चाहिए। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि न केवल क्रयादेशों की प्राप्ति में अपितु इसके कार्यसंचालन में भी सुधार किया जाय। ये दोनों ही परस्पर सम्बद्ध हैं। हम अधिक क्रयादेशों की प्राप्ति तथा इनके क्रयादेशों का समय पर निष्पादन— दोनों ही कार्य करते हैं।

"पाक विड टू रिवाइटेलाइज आर्मड फोर्स" शीर्षक समाचार

*561. श्री एस० एम० कृष्ण :

श्री भोगेन्द्र झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 जून, 1980 के टाइम्स आफ इन्डिया, नई दिल्ली में "पाक विड टू रिवाइटेलाइज आर्मड फोर्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान पहलीबार अपने टैंकों पर 105 एम. ए. तोप लगाने में समर्थ होगा ;

(ग) क्या पाकिस्तान ईरान से, ईरानी स्टाक के एम-47 और एम-48 टैंक भी प्राप्त कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कुछ पाकिस्तानी टैंकों में पहली बार 105 मि० मी० कैलिबर तोपें फिट की गई हैं।

(ग) इस बारे में कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) रक्षा तैयारियां को अद्यतन बनाए रखने के लिए देश के चारों ओर की गतिविधियों, जिसमें हमारे पड़ौसी देशों में सैनिक जमाव भी शामिल है और जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, की लगातार समीक्षा की जाती है।

श्री एस० एम० कृष्ण : महोदय, क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाएं अत्याधुनिक, अधिक प्रहार शक्ति तथा गहरी मार करने वाली क्षमता प्राप्त कर रही हैं ? क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है कि चीन तथा संयुक्त राज्य अमरीका के अतिरिक्त, ब्रिटेन तथा स्वीडन जैसे अन्य देश भी पाकिस्तान को और अधिक हथियार दे रहे हैं। क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है कि फ्रांस ने पाकिस्तान को मैट्रा-550 मैजिक प्रक्षेपास्त्र, बेचे हैं तथा सुपर मैट्रा-530 मैजिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश से आकाश में मार करने वाले इन्फ्रा-रेड प्रक्षेपास्त्रों की बिक्री का प्रस्ताव किया है ? पाकिस्तानी सामरिक शक्ति को ध्यान में रखते हुए, जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्या सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि इस क्षेत्र की शांति भंग की जा रही है तथा यह लगभग खतरनाक स्थिति बन गई है ? मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस अत्यधिक खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए हमारी ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : माननीय सदस्य ने आधुनिक हथियारों से सुसज्जित पाकिस्तान की सैनिक तैयारी को लेकर जो चिन्ता व्यक्त की है, इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में कुछ

समय से समाचार छप रहे हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को कुछ आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहाँ तक भारतवर्ष का सम्बन्ध है, हम लगातार अपनी रक्षा सम्बन्धी तैयारी की पुनरीक्षा करते रहते हैं तथा जिन उपकरणों को बदलने की आवश्यकता होती है, उन्हें बदलते रहते हैं। अपनी वित्तीय सीमाओं के भीतर हम इस कार्य को समय-समय पर करते रहते हैं।

श्री एम० एस० कृष्ण : हमें यह सूचना मिली है कि शीघ्र ही पाकिस्तान परमाणु बम प्राप्त करने जा रहा है। इससे निश्चय ही इस क्षेत्र की शक्ति सन्तुलन की स्थिति में बदलाव आयेगा। चूंकि इस समय पाकिस्तान के विदेश मन्त्री हमारे देश आ रहे हैं, अतः मैं माननीय प्रधान मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या विदेश मन्त्री के साथ अपनी बैठक में प्रधान मन्त्री ने शिमला समझौते की भावना के विरुद्ध की जाने वाली इन कार्यवाइयों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यद्यपि परमाणु बम का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है तथापि माननीय सदस्य के इस मनोभाव को कि "जो कुछ कहा जा रहा है और जो कुछ इस अवधि में किया गया है वह" शिमला समझौते के विरुद्ध है, पाकिस्तान के विदेश मन्त्री को स्पष्ट रूप से कह दिया है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हमें प्रेस से ज्ञात हुआ है कि हाल ही की वार्ताओं में भी आगाशाही ने भारत सरकार से कहा कि पाकिस्तानी सेना की शक्ति को कम करने के स्थान पर भारतवर्ष को अपनी सैन्य शक्ति को कम करना चाहिए। यद्यपि पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि भारतवर्ष कभी भी उस पर हमला करने का विचार नहीं रखता है, फिर भी वह सभी दृष्टियों से अपनी तैयारी कर रहा है। इसके बावजूद, पाकिस्तान क्यों अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता जा रहा है तथा अन्य शक्तियों की मदद से इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री सी० पी० एन० सिंह : हमारे पड़ौस में सैनिक गतिविधियों सहित समस्त गतिविधियों की सरकार द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है तथा अपनी सुरक्षा के प्रति खतरे की सम्भावनाओं के आधार पर अपनी सुरक्षात्मक तैयारी में सुधार के आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

डिफेंस इंस्टीट्यूट आफ फिजियोलाजी एण्ड एलाइड साईंसेज में प्रजनन जीव-विज्ञान केन्द्र

***562. श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिफेंस इंस्टीट्यूट आफ फिजियोलाजी एण्ड एलाइड साइन्सेज (डी० आई० पी० ए० एस०) में हाल ही में एक प्रजनन जीव-विज्ञान केन्द्र आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इंस्टीट्यूट के कार्यक्षेत्र (चार्टर आफ ड्यूटीज) के भीतर आता है ; और

(ग) क्या इससे कोई लाभदायक परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) दो परियोजनाएं प्रारम्भ की गई थीं। इन पर आगे भी काम चल रहा है। अब तक प्राप्त परिणाम सन्तोषप्रद हैं।

श्री सुशील भट्टाचार्य : गर्भाशय-ग्रीवा की द्रवप्रवाहिकी को बदलने के लिए शुक्राणु निकास कम करने सम्बन्धी पहली परियोजना के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारतवर्ष में तथा विदेशों में इस दिशा में पहले व्यापक अनुसन्धान कार्य किया जा चुका है तथा इसे अव्यावहारिक पाया गया है क्योंकि तांबे के जमाव से कैंसर होने का भय है तथा यदि हां, तो इस केन्द्र में पुनः इस अनुसन्धान को क्यों किया जा रहा है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : माननीय सदस्य ने यह मत व्यक्त किया है कि विदेशों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए अनुसन्धानों का कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ है। हमें इस बारे में पता नहीं है परन्तु इस कार्यक्रम को यहां इसलिए प्रारम्भ किया गया है क्योंकि हमने पाया है कि इसे विकसित किया जा सकता है तथा हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अपने प्रयास जारी रखेंगे।

श्री सुशील भट्टाचार्य : मैं इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं। तथापि गर्भनिरोधक उपायों के पश्चात् जननग्रन्थीय कार्यों सम्बन्धी दूसरी परियोजना के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस पर इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी इस देश की अनेक अनुसन्धान प्रयोगशालाओं में पहले व्यापक अनुसन्धान कार्य किया जा चुका है तथा यदि हां, तो क्या यह पहले के अनुसन्धान कार्य को दोहराना नहीं है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस क्षेत्र का उल्लेख किया है, यह अनुसन्धान केवल उसी क्षेत्र में ही नहीं किया जा रहा है। यह विशेष अनुसन्धान रक्षा सेवाओं में इसलिए किया जा रहा है। ताकि पर्यावरण की विभिन्न चरम सीमाओं में मनुष्य की अनुकूलनशीलता का अध्ययन किया जा सके तथा विभिन्न प्रकार के युद्ध की परिस्थितियों में सैन्य टुकड़ियों के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकरण में सामान्य स्तर को बनाए रखने के उपाय ढूंढे जा सकें।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा और सम्बद्ध सेवाओं की परीक्षाओं में पाली विषय का शामिल किया जाना

*563. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 से प्रारम्भ की गई नई परीक्षा प्रणाली से पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध सेवाओं में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा का एक विषय पाली था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नई प्रणाली को लागू किये जाने के बाद से वह विषय समाप्त कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से ;

(घ) क्या इसे पुनः सम्मिलित किया जाएगा क्योंकि यह विषय कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और इसमें समृद्ध साहित्य है; और

(ङ) यदि हां, तो यह विषय उक्त परीक्षाओं के लिए पुनः किस तारीख से शामिल किया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) तथा (ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1979 से लागू की जा रही परीक्षा की नई योजना, जो सिविल सेवा परीक्षा के नाम से प्रसिद्ध है, अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं की प्रथम और द्वितीय श्रेणियों में नियुक्ति हेतु गठित भर्ती नीति एवं चयन पद्धति समिति जो सामान्यतः कोठारी समिति के नाम से प्रसिद्ध है, द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों पर आधारित है। समिति ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की थी :—

"सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची बनाते समय हम एक जटिल समस्या का सामना करते हैं । जैसा कि पहले अध्याय में कहा गया था, प्रारम्भिक और प्रधान परीक्षाओं के लिए यह सूची इतनी सीमित नहीं होनी चाहिए जिससे इसमें बैठने वाले उम्मीदवारों को विषय चुनने में ही कठिनाई हो । इसके विपरीत, अगर सूची काफी लम्बी हो गई तो भी स्तर में एकरूपता बनाए रखना सम्भव नहीं हो सकेगा । इसके अलावा जब वैकल्पिक विषयों की सूची काफी लम्बी हो जाती है तो विभिन्न विषयों में बैठने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती है । इसका नतीजा यह होता है कि एक ही परीक्षा अनेक अलग-अलग परीक्षाओं में विभाजित हो जाती है । इसलिए जिन विषयों में प्रतियोगी उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है, अगर इसके विपरीत कोई सबल कारण न हो तो उनको पाठ्यक्रम में रखना नहीं चाहिए । यह स्पष्ट है कि सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का निर्धारण करने के लिए कोई

निश्चित मापदण्ड नहीं हो सकता। हमने प्रधान परीक्षा में अधिक सामान्य विषयों में से लगभग सभी को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है—केवल उन्हीं विषयों को छोड़कर जो विशेष रूप से व्यावसायिक या प्राविधिक होते हैं। विभिन्न सेवाओं की सामान्य आवश्यकताओं को भी हमने दृष्टि में रखा है।

यह तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की सूची बनाने में अनेक परस्पर विरोधी आवश्यकताओं और अवरोधों के बीच में समझौता करना पड़ता है। हमारा विश्वास है कि विशेषज्ञों के साथ विस्तार से विचार विमर्श करने के बाद प्रारम्भिक और प्रधान परीक्षाओं के लिए हमने जो विषय-सूचियां तैयार की हैं, सामान्य रूप से वे सन्तोषजनक पाई जाएंगी. इन सूचियों की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों के परामर्श से, समय-समय पर आयोग द्वारा पुनरीक्षा होनी चाहिए।"

भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा की पुरानी योजना के अधीन वैकल्पिक विषयों की सूची में पाली भी एक वैकल्पिक विषय था जिसे कोई उम्मीदवार ले सकता था। किन्तु कोठारी समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सिविल सेवा परीक्षा में पाली को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

आयोग समय-समय पर सिविल सेवा परीक्षा के वैकल्पिक विषयों की सूची की पुनरीक्षा करता रहेगा।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : सभा पटल पर रखे गये विवरण से यह प्रतीत होता है कि पाली को कोठारी समिति की सिफारिश पर हटा दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि नई योजना को लागू करने के साथ कितने विषयों को हटा दिया गया है अथवा क्या पाली भाषा पर ही एकमात्र कुठाराघात किया गया है ?

श्री पी० वेंकट सुब्बया : कोठारी समिति के प्रतिवेदन में, जिसे वर्ष 1976 में प्रस्तुत किया गया था, एक निश्चित सिफारिश है, जिसे विवरण में उद्धृत किया गया है :

"जब वैकल्पिक विषयों की सूची काफी लम्बी हो जाती है, तो विभिन्न विषयों में बैठने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि एक ही परीक्षा अनेक अलग-अलग परीक्षाओं में विभाजित हो जाती है। इसलिए जिन विषयों में प्रतियोगी उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है, तो उनको पाठ्यक्रम में नहीं रखना चाहिए।"

माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या केवल पाली विषय को ही हटाया गया है अथवा अन्य विषयों को भी हटाया गया है। मुझे इसके लिए अग्रिम नोटिस चाहिए। तभी मैं माननीय सदस्य को बता सकूंगा कि क्या कोठारी समिति की सिफारिशों के अनुसार पाली के अलावा किसी अन्य विषय को हटाया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रधान मंत्री द्वारा आल आसाम स्टूडेन्टस यूनियन को पत्र

* 551. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने आल आसाम स्टूडेन्टस यूनियन के अध्यक्ष तथा महासचिव को 21 जून, 1980 को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने अपने रवैये में कोई कठोर रुख नहीं अपनाया है और सरकार बातचीत के माध्यम से आसाम में विदेशियों के प्रश्न का हल ढूंढ़ने की इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संविधान और वर्तमान विधियों के अन्तर्गत आसाम की समस्या का हल निकालने के लिए शीघ्रता से बातचीत आरंभ की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने आल असम स्टूडेन्टस यूनियन को लिखे अपने 22 जून, 1980 के पत्र में कहा है कि सरकार ने अपने रवैये में कोई कठोर रुख नहीं अपनाया है और प्रश्नों का समाधान विचार विमर्श के माध्यम से किया जा सकता है। आगे की बात चीत आन्दोलनकारी नेताओं के रुख पर निर्भर करती है।

सीमेंट का धारण मूल्य

*554. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अन्त तक देश में पचास प्रतिशत एकक संकट में पड़ जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कच्चे माल के बढ़े हुए मूल्यों के कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि होने से तीन बार के धारण मूल्य पुराने पड़ गये थे ;

(घ) क्या भारत सरकार द्वारा आयात किये जा रहे सीमेंट की उतरने की लागत लगभग 600 से 700 रुपए प्रति टन है और क्या सरकार को चालू उपभोक्ता मूल्य बनाये रखने के लिए इसे पर्याप्त राज सहायता देनी पड़ेगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या उपभोक्ता मूल्य बनाये रखने के लिए वास्तव में राजसहायता दी गई है; और

(च) सीमेंट उद्योग की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) इस अवस्था में यह बताना कठिन है कि वर्ष के अंत तक कितने सीमेंट कारखाने लाभ अर्जित करने लगेंगे और कितने हानि उठाएंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सीमेंट मैन्यूफैक्चर्स एसोशिएशन ने निवेशों की लागत में वृद्धि होने के कारण अधिक संधारण मूल्य के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है ।

(घ) और (ङ) जी, हां । देश में उत्पादित सीमेंट की तुलना में आयातित सीमेंट की जहाज से उतरते समय की लागत अधिक होती है । तथापि, देश में देशी व आयातित, दोनों प्रकार की, सीमेंट रेल भाड़ा मुक्त मूल्य के एक ही पूल में बेची जाती है ।

(च) सीमेंट उद्योग को उच्चतम स्तर पर उत्पादन बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली व कोयला दिलाने का सुनिश्चय करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

16 जुलाई, 1980 को होने वाली सदन की बैठक के लिए रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र कलपक्कम

*555. **श्री निहाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के साथ सहयोग से मद्रास के निकट कलपक्कम में एक रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर टर्बाइन स्टीम जेनरेटिंग और अन्य यूनिट कब तक स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) इनकी स्थापना पर कितना व्यय किया जाएगा और दोनों देशों के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, हां । फ्रांस के परामर्श, सहायता और औद्योगिक जानकारी से तमिलनाडु के कलपाक्कम नामक स्थान पर रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र में एक फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर बनाया जा रहा है, जिसके नवम्बर, 1982 तक तैयार हो जाने की आशा है ।

(ग) रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र बनाने के लिए 112·95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि में, फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर के लिए मंजूर किए गए 58·72 करोड़ रुपए भी शामिल हैं ।

दो करार किए गए हैं, जिनमें से एक फ्रांस के परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ हुआ और दूसरा फ्रेंच इंडस्ट्री के साथ । इन करारों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(क) फ्रांस के परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ हुआ करार

(i) परियोजना का पूरा उत्तरदायित्व परमाणु ऊर्जा विभाग का होगा ।

(ii) वास्तविक सूचना भुगतान करके प्राप्त की जायेगी । यह भुगतान फ्रांस के परमाणु ऊर्जा आयोग के कार्मिकों द्वारा लगाए गए समय के लिए प्रति घंटे के हिसाब से उन दरों पर किया जाएगा, जिनके बारे में सहमति हो ।

(iii) चालू फ्रांसीसी रिऐक्टर 'रैपसोडी' (RAPSODIE) में कुछ भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

(ख) फ्रेंच इंडस्ट्री के साथ हुआ करार

(i) उनके पास जो जानकारी है, उसे पाने के लिए आरम्भ में एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(ii) उनके कार्य-स्थलों में भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

(iii) भारत में घटकों के निर्माण पर आई लागत की निर्दिष्ट प्रतिशतता के हिसाब से रायल्टी दी जाएगी ।

(iv) फ्रांसीसी कार्मिकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए प्रति घंटे की ऐसी दरों पर भुगतान किया जाएगा, जिनके बारे में परस्पर सहमति हो ।

केरल के लिए केन्द्रीय नियतन

*556. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वर्ष 1980-81 के केन्द्रीय नियतन में वृद्धि की जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां ।

(ख) केरल के मुख्य मंत्री ने मार्च, 1980 में प्रधानमंत्री को सम्बोधित पत्र में यह सुझाव दिया था कि 1980-81 के लिए 240 करोड़ रु० अनुमोदित परिव्यय के मुकावले 265 करोड़ रु० के अधिक राज्य योजना परिव्यय की वित्त-व्यवस्था करने के लिए विशेष समस्याओं के लिए 17.5 करोड़ रु० की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटित की जाए । हाल ही में, राज्य सरकार ने योजना आयोग को 1980-81 के लिए 290,41 करोड़ रु० के कुल योजना परिव्यय को

परिकल्पना करते हुए अनुपूरक वार्षिक योजना प्रस्ताव भेजे हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने केरल के मुख्य मंत्री को दिनांक 8 अगस्त, 1980 को विचार-विमर्श के लिए आमन्त्रित किया है। राज्य सरकार से प्रस्तावित परिव्यय की वित्त-व्यवस्था करने की विस्तृत स्कीम भेजने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

कोलासिब बिलखावलिट के पास मिजो लोगों का घात लगाना

*559. **श्री एन० बी० चन्द्रशेखरमूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जून, 1980 को कोलासिब बिलखावलिट के पास मिजो विद्रोहियों द्वारा आक्रमण करने पर चार फौजी जवान मारे गये, 22 घायल हुए और अनेक गम्भीर रूप से घायल हुए;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिजो विद्रोहियों ने उपर्युक्त हमले में चीनी राकेटों और एण्टीटेंक राकेटों का इस्तेमाल किया ;

(घ) क्या बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ङ) मिजो विद्रोहियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) 21 जून, 1980 को एजल सिल्चर सड़क पर मिजो विद्रोहियों द्वारा एक फौजी बल पर घात लगाकर आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप 4 फौजी जवान मारे गये। फौजी बल एजल से सिल्चर को जा रही 10 गाड़ियों को एक कानवाई का एक भाग थी और गार्ड के क्रम में यह आठवीं थी और यह गाड़ी 33 फौजी कार्मिकों को ले जा रही थी। बिलखावथलर से 6 कि० मी० पर जब एक मोड़ काटने के लिए बाड़ी की गति धीमी हुई तो विद्रोहियों ने एक एन्टी-टैंक राकेट छोड़ा जो बस की बाड़ी में घुस गया जिसके कारण 4 सिपाही मर गए और 25 जख्मी हो गए। राकेट के पिछले हिस्से को बस की गाड़ी से बरामद किया गया। राकेट के पिछले हिस्से की जांच करने पर यह पता चला कि यह राकेट चीनी मूल का था। मिजोरम सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अपराध के लिए उत्तरदायी किसी भी विद्रोही को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है और गश्त लगाई जा रही है। क्षेत्र में छानबीन की कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। मिजो नेशनल फ्रंट और सम्बद्ध निकायों को गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 के तहत पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका है और सुरक्षा बलों की कार्रवाईयों को भी तेज कर दिया गया है।

सहायकों के लिए पदोन्नति के अवसर

*564. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपने ही ग्रेड में 15-20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले सहायकों के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संवर्ग में बहुत अधिक गतिरोध के कारण बड़ी नैराश्य भावना उत्पन्न हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सेवा के अन्य संवर्गों में आरम्भ किये गए सेलेक्शन ग्रेड की तरह इस संवर्ग में भी सेलेक्शन ग्रेड आरम्भ करके इस संवर्ग वालों को कुछ प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे सभी सहायक जिन्होंने 8 वर्ष अथवा इससे अधिक की अनुमोदित सेवा कर ली है और जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा की वरिष्ठता रेंज के भीतर हैं, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के अधीन अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं । किन्तु कुछ ऐसे सहायकों की पदोन्नति अभी होनी बाकी है जिन्होंने 15-20 वर्ष की सेवा कर ली है ।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद् में कर्मचारी पक्ष ने सहायकों के ग्रेड में गतिरोध के बारे में कुछ अभ्यावेदन दिए हैं ।

(ग) सहायकों के लिए चयन ग्रेड लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

भारतीय आर्थिक सेवा में विशेष वेतन वाले पद

*565. **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में श्रेणी—1 के ऐसे कितने राजपत्रित पद हैं जिनके साथ विशेष वेतन जुड़ा है ;

(ख) क्या भारतीय आर्थिक सेवा में विशेष वेतन वाला कोई पद नहीं है और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के क्षेत्रीय पदों पर भी कोई विशेष वेतन नहीं मिलता ; और

(ग) क्या भारतीय आर्थिक सेवा में विशेष वेतन वाले पद बनाने का कोई विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्यमंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में विशेष वेतन वाले समूह "क" (श्रेणी) पदों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना तत्काल

उपलब्ध नहीं है। भारतीय आर्थिक सेवा एक गैर-तकनीकी सेवा है तथा अन्य गैर-तकनीकी केन्द्रीय सेवाओं में विशेष वेतन वाले समूह "क" पदों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) भारतीय आर्थिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में शामिल सभी पद संवर्ग पद हैं और इनके साथ सम्बद्ध कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के स्तरों की विस्तृत जांच के बाद ही इन्हें ग्रेडों में शामिल किया गया है। तद्नुसार, किसी विशिष्ट ग्रेड में सभी पदों के समान कार्य तथा उत्तर-दायित्व हैं और किसी भी पद के साथ विशेष वेतन जोड़े जाने का प्रश्न नहीं उठता। सभी संवर्ग पद हैं तथा सभी को समान समझा जाता है चाहे वे किसी भी कार्यालय में हों अथवा कहीं भी स्थित हों।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

"क्लेमर इन झाड़ग्राम" शीर्षक समाचार

*566. **श्री नारायण चौबे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1980 के स्टेट्समैन के कलकत्ता संस्करण में "क्लेमर इन झाड़ग्राम" (झाड़ग्राम में हलचल) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच का प्रतिवेदन क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाड़ा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले में जांच की है और उनके द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर बाकुरा और पुरुलिया जिलों और बिहार तथा उड़ीसा के निकटवर्ती जिलों के जनजाति के नेता एक पृथक झारखण्ड राज्य के लिए आन्दोलन करते रहे है। इसमें झारखण्ड मुक्ति मोर्चा और झारखण्ड युवा मोर्चा आन्दोलन के अग्रणी संगठन हैं। हाल में असम और त्रिपुरा के दंगों के परिणाम स्वरूप झाड़खण्ड मुक्ति मोर्चे ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को काफी तेज कर दिया है। वे मिदनापुर जिला के झाड़ग्राम के सब डिविजन के विभिन्न भागों में नियमित रूप से सभाएं कर रहे हैं। पार्टी भूमि वितरण, भागीदार फसल उगाने वालों का अभिलेखन, झाड़ग्राम नगर के जुबली मार्किट से आदिवासी व्यापारियों को पृथक करना, झाड़ग्राम पेपर मिल्स में रोजगार की सुविधाओं आदि से संबंधित स्थानीय

विवादों का उपयोग कर रही हैं। इसमें क्षुब्ध करने वाली बात यह है कि हाल ही में आन्दोलन ने बंगाल-विरोधी रुख अपना लिया है। परन्तु सार्वजनिक रूप से झाड़खण्ड मुक्ति मोर्चे ने ऐसी गतिविधियों से अपने किसी सम्बन्ध से इन्कार किया है। मिदनापुर जिले के महतों ने भी जो जनजाति नहीं है, संथालियों के साथ झाड़खण्ड राज्य की मांग को अपना उद्देश्य बना लिया है।

खबर है कि कुछ अंग्रेज फ्रांसीसी, पश्चिम जर्मन तथा डच मिशनरियां तथा सामाजिक कल्याण संगठन इस आन्दोलन की सहायता कर रहे हैं और जनजाति समर्थक प्रश्नों को लेकर आन्दोलन करने के लिए जन-जातियों को संगठित कर रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट, मिदनापुर ने हाल की रिपोर्ट में सूचित किया है कि विदेशी और मिशनरियां अधिक संख्या में झाड़ग्राम आ रही हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि कई स्वयं सेवी संगठन जिनको विदेशों तथा विदेशी संस्थाओं से धन मिलता है झाड़ग्राम सबडिविजन में जिला प्राधिकारियों को अपनी गतिविधियों के बारे में बगैर सूचित किये कार्य कर रहे हैं। कुछ संगठन जनजाति क्षेत्रों में मूल्यवान कार्य करते रहे हैं लेकिन अपने परोपकारी कार्यों का लाभ उठाते हुए कुछ ईसाई मिशनरियां जनजातियों के धर्म परिवर्तन के कार्य में लगी हुई है।

केरल के पेरुवन्नन समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

*567. **श्री ए० के० बालन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पेवरुन्नन समुदाय अनुसूचित जाति है जबकि पेरुवन्नन समुदाय केरल राज्य की अन्य गैर-अनुसूचित जाति समुदाय में आते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने पेरुवन्नन समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में केरल से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) सरकार को जानकारी है कि पेरुवन्नन समुदाय केरल में अनुसूचित जातियों की सूची में है और पेरुवन्नन समुदाय सूची में सम्मिलित नहीं है।

(ख) और (ग) केरल राज्य के पेरुवन्नन समुदाय अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए केरल राज्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार इस प्रस्ताव पर ऐसे अन्य अनिर्णीत प्रस्तावों के साथ विचार करेगी।

कलपाक्कम फास्ट ब्रीडर परमाणु संयंत्र चालू करना

*568. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलपाक्कम फास्ट ब्रीडर परमाणु संयंत्र चालू करने में देरी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या इस परियोजना में भारतीय वैज्ञानिकों को उपकरणों के डिजाइन बनाने और निर्माण करने में पर्याप्त आत्म-निर्भरता मिली है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) विशिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप विभिन्न उपस्करों एवं सामग्री की प्राप्ति में सामने आई समस्याएं ; और

(ii) विभिन्न भारतीय उत्पादकों द्वारा उन्हें कराई गई जानकारी का उपयोग करने में और बाद में विभिन्न घटकों का उत्पादन करने में अनुभव की गई कठिनाईयां ।

(ग) इस परियोजना में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पग उठाया है, क्योंकि रिऐक्टर में लगने वाले अधिकांश प्रमुख घटक भारत में ही बनाए गए हैं ।

*569. **श्री राम स्वरूप राम : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जो सरकारी क्षेत्र में एक इन्जीनियरिंग परामर्शदाता संगठन है, गत तीन वर्षों से घाटे में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन घाटों से उतरने के लिए तथा उसे एक लाभकारी सरकारी क्षेत्र बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय सुझाये गए हैं ; और

(ग) क्या निगम के वर्तमान चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक सहित उच्च प्रबंधकों को बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी, हां । परीक्षित लेखों के अनुसार निगम को वर्ष 1977-78 तथा वर्ष 1978-79 में क्रमश: 43.55 लाख रु. तथा 35.66 लाख रु. की हानि हुई । वर्ष 1979-80 के लेखों की परीक्षा की जा रही है और 19.14 लाख रु. की हानि होने का अनुमान है ।

(ख) निगम प्रारम्भिक तकनीकी परामर्श दात्री सेवाएं प्रदान करता है और निगम को हानि होने का मुख्य कारण कल्पित कार्यों का पूरा न हो पाना रहा है विद्यमान स्थिति से उबरने के लिए निगम सीमेंट, वस्त्र, कागज तथा लुगदी आदि जैसे नए क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने

के लिए प्रयत्न कर रहा है। सरकार भी न केवल उद्योग मंत्रालय के अधीन बल्कि अन्य मंत्रालयों/विभागों के भी अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों द्वारा इसकी सेवाओं का उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगा रही है। निगम के निर्देशक मंडल को भी सुदृढ़ बनाया गया है. ताकि इसके कार्यकरण में सुधार लाया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

अनुसूचित क्षेत्र और पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का माप दंड

*570. **श्री भीखा भाई** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र और पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का काम किस मंत्रालय का है ;

(ख) वर्गीकरण के अनुसार उनके विकास हेतु किन विभिन्न उपायों को अपनाया जाता है ;

(ग) संविधान के अन्तर्गत किन क्षेत्रों को मान्यता मिली हुई है ; और

(घ) उन क्षेत्रों का विकास करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

(ग) संविधान की क्रमशः पांचवीं और छठी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को अलंघनीय माना जाए।

(घ) पिछड़े क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के विकास के लिए उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजना को तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य योजना से क्षेत्र-विशिष्ट विकास कार्यक्रमों के लिए इन क्षेत्रों में धनराशि की कुछ मात्रा दी जाए। इसके अलावा इन क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने के लिए अनुपूरक के रूप में कुछ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है।

विवरण—1

विषय	वर्गीकरण/परिसीमन	विशेष कार्य-क्रमों का प्रशासन	किया जाने वाला विशेष व्यवहार
1	2	3	4
1. अनुसूचित क्षेत्र	सांविधानिक रूप में निर्धारित और गृह मंत्रालय की सलाह पर विधि मंत्रालय द्वारा अधिसूचना का जारी किया जाना।	गृह मंत्रालय	(क) **राजनीतिक**—विधान मंडलों और स्थानीय निकायों में स्थानों का आरक्षण (ख) **संरक्षात्मक**—आर्थिक हितों को संरक्षित रखने के लिए विशष विधायन।
2. जनजातीय क्षेत्र	गृह मंत्रालय के परामर्श से योजना आयोग	गृह मंत्रालय	(ग) **विकास** —शैक्षिक और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। (घ) जनजातीय उपयोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।
3. पहाड़ी क्षेत्र	राष्ट्रीय विकास परिषद्	योजना आयोग	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।
4. रेगिस्तानी क्षेत्र	ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय	ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय	रेगिस्तान विकास कार्यक्रम-केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम।
5. पिछड़े क्षेत्र (औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े)	उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के परामर्श से योजना आयोग।	उद्योग मंत्रालय	रियायती वित्त और निवेश आर्थिक सहायता।

वाणिज्य मंत्रालय में एसिस्टेंटों की वरीयता का निर्धारण

*571. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य मंत्रालय में संघ लोक सेवा आयोग के जरिए सीधे भर्ती किए गए एसिस्टेंटों को विभागीय पदोन्नत किए गये एसिस्टेंटों से वरिष्ठ रखा गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन नियमों के परिणामस्वरूप विभागीय पदोन्नत किये गये एसिस्टेंटों को, जिनका लम्बा अनुभव और अर्हतायें हैं, नुकसान हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि संघ लोक सेवा आयोग के जरिए अथवा विभागीय दृष्टि से कर्मचारियों के संवर्ग में प्रवेश को ध्यान में रखने की बजाए एसिस्टेंटों के ग्रेड में प्रवेश/स्थायीकरण की तारीख के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जाये ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सीधी भर्ती वाले सहायकों तथा वाणिज्य मंत्रालय में प्रवर सूची में सहायकों के रूप में मूलरूप से नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता उक्त ग्रेड में क्रमशः दोनों के लिए आरक्षित मूल रिक्तियों के कोटे के अनुसार निर्धारित की गई है जैसाकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 की चतुर्थ अनुसूची के विनियम 3 (3) के अधीन निर्धारित है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उनकी वरिष्ठता पूर्णतः उन नियमों और विनियमों के अनुसार निश्चित की गई है जिन्हें ध्यानपूर्वक सोच-विचार के बाद अन्तिम रूप दिया गया है।

(ग) चूंकि सहायक ग्रेड के वरिष्ठता नियम सीधी भर्ती वालों और पदोन्नति वालों की पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण हेतु सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार होते हैं, इसलिए विद्यमान नियमों में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

सीमेंट और क्लिंकर की ढुलाई के लिए भाड़े पर खर्च की गई धनराशि

4368. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न सीमेंट कारखानों से भिन्न-भिन्न स्थानों को सीमेंट और क्लिंकर की ढुलाई के लिए भाड़े पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाती है ;

(ख) ढुलाई किए गये सीमेंट और क्लिकर की कुल मात्रा का, कारखानेवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कारखाने से किन गंतव्य स्थानों को सीमेंट और क्लिकर भेजा गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 की अवधि में सीमेंट और क्लिकर ले जाने के लिये भुगतान किए गये भाड़े की कुल राशि नीचे बतायी गई है :—

वर्ष	भुगतान की गई राशि (दस लाख रुपये में)
1977	983
1978	1103
1979	1087

(ख) और (ग) वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 की अवधि में विभिन्न कारखानों से भिन्न-भिन्न स्थानों को ले जाये गये क्लिकर की मात्रा इस प्रकार है :—

कारखाने का नाम	गन्तव्य स्थल जहां भेजा गया	1977	1978	1979
सतना सीमेंट वर्क्स	दुर्गापुर	140	165	162
श्री दिग्विजय सीमेंट कं० सिक्का	सेवरी	162	181	140
	अहमदाबाद	85	110	109
ए० सी० सी० वर्क्स खलारी	सिन्दरी	40	32	7
ए० सी० सी० वर्क्स जामुल	सिन्दरी	—	—	3
	योग :	427	488	421

वर्ष 1977,1978, 1979 की अवधि में विभिन्न राज्यों को ले जाये गये सीमेंट की मात्रा तथा कारखानों का नाम बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1093/80)

विभिन्न प्रकार की कारों तथा जीपों के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग

4369. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाले एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेसेडर कारों, जीपों और फिएट कारों के उत्पादन के लिये विदेशी सहयोग हेतु लाग सभी करारों की एक एक प्रति क्या-क्या है ;

(ख) उन कार तथा जीपों की उत्पादक यूनिटों के नाम क्या हैं जो इस समय विदेशी सहयोग तथा तकनीकी सहायता से सर्वथा मुक्त हैं ; और

(ग) उपरोक्त उत्पादकों ने वर्ष 1975 से 1980 तक स्वदेशी फर्मों को कुल कितनी राशि का पारिश्रमिक अदा किया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जैसा कि इन गाड़ियों के निर्माताओं ने बताया है, कारों तथा जीपों के किसी भी निर्माता ने इस समय बनाई जा रही अपनी वस्तुओं के लिए कोई विदेशी सहयोग नहीं किया है। फिर भी, मै० हिन्दुस्तान मोटर्स की जो अम्बेसैडर कारों का निर्माण करते हैं, सरकार ने एक नये डिजाइन की कार बनाने के लिए तकनीकी जानकारी के आयात की स्वीकृति प्रदान की है। मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि० को उनके द्वारा बनायी जाने वाली डीजल से चलने वाली गाड़ियों में प्रयोग के लिए डीजल इंजनों के निर्माण हेतु विदेशी सहयोग की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मन्त्रालयों में नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करना

4370. **श्री के० प्रधानी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 31 मई 1980 को भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में काम कर रहे नैमित्तिक कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित कर ली है ;

(ख) क्या सरकार ने उनके नियमित करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने के, लिए सरकार ने क्या पद्धति अपनाई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं श्रीमान। चूंकि नैमित्तिक कर्मचारियों की भर्ती आकस्मिक प्रकृति के कार्य के लिए ही की जाती है, इसलिए स्थिति समय-समय पर बदलती रहती है। इसलिए इस प्रकार की कोई सूचना केन्द्रीय रूप में मानीटर नहीं की जाती है।

(ख) तथा (ग) फिर भी, इस प्रकार के निदेश विद्यमान हैं कि ऐसे नैमित्तिक कर्मचारियों पर भी, जिन्होंने 2 लगातार वर्षों में 240 दिन कार्य किया है, ग्रेड घ पदों की नियमित रिक्तियों पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जाना चाहिए, बशर्ते कि वे पात्रता की शर्तें पूरी करते हों।

उत्तर बिहार की तांती/तांतवे तथा खटवे जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करना

4371. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा तथा अन्य जिलों की तांती, तांतवे तथा खटवे जातियां सामाजिक रूप से अछूत हैं और आर्थिक रूप से सब से गरीब और शोषित जातियों में से हैं ;

(ख) क्या उन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी नहीं, श्रीमान। बिहार राज्य की तांती, तांतवे और खटवे जातियां छूआ छूत की परम्परागत प्रथा से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित नहीं हैं। जो किसी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए निश्चित मानदण्ड है।

(ख) और (ग) इन समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा उपयुक्त अवसर पर जब भारत सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में व्यापक संशोधन करने का कार्य हाथ में लेगी लिचार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर आरोप

4372. **श्री प्रभू नारायण टंडन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सकलेचा पर लगाए गए आरोपों की जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश के कुछ राजनैतिक नेताओं द्वारा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री वी० के० सकलेचा के विरुद्ध वर्ष 1979 में लगाए गए आरोपों की श्री वी० के० सकलेचा द्वारा दी गई टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक जांच के बाद उनमें से कुछ आरोपों का प्रमाणीकरण के लिए केन्द्रीय सरकारी जांच अभिकरणों (एजेंसियों) को भेज दिया गया है। कुछ अन्य आरोपों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

1979-80 में हुए साम्प्रदायिक दंगे

4373. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, देश के विभिन्न भागों में हुए साम्प्रदायिक दंगों में, राज्यवार कितने लोगों की जान गई और कितने घायल हुए ; और

(ख) क्या देश में, राज्यवार हुए साम्प्रदायिक दंगों में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सेलम में सीमेंट जैसी मिट्टी

4374. **श्री के० अर्जुनन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु में सेलम में बर्न एन्ड कम्पनी माइन्स में सीमेंट जैसी मिट्टी उपलब्ध है और इस मिट्टी को सीमेंट की बोरियों में भर दिया जाता है तथा उसे काला-बाजारी करने वालों द्वारा बेचा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी जांच करने और इस कदाचार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) इस मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नारियल जटा से निर्मित वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य का पुनरीक्षण

4375. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा से निर्मित वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य में वर्ष 1979 के दौरान कोई पुनरीक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना समिति द्वारा इसे किसी भावी तारीख से लागू करने का निर्णय किए जाने के बाद थोड़े समय के लिये स्थगित कर दिया गया है ; और,

(ग) यदि हां, तो इसके कारण विदेशी मुद्रा की कुल कितनी हानि हुई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आंजनेयपुरम् में "विकास" परियोजना स्थापित करना

4378. **श्री पसाला पेंचालैया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में तिरूपति के निकट आंजनेयपुरम में विकास परियोजना (लिक्विड प्रोपेलेंट कम्पलैक्स) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिये द्रव जांच केन्द्र की स्थापना के लिये जिन स्थानों पर विचार किया जा रहा है, उनमें से एक स्थान आन्ध्र प्रदेश में तिरूपति और आंजनेयपुरम के निकट है ।

(ख) स्थान के अन्तिम चयन के बारे में अभी तक किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) सही परियोजना लागत का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है ।

एच० एम० टी० घड़ियों के मूल्यों में वृद्धि

4379. **श्री राम विलास पासवान :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978-79 में हाथ की घड़ियों के पुर्जों पर आयात शुल्क में कमी की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयत शुल्क में कमी किए जाने के बावजूद एच० एम० टी० ने घड़ियों के मूल्य बढ़ा दिए ; और

(ग) 1975 से 1978-79 की अवधि में एच० एम० टी० तथा गैर-सरकारी कम्पनियों ने विभिन्न घड़ियों के मूल्यों में कब और कितनी वृद्धि की ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : जी, हां, लेकिन 1978-79 से पहले । 1978-79 में, इसके विपरीत, घड़ियों के हिस्से-पुर्जों पर 28.2.79 से 8 प्रतिशत का बराबर का शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) लगा दिया गया था ।

(ख) तथा (ग) घड़ियों पर कानूनी मूल्य नियंत्रण न होने से गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाई जाने वाली घड़ियों की कीमतों के ब्यौरे सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं । कीमतों में स्टाइल तथा माडलों के अनुसार परिवर्तन होता है और इसलिए उनकी तुलना नहीं की जा सकती है । एच० एम० टी० की घड़ियों के मामले में 1975-76 से 1978-79 तक कीमतों की 4 बार पुनरीक्षा की गई थी, जिसके दौरान तीन अवसरों पर कीमतें वास्तव में कम की गई थी और इसके द्वारा ग्राहकों को आयात शुल्क में कमी का लाभ दिया गया है । केवल एक बार, अन्तर्वस्तुओं की अतिरिक्त लागत को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए एच० एम० टी० की कुछ माडल की घड़ियों की कीमत में 1.6.1978 से 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी । घड़ियों की उत्पादन लागत को न्यूनतम स्तर तक बनाये रखने के लिए एच० एम० टी० सतत प्रयास कर रहा है ।

भारतीय सेना अकादमी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के लिए इम्फाल में परीक्षा केन्द्र

4380. **श्री नगनगोम महेन्द्र : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सेना अकादमी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षाओं के लिए इम्फाल में परीक्षा केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग ने सिद्धान्ततः विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में और अधिक परीक्षा केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। इन नए केन्द्रों के वास्तविक स्थानों का सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा प्रशासनों के परामर्श से निर्णय किया जाना है, जिन्हें परीक्षाओं के सुरक्षित तथा सुचारु रूप से संचालन के लिए सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में पहले ही लिया जा चुका है। आयोग सम्बन्धित प्राधिकारियों के उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा है और उनके प्राप्त होने पर ही इम्फाल में आई० एस० ए० तथा एन० डी० ए० और अन्य परीक्षाओं के लिए केन्द्र खोलने के बारे में अन्तिम निर्णय किया जाना सम्भव हो सकेगा।

छटी योजना तैयार करने के लिए राज्यों को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांत

4381. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1978-83 की पांच वर्षों की अवधि के लिये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयोजनाएं तैयार करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने राज्य योजना से पूर्व ही उप-योजना तैयार करने के लिये अब तक कार्यवाही आरम्भ कर दी है ;

(घ) क्या वर्ष 1980 तक की अवधि के लिये उपयोजनाएं तैयार करने के लिये सम्बन्धित राज्यों को नये मार्गदर्शी सिद्धान्त पुनः जारी किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा 1978-83 की जनजातीय उपयोजना को तैयार करने के लिये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निम्नलिखित पर जोर दिया गया था :—

(1) जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तैयार करना और इन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम की प्राथमिकताएं निर्धारित करना ;

(2) ऐसी कार्यनीति तैयार करना जिसमें पांचवी योजना में पहले से शुरू किए गए संरक्षात्मक उपायों के लाभों को समेकित किया जाए तथा पूर्ण रोजगार देने और शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिये कार्यक्रमों पर बराबर जोर दिया जाए;

(3) द्विगुणी करण को दूर करने की दृष्टि से पांचवीं योजना में शुरू किए गए प्रशासनिक तंत्र के युक्तीयुक्त करण को पूरा करना और विशेषज्ञता पर अनावश्यक जोर दिए बिना उस क्षेत्र की जनशक्ति का प्रभावी रूप में उपयोग करना ;

(4) 10,000 से अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों का, जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत जनजातीय बहुलता हो, निर्धारण करके और अधिक क्षेत्र को उपयोजना दृष्टिकोण के अंतर्गत लाना ; और

(5) जनजातीय समुदायों में सबसे कमजोर समूहों के लिए अधिक जोर से कार्यक्रम शुरू करना।

(ग) 1978-83 की जनजातीय उपयोजना को तैयार करने के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य योजना से पहले इस उपयोजना को सामान्य उद्देश्यों और विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं के संदर्भ में तैयार करने के लिए अभ्यासों से राज्य योजना के भीतर जनजातीय उपयोजनाओं के लिए प्राथमिकताएं और कार्यक्रम परिभाषित करने में सहायता मिलेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी कुछ राज्य सरकारों ने राज्य योजनाओं को तैयार करने के पहले एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के आधार पर उपयोजनाएं तैयार करने का प्रयत्न किया है।

(घ) और (ङ) 1980-85 की अवधि के लिए जनजातीय उपयोजनाएं तैयार करने के संबंध में योजना आयोग द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक नए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखे गए पत्र में यह अनुरोध किया गया है कि 1980-85 की पंच वर्षीय योजना में भूमिहीन मजदूरों, छोटे और मझोले किसानों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की ओर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना चाहिए। 1980-85 की छटी योजना के लिए दृष्टिकोण, कार्यनीति और कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं की समीक्षा करने के लिए तथा निश्चित प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक अलग कार्यकारी दल बनाया गया है। इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय उपयोजनाओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

टेक्सचराइज यार्न मशीनरी के निर्माण के लिए लाइसेंस

4382. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों दोनों में उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने टैक्सचरिंग यार्न मशीनरी के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये जाने के लिए आवेदन-पत्र भेजे हैं ;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के स्थान पर सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) क्रिस्विंग मशीनें/टेक्सटराइजिंग मशीनें/ड्रा टेक्सटराइजिंग मशीनें बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्त/स्वीकृत पार्टियां ये हैं :—

(1) मै० नेशनल मशीनरी मैन्युफेक्चरर्स, बम्बई ।

(2) लोहिया मशीन लिमिटेड, कानपुर ।

(3) हिमसन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, सूरत ।

(4) मारकीन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि०, बम्बई

(5) वेनेलोन इंडस्ट्रीज, बम्बई; और

(6) स्टार ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०, बम्बई ।

इन मशीनों को बनाने के लिये इस समय कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है ।

(ग) चूंकि इन मशीनों को बनाने लिये के किसी भी सरकारी क्षेत्र के एकक से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए सरकारी क्षेत्र के एकक को लाइसेंस मंजूर न किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठाता ।

गुजरात में भारी उद्योगों की स्थापना करना

4383. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में किसी भारी उद्योग की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ख) गुजरात में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी भारी उद्योग संयंत्र (मशीन निर्माण उद्योग) के स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अमरीका के मैसर्स जिल्लेट के साथ संयुक्त उपक्रम

4384. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मन्त्रालय ने अमरीका के मैसर्स जिल्लेट के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम में दक्षिण भारत में एक ब्लेड परियोजना स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्तावों के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया था जिसके कारण परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका;

(ख) क्या सरकार अब उत्तर भारत में अमरीका के मैसर्स जिल्लेट के साथ संयुक्त उपक्रम की मंजूरी देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और क्या सरकार का विचार दक्षिण भारत के लिए भी प्रस्ताव की मंजूरी देने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) अमेरिका के मैसर्स जिल्लेट की वित्तीय सहभागिता से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पांडिचेरी के दक्षिणी राज्यों में स्टेनलेस स्टील के सेफ्टी रेजरों का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु कोई औपचारिक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) अमेरिका के मैसर्स जिल्लेट के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से राजस्थान राज्य में स्टेनलैस स्टील के सेफ्टी रेजरों का उत्पादन करने के लिए निजी कम्पनी से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। इस आवेदन पत्र पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरेनियम के विकल्प का पता लगाने के लिए अनुसंधान

4385. **श्री चन्द्रभाल आठरे पाछिल : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से आयात किए जा रहे समृद्ध यूरेनियम का कोई विकल्प ढूंढने के लिए कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है; और

(ख) क्या इसके कोई सफल परिणाम निकले हैं ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) अनुसन्धान जारी है, तथापि प्राप्त परिणामों के बारे में बताना अभी समय से पहले की बात होगा।

भारी-जल संयंत्रों में खराबी

4386. **श्री के० मालन्ना : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारी जल संयंत्रों में खराबी की अवधि से संबंधित ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों में उत्पादन की अनुमानित हानि कितनी हुई ; और

(ख) देश की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति हेतु इन संयंत्रों के नियमित रूप कार्य करने और क्षमतानुसार उपयोग करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारी पानी संयंत्र, बड़ोदरा की, जिसे दिसम्बर, 1977 में दुर्घटना से क्षति पहुंची थी, चालू करने की कार्रवाई चल रही है। तूतीकोरिन स्थित भारी पानी संयंत्र बिजली के बन्द हो जाने और सदर्न पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन से सिंथेसिस गैस के मिलने में व्यवधान पड़ने के कारण कुछ-कुछ समय बाद अक्सर बन्द होता रहा है। उत्पादन के बारे में और उत्पादन में रही अनुमानित कमी के बारे में विवरण देना राष्ट्र-हित में नहीं रहेगा।

(ख) आशा है कि भारी पानी संयंत्र, बड़ोदरा में नियमित उत्पादन जुलाई, 1980 के अन्त तक होने लगेगा। भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में यह निश्चित करने के लिए कुछ सुधार किए जा रहे हैं कि उसमें उत्पादन लगातार होता रहे।

रक्षा मन्त्रालय के अधीन विभिन्न सिविल संगठनों में बोनस

4387. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं में एम० ई० एस० आर्डिनेन्स कोर्प्स, मिलिट्री फार्म, ई० एम० ई०, ए० एस० सी०, मेडिकल कोर्प्स तथा आर० एण्ड डी० संगठनों के कर्मचारियों को छोड़ कर शेष सभी रक्षा कर्मचारियों को उत्पादकता से संबंधित बोनस दिया जाता है और यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या उपरोक्त भेद-भाव को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालय के विचाराधीन है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) अनुसन्धान और विकास संगठन एवं रक्षा विभाग के अन्तर्गत के अन्य संगठनों के सिविलियन कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

उड़ीसा में नमक का उत्पादन

4388. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में सहकारी, गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में कितने एकक नमक का उत्पादन कर रहे है और उनका वार्षिक उत्पादन क्या है ; और

(ख) क्या बालांग साल्ट प्रोड्यूसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड उनमें से एक है, यदि हां, तो इस सोसाइटी ने क्या सुधार करने की मांग की है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) उड़ीसा में सहकारिता क्षेत्र में 5, सरकारी क्षेत्र में/तथा निजी क्षेत्र में 37 नमक कार्यशालाएं हैं। वर्ष 1979 के दौरान इन सभी कार्यशालाओं में 73,000 मी0 टन नमक का कुल उत्पादन हुआ था।

(ख) नमक कार्यशालाओं को चला रही सहकारी समितियों में से बालांग नमक उत्पादन सहकारी समिति लि० भी एक है। इस समिति का मुख्य अनुरोध भूमि के पट्टे के नवींकरण को दीर्घावधि के लिए करने के बारे में है। किन्तु सम्बन्धित भूमि उड़ीसा सरकार की है जिसे इस मामले में निर्णय करना है।

एन० सी० ए० ई० आर० द्वारा गोआ, दमण और दीव के लिए सिफारिश किए गए उद्योग

4389. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनकी सिफारिश राष्ट्रीय व्यावहारिक और आर्थिक अनुसन्धान परिषद ने संघ क्षेत्र गोआ, दमन और दीव के लिए की है और इन सिफारिशों के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : प्रायोगिक एवं आर्थिक अनुसंधान सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद (एन. सी. ए. ई. आर.) द्वारा अप्रैल 1979 में प्रकाशित "डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आफ गोवा,दमन एण्ड दीव" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट निम्नलिखित विशद वर्गों के अन्तर्गत अलग-अलग उद्योगों के विकास की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है :—

1. कृषि आधारित उद्योग।
2. वन आधारित उद्योग।
3. पशुधन आधारित उद्योग।
4. आधारभूत धातुएं तथा धात्विक उत्पाद।
5. रसायन तथा सम्बद्ध उद्योग।
6. विविध उद्योग।

फिर भी, उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संघ क्षेत्र प्रशासन की है। जहां आवश्यक समझा गया संघ क्षेत्र प्रशासन की सहायता करने के लिए वर्ष 1979 में उद्योग मंत्रालय में एक अन्तर मन्त्रालयीय कृत्रिक बल का गठन किया गया था जो गोवा, दमन तथा दीव के औद्योगीकरण की समस्याओं की देख-रेख कर रहा है।

नेशनल इन्स्टूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा परम्परागत उत्पादों में कमी

4390. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्टूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता ने अपने उन परम्परागत-उत्पादों में कमी की है, जिनका राष्ट्रीय बाजार में काफी नाम था और भारी मांग थी ;

(ख) यदि हां, तो कमी करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1974-75 की तुलना में वर्ष 1979-80 में उत्पादन कम क्यों कर दिया गया ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) से (ग) परम्परागत सर्वेक्षण तथा चाक्षुष उपकरणों आदि के उत्पादन मूल्य की तुलना में इन्स्टूमेंट्स लि० कलकत्ता का वर्ष 1974-75 तथा वर्ष 1979-80 का कुल पण्यावर्त निम्न प्रकार रहा : —

	मूल्य (लाख रु० में)	
वर्ष	परम्परागत वस्तुएं	कुल पण्यावर्त
1974-75	113.52	337.47
1979-80	66.64	105.81

बिजली की कमी तथा सम्भरणकर्त्ताओं की समय पर माल तथा पुर्जे दिए जाने में असमर्थता के कारण वर्ष 1979-80 में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

पुरूलिया, पश्चिम बंगाल में आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानें

4391. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुरूलिया, पश्चिम बंगाल के देहात में शराब की दुकानों की मौजूदगी से आदिवासी लोगों में व्याप्त भारी रोष की जानकारी है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके लिए पुरूलिया में इस वर्ष फरवरी में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से एक आदिवासी युवक मारा गया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों से शराब की दुकानें हटा कर उनकी भावनाओं का सम्मान करने और मारे गये युवक के परिवार को मुआवजा देने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) राज्य सरकार से मांगी गयी रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या

4392. श्री एन० डेनिस : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से राज्य सरकारों के अधीन, राज्यवार, कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) उनमें सीधे भर्ती किये गये और पदोन्नत किए गये अधिकारियों की संख्या कितनी-कितनी है ; और

(घ) उनमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य बिभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) 1-5-1980 को, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटा में आई० ए० एस० अधिकारियों की संख्या 650 थी।

(ख) 1-5-1980 को, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कार्यरत आई० ए० एस० अधिकारियों की संख्या 3234 थी। अधिकारियों का राज्य/संवर्गवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1-5-1980 को कार्यरत 3884 आई० ए० एस० अधिकारियों में से 2998 सीधे भर्ती किए गये और 886 पदोन्नत किए गए अधिकारी थे।

(घ) पुरुष और महिला आई० ए० एस० अधिकारियों की संख्या क्रमशः 3624 और 260 थी।

विवरण

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत सेवा कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों सम्बन्धी विवरण

राज्य का नाम/संवर्ग	भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	...224
2. आसाम मेघालय	...120
3, बिहार	...248
4. गुजरात	...150
5. हरियाणा	...121

6. हिमाचल प्रदेश	...69
7. जम्मू व कश्मीर	...72
8. कर्नाटक	...173
9. केरल	...110
10. मध्य प्रदेश	...261
11. महाराष्ट्र	...238
12. मनीपुर त्रिपुरा	.. 65
13. नागालैन्ड	38
14. उड़ीसा	.. 147
15. पंजाब	...129
16. राजस्थान	...157
17. सिक्किम	...25
18. तमिलनाडु	. 204
19. संघ राज्य क्षेत्र	119
20. उत्तर प्रदेश	...362
21. पश्चिमी बंगाल	...202
	कुल ...3234

बिहार और उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

4393. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश में आज की तारीख तक कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन मिल रही है ;

(ख) क्या कुछ स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले में पेंशन रोक ली गई है;

(ग) यदि हां, तो कितने पेंशन भोगियों की, और उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) उनकी पेंशन कब तक पुनः शुरू किये जाने की आशा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) बिहार और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 19,263 और 18,400 ।

(ख) (ग) और (घ) बिहार में 202 मामलों में और उत्तर प्रदेश में 494 मामलों में पेंशनें स्थगित की गई हैं।

पेंशनें निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से स्थगित की गई हैं।

1. आवेदक वास्तविक स्वतन्त्रता सेनानी नहीं हैं।
2. यातना छः महीनों से कम है।
3. यातना स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित नहीं है।
4. झूठा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना।
5. कारावास/निष्कासन/फरार होने के दावे समर्थन में साक्ष्य न दिया जाना।
6. सभी स्रोतों से वार्षिक आय का 5000/—रुपये से अधिक होना।

सम्बन्धित व्यक्ति को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने तथा अपने दावे के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। उनके उत्तरों की राज्य सरकार के माध्यम से पुनः जांच की जाती है। राज्य सरकार की रिपोर्ट पर निर्भर करते हुए बिना किसी विलम्ब के पात्र मामलों में पेंशनें पुनः शुरू कर दी जाती है।

उत्तर प्रदेश को सीमेंट की सप्लाई

4394. **श्री जैनुल बशर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीने के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार का ध्यान सामान्यतः समूचे उत्तर प्रदेश और विशेषतः राज्य के पूर्वी जिलों में सीमेंट की सप्लाई की ओर दिलाया गया है ;

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या इस समय सप्लाई स्थिति सन्तोषजनक है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अप्रैल-जून, 1980 की तिमाही के लिए किए गए 4,37,600 मी० टन सीमेंट के आबंटन में से 15.6.80 तक उत्तर प्रदेश राज्य को 3,84,205 मी० टन सीमेंट भेजी गई थी।

सीमा सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षकों (आपरेटरों) को विशेष वेतन

4395. **श्री दौलत राम सारण** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 के नये वेतनमान के अनुसार सीमा सुरक्षा बल के सहायक उप-निरीक्षक (आपरेटरों) को विशेष वेतन दिया गया था, लेकिन रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षकों को नहीं दिया गया;

(ख) क्या सहायक उप-निरीक्षक आपरेटरों को विशेष वेतन 1974 से 1976 तक दिया गया था लेकिन उसके बाद बन्द कर दिया गया और विशेष वेतन के रूप में उन्हें दी गई राशि उनसे वापस ली गई और क्या जिन रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षकों को पहले विशेष वेतन नहीं दिया गया था उन्हें यह विशेष वेतन मिलने लगा और यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या आपरेटरों के दो निचले रेंक (नायक, हैड कांस्टेबल) हैं और दो रेंक (उप-निरीक्षक और निरीक्षक) सहायक उप-निरीक्षकों से ऊपर है और क्या ऊंचे और निचले दोनों रेंकों के व्यक्तियों को यह विशेष वेतन मिल रहा है लेकिन केवल रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षकों को ही यह विशेष वेतन नहीं दिया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस असंगति को दूर करेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सहायक उप-निरीक्षकों (आपरेटरों) को दिया गया विशेष वेतन वाजिब नहीं पाया गया था । इसलिए उप-निरीक्षकों को भुगतान किए गए विशेष वेतन की वसूली की गई थी । सहायक उप-निरीक्षक (आपरेटरों) का संशोधित पूर्व वेतनमान (125-155 रु० माहवार और विशेष वेतन 40 रु० माहवार) सहायक उप-निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) ग्रेड-II के वेतनमान (150-320 रु०) से कम था । 1-1-1973 से दोनों श्रेणियों के वेतनमान संशोधित करके समान वेतनमान (330-480 रु०) किया गया । सहायक उप-निरीक्षक (आपरेटर) की तुलना में सहायक उप-निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) के हित में कुछ अन्तर रखना वांछनीय समझा गया था। इसलिए सहायक उप-निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) ग्रेड-II को 1-1-1973 से विशेष वेतन दिया गया था ।

(ग) नायक तथा हैंडकांस्टेबल का पद सहायक उपनिरीक्षक के पद से दो श्रेणी नीचे हैं और उप-निरीक्षक तथा निरीक्षक का पद सहायक उप-निरीक्षक के पद से दो श्रेणी ऊपर है । नायक (संचार) हैंड कांस्टेबल (आपरेटर) उप-निरीक्षक (आपरेटर) तथा निरीक्षक (संचार) को विशेष वेतन मिलता है । सहायक उप-निरीक्षक (आपरेटर) को विशेष वेतन नहीं दिया जाता है, जैसा कि उपर्युक्त (ख) में स्पष्ट किया गया है । सहायक उप-निरीक्षक (आपरेटर) को विशेष वेतन देने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के चीफ एक्जीक्यूटिव के विरुद्ध आरोप

4396. **श्री के० ए० राजन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० का कार्य बहुत कम हो गया है जबकि इन्जीनियर्स इंडिया लि० मैकोन आदि जैसे अन्य सहायक परामर्शदाता संगठनों ने भारत में और विदेशों में परामर्श कार्य के बड़े-बड़े ठेके ले लिए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का चीफ एक्जीक्यूटिव सरकारी उद्यमों के स्थाई सम्मेलन (स्टेंडिंग कांफ्रेंस आफ पब्लिक एन्टरप्राइसिस) एवं परामर्शदाता इंजीनियरों के राष्ट्रीय एसोसियेशन नेशनल एसोसिएशन आफ कनसल्टिंग इंजीनियर्स के तत्वाधान में इनके चेयरमैन/प्रेसीडेंट की हैसियत से विदेशों का दौरा करता है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रा० वि० नि० के चीफ एक्जीक्यूटिव ने विदेशों के ऐसे कितने दौरे किए जिनके दौरान रा० औ० वि० नि० को स्वयं अपने कारण अथवा अन्य कारणों से भारी हानियां हुई तथा प्रत्येक दौरे का क्या परिणाम निकला ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न परामर्शदात्री संगठनों तथा जो विभिन्न परिस्थितियों में स्थापित किए गए हैं, के बीच तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा।

31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए विगत तीन वर्षों में परामर्शदायी सेवाओं से हुआ निगम का पण्यावर्त इस प्रकार रहा है :

वर्ष	पण्यावर्त	अर्जित विदेशी मुद्रा (लाख रुपयों में)
1977-78	76·69	23·96
1978-79	116·00	64 79
1979-80	124·00	75·00
	(अनन्तिम)	(अनुमानित)

(ख) और (ग) अतेक्षित ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1094/80)

सीमेंट का आवंटन

4397. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 की पहले और दूसरी तिमाही, में अलग-अलग पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश राज्यों में से प्रत्येक को सीमेंट का कितना आवंटन किया गया है; और

(ख) सीमेंट के कोटे का आवंटन का आधार क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) राज्यों को हर तिमाही पिछली खपत के मानदण्डों का सीमेंट की सम्पूर्ण उपलब्धता के आधार पर आवंटन किए जाते हैं। वर्ष 1980 की पहली दो तिमाहियों में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों को किया गया सीमेंट का आवंटन नीचे दिया गया है :

(परिमाण मी० टनों में)

राज्य का नाम	पहली तिमाही (जनवरी-मार्च, 80)	दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून)
पश्चिम बंगाल	2,86,000	2,98,000
महाराष्ट्र	5,00,600	5,22,600
गुजरात	3,91,000	3'30,000
तमिलनाडू	3,60,550	4,17,100
आंध्र प्रदेश	3,33,600	4,04,600

गैर-कानूनी ढंग से हुसैनीवाला सीमा पार करना

4398. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से मई, 1980 के दौरान गैर-कानूनी ढंग से सीमा पार करते हुए और पाकिस्तान में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए हुसैनीवाला सीमा पार कितने लोग पकड़े गए ; और

(ख) क्या ऐसी घटनाएं अन्य भारत पाक सीमाओं पर भी होती हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 15 (पन्द्रह)।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

नौसैनिक गोदी क्षेत्र (डाकयार्ड), विशाखापत्तनम में दुर्घटना के कारण हुई मौत

4399. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसैनिक गोदी क्षेत्र (डाकयार्ड) विशाखापत्तनम में गत दो वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे; और

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) नौसेना गोदी विशाखापत्तनम में गत दो वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं के कारण पांच कर्मचारियों की मृत्यु हुई।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कामगारों को सामान्य सुरक्षा सावधानी बरतने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है यह नौसेना गोदी में काम करते हुए प्रत्येक काम के लिए भिन्न-भिन्न होता है।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान हुई तीन दुर्घटनाओं में नौसेना गोदी, विशाखापत्तनम में पांच कर्मचारियों की मृत्यु हुई। इन दुर्घटनाओं के बारे में प्रत्येक का ब्योरा इस प्रकार है :

1. 28-3-78 को नौसेना गोदी विशाखापत्तनम के दो कामगारों को एक पनडुब्बी पर काम करने के लिए तैनात किया गया था जिसकी हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में मरम्मत की जा रही थी। गोदी जाते हुए इन व्यक्तियों को एक सार्वजनिक सड़क को पार करना पड़ा। सड़क पार करते हुए अनजाने में ये व्यक्ति एक सिटी बस के नीचे कुचले गए और मारे गए।

2 20-7-79 को नौसेना गोदी, विशाखापत्तनम के एक कामगार को नायलोन की एक रस्सी के फंदे से चोट लगी। यह रस्सी दक्षिणी शुष्क गोदी में कार्य करते हुए जहाजी खूंटे से अकस्मात फिसल गई थी। उक्त व्यक्ति नीचे गिर गया और उसके सिर में अन्दरुनी चोट आ गई। चोट के कारण 29-7-79 को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

3. 18-3-80 को नौसेना गोदी, विशाखापत्तनम के दो कामगार शुष्क गोदी गेट के फ्लैप गेट कम्पार्टमेंट में निरीक्षण के लिए दाखिल हुए थे। उस कम्पार्टमेंट में दूषित वायु में फंस जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें बचाने के लिये तत्काल चिकित्सा सहायता भी दी गई परन्तु उन्हें बचाया नहीं जा सका।

सरकार की खर्च प्रणाली

4400. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की खर्च प्रणाली ऐसी है कि सरकारी धन का अधिक भाग लगभग 35 प्रतिशत समृद्ध लोगों पर खर्च होता है जबकि केवल 2 प्रतिशत भाग ही कमजोर वर्गों पर खर्च होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस भिन्नता को समाप्त करने का है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकारी व्यय के लाभों के वितरण से संबंधित सूचना निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए बहुत सीमित है। आर्थिक और बाजार अनुसंधान संस्थान नामक एक निजी अभिकरण द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से कुछ सूचना उपलब्ध है। यह सर्वेक्षण केवल तीन चुने हुए जिलों तक सीमित था। इस सर्वेक्षण के अनुसार 1974-75 में सरकारी व्यय से लाभों का लगभग 35 प्रतिशत भाग (आय के अनुसार) परिवारों के ऊपर के बीस प्रतिशत को पहुंचा और लगभग 24 प्रतिशत भाग नीचे के 30 प्रतिशत परिवारों को पहुंचा।

(ख) सरकार की खर्च करने की नीति अधिक कमजोर वर्गों के हित में उत्तरोत्तर उन्मुख है। छोटे और मझौले किसानों, भूमिहीन मजदूरों, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय जन संख्या के लिये कार्यक्रमों से संबंधित परिव्ययों में वृद्धि इसका प्रमाण है। इसके अलावा पाँचवीं योजना में शुरू किए गए न्यूनतम आवश्यकता के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य, ग्रामीण पीने का पानी, ग्रामीण स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, ग्रामीण सड़कें और बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों के लिए आवास स्थल और शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों की सफाई जैसी मूल आवश्यकताओं पर राज्य के पर्याप्त व्यय के जरिए गरीबों के जीवन-स्तर को सीधे उन्नत करना था। इन कार्यक्रमों को छठी पंचवर्षीय योजना में बढ़ाया जाएगा जो इस समय तैयार हो रही है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा उत्पादकता और आय में सुधार करने के उद्देश्य से बनाए गए सामान्य विकास कार्यक्रमों में भी कमजोर वर्गों को सहायता मिलने की आशा है।

बिहार का सप्लाई के किये गये सीमेंट को मात्रा

4401. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को गत तीन वर्षों में वर्षवार, कितनी मात्रा में सीमेंट सप्लाई किया गया और उसकी मांग कितनी थी ;

(ख) क्या बिहार में सीमेंट का मूल्य 40 रुपये से 50 रुपये बोरी तक पहुंच गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार की मांग के अनुसार उसको सीमेंट की सप्लाई बढ़ाने का है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) बिहार सरकार द्वारा बताई गई सीमेंट की मांग 5 लाख मी० टन प्रति तिमाही है। पिछले तीन वर्षों में बिहार राज्य को किए गए आवंटन निम्न प्रकार थे :—

वर्ष	आबंटन (लाख मी० टन०)
1977	10.82
1978	11.16
1979	11.09

(ख) बिहार सहित देश में उपलब्ध सीमेंट की सामान्य कमी है। इन परिस्थितियों में सीमेंट को अधिक कीमतों पर बेचे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) बिहार राज्य तथा अन्य राज्यों को सीमेंट के आवंटन में वृद्धि करना केवल तभी सम्भव है जबकि देश में सीमेंट की उपलब्धता सबंधी समग्र स्थिति में सुधार हो जाएगा। सरकार विद्यमान क्षमता का उचित उपयोग करके नई क्षमता हेतु स्वीकृत देकर तथा आयात द्वारा ; प्रदेश में सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि करने का हर संभव प्रयत्न कर रही है।

खनन सम्बन्धी उपकरणों के निर्यात के लिए खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम (एस० ए० एम० सी०) का सोवियत संघ के साथ करार

4402. **श्री सी० चिन्ना स्वामी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम (एम० ए० एम० सी०) दुर्गापुर, ने 650 लाख रुपये मूल्य के खनन उपकरणों के निर्यात के लिए सोवियत संघ के साथ कोई करार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तन्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी, हां। माईनिंग एण्ड अलाबड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, (एम० ए० एम० सी०) दुर्गापुर ने 1981 और 1982 में लगभग 638.25 लाख रु. मूल्य के निम्नलिखित उपकरणों की सप्लाई के लिए रूसी संगठनों के साथ ठेके किए हैं :—

(1) कन्वेयरों के ड्रम—641 नग

(2) स्क्रेपर चैन कन्वेयर—35 नग

एम० ए० एम० सी० द्वारा उपकरणों का निर्णाय और सम्भरण रूस द्वारा सप्लाई किए जाने वाले ड्रांइगों के अनुसार किया जाना है।

प्रति व्यक्ति आय में कमी

4403. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में देश में प्रति व्यक्ति आय में कोई कमी हुई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का स्तर उठाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो इसके बारे में इसकी अनुमानित अवधि अनुमानतः क्या है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) पिछले पांच महीनों में देश में प्रति व्यक्ति आय के परिवर्तनों के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देना सम्भव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का अनुमान पूरे वर्ष के लिए तैयार किया जाता है और मासिक आधार पर उपलब्ध नहीं है। जिस अद्यतन वर्ष के लिये यह सूचना उपलब्ध है वह 1978-79 है।

(ख) गरीबी को दूर करने के उद्देश्य के प्रति दृष्टिकोण और नीति तथा उसको प्राप्त करने के लिये प्रास्तावित उपाय और समयावधि छठी पंच वर्षीय योजना में दी जाएगी ; यह योजना इस समय तैयार हो रही है।

देश में रबड़ की आवश्यकता

4404. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की औद्योगिक प्रगति के लिए कुल कितनी मात्रा में रबड़ की आवश्यकता है और देश में कुल कितना रबड़ पैदा होता है ;

(ख) वर्ष 1980-81 में कुल कितनी मात्रा में रबड़ का आयात करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिये विदेशी मुद्रा के रूप में कुल कितनी धनराशि अपेक्षित है ; और

(ग) यदि देश रबड़ के मामले में पहले ही आत्मनिर्भर नहीं है तो क्या सरकार उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिये विचार कर रही हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) वर्ष 1980-81 में उद्योग की प्राकृतिक रबड़ की आवश्यकताओं का अनुमान 1,55,000 मी. टन से लेकर 1,60,000 मी. टन तक के अनुमानित उत्पादन की तुलना में 1,80,000 मी. टन होने का है।

(ख) चूंकि 1980-81 के दौरान प्राकृतिक रबड के आयात की मात्रा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है अतः इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित विदेशी मुद्रा के रूप में धनराशि का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) जी, हां।

कोयले की ढुलाई में पोलेंड के साथ संयुक्त उद्यम

4406. **श्री गदाधर साहा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की खुदाई की मशीनों के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु पोलेंड और भारत के बीच करार किए जाने का कोई प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) परियोजना की कुल लागत क्या है और प्रत्येक पक्ष कितनी पूंजी लगाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) :—प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स फैक्टरी, बैरकपुर में डकोटा के निर्माण में कमी

4407. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स फैक्ट्री, बैरकपुर में आर्डरों के कम मिलने के कारण निर्माण कार्य 48 डकोटा से घटकर 12 डकोटा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त आर्डर सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की बैरकपुर फैक्टरी में डकोटा विमान का उत्पादन नहीं किया जाता है। यहां इस विमान की केवल पूरी तरह से मरम्मत की जाती है। इन विमानों की सेवा से धीरे-धीरे हटाये जाने के कारण विमानों की पूरी तरह से मरम्मत के काम में भी कमी आ गई है। 1965-66 में 47 विमानों की मरम्मत की गई थी जबकि 1979-80 में यह संख्या घटाकर केवल 15 रह गई।

(ख) इस फैक्टरी को अन्य विमानों की पूरी तरह से मरम्मत करने का काम भी सौंपा गया है। यह भी प्रस्ताव है कि हेलीकाप्टरों और उनके कुछ घूर्णोंरोटेवल की पूरी तरह से मरम्मत करने का काम 1981 में इस फैक्टरी को हस्तान्तरित किया जाए।

विदेशी सहयोग/करार

4408. **श्री निरेन घोष :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1957, 1970, 1976, 1977 और 1979 के अन्त तक किए गए विदेशी सहयोग समझौतों का देशवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन समझौतों के आधार पर वर्ष 1957, 1970, 1976, 1977 और 1979 के अन्त तक लगाये गए कुल संयुक्त उद्यमों की देशवार संख्या कितनी है ; और

(ग) वर्ष 1957, 1970, 1976, 1977 और 1979 के अन्त तक किये गए तकनीकी वित्तीय तथा तकनीकी एवं वित्तीय समझौतों का अलग-अलग ब्योरा क्या है ।

उद्योग मन्त्राल में राज्य मन्त्री (डा० चरण जीत चानना) : (क) तथा (ग) वर्ष 1969 में विदेशी निवेश बोर्ड स्थापित होने के बाद से वर्ष 1979 तक की अवधि में मंजूर की गई विदेशी सहयोग स्वीकृतियों का देशवार ब्योरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । वर्ष 1969 से पूर्व जारी की गई विदेशी सहयोग स्वीकृतियों के बारे में केन्द्रस्थ जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) विदेशी सहयोग की स्वीकृति की तिथि तथा परियोजना के फलीभूत होने की वास्तविक तिथि के बीच हमेशा अन्तराल रहता है और उस बारे में उद्योग मन्त्रालय के औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में केन्द्रीय रूप से जानकारी नहीं रखी जाती है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 1095/80)

औद्योगिक लकड़ी में आत्म-निर्भरता

4409. **श्री गुफरान आजम :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हम औद्योगिक लकड़ी की अपनी आवश्यकता के मामले में आत्म निर्भर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो हमें अखबारी कागज, दियासलाई, रेलवे स्लीपरों और भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए हर वर्ष इसकी कितनी आवश्यकता होती है ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरजणीत चानना) : (क) औद्योगिक लकड़ी के बारे में देश आत्म-निर्भर नहीं है ।

(ख) वार्षिक आवश्यकता का अनुमान नीचे दिया गया है :—

अखबारी कागज—2.2 लाख मी० टन

दियासलाई की लकड़ी—5.35 लाख घन मी०

रेलवे स्लीपर—10.00 लाख घन मी०

मकान बनाने के कार्यों के लिए—25.00 लाख घन मी०

औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को दिये गए प्रोत्साहन

4410. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए तथाकथित अग्रिम क्षेत्रों में कमजोर वर्गों और पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को क्या विशिष्ट प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(ख) क्या बैंकों से कहा गया है कि वे ऐसे लोगों के प्रयत्न असफल न होने दें जिनके पास धन का अभाव तो है परन्तु जिसमें छोटे औद्योगिक एकक स्थापित करने की योग्यता है और जो इन एककों को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ बना सकते हैं।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कमजोर वर्गों तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को लघु क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। ये प्रोत्साहन समग्र देश अर्थात् पता लगाए गए पिछड़े तथा अन्य क्षेत्रों सभी के लिए लागू होते हैं।

सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों से अनुरोध करते हुए यह अनुदेश जारी किए गये हैं कि वे जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से ऋणों का वितरण करने में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दें। साथ ही, जिला उद्योग केन्द्रों के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों में महाप्रबन्धकों को पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अधिकाधिक हिस्सा लिये जाने पर विशेष रूप से ध्यान देने और औद्योगिक विकास की प्रमुख धारा में उन्हें ले आने की आवश्यकता के बारे में परामर्श दिए गये हैं।

तकनीकी तथा प्रबंधकीय व्यक्तियों की कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार के लघु उद्योग विकास संगठन अपने लघु उद्योग सेवा संस्थानों, शाखा संस्थानों, विस्तार केन्द्रों आदि की श्रृंखलाओं के जरिए तकनीकी एवं प्रबन्धकीय पाठ्यक्रमों सहित अनेक प्रशिक्षण कार्य-क्रम आयोजित करता हैं। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में समाज के पिछड़े वर्गों के तथा कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। उन्हें शुल्क का भुगतान करने से, जहां कहीं भी इस प्रकार का शुल्क लिया जाता है, छूट भी दी जाती है।

लघु उद्योग विकास संगठन (एस० आई० डी० ओ०) के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य नये उद्यमियों का विकास करना तथा उन्हें लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करना है। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के बीच एक विशेष कार्यक्रम जिसे उद्यमिता विकास के नाम से जाना जाता है, का आयोजन किया गया है जो अनुसूचित जाति/जनजाति, ग्रामीण महिलाओं युद्ध में हुई विधवाओं तथा आदि क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के लिए हैं। पाठ्यक्रम की अवधि दो महीनों की है तथा प्रत्येक भाग लेने वाले का प्रतिमास 100 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

कुल उद्योगों जिनमें अधिकांशतः पिछड़े वर्ग के लिए काम करते हैं का विकास करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है तथा इनमें से कुछ उद्योग ; चमड़े कमाना, कपड़े का काम करना जूते बनाना, लोहारी तथा बढ़ईगीरी इत्यादि हैं।

1980-81 के लिए बनाई गई आयात नीति में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के उद्यमियों स्नातकों व्यावसायिक विषयों में डिप्लोमाधारियों, भूतपूर्व सैनिकों आदि को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋणों में वृद्धि करने के प्रयास किये जाते हैं तथा ग्राम कुटीर तथा टाइनी लघु एककों को अधिक धन दिलाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने ये अनुदेश जारी किए हैं पर्याप्त प्रतिभूति के अभाव में लघु उद्योगों के उपयुक्त प्रस्तावों को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। नैसर्गिक विपत्ति, बिजली न आने आदि की स्थितियों में बकाया ऋणों के भुगतान की समय सूची में परिवर्तन करना...तथा ऋणों पर व्याज लेना एककों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त माल पर निर्भर करता है।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदनों की संख्या

4411. **श्री अर्जुन सेठी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य के औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कुटीर उद्योगों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए लाइसेंस मांगे गए हैं ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान, जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए, उनका ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1978 और 1979 में उड़ीसा में उपक्रमों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए 57 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) इसमें से 16 आवेदन पत्र धातुकर्मी उद्योगों के लिए थे। 11 आवेदन पत्र रसायनों के लिए (उर्वरक को छोड़कर), 9 आवेदन पत्र खाद्य परिष्करण के लिए 6 आवेदन पत्र सीमेंट तथा जिप्सम उत्पादों के लिए, 3 आवेदन वैद्युत उपकरणों के लिए तथा शेष अन्य विभिन्न उद्योगों के लिए थे।

(ग) जिन उद्योगों के लिए आशयपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे, उनका ब्यौरा "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसिज एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज तथा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "मंथली न्यूजलेटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

कानून और व्यवस्था में सुधार करने के लिए राज्यों को अनुदेश

4412. **श्री पीयूष तिरकी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कानून और व्यवस्था की समस्या के विभिन्न पहलुओं पर पहले विचार विमर्श 3 अप्रैल, 1980 को हुए मुख्य सचिवों, गृह सचिवों और राज्य पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में और बाद में, 8 अप्रैल, 1980 को राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हुआ था। इन दो सम्मेलनों में लिए गए मुख्य निष्कर्षों को पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है। सम्मेलन के कार्यवृत सहित इन निष्कर्षों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को अपराध और कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की सलाह भी दी गई है। सुझाए गए उपाय सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं।

जहां तक अनु० जातियों पर किए गए अत्याचारों का संबंध है एतिहाती निवारक, दण्डात्मक तथा पुनर्वास संबंधी उपायों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त गृह मंत्री के अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 10-3-80 द्वारा जारी किए गए हैं जिनकी एक प्रतिलिपि 19-3-80 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1077 के उत्तर में सभा पटल पर रखी गई थी।

विवरण

(क) 3.4.1980 को हुए मुख्य सचिवों, गृह सचिवों और राज्य पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन और 8.4.1980 को हुए राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लिए निष्कर्षों का विवरण :

1. कानून और व्यवस्था की स्थिति पर और अधिक प्रभावी नियंत्रण रखने की दृष्टि से पुलिस बल की शक्ति में वृद्धि करना ;

2. गैर कानूनी हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों आदि का पता लगाने के लिए राज्यों द्वारा सुनियोजित संगठित अभियान चलाना।

3. बड़े साम्प्रदायिक दंगों/हरिजनों पर अत्याचार के सभी मामलों की तुरन्त जांच करने के लिए खुफिया विभाग (सी० आई० डी०) में विशेष दलों की व्यवस्था करना ;

4. उच्च शक्ति प्राप्त दल की व्यवस्था करना, जो ऐसे प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं की गहराई से जांच करें, जिनका कानून और व्यवस्था बनाए रखने, और अपराध तथा अपराधियों से तुरन्त निपटने में प्रतिकूल प्रभाव रहता है ;

5. अदालतों में बकाया मामलों के शीघ्र निपटान के लिए और अधिक संख्या में जजों की नियुक्ति करना ;

6. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 108-से 110 के अधीन शक्तियों को मजिस्ट्रेटों को देना ;

7. विधि और व्यवस्था से संबंधित मामलों के तुरन्त निपटान के लिए मजिस्ट्रेटों को किसी औपचारिकता में गए बगैर तुरन्त अधिकार सौंपना ;

8. सभी गंभीर साम्प्रदायिक दंगों की प्रशासनिक जांच की जाएं, ताकि यह मालूम हो सके कि क्या इन दंगों के फिर से होने को रोकने अथवा भविष्य में इनसे अधिक कारगर ढंग से निपटने के लिए किए गए प्रशासनिक उपाय पर्याप्त हैं ;

9. आसूचना विभाग सहित पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना ;

10. जिला स्तर पर आसूचना संबंधी प्रबंध एवं प्रशासनिक प्रबंध की सम्पूर्ण समीक्षा करना, ताकि गड़बड़ का अन्देशा होते ही उस पर पर्याप्त रूप से ध्यान जाए ;

11. साम्प्रदायिक स्थिति के सभी पहलुओं पर निगरानी रखने और सूचना मोनिटर करने के लिए राज्य मुख्यालयों में विशेष एककों की स्थापना करना ;

12. जहाँ कहीं गम्भीर और व्यापक साम्प्रदायिक झगडे हों वहाँ पर विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए अशान्त क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का उपयोग किया जाए ;

13. साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार लोगों का शीघ्र पुनर्वास ;

14. साम्प्रदायिक, समाचारों पर कड़ी निगरानी रखना और उत्तेजात्मक लेपों के विरुद्ध आई० पी० सी० के उपबन्धों के अधीन शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई करना ;

15. साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित मामलों को वापिस न लिया जाए ;

16. धर्मनिरपेक्षता के विचारों का प्रचार करने के लिए और साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाए ;

17. इतिहास की पुस्तकों का पुनरीक्षण किया जाए और उनमें से राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध जाने वाली पक्षपात पूर्ण बातों को हटाया जाए ;

18. इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जाएं कि किसी समुदाय के प्रमुख धार्मिक उत्सवों में भाग लेने के लिए सभी समुदायों के सदस्यों को उत्साहित किया जाए ;

19. अनुसूचित जातियों की रक्षा के लिए नाजुक इलाकों में एक ऐसा विशेष प्रभावशाली दल तैनात किया जाना चाहिए, जो काफी गतिशील हो तथा जिसके पास सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र तथा हथियार हों ;

20. अत्याचार के मामलों की शीघ्र जांच की जाए और निश्चित समय-सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाए ।

21. जिन इलाकों में अत्याचार की संभावनाएं रहती हैं, अथवा जहां अत्याचार हुए हों, वहां पुलिस की टुकड़ियां तैनात की जाएं ; और

22. दण्डात्मक तथा सामूहिक जुरमाने लगाने पर विचार किया जाना चाहिए ।

(ख) अपराधों और कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए राज्य सरकारों को सुझाए गए उपाय ।

1. समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए ;

2. अपराधियों, समाज-विरोधी तत्वों और गुन्डों के निष्कासन के लिए कानून प्रवर्तन एजेन्सियों को कानून में प्राप्त शक्तियों का प्रभावी रूप से उपयोग करना चाहिए ;

3. डाकुओं, लुटेरों और अन्य समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाये जाएं ;

4. राहजनी को रोकने के लिए प्रमुख मार्गों पर वायरलेस संचार की सुविधा करके गश्त की जाए ;

5. सभी मुख्य रेलगाड़ियों के लिए, विशेषकर रात के समय तथा असुरक्षित भागों में वायरलेस-सेटों सहित सशस्त्र एसकोर्टस की व्यवस्था की जानी चाहिए ;

6. अवैध अस्त्र-शस्त्र तथा गोला-बारुद को बरामद करने के लिए निश्चित तथा दीर्घ-कालीन अभियान चलाये जाने चाहिए ;

7. जघन्य और सनसनीखेज अपराधों में जमानत की मंजूरी का कड़ा विरोध किया जाए ;

8. सनसनीखेज अपराधों से संबंधित मामलों का तत्काल पता लगाने, उनकी पूर्णरूप से जांच करने उनके बारे में तुरन्त चार्जशीट लगाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए ;

9. छोटे न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों पर जल्दी ही सुनवाई करके उच्च न्यायालयों के परामर्श से उनका-तत्काल निपटान करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए;

10. साम्प्रदायिक-दंगों, हरिजनों पर अत्याचारों, बलात्कारों, पुलिस पर आक्रमणों, दहेज संबंधी मौतों और अपहरणों के मामलों की सुनवाई शीघ्र पूरी की जानी चाहिए ; और

11. डाकुओं वाले इलाकों में ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए ।

मिजोरम में गैर-मिजो लोगों का मारा जाना

4413. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन माह के दौरान मिजोरम में कितने गैर-मिजो लोग मारे गये ; और

(ख) मिजोरम में गैर-मिजो लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) 10 (दस) ।

(ख) पुलिस की सतर्कता और गश्त कड़ी कर दी गई है । संघ शासित क्षेत्र प्रशासन मिजोरम में रह रहे सभी गैर मिजो लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए सभी संभव कदम उठा रहा है ।

शिक्षित, अशिक्षित तथा अर्द्ध-शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

4414. **श्री सूरजभान :**

श्री चित्त महाता : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शिक्षित, अशिक्षित तथा अर्द्ध-शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम बना रही है ;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के संविधान में काम करने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित करने का है, और यदि हां, तो कब तक ऐसा कर दिया जायेगा ; और

(घ) क्या सरकार का विचार बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगार भत्ता देने का है और यदि हां, तो ऐसा कब से किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) दि० 31-12-79 को शिक्षा के स्तर के अनुसार रोजगार कार्यालयों के रिक्ति रजिस्टरों में दर्ज काम ढूंढने वाले व्यक्तियों (जिनमें सभी बेरोजगार नहीं होते) की संख्या के बारे में सूचना निम्नलिखित है :—

		(हजार में)
(1)	मैट्रिकुलेट से नीचे (निरक्षर व्यक्तियों सहित)	7036.8
(2)	मैट्रिकुलेट और ऊपर	7297.1
	जोड़ :	14333.9

(ख) से (घ) नई योजना तैयार हो रही है। सरकार का प्रयत्न अधिक लाभप्रद रोजगार देने का है और उस संदर्भ में बेरोजगारों को केवल निर्वाह दान के रूप में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल सीमेंट संयंत्र

4415. **डा० कृपासिन्धु मोई : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने सीमेंट संयंत्र हैं ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक सीमेंट संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता तथा उपयोगीकरण क्षमता कितनी थी ; और

(ग) सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार के पास कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) तथा (ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में सीमेंट संयंत्रों की संख्या पिछले दो कलेंडर वर्षों में उनकी अधिष्ठापित क्षमता तथा क्षमता का उपयोग दर्शाने वाला एकक विवरण-I संलग्न है।

(ग) सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार के पास निलम्बित पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण

इस समय सरकारी क्षेत्र में 12 सीमेंट संयंत्र और गैर सरकारी क्षेत्र में 45 सीमेंट संयंत्र हैं। पिछले दो वर्षों में उनकी अधिष्ठापित क्षमता तथा क्षमता का उपयोग निम्न प्रकार है :

क्र०सं०	एकक का नाम	1-7-80 को अधिष्ठापित क्षमता (लाख मी० टनों में)	उपयोग का प्रतिशत 1978	उपयोग का प्रतिशत 1979
1	2	3	4	5
	(क) सरकारी क्षेत्र			
1.	सी. सी. आई., बोकाजन	2·00	55	76
2.	सी. सी. आई., कुरकुन्ता	2·00	81	81

1	2	3	4	5
3.	सी. सी. आई., मांढर	3·80	48	69
4.	सी. सी. आई., राजबान	2·00	—	10
5.	जे. एण्ड के. मिनरल्स	0·20	43	41
6.	विश्वेश्वररूया आई. एण्ड एस. लि.	1·00	95	91
7.	मावलुह्-चेरा	2·84	74	67
8.	हीरा सीमेंट	4·00	104	99
9.	तमिलनाडु, सीमेंट, आलुंगुलम	4·00	96	62
10.	—वही—, अडयालूर	5·00	—	6
11.	यू. पी. सीमेंट, चुर्क	4·74	77	62
12.	—वही—, डल्ला	4·32	69	61
	गैर-सरकारी क्षेत्र			
1.	ए. सी. सी. लि., किस्ताना	2·59	87	109
2.	,, साईबरसा	7·82	59	54
3.	,, खलारी	1·01	96	90
4.	,, सिन्दरी	3·05	59	50
5.	,, द्वारका	3·40	90	70
6.	,, पोरबन्दर (सफेद)	0·35	64	75
7.	,, नया पोरबन्दर (भूरी)	2·00	75	95
8.	,, शिवालिया	2·03	112	91
9.	,, भूपेन्द्रा	4·06	110	98
10.	,, शाहाबाद	5·74	89	71
11.	,, बांडी	6·00	95	69
12.	,, बानमोर	0·61	108	86
13.	,, जमुल	12·80	111	107
14.	,, काइमोर	8·07	95	94
15.	,, चांदा	4·00	96	103
16.	,, लखेरी	3·66	84	60

1	2	3	4	5
17.	,, माडुकरै	3·84	107	102
18.	,, मानछेरियल	3·35	81	77
19.	केशोराम, सीमेंट	7·00	79	102
20.	मैसूर सीमेंट	5·10	85	77
21..	सतना सीमेंट	5·81	87	96
22.	सेन्चुरी सीमेंट	6·00	113	115
23.	बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़	4·00	101	112
24.	दुर्गापुर सीमेंट	6·00	71	64
25.	आंध्र सीमेंट, विजयवाड़ा	2·40	116	106
26.	,, विशाखापट्टनम	2·50	—	3
27.	रोहतास इन्डस्ट्रीज	6·19	50	35
28.	सोनवैली पोर्टलैण्ड सीमेंट	2·54	85	59
29.	जयपुर उद्योग	10·00	69	58
30.	डालमिया भारत	5·25	101	98
31.	डालमिया दादरी	2·39	70	47
32.	उड़ीसा सीमेंट	4·10	120	113
33.	श्री दिग्विजय सीमेंट	8·40	116	114
34.	जे. के. सीमेंट	7·20	58	61
35.	उदयपुर सीमेंट	2·00	115	118
36.	रामकृष्ण सीमेंट	2·54	115	112
37.	मद्रास सीमेंट	4·00	80	89
38.	पण्यम सीमेंट	5·31	69	37
39.	कल्याणपुर सीमेंट	3·46	88	73
40.	सौराष्ट्र सीमेंट	8·63	57	45
41.	बगलकोट उद्योग	2·25	82	69
42.	चेतीनाड सीमेंट	4·00	97	92
43.	इण्डिया सीमेंट, शंकरीद्रुग	6·00	111	93
44.	,, तलाईयाथु	9·13	93	78
45.	ट्रावनकोर सीमेंट	0·51	70	73

विवरण

क्र०सं०	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी० टनों में)
1	2	3	4
1.	जे. के. सिंथेटिक्स	डिगोई (राजस्थान) नया एकक	4·20
2.	जे. के. सिंथेटिक्स	निम्बाहेड़ा (राजस्थान) (विस्तार)	4·20
3.	मैसर्स श्रीराम केमिकल इन्डस्ट्रीज	लाडपुरा (राजस्थान) (नया एकक)	2·00
4.	मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्टस लि०	बनास (राजस्थान) भटिण्डा (पंजाब) में अलत-अलग स्थित	12·00
5.	मैसर्स इन्डियन रेयन कारपोरेशन लि०	चीतापुर (कर्नाटक) (नया एकक)	5·40
6.	मैसर्स वेस्टर्न रिजर्व मैनेजमेंट एण्ड फाइनेंशियल कन्सलटेंट (आई)	बलोदा बाजार (मध्य प्रदेश) (नया एकक)	10·00
7.	मैसर्स हिन्दुस्तान इलैक्ट्रोग्राफाइट लि०	सूचित नहीं किया गया है । (नया एकक)	5·00
8.	मैसर्स दिग्विजय सीमेंट कं० लि०	जामनगर (गुजरात) (विस्तार)	4·85

1	2	3	4
9.	मैसर्स बोकाजन स्टील लि०	टाडपत्री (आंध्र प्रदेश) (नया एकक)	10·00
10.	मैसर्स स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि०	चिलहाटी (मध्यप्रदेश तथा राऊरकेला) (उड़ीसा) (नया एकक)	21·4
11.	मैसर्स श्यामशंकर श्री वास्तव (मैसर्स न्यू इण्डिया माइनिंग कारपोरेशन	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) (नया एकक)	10·00
12.	मैसर्स जे० के० सिंथेटिक लि०	शम्भुपुरा (राजस्थान) (नया एकक)	6·00
13.	मैसर्स हिमालय सीमेंटस लि०	रामावाव (गुजरात) (नया एकक)	0·50 (सफेद सीमेंट)
14.	श्री एस० एन० किलावु	वडादरी गांव (आन्ध्र प्रदेश) (नया एकक)	0·66
15.	मैसर्स भारत सिंथेटिक्स	सोजात बिलारा (राजस्थान) (नया एकक)	13·18
16.	मैसर्स मोरारजी गोकुल दास स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० लि०	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) (नया एकक)	0·66
17.	मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यु० (वीविंग) कं० लि०	खरोडे (राजस्थान) (नया एकक)	5·00
18.	मैसर्स उड़ीसा सीमेंटस लि०	राजगंगापुर (उड़ीसा) (विस्तार)	2·49

1	2	3	4
19.	मैसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि०	उदयपुर (राजस्थान) (विस्तार)	4·00
20	मैसर्स रासी सीमेंटस लि०	वाडापल्ली (आंध्र प्रदेश) (विस्तार)	2·00
21.	मैसर्स सुदाराम ट्रेडिंग कं० लि०	उद्यमपुर (जम्मू तथा काश्मीर) (नया एकक)	10·00
22.	मैसर्स मैसूर सीमेंटस लि०	आभासान्द्रा (कर्नाटक) (विस्तार)	1·90
23.	मैसर्स यू०पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन	गंगोलीहाट (उत्तर प्रदेश) (नया एकक)	4·00
24.	—वही—	बारुवाला (उत्तर प्रदेश) (नया एकक)	4·00
25.	मैसर्स ए० एस० सी० इन्जीनियर्स एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज लि०	मनीकड्ढ़ (महाराष्ट्र) (नया एकक)	3·00

"श्री हरिजन हट्सबन्ट" शीर्षक से समाचार

4416. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 18 जून, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "श्री हरिजन हट्सबन्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार क्या है ;

(ख) कितने व्यक्ति घायल हुये ;

(ग) उक्त घटना के क्या कारण हैं ;

(घ) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ङ) सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई और कितना मुआवजा दिया गया ; और

(च) हरिजनों पर इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पर सरकार समिति का प्रतिवेदन

4417. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समिति ने अपने प्रतिवेदन में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए सेवा निवृत्ति की एक समान आयु की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अध्यक्ष ने सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए सभी कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए सेवा-निवृत्ति की आयु साठ वर्ष अनुमोदित की थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद में प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु अभी तक अठावन वर्ष है जब कि कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों के लिए यह आयु साठ वर्ष है ; और

(घ) प्रशासनिक कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु-सीमा बढ़ाकर साठ वर्ष तक करने के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये गये रूप में इस निर्णय को लागू करने वाले संबंधित अधिकारी कौन है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) (ख) और (ग) सरकार समिति ने यह संस्तुति की थी कि समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये सेवानिवृत्ति की अवस्था समान रूप से 58 वर्ष निर्धारित होनी चाहिए। वार्षिक आधार पर सेवा अवधि बहुत ही विशेष मामलों में वास्तविक तौर पर मान्य कारणों को रिकार्ड करने के पश्चात् अधिकतम दो वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। वै० औ० अ० प० के निदेशकों के सम्मेलन में सरकार समिति की इस संस्तुति पर विचार किया गया सम्मेलन में इस बात की संस्तुति की गई कि समस्त श्रेणियों

के कर्मचारियों के लिए सेवा निवृति अवस्था बिना किसी और बढ़ोतरी के 60 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए । वे० ओ० अ० प० के निदेशक सम्मेलन की इस संस्तुति को वे० ओ० अ० प० की अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था । साथ-साथ, वे० ओ० अ० प० की अध्यक्ष ने वित्त, वजट और लेखा-परीक्षा से सम्बन्धित तथ्यों पर विचार के लिये एक समिति के गठन पर सहमति प्रदान की ।

इस समिति ने संस्तुति की कि उक्त संस्तुति पर तृतीय वेतन आयोग की संस्तुतियों की परीक्षा की जाये । वे. ओ. अ. प. की शाक्षी सभा ने बाद में हुई अपनी बैठकों में यह निर्णय किया कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी जबकि प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए यह आयु 58 वर्ष ही रहेगी और यही वर्तमान स्थिति है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों के लघु उद्योगों में रुग्ण एकक

4418. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में रुग्ण उद्योग कितने-कितने हैं ?

(ख) सरकार का विचार उनकी स्थिति और अधिक खराब होने से उन्हें बचाने के लिये क्या विशेष उपाय करने का है ; और

(ग) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की 1977-78 की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 8000 रुग्ण एकक थे । राज्यवार ब्यौरा तुरन्त ही उपलब्ध नहीं है ।

(ख) लघु उद्योगों को पुर्नरूज्जीवित करने की दृष्टि से बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप ही समय-समय पर कदम उठाये गये हैं । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने मई 1978 में सभी वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं तथा कार्यालयों में जहां लघु एकक सकेन्द्रित हैं, की संगठनात्मक व्यवस्था की समीक्षा करने तथा लघु एककों को परामर्श देने और उनकी सहायता करने के लिए प्रकोष्ठों की स्थापना करने हेतु अनुदेश जारी किये थे । उन्हें उपर्युक्त मामलों में समय से सहायता करने का परामर्श भी दे दिला गया था । जुलाई 1979 में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने सभी राज्य सरकारों को राज्य स्तरीय समन्वय समितियों जिनके संयोजक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के क्षेत्रीय मुख्य प्रबन्धक और जिसके अध्यक्ष राज्य उद्योग सचिव होंगे, का पुनर्गठन करने का परामर्श दे दिया है । लघु एककों की रुग्नता कम करने के लिए भी समय-समय पर अतिरिक्त कदम उठाए जायेंगे ।

(ग) रुग्णता के प्रमुख कारणों क प्रबन्धकीय तथा तकनीकी सुदक्षता का अभाव तथा कभी-कभी लघु उद्योगों के उत्पादों के लिए अपर्याप्त वाजार आते हैं । अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल तथा बिजली की कमी भी लघु क्षेत्र में रुग्णता का कारण बनती है ।

उड़ीसा की राज्यीय योजना में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का प्रावधान

4420. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में ओस्तरंग में एक मछली पकड़ने के बन्दरगाह को राज्यीय योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य योजना की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का आश्वासन केन्द्र सरकार को दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि ट्रापिकल प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूट, यू० के० ने परियोजना की 2.91 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की एक सही रिपोर्ट तैयार की थी और परियोजना के लिये ब्रिटिश सहायता का भी आश्वासन दिया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा अपना 30 प्रतिशत का अन्शदान न दिये जाने के कारण ही परियोजना को कार्यरूप दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) ओस्तरंग मछली पकड़ने के बंदरगाह से संबंधित रिपोर्ट सहित भारत में मत्स्य-उद्योग विकास परियोजनाओं के साध्यता अध्ययन से संबंधित रिपोर्ट यूनाइटेड किंग्डम सरकार के समुद्रपार विकास मंत्रालय से प्राप्त हुई थी। उसके कार्यान्वियन में यूनाइटेड किंग्डम से सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से इस रिपोर्ट की संवीक्षा की जा रही है।

(ग) पूरे हुए मछली पकड़ने के बंदरगाहों के प्रभाव से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने तक कोई नया मत्स्यन बंदरगाह मंजूर न करने के निर्णय की दृष्टि से इस परियोजना को मंजूरी के लिए हाथ में नहीं लिया गया है। सरकार इस परियोजना की लागत को शामिल करने के लिए उपयुक्त योजना प्रावधान की उपलब्धता के सम्बन्ध में राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा भी कर रही है।

असम में अल्प संख्यक

4421. **श्री अजय विश्वास :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में आठ महीनों के दौरान उत्तेजनापुर्ण आन्दोलन के कारण कितने व्यक्तियों की हत्या की गई है, कितने आहत हुये हैं और कितने असम छोड़ने को बाध्य हुये हैं; और

(ख) असम में अल्प संख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) असम सरकार की सूचना के अनुसार अगस्त, 1979 से 30 जून, 1980 तक 152 व्यक्तियों की हत्या की गई और भारी

संख्या में लोग घायल हुये । पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 7.6.1980 को उस राज्य के विभिन्न केम्पों में असम से आए 6263 व्यक्तियों ने और कुछ ने अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ली ।

(ख) असम में अल्पसंख्यकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने के सभी उपाय करने के लिए असम प्रशासन को अनुदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने अल्पसख्यकों के लिए पर्याप्त संरक्षण को सुनिश्चित करने और हिसंक गतिविधियों के साथ प्रभावकारी रूप से निपटने, जिनमें बदमाशों और अन्य लोगों का, जो व्यक्तियों और दूसरों की सम्पत्ति के विरुद्ध हिंसा में अन्तंग्रस्त हों, तत्काल पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी अनुदेश जारी किए हैं ।

आगामी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास हेतु पश्चिम बंगाल को धनराशि का नियतन

4422. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को उसके औद्योगिक विकास के लिए आगामी पंचवर्षीय योजना में अपर्याप्त धन राशि का नियतन किया है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल राज्य के औद्योगिक विकास के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) योजना आयोग इस समय 1980-85 की अवधि की नई पंचवर्षीय योजना तैयार करने में लगा हुआ है केन्द्रीय मंत्रालयों और (पश्चिम बंगाल सहित) राज्य सरकारों से अपने प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया है। ये प्रस्ताव जब प्राप्त होंगे तब पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने से पहले इन पर उनके साथ विचार,विमर्श किया जाएगा । इसलिए पश्चिम बंगाल की योजना में औद्योगिक विकास के लिए धनराशि की अपर्याप्तता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

भास्कर-दो छोड़ने में विलम्ब

4423. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बजट प्रावधानों में अपर्याप्त आवंटन और विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण के कारण 1981 में भास्कर-दो उपग्रह छोड़ने के निर्धारित कार्यक्रम में विम्लब होगा ;

(ख) क्या उन्नत उपकरणों और मंहगी तकनीक के कारण भास्कर-दो की लागत बढ़ गई है; और

(ग) क्या सरकार भास्कर-दो कार्यक्रम की प्रगति और हाल ही में किये गये विदेशी अनुसंधानों के अनुसार इसमें प्रयुक्त नई तकनीक का व्यौरा प्रस्तुत करेगी ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) विश्व- व्यापी मुद्रास्फीति के कारण, कुछ आयातित उपकरणों तथा साज-सामान की लागत बढ़ सकती है; चूंकि परियोजना के निरूपण में विविध कारणों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है, अतः उन्नत उपकारणों तथा मंहगी तकनीक के कारण परियोजना लागत में किसी प्रकार की वृद्धि की संभावना नहीं है ।

(ग) उपग्रह के समेकित कार्यनिष्पादन की जांच के लिये प्रथम माडल अगले महीने तैयार होगा । इसके बाद उड़ान माडल का निर्माण किया जायेगा । योजना के अनुसार, भास्कर-2 का प्रमोचन 1981 के मध्य में किसी समय किया जायेगा । भास्कर-1 की तुलना में भास्कर-2 में नया विकास कार्य 31 मीगा हर्त्स पर परिचालित नये माइक्रोवेव रेडियोमीटर चैनल का समावेश करना है ।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए तथा सेवा के दौरान स्वर्गवासी हुए कर्मचारियों के आश्रितों के लिए रोजगार की व्यवस्था

4424. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा-नितृत्त्र कर्मचारियों को तथा सेवा के दौरान स्वर्गवासी हुए कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने की मंत्रालय ने क्या व्यवस्था की है;

(ख) इस समय प्रतीक्षा-सूची में ऐसे कितने सेवा-निवृत्त व्यक्तियों के नाम हैं;

(ग) एयर फोर्स स्टेशन, तम्बरम, मद्रास के चतुर्थ श्रेणी के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे कितने आश्रित हैं जिन्हें 1 जनवरी, 1970 से 1 जनवरी, 1973 तक की अवधि के दौरान सरकारी नौकरियां दी गई;

(घ) प्रतीक्षा-सूची में अभी तक ऐसे और कितने व्यक्ति हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) महोदय, सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों को रोजगार दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । फिर भी, लोक हित में यदि मांग हो तो सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी को पुनः रोजगार दिये जाने का प्रावधान है । सेवा करते हुए यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/निकट संबंधी को, रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरती की सामान्य प्रक्रिया में छूट देकर, रोजगार सहायता दिए जाने का प्रावधान है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक ।

(घ) कोई नहीं ;

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

"छुआछूत"

4425. **श्री रामलाल राही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छुआछूत का उन्मूलन करने के लिए कोई योजना बनायी है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ख) प्रस्तावित योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत सरकार ने नागरिक अधिकार अधिनियम को लागू करने हेतू शासन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये और ऐसे उपाय भी करने जो इसलिए आवश्यक हों कि छुआछूत के उन्मूलन से उत्पन्न अधिकार उन व्यक्तियों को प्राप्त हो और उन व्यक्तियों द्वारा इनका लाभ उठाया जाय जो छुआछूत के कारण किसी अक्षमता के शिकार हुये हों. एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है ।

छुआछूत उन्मूलन के प्रचार और प्रसार कार्य के लिए स्वयं सेवी संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है ।

ये दोनों योजनायें चल रही हैं ।

सरकार छुआछूत के उन्मूलन के लिए सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा समर्थित आर्थिक विकास पर आधारित व्यापक कार्य योजना तैयार करने पर भी विचार कर रही है ।

भावनगर में एच० एम० टी० का कार्यकरण

4426. **श्री रामजीभाई मावाणी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भावनगर (गुजरात राज्य) में स्थित सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ठीक काम नहीं कर रहा है और उसमें पूरा उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) इसकी स्थापना के समय से कितना उत्पादन हुआ है;

(ङ) क्या सरकार ने इसके ब्योरों की जाँच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है अथवा कोई ऐसी समिति नियुक्त करने का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड, भावनगर का उत्पादन कार्य संतोषजनक बताया जाता है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) यह बताया गया है कि कम्पनी ने पिछले वर्ष के मध्य से उत्पादन करना शुरू किया और 1979-80 में 96 सेन्टर लेथों का उत्पादन किया। 1980-81 की प्रथम तिमाही में 50 मशीनों के लक्ष्य की तुलना में 55 मशीनों का वास्तविक उत्पादन हुआ है। कम्पनी की 1980-81 के लिए निर्धारित 300 मशीनों का लक्षित उत्पादन प्राप्त करने की आशा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय पर्यावरण एजेंसी की स्थापना करना

4427. **श्री वी० के० नायर : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक केन्द्रीय पर्यावरण एजेन्सी स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य क्षेत्र, कृत्यों, शक्तियों और गठन का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) 1972 में भारत सरकार ने पर्यावरण से सम्बन्धित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय आयोजन एवं समन्वय समिति (एन० सी० ई० पी० सी०) का गठन किया। इस समिति के सदस्य उच्च कोटि के परिस्थिति विज्ञानी, प्रकृति विज्ञानी तथा पर्यावरणीय विशेषज्ञ और सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को पर्यावरणीय सम्बन्धी मामलों को हल करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है तथा इस नाते विभाग एन० सी० ई० पी० सी० के लिए सचिवालय संबंधी सहायता प्रदान करता है। हाल ही में, सरकार ने फरवरी, 1980 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति पर्यावरणीय संरक्षण और सुरक्षा के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर मौजूदा विधानों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी और पर्यावरणीय गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपायों के बारे में सिफारिश करेगी। आशा है कि यह समिति 31 जुलाई, 1980 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए तुरन्त और दीर्घकालीन उपायों के बारे में निर्णय लेते समय सरकार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखेगी।

(ख) इस अवस्था पर इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को जारी किये गये लाइसेन्स

4428. **श्री कृष्ण दत्त :** क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है जिनको केन्द्रीय सरकार ने लाइसेंस जारी किये हैं ;

(ख) प्रत्येक उद्योग को चलाने के लिए कितनी मात्रा में कच्चा माल परमिट पर सप्लाई किया गया है ;

(ग) ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है जिनके लाइसेंस जारी किए गए थे परन्तु उन्होंने उनका उपयोग नहीं किया; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उद्योग चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों को ऋण भी दिए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) वर्ष 1979 व 1980 (मई, 1980 तक) में एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था लाइसेंस अभी क्रियान्वित नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) औद्योगिक लाइसेंस पद्धति के अधीन केन्द्रीय सरकार लाइसेंस स्वीकृत किए जाने वाले उद्यमियों को कच्चे माल के संभरण या ऋण देने की व्यवस्था नहीं करती । कच्चे माल के संभरण और वित्तीय सहायता के लिए संबंधित प्राधिकरणों से ही अनुरोध करना होता है।

पश्चिम बंगाल को सीमेंट का आबंटन

4429. **श्री चित्त महाटा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार को पिछले पांच महीनों के दौरान कुल कितना सीमेंट दिया गया है ; और

(ख) कम सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) राज्यों को सीमेंट का आबंटन तिमाही के आधार पर किया जाता है । जनवरी से जून 19 80 की अवधि में पश्चिम बंगाल राज्य को किया गया सीमेंट का कुल आबंटन 5,48,000 मी. टन था किन्तु, आबंटन करते समय जितनी सीमेंट उपलब्धता का अनुमान लगाया गया था उसकी तुलना में वास्तव में कम सीमेंट उपलब्ध होने के कारण सप्लाई कम रही ।

दहेज-मौतें एवं दोष-सिद्धियां

4430. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 2 वर्षों में प्रत्येक राज्य में दहेज के विवादों के परिणामस्वरूप कितनी कथित मौतें हुई ;

(ख) इन मामलों में से कितने मामलों में दोष सिद्धि हुई ; और

(ग) क्या इन कथित मामलों में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

निजी क्षेत्र में दूर-संचार के उपकरण का विनिर्माण

4431. **श्री पी० एम० सईद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा औद्योगिक नीति प्रस्तावों में संशोधन किये जाने की सम्भावना है जिससे कि निजी क्षेत्र की एककें वर्तमान समय में आयात किये जा रहे 200 करोड़ रुपए मूल्य के दूर संसार उपकरणों का विनिर्माण कर सकें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : जी नहीं ।

गुजरात में लघु एककों की कच्चे माल की आवश्यकता

4432. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में भिन्न-भिन्न लघु उद्योगों को अपेक्षित भिन्न-भिन्न कच्चे माल की आवश्यकतायें क्या हैं और केन्द्र द्वारा उन्हें किया गया वास्तविक आवंटन क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : मूलभूत कच्चे माल (ई० सी० ग्रेड अल्युमिनियम को छोड़कर) के वितरण पर कोई औपचारिक नियंत्रण नहीं है, अत: सरकार द्वारा लघु क्षेत्र की कच्चे माल सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जाता । ई० सी० ग्रेड अल्युमिनियम के मामले में इस्पात व खान मन्त्रालय में अल्युमिनियम नियंत्रक द्वारा केबल व कन्डक्टर उत्पादन एककों को उनकी अलग-अलग क्षमता माल उठाने के आधार माल का सीधा आवंटन किया जाता है । इसके साथ ही इस समय राज्यों को कुछ किस्मों के लोहे व इस्पात, सुअर की चर्बी और पैराफीन वैक्स के नियमित आवंटन किये जाते हैं । ये आवंटन राज्यों द्वारा पहले उठाए गए माल और उपलब्धता के अनुपात के आधार पर किए जाने हैं । गुजरात राज्य को इन वस्तुओं के निम्न प्रकार आवंटन किये जाते है :—

1. इस्पात : वर्ष 1980-81 के लिए 53,000 मी. टन इस्पात का आवंटन किया गया है । इन आवंटनों के अलावा लघु क्षेत्र के वास्तविक उपयोग कर्त्ता राज्य द्वारा अनुपलब्धता प्रमाणपत्र जारी किये जाने के आधार पर उत्पादकों से सीधे भी संभरण प्राप्त कर सकते हैं । इसके साथ-साथ प्रति तिमाही 200 मी० टन से अधिक उपभोग करने वाले एकक उत्पादकों से सीधे संभरण

प्राप्त करने के अर्ह है। रिटोलर्स तार खींचने के एकक, चमकीली, छड़ी, फासनर्स आदि जैसे उद्योग पहले उठाए गए माल और अपनी क्षमता के आधार पर उत्पादकों से सीधे संभरण प्राप्त कर सकते हैं।

2. पैराफीन वैक्स : पैराफीन वैक्स का वितरण पैट्रोलियम विभाग द्वारा वार्षिक/तिमाही आधार किया जाता है। गुजरात के लिए आवंटन निम्न प्रकार है :—

जनवरी—जून, 1980—908 मी० टन।

3. सुअर की चर्बी/सुअर की चर्बी के अम्ल

गुजरात को निम्नप्रकार आवंटन किया गया।

1979	1323 मी० टन
1980 (जनवरी-मार्च)	लगभग 313 मी० टन

प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग विकास निगम जैसे राज्य अभिकरणों के माध्यम से लघु एककों को कच्चे माल का वितरण किया जाता है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

4433. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की विभिन्न योजनाओं में गत तीन-तीन वर्षों में क्या प्रगति की गई है ;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों के संगठन ने पुनर्वास की वर्तमान योजना की असमर्थताओं और कमियों को बताते हुए कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) भूतपूर्व सैनिक संगठनों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की वर्तमान योजनाओं के अपर्याप्त होने तथा उनमें कमी को बताने वाले अभ्यावेदनों के बारे में पूरी सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों के स्वरोजगार के लिए पुनर्वास की विभिन्न योजनाओं की गत तीन वर्षों में हुई प्रगति।

1. रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए पुन: स्थापन प्रशिक्षण ।

प्रशिक्षण योजना को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है :

(1) कार्य करते हुए प्रशिक्षण

सरकार ने सेवा कार्मिकों को उनकी सेवा के अन्तिम वर्ष में "कार्य करते हुए प्रशिक्षण" की योजना मन्जूर की है ताकि उन्हें सिविल कार्यों के योग्य बनाया जा सके । प्रारम्भ में विभिन्न सरकारी क्षेत्र और विभागीय उपक्रमों में प्रत्येक वर्ष 2,000 कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम बनाया गया है । अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 10,000 कार्मिकों को प्रशिक्षण देने पर विचार किया जाएगा ।

(2) पुनर्व्यवस्थापन प्रशिक्षण योजना

भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए आरक्षित पदों पर पूरी तादाद में नियुक्त न किये जाने की समस्या पर विचार करने के लिए सरकार ने 1976 में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने सिफारिश की है कि सभी सैनिक कार्मिकों को उनकी सेवा के अन्तिम 18 मास के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे सिविल में नौकरी पाने के लायक हो सकें । सभी सेवा निवृत्ति होने वाले रक्षा सेवा कार्मिकों को उनको रैंक और ट्रेड का ख्याल रखे बिना सेवा निवृत्ति से पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है जिस पर सरकार विचार कर रही है ।

(3) अफसर संवर्ग के लिए पुनर्व्यवस्थापना प्रशिक्षण

इस योजना के अन्तर्गत, अफसरों को भी उनकी सेवा के अन्तिम 18 मास के दौरान पुनर्व्यवस्थापन के लिए ड्यूटी के रूप में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है ।

2. सेवा निवृत्त होने वाले जवानों को बाद में परासैनिक बलों में नियुक्त करना

इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

3. नयी बस्ती बनाने की योजना

यस योजना के अन्तर्गत 91 भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को वृहत निकोबार द्वीप में स्थायी रूप से बसने के लिए सम्मिलित किया गया है ।

4. कोयला खान क्षेत्रों में कोयला परिवहन के लिए परियोजना

कोयला विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय, के साथ परामर्श करके भूतपूर्व सैनिकों के यूनिटों द्वारा विभिन्न कोयला खान क्षेत्रों की कोयला खानों से कोयला परिवहन की एक योजना बनाई गई

है । इस समय लगभग 200 भूतपूर्व सैनिकों की एक यूनिट केन्द्रीय कोयला क्षेत्र में कार्य कर रही है ।

5. अन्य योजनाएं

भारतीय उर्वरक निगम, राष्ट्रीय वस्तु निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने भूतपूर्व सैनिकों को निम्नलिखित एजेन्सियों का आवंटन किया है :

1. उर्वरक एजेन्सियां	195
2. दी ट्रेडिंग कार्पोरेशन की एजेन्सियां	14
3. राष्ट्रीय वस्त्र निगम की एजेन्सियां	11
4. सीमैंट एजेन्सियां	16

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है :

1. ट्रैक्टरों का आवंटन	720
2. थल सेना के डिस्पोजल स्टाक में से लेकर वाहनों का आबंटन	3022
3. ऐसे टाइपरायटरों और डुप्लीकेटरों का आवंटन जिनकी मरम्मत न की जा सके ।	228

6. दूध बेचने की दुकानों (बूथों) का आवटन

इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने दिल्ली में 271 भूतपूर्व सैनिकों को दूध बेचने की दुकानें (बूथ) रियायत सांहीता (कन्सेशनेयरशिप) पर दी है । जयपुर कलकत्ता और मद्रास में भी ऐसी ही योजनाऐं शुरू की जा रही हैं ।

7. औद्योगिक (प्लाटों का आवंटन)

इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली में ओखला औद्योगिक एस्टेट में भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को रियासती दरों पर 75 औद्योगिक प्लाट आवंटित किए गए हैं ।

8. रानी खेत में प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र

रानीखेत में सर्जीकल वैंडेजें बनाने से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोलने की योजना युद्ध में हताहत और अशक्त सैनिक विशेष सहायता फंड की प्रबन्धक समिति की 18-7-77 को हुई चौथी बैठक में स्वीकृत की गई थी । इस परियोजना के कार्यान्वियन के लिए 19-11-77 को 2.54 लाख रुपये की राशि दी गई ।

9. भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित कुटीर उद्योग एककों को 5 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देना

भुतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित कुटीर उद्योग एककों को 5 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देने का निर्णय सरकार ने उन रक्षा मदों पर देने का निश्चय किया है जिनको खुली निविदा प्रतियोगिता के आधार पर खरीदा जाता है। इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किए जा चुके हैं।

10. इसके अलावा राज्य सरकारों ने भी भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं स्वीकृत की हैं। ये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं। और इनका कार्यान्वियन राज्य सरकारों के तत्वाधान में किया जाता है।

"इन्डिया में एवेंडन जेगुआर प्रोजेक्ट" शीर्षक समाचार

4434. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्रीमती प्रमिला दंडवते :
श्री जनार्दन पुजारी :
श्री नवीन रवाणी : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "डेली एक्सप्रेस" और "संडे टाइम्स" जैसे ब्रिटिश समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि भारत फ्रांस के मिराज अथवा कम मूल्य वाले सोवियत मिग-23 लेने के लिए जेगुआर परियोजना को त्याग सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समाचारों का कोई आधार है ; और

(ग) जेगुआर परियोजना के बारे में सरकार की स्थिति क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सरकार को 'डेली एक्सप्रेस' और 'सण्डे टाइम्स' में दिए गए समाचारों की जानकारी है।

(ख) सरकार को इन समाचारों के आधार की जानकारी नहीं है।

(ग) सरकार जेगुआर कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न मसलों का अध्ययन कर रही है। जेगुआर कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र के बारे में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

जिला गोआलपाड़ा में बिजनी स्थान पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

4435. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री एन० ई० होरो :
श्री रेणुपद दास : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने आसाम सरकार से कहा है कि जिला गोआलपाड़ा में बिजनी स्थान पर 26 मई, 1980 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में न्यायिक जांच कराई जाए जिसमें 3 बच्चों सहित 23 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ;

(ख) क्या गोली चलाये जाने के कारण आहत हुए अनेक व्यक्ति पश्चिम बंगाल में अलीपुर द्वारा में शरण पाने के लिये आसाम से भाग गए थे ;

(ग) क्या हताहत होने वाले अधिकतर व्यक्ति आसाम में अल्पसंख्यक समुदाय के थे ; और

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (घ) तक असम सरकार के अनुसार 26 मई, 1980 को बिजनी में पुलिस की गोलीबारी में 9 व्यक्ति मारे गए थे। इनमें से अधिकांश व्यक्ति असम में अल्पसंख्यक समुदायों के थे । पुलिस की गोली से हताहत होने वालों में बच्चे नहीं थे । असम सरकार को किसी घायल व्यक्ति के अलीपुरद्वार जाने की जानकारी नहीं है ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने असम सरकार से न्यायिक जांच करने का अनुरोध किया है। असम सरकार ने 26 मई, 1980 को बिजनी में पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटना की मजिस्ट्रेट तथा प्रशासनिक जांच करने के आदेश पहले ही दे दिए हैं ।

केवल आर्थिक क्षेत्र की निगरानी करने वाला तट रक्षक

4436. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : **क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट रक्षक (कोस्ट गार्ड) को विदेशी मत्स्य नौकाओं से 200 मील के केवल आर्थिक क्षेत्र की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां तो यह तट रक्षक अवेध रूप से आई विदेशी मत्स्य नौकाओं से इस 200 मील से भी अधिक सीमा क्षेत्र की रक्षा किस प्रकार करता है ;

(ग) क्या सरकार को विदेशी मत्स्य नौकाओं के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) तट रक्षक संगठन को देश की समुद्री सीमा क्षेत्र की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह कार्य तट रक्षक संगठन अपने उपलब्ध साधनों के द्वारा आकस्मिक गश्त लगाकर करता है। तट रक्षक संगठन

के निगरानी प्रयासों में नौ सेना पोत तथा वायुयान भी सहायता करते हैं। इसके बावजूद भी सरकार को अन्य देशों के मछली पकड़ने के जहाजों द्वारा हमारे देश की समुद्री सीमा क्षेत्र में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। समय-समय पर निगरानी को और मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। फिर भी लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के देश के समुद्री सीमा क्षेत्र में निगरानी का काम काफी कठिन है। तट रक्षक संगठन के लिए अधिक जहाज, नौसैनिक पोत और वायुयान प्राप्त करते हुए साधनों में वृद्धि करने से इस स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है।

"द वैस्ट बंगाल फिल्म प्रोडक्शन बिल"

4437. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को "द वैस्ट बंगाल फिल्म प्रोडक्शन बिल" (पश्चिम बंगाल फिल्म निर्माण विधेयक) शीर्षक से एक विधेयक का प्रारूप भेजा है जिसके द्वारा सिनेमाघरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जायेगा कि उन्हें पश्चिम बंगाल में बनी फिल्मों को कुछ दिनों तक अवश्य दिखाना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) संभवत: प्रश्नकर्ता "पश्चिम बंगाल फिल्मों का अनिवार्य प्रदर्शन विधेयक, 1979" नामक पश्चिम बंगाल सरकार के विधेयक का उल्लेख कर रहे हैं जिसे प्रारूप विधेयक के रूप में संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के परन्तु (क) के अधीन राज्य विधान मण्डल में इसके प्रस्तुतीकरण से पूर्व भारत सरकार को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। उक्त प्रारूप कानून में अन्य बातों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में वर्ष में 12 सप्ताह की अवधि के लिए अनिवार्य प्रदर्शन की व्यवस्था है।

(ख) मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

आल इन्डिया चेम्बर आफ मैच इण्डस्ट्रीज से ज्ञापन

4438. **श्री समर मुखर्जी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया चेम्बर आफ मैच इण्डस्ट्रीज से दिनांक 14 फरवरी, 1980 का कोई ज्ञापन मिला है जिसमें हाथ से माचिस बनाने के उद्योग के विकास के सुनिश्चित करने के लिए माचिस उद्योग के लिए केन्द्र बोर्ड के गठन लघु क्षेत्र एवं बहुत छोटे क्षेत्रों तथा विमकों एवं लघु क्षेत्रों आदि के बीच शुल्क विषमता को कम करने के सुझाव दिए गए थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उन सुझावों पर क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी, हां। अखिल भारतीय माचिस उद्योग मंडल से ऐसा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। शुल्क में भिन्नता के बारे में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों तथा सुझावों पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि जहां तक माचिस उद्योग के तीनों क्षेत्रों के लिए लागू उत्पादन शुल्क की दर का सम्बन्ध है, इस बारे में यथास्थिति बनाई रखी जाए। किन्तु यह प्रस्ताव किया गया है कि बजट प्रस्तावों में बताए अनुसार पंजीकृत सहकारी एककों तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के एककों के लिए लागू रियायत योजना में संशोधन किया जाए।

सरकारी उपक्रमों में नियुक्त "वरिष्ठ सेना" अधिकारी

4439. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ अधिकारियों जिनमें जनरल/लेफ्टिनेन्ट जनरल/मेजर जनरल और ब्रिगेडियर शामिल हैं, को सेना से उनकी सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी उपक्रमों द्वारा उत्तर-दायित्व पूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता है और क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे उपक्रमों के कुशल संचालन के लिए वे तकनीकी जानकारी और अनुभव प्राप्त हों ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1980 तक इस हैसियत से काम कर रहे इन अधिकारियों के नाम क्या हैं और वे किन-किन उपक्रमों में सेवारत है ;

(ग) क्या उनके पास कोई तकनीकी अथवा शैक्षिक योग्यता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सैनिक समाचार

4440. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सैनिक समाचार" किन-किन भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है और प्रत्येक भाषा में इसकी कितनी-कितनी प्रतियां बिकती हैं ;

(ख) अन्य भारतीय भाषाओं में इसका प्रकाशन करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो अगले तीन वर्षों के दौरान यह किन-किन भाषाओं में प्रकाशित किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) "सैनिक समाचार" सप्ताह में एक बार दस भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। इसका भाषा-वार प्रचलन इस प्रकार है :—

1. अंग्रेजी	—	7,190
2. हिन्दी	—	10,745
3. मराठी	—	1,793
4. गोरखाली	—	1,557
5. पंजाबी	—	2,356
6. उर्दू	—	405
7. तमिल	—	1,541
8. तेलुगु	—	753
9. मेलयालम	—	4,631
10. बंगाली	—	712

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मनाली-लेह सड़क

4441. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार्डर रोड्स डिवीजन्स ने हाल ही में मनाली लेह सड़क का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो सड़क की कुल लम्बाई और इसके निर्माण पर आई लागत क्या है; और

(ग) जनता के आने जाने के लिए इसके कब तक खोल दिए जाने की आशा है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़क का निर्माण कार्य 1973 में पूरा कर लिया गया था।

(ख) सड़क की लम्बाई 475.50 कि०मी० है और इसकी निर्माण लागत लगभग 17 करोड़ रुपए हैं।

(ग) सर्दियों में जब बर्फ पड़ने के कारण सड़क उपयोग करने योग्य नहीं होता है और विदेशियों को परमिट की आवश्यकता होती है, सड़क का सिविल यातायात के लिए उपयोग करने पर कोई पाबन्दी नहीं है।

सरकारी संस्थाओं में चयनात्मक संगणन (कम्प्यूटर) प्रणाली

4442. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों सहित अनेक सरकारी संस्थाओं और कुछ बड़े सरकारी उपक्रमों में परिणामों के संकलन के लिए चयनात्मक संगणना पद्धति की योजना आरम्भ की है;

(ख) क्या सरकार ने इस के कारण बेरीजगारी की बात को भी ध्यान में रखा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में संतुलित रवैया अपनाया जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) जी, हां ।

राष्ट्रीय आय के बारे में असंगठित क्षेत्र के आंकड़े एकत्र करना

4443. **श्री राम विलास पासवान :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आय के आंकड़े निर्धारित करने के लिए असंगठित क्षेत्र के आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान असंगठित क्षेत्र ने राष्ट्रीय आय में मदवार क्या अंशदान किया; और

(ग) क्या उक्त प्रक्रिया में कोई सुधार किया गया है और यदि हां, तो उसका संक्षप्ति ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) विनिर्माण व्यापार परिवहन, सेवाओं जैसे क्षेत्रों में गैर खेतिहर असंगठित कार्यकलाप से राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार करने के लिए अपेक्षित आंकड़े समय-समय पर आयोजित परिवारिक प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं । इन सर्वेक्षणों में उत्पादन मूल्य, रोजगार, आय आदि सम्बन्धी अपेक्षित सूचना साक्षात्कार पद्धति के अनुसार एकत्र की जाती है । इस प्रकार से एकत्र आंकड़ों के परिणाम रिपोर्टों के रूप में उपलब्ध है

(ख) विवरण संग्लन है ।

(ग) जी हां । विनिर्माण, व्यापार, परिवहन तथा सेवाओं के असंगठित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 1977 में प्रारम्भ आर्थिक गणना तथा अनुवर्ती प्रतिदर्शी सर्वेक्षणों में लागत, उत्पादन, निवेश आदि की मात्रा एवं मूल्य संबंधी व्यापक सूचना एकत्र की गई । इन सर्वेक्षणों में एकत्र आंकड़ों का प्रोसस किया जा रहा है और जब ये आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे तो इनका प्रयोग राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार करने में किया जाएगा । द्वितीय आर्थिक गणना अभी हाल ही में शुरू की गई है जिसके बाद इसी प्रकार के व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षण किए जायेंगे ।

विवरण

1975-76 से 1977-78 वर्षों के लिए असंगठित क्षेत्र का योगदान

(प्रचलित भावों के आधार पर)

उद्योग	असंगठित भाग से प्राप्त आय			शुद्ध घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता		
	1975-76	1976-77	1977-78	1975-76	1976-77	77-78
1. कृषि	25447	26237	29851	41.1	39.1	39.8
2. विनिर्माण-कार्य	3591	3886	4440	5.8	5.8	5.9
3. निर्माण-कार्य	1991	2242	2456	3.2	3.3	3.3
4. परिवहन एवं भंडारण	1035	1137	1252	1.7	1.7	1.7
5. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	7459	7965	9032	12.0	11.9	12.0
6. स्थावर सम्पदा, आवास, आवासगृहों का स्वामित्व व व्यवसायिक सेवायें	1492	1720	2114	2.4	2.5	2.8
7. अन्य सेवायों	1117	1181	1308	1.8	1.8	1.7
8. अन्य	597	684	721	1.0	1.0	1.0
सभी उद्योग	42729	45052	51174	69.0	67.1	68.2

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 1970-71 1977-78

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,　　फरवरी 1980

परमाणु बिजलीघर और भारी जल परियोजनायें

4444. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर तथा राणा प्रताप सागर परमाणु बिजलीघरों द्वारा उत्पादन बिजली तथा उनकी जनत क्षमता के उपयोग, उनमें निदेशित पूंजी तथा परमाणु ईंधन एवं भारी जल संबंधी समस्याओं को देखते हुए अन्य परमाणु बिजलीघरों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) भारी जल परियोजनाओं में अब तक कितनी पूंजी लगी है और उनका उत्पादन क्या है; और

(ग) क्या सरकार इन परियोजनाओं की असफलताओं के बावजूद नई योजनाओं में पूंजी निवेशकरण जारी रखेगी ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ग) सरकार यह चाहती है कि तारापुर परमाणु बिजलीघर तथा राजस्थान परमाणु बिद्युत परियोजना में और ईंधन तथा भारी पानी प्राप्त करने में सामने आई समस्याओं के बावजूद देश में परमाणु बिजली के क्षेत्र में किए जाने वाले विकास कार्य पर बल दिया जाए। तारापुर परमाणु बिजलीघर से संबंधित मुख्य समस्या यह है कि समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई अमरीका से नियमित रूप से होती रहे। अन्य विद्यमान और प्रस्तावित परमाणु विद्युत परियोजनाओं में काम में आने वाला ईंधन भारत में ही उपलब्ध प्राकृतिक यूरेनियम है। भारी पानी के उत्पादन में भी सरकार आत्मनिर्भर बनने की योजना तैयार कर रही है। परियोजनायें असफल नहीं रही है तथा जहां तक तकनीकी समस्याओं का प्रश्न है, उनमें से अधिकांश को हल किया जा चुका है निर्माणाधीन और भविष्य में बनाई जाने वाली परियोजनाओं के डिजाइनों में, प्राप्त अनुभव के आधार पर उपयुक्त सुधार किए जा चुके हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। सरकार का मत है कि एक अत्याधुनिक प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में शुरू-शुरू में अपरिहार्य रूप से सामने आने वाली समस्याओं से डर करके हमारे देश को इस क्षेत्र में अपना काम बंद नहीं करना चाहिए।

(ख) अबतक 5 भारी पानी परियोजनाओं पर, जो नंगल वडोदरा तूतीकोरीन, तलचर और रावतभाटा में स्थित हैं, 178.5 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। पहला संयंत्र नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के स्वामित्व में है तथा उसकी प्रबंध-व्यवस्था परमाणु उर्जा विभाग के हाथ में है। अन्य संयंत्र परमाणु उर्जा विभाग के स्वामित्व में है।

इन संयंत्रों में से प्रत्येक की निर्धारित क्षमता निम्नलिखित हैं :—

(i) भारी पानी संयंत्र नंगल	14. 1 मीटरिक टन प्रति वर्ष
(ii) भारी पानी संयंत्र वडोदरा	67. 2 मीटरिक टन प्रति वर्ष
(iii) भारी पानी संयंत्र तूतीकोरिन	71. 3 मीटरिक टन प्रति वर्ष
(iv) भारी पानी संयंत्र तलचर	62. 7 मीटरिक टन प्रति वर्ष
(v) भारी पानी संयंत्र रावतभाटा	100. मीटरिक टन प्रति वर्ष

उद्योग मन्त्रालय के अन्तर्गत साजर्वनिक उपक्रमों द्वारा मूल्यों में की गई वृद्धि

4445. **श्री राम विलास पासवान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने उत्पादकों के मूल्यों में कब-कब और कितनी-कितनी वृद्धि की ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गैर सरकारी क्षेत्र में समान उत्पादों के विद्यमान मूल्यों की तुलना में यह कितने हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन को मजबूत करना

4446. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए पांचवी योजना में सातवें वित्त आयोग पंचाट और वार्षिक योजना 1980-81 के अधीन राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है ;

(ख) वित्त आयोग के उद्देश्यों को ध्यान में,रखते हुए उक्त राज्यों द्वारा धनराशि का उपयोग करने के लिए क्या योजनाएं तथा कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा राज्यों को धनराशि देने में विलम्ब किया गया है ; और

(घ) यदि हां तो आवंटित धनराशि कब तक दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क), (ख), (ग) और (घ) सातवें वित्त आयोग द्वारा पांच वर्ष की अवधि 1979-84 के लिए जनजातीय प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया गया आवंटन, प्रतिपूरक भत्ता देने और जनजातीय क्षेत्रों में तैनात राज्य सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास की व्यवस्था करने से संबंधित है । अब तक जारी किए गए प्रशासनिक अनुमोदन अनुबंध में दिए गए हैं । मार्गदर्शी सिद्धान्तों को जारी करने के बाद राज्यों द्वारा जैसा कि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है व्यवहारिक योजना कार्य तैयार करने, उनकी जांच करने और केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति देने में समय लग रहा है । असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों से अपनी कार्य-योजनाओं को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है । जैसे ही राज्य सरकारों से सन्तोषजनक कार्य योजनाएं प्राप्त होती है धन दे दिया जाता है । बैठकों विचार-विमर्शों और पत्राचार आदि के माध्यम से सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का प्रयास किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को वर्ष के दौरान धन राशि, किस्तों में दी जाती है ।

विवरण

जनजातीय प्रशासनिक स्तर को उन्नत करने के लिए 7वें वित्त आयोग द्वारा किए गए आबंटन के सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक अनुमोदन ।

(रु० लाखों में) (10-7-80 तक)

राज्य का नाम		योजना	जारी किए गए प्रशासनिक अनुमोदन	
			1979-80	1980-81
1.	आन्ध्र प्रदेश	प्रतिपूरक भत्ता	10.00	—
		आवास	—	—
2.	केरल	प्रतिपूरक भत्ता	—	—
		आवास	—	4.00
3.	मध्य प्रदेश	प्रतिपूरक भत्ता	—	—
		आवास		112 5
4.	उड़ीसा	प्रतिपूरक भत्ता	—	—
		आवास	—	39.70
5.	राजस्थान	प्रतिपूरक भत्ता	—	—
		आवास	7.00	—
6.	तमिलनाडु	प्रतिपूरक भत्ता	0.27	—
		आवास	12.00	—
7.	त्रिपुरा	प्रतिपूरक भत्ता	—	—
		आवास	—	2.5
8.	उत्तर प्रदेश	प्रतिपूरक भत्ता	—	—
		आवास	1.95	1.3
9.	पश्चिम बंगाल	प्रतिपूरक भत्ता	—	—
		आवास	—	—

आदिवासी उपयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कार्यकारी दल के सुझाव

4447. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल ने आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए पांच वर्षों के लिए लगभग 350 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दिये जाने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अब उस सिफारिश के समय उपयोजना क्षेत्रों के लिए राज्यों के पास कोई पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन नहीं थे और ये उनके मन्त्रालय और योजना आयोग को केवल अब ही भेजे गए हैं ; ग्रौर

(ग) कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता से उपयोजना क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी ग्रावश्यकताएं कहां तक पूरी हो सकेगी क्योंकि बाद में क्षेत्रों सम्बन्धी रोक हटाये जाने के पश्चात् सम्बन्धित राज्य सरकारों ने उपयोजना क्षेत्रों और परियोजना प्रतिवेदनों का विस्तार कर दिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान। 1978-83 के लिए 350 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता का सुझाव दिया गया था।

(ख) जनजाति उप-योजना क्षेत्रों को अन्तिम रूप दे दिया गया था किन्तु 178 आई० टी० डी० पी० में से राज्य सरकारों ने अब तक 129 ग्राई० टी० डी० पी० रिपोर्टें भेजी हैं।

(ग) 1980-85 की योजना अवधि के लिए मामले का और पुनरीक्षण किया जाएगा।

उद्योग गृहों के सम्पर्क ग्रधिकारियों का मंत्रालयों/विभागों में प्रवेश

4449. **श्री ग्रार० एल० भाटिया** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने विभिन्न उद्योग-गृहों के सम्पर्क अधिकारियों को विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागों में विशेषतया नार्थ ब्लाक, उद्योग भवन, शास्त्री भवन ग्रादि में स्थित ग्रधिक सम्भावित कार्यालयों में प्रविष्ट होने को सुनियोजित करने के लिए कोई मार्गदर्शी निदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इस समय इन अधिकारियों को उनकी कम्पनियों से सम्बन्धित मामलों पर कार्यवाही करने वाली शाखाओं/विभागों में सीधी पहुंच है ग्रौर अधिकारियों के निजी कर्मचारियों के कमरों तक सुगमता से पहुंच सकते हैं जहां से वे अपने मामलों की ताजा स्थिति का पता कर सकते हैं ; और

(घ) क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों को इस आशय के निदेश जारी करने की वांछनीयता पर विचार करेगी कि इन सम्पर्क अधिकारियों को केवल उनके मामलों से सम्बन्धित ग्रधिकारियों से ही मिलने की ग्रनुमति हो और इस प्रकार इन सम्पर्क अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कदाचारों का ग्रन्त हो ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। इन भवनों में स्थित विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों में प्रवेश को नियमित करने के लिए मार्ग-

दर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं। दैनिक मुलाकातियों को उपयुक्त जाँच के बाद केवल जिम्मेवार अधिकारियों से मिलने दिया जाता है। मुलाकात का प्रयोजन जानने के बाद सम्बन्धित अधिकारी से पुष्टि की जाती है कि वे उपलब्ध हैं और मुलाकाती से भेंट करने के लिए सहमत हैं तब केवल उन्हें मिलने की अनुमति दी जाती है।

औद्योगिक गृहों के प्रतिनिधि जो सम्बन्धित कार्य के लिए कुछ विभागों में प्राय: आते जाते हैं उन्हें सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की सिफारिश कर निश्चित अवधि के लिए फोटो पास भी जारी किये जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय को कोई विशिष्ट शिकायत नहीं की गई है।

(घ) सरकारी कार्यालयों में मुलाकातियों के प्रवेश को नियमित करने के लिए अनुदेश जारी किये गए है, जैसा कि प्रश्न के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लेख किया गया है और इन अनुदेशों को लागू करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाते हैं।

बम्बई का नाम बदलकर "मुम्बई" रखना

4450. **श्री आर० के० महालगी :** क्या गृह मन्त्री बम्बई का नाम बदल कर मुम्बई रखने के बारे में 19 मार्च 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1063 के उतर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने बम्बई का नाम बदल कर मुम्बई रखने के बारे में महाराष्ट्र सरकार से दिसम्बर 1977 में प्राप्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) आगामी दस वार्षिक जनगणना के कुशल संचालन के लिए यह निश्चय किया गया है कि 30 जून, 1981 तक ग्रामों, नगरों आदि के नामों में परिर्तवन करने के सभी प्रस्तावों पर विचार स्थगित रखा जाए।

गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में कागज के कारखाने

4451. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में पेपर मिलों में नाम और स्थान क्या हैं उनकी निर्माण क्षमता अधिकतम लाइसेंस प्राप्त क्षमता और वास्तविक उत्पादन कितना है ;

(ख) इनमें से किन मिलों ने अपनी विद्यमान क्षमता का विस्तार करने या नये एकक स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र भेजे हैं;

(ग) उन कम्पनियों और औद्योगिक गृहों के नाम क्या है जिन्होंने कागज बनाने के नये संयंत्र स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र भेजें हैं, वे कहां पर स्थापित किए जाएगें और उनकी क्षमता कितनी होगी; और

(घ) इन नये एककों में उत्पादन आरम्भ होने में कितना समय लगेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) संलग्न विवरण में विद्यमान कागज मिलों के नाम व स्थापना-स्थलों के साथ उनकी स्वीकृत क्षमता व वर्ष 1979 में किए गए उत्पादन की जानकारी दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में कागज उद्योग अपनी क्षमता का लगभग 85 प्रतिशत अधिकतम उपभोग करता है।

(ख) विद्यमान कागज मिलों द्वारा पर्याप्त विस्तार करने या नए एकक लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु वर्ष 1979-80 में दिए गए आवेदन पत्रों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण (अनुबंध 2) संलग्न है।

(ग) नए एकक स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु नए उद्यमियों से वर्ष 1979-80 में प्राप्त आवेदन पत्रों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण (अनुबन्ध 3) संग्लन है।

(घ) कागज उद्योग एक पूंजी प्रधान उद्योग है और इसके पनपने में काफी समय लगता है अतः आशयपत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् उद्यमी को उत्पादन शुरू करने में सामान्यतया 3-4 वर्ष लग जाते हैं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1096/80)

मणिपुर विद्रोहियों को ल्हासा में प्रशिक्षण

4452. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ विद्रोहियों की गिरफ्तारी से मणिपुर पुलिस को इस बात के सुराग मिले हैं कि ल्हासा (तिब्बत) में मणिपुर विद्रोहियों को प्रशिक्षण और अनुदेश दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन विद्रोहियों को पकड़ने के लिए तथा मणिपुर में उनके प्रवेश पर रोक लगाने के लिए क्या प्रभावशाली उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मैतई उग्रवादी संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 के अधीन अवैध संस्थाएं घोषित किया गया है राज्य सरकार सीमा पार उग्रवादियों की हरकतों सहित उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयत्न कर रही है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण

4453. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण शुरू करने के लिए हिन्दुस्तान मशीन टुल्स लिमिटेड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ; और

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टुल्स द्वारा देश में इस प्रकार की घडियों को बेचना कब से शूरू किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) : इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण करने के लिए एच० एम० टी० ने औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन किया है इसी प्रकार के अन्य आवेदनों के साथ-साथ इस आवेदन पर सरकार द्वारा हाल ही में निश्चित की गई इलेक्ट्रानिक घड़ियों के लिए औद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी नीति के अनुरूप विचार किया जा रहा है।

मैसर्स शार्पेज लिमिटेड का निर्माण सम्बन्धी दायित्व

4454. **श्री एन० ई० होरो** : क्या उद्योग मंत्री मेसर्स शार्पेज लिमिटेड के निर्यात संबंधी दायित्व के बारे में 10 मई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9809 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात सम्बन्धी दायित्व पूरा न करने के कारण मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का उत्तर मैसर्स शार्पेज लिमिटेड ने दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात दायित्व पूरा न करने के कारण सरकार ने फर्म के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है तो क्या ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) आयात निर्यात के प्रमुख नियंत्रक ने बताया है कि मैसर्स शार्पेज लिमिटेड ने उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है और वे कम्पनी द्वारा सी० सी० आई० एंड ई० के साथ निष्पादित कानूनी करार में दिए गए उपबंधों के अनुसार आगे आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

विभिन्न प्रकार के ट्रकों के निर्माण के लिए विदेशी सहायता

4455. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडर** : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वाणिज्यिक वाहनों अर्थात अशोक ले लैंड ट्रक्स, टाटा बेंज ट्रकों तथा फिजो ट्रकों के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग कर्ताओं के साथ किए गए करारों की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे;

(ख) ट्रकों का निर्माण करने वाले ऐसे कौन से एकक हैं जो अब विदेशी सहयोग और तकनीकी सहायता से पूर्णत: मुक्त हैं; और

(ग) उक्त सभी निर्माताओं द्वारा वर्ष 1975 से 1980 तक विदेशी फर्मों को कुल कितनी राशि दी गयी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) यह संदर्भ संभवत: अशोक ले लैंड, टाटाबेंज तथा फार्गो (फिजो नहीं) ट्रकों से है। जैसा कि इन तथा अन्य ट्रक निर्माताओं द्वारा बताया गया है। इन गाड़ियों के उत्पादन में इस प्रकार का कोई विदेशी सहयोग नहीं है। फिर भी मोटर उद्योग के आधुनिकीकरण, इसकी प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विदेशी सहयोग के कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. मै० महीन्द्रा एण्ड महीन्द्रा को उनकी गाड़ियों के उपयोग के लिये डीजल इंजनों का उत्पादन करने हेतु।

2. मै० बजाज टैम्पो लि० के प्रयोग के लिये डीजल इन्जनों का उत्पादन करने हेतु।

3. मै० स्टेंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इन्डिया लि० को भारी रेंज की हल्की वाणिज्यिक गाड़ियां बनाने के लिये डिजायन तथा जानकारी खरीदने हेतु।

4. मै० हिन्दुस्तान मोटर्स की हाल ही में उनके द्वारा बनाई गई वाणिज्यिक गाड़ियों के उन्नयन के लिये।

5. गियर बाक्स तथा एक्सिल असेम्बलीज के उन्नयन हेतु ड्राइंग तथा डिजायन के आयात के लिये मै० अशोक ले लैंड की।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों तथा टिलरों के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग

4456. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडर** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) ट्रैक्टरों/टिलरों के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग सम्बन्धी इस समय लागू करारों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे;

(ख) वे ट्रैक्टरों/टिलरों की उत्पादक इन यूनिटों के नाम क्या हैं जो इस समय विदेशी सहयोग तथा तकनीकी सहायता से पूर्णतया मुक्त हैं; और

(ग) उपरोक्त उत्पादकों द्वारा वर्ष 1975 से 1980 तक विदेशी फर्मों को कुल कितना पारिश्रमिक अदा किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) इस समय विदेशी तकनीकी सहयोग से दो एकक ट्रैक्टरों का निर्माण कर रहे हैं, उदाहरणार्थ मै० एस्कार्टस लि०, फरीदाबाद अमेरिका की मै० फोर्ड मोटर कम्पनी के सहयोग से तथा मै० एच० एम० टी० लिमिटेड, पिंजौर चैकोस्लोवाकिया के मै० मोटकोव के सहयोग से । पहला समझौता मार्च, 1981 तक वैध है जबकि दूसरा समझौता जनवरी, 1984 तक वैध है । साधारणतया ऐसे विदेशी सहयोग समझौते सम्बन्धित कम्पनियों के मध्य द्विपक्षीय समझौते होते है । इन समझौतों की सम्पूर्ण बातें बताना कम्पनियों के वाणिज्यिक हितों में नहीं होगा । विदेशी तकनीकी सहयोगों के अतिरिक्त दो कम्पनियां उदाहरणार्थ मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, बम्बई तथा ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेंट लि०, मद्रास में क्रमशः 23·89% तथा 49% तक की विदेशी सहभागिता है । लेकिन उनका कोई विदेशी तकनीकी सहयोग चालू नहीं है ।

(ख) निम्नलिखित ट्रैक्टर/पावर टिलर निर्माता एकक इस समय विदेशी तकनीकी सहयोगों से पूर्णतया मुक्त है :

ट्रैक्टर

1. मै० आयशर ट्रैक्टर इन्डिया लि०, फरीदाबाद ।
2. मै० ऐस्कार्टस लि०, फरीदाबाद ।
3. मै० किर्लोस्कर ट्रैक्टर्स लि०, नासिक ।
4. मै० गुजरात ट्रैक्टर्स कारपोरेशन लि०, बड़ोदरा ।
5. मै० हर्ष ट्रैक्टर्स लि०, गाज़ियाबाद ।
6. मै० यूनाइटेड आटो ट्रैक्टर्स लि०, हैदराबाद ।

टिलर्स

1. मै० केरल एग्रो मशीनरी कारपोरेशन लि०, एर्नाकुलम ।
2. मै० कृषि इंजिस प्राइवेट लि०, हैदराबाद ।

(ग) उद्योग मन्त्रालय में कोई केन्द्रीकृत सूची नहीं रखी जाती है ।

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

4457. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों तथा संघ क्षेत्रों द्वारा आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में राज्यवार कितने परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए हैं और उनके मन्त्रालय को भेजे गए हैं ;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने सभी परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया है और परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता दे दी है; और

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में क्षेत्र प्रतिबन्ध समाप्त करने के बाद शामिल किए गए परियोजना प्रतिवेदनों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 129 परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए थे। राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए सभी परियोजनाओं के सम्बन्ध में परियोजना-वार योजनाएं राज्यों द्वारा तैयार की जायेंगी।

(ख) सामान्यतः सभी परियोजना प्रतिवेदनों का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। मन्त्रालय राज्यों को परियोजना-वार अनुदान नहीं दे रहा है बल्कि अनुदान एक मुश्त दिए जाते हैं।

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में क्षेत्र प्रतिबन्ध समाप्त करने के पश्चात अब तक कोई वृद्धि नहीं की गई है।

विवरण

राज्यवार परियोजना प्रतिवेदन

क्रम सं०	राज्य का नाम	प्रस्तावित किए गए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना प्रतिवेदन।
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	असम	1
3.	बिहार	10
4.	गुजरात	8
5.	हिमाचल प्रदेश	3
6.	कर्नाटक	3
7.	केरल	2
8.	मध्य प्रदेश	40
9.	महाराष्ट्र	15
10.	मणिपुर	—
11.	उड़ीसा	19

12.	राजस्थान	4
13.	तमिलनाडु	9
14.	त्रिपुरा	1
15.	उत्तर प्रदेश	1
16.	पश्चिम बंगाल	6
17.	अंडेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—
18.	गोवा, दमन और दीव	—
	जोड़ :	129

मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज पुणे के अधिकारियों से मकान किराया, पानी तथा बिजली आदि प्रभारों की कटौती

4458. श्री निहाल सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज, पुणे के अधिकारियों के वेतनों में से बिजली, पानी प्रभार तथा मकान किराये आदि की 6-6 महीनों की कटौतियां एक मुश्त की जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप इन अधिकारियों को अत्यधिक वित्तिय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों को वेतनों से उक्त प्रभारों की मासिक कटौतियां करने के आदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) कालेज आफ मिलिटरी इंजीनियरिंग, पुणे में स्थायी रूप से तैनात अफसरों के बारे में प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार उनसे वसूली आमतौर पर मासिक आधार पर या तो अन्तिम या अन्तिम रूप से की जाती हैं। केवल कुछ ही मामलों में थोड़ा विलम्ब हुआ है और निम्नलिखित कारणों से वसूली मासिक आधार पर नहीं की जा सकी :

1. कब्जे/खाली करने की रिपोर्ट देर से प्राप्त होने के कारण
2. कभी-कभार रेवेन्यू लेजर फार्मों की कमी के कारण और
3. अपर्याप्त स्टाफ के कारण ।

(ग) अफसरों के वेतन बिल से किराये, बिजली, पानी आदि के प्रभार की कटौती नियमित मासिक आधार पर करने के सम्बन्ध में सरकारी आदेश पहले से ही मौजूद हैं। इन आदेशों को सम्बन्धित विभाग द्वारा दोहराया जाता है जिससे कि कोई व्यतिक्रम न हो ।

संसद से सम्बद्ध सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

4459. श्री निहाल सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रियों और अन्य उच्च अधिकारियों के वैयक्तिक कर्मचारियों को मिलने वाले समयोपरि भत्ते की सीमा अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले समयोपरि भत्ते की सीमा से अधिक है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में समयोपरि भत्ते की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करने का है जो संसद से सम्बद्ध ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जिसे अगले दिन के लिए नहीं छोड़ा जा सकता और जिसके लिए देर तक बैठना आवश्यक हो जाता है ; और

(ग) उन मन्त्रालयों के नाम क्या हैं जिनमें एक तिहाई सीमा से अधिक समयोपरि भत्ते के बिल संयुक्त सचिव स्तर पर पास किए जाते हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सामान्यतः किसी सरकारी कर्मचारी को एक मास में देय कुल समयोपरि भत्ते की राशि उसकी मासिक परिलब्धियों के 1/3 भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए यद्यपि यह अधिकतम सीमा सामान्यतः मन्त्रियों/वरिष्ठ अधिकारियों के "वैयक्तिक" कर्मचारियों के मामले में भी लागू होती है। फिर भी, ऐसे कर्मचारियों को इस अधिकतम सीमा से अधिक समयोपरि भत्ता भी दिया जा सकता है। यदि वे अधिकारी जिनके साथ वे सम्बद्ध हैं, यह प्रमाणित कर दें कि वे इस बात से सन्तुष्ट हो गए हैं कि उनके वैयक्तिक कर्मचारियों द्वारा किया गया वह कार्य, जिसके बदले में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक समयोपरि भत्ता देना आवश्यक हुआ है, लोकहित में आवश्यक था। किसी भी मामले में यह उनकी परिलब्धियों के 50 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) सभी कर्मचारियों पर लागू मासिक परिलब्धियों के 1/3 भाग की अधिकतम सीमा को समयोपरि भत्ते की शर्त में मन्त्रालयों/विभागों द्वारा छूट नहीं दी जा सकती। संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के अधिकारी अपने वैयक्तिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस सीमा में छूट, जो कि उनकी परिलब्धियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, देने के लिए सक्षम है।

नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लि० कलकत्ता द्वारा कैमरों गैस मीटरों, और स्केलमापी यंत्रों का निर्माण

4460. श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लि० कलकत्ता ने विदेशी सहयोग से कैमरों, गैस मीटरों और स्केल मापी यंत्रों का निर्माण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी भावी माँग के बारे में पूरी जांच करने के बाद ऐसा किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनमें आयातित पुर्जे फिट करने, जिसके फलस्वरूप भारी घाटा होता रहा, के अतिरिक्त इन चीजों का उत्पादन हमारे यहां अब तक क्यों नहीं किया गया ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) सम्भवतः रिपोर्टों में देशीकरण के एक प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है जिसके द्वारा प्रथम चरण में आयातित पुर्जों से उत्पादन शुरू किया जाएगा । अभी तक केवल आयाजित पुर्जों के पहले बैच को मिलाकर उत्पादन शुरू किया गया है ।

आदिवासी क्षेत्र के लिए उप-योजनायें तैयार करना

4461. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के लिए उप-योजनायें तैयार कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है ;

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा तैयार की गई योजनाओं का स्वरूप क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि उनसे अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है; और

(ङ) क्या अधिकांश धन प्रशासनिक और पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत व्यय किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दो संघ शासित क्षेत्रों, अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह तथा गोवा, दमन व दीव में ऐसे विकास ब्लाकों/तालुकों, जहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक है, का अंकन किया गया है और इन क्षेत्रों के लिए अलग जनजातीय उप-योजनायें तैयार की गई हैं । विकास ब्लाकों को एकाकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं में इकट्ठा किया गया है एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट स्थानीय प्राकृतिक संस्रोतों की स्थाई निधि, लोगों की कुशलता और अभिरुचि पांचवीं योजना के लिए तैयार किए गए वित्तीय संस्रोतों की उपलब्धता पर आधारित है ।

(घ) और (ङ) यह सच नहीं है कि अनुसूचित जनजातियों के लोगों को लाभ नहीं हुआ है । कृषि, बागवानी, पशुपालन. बन संरक्षण, लघु तथा ग्राम उद्योग, पेय जल सप्लाई, स्वास्थ्य,

पोषक आहार आदि जैसे विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वे लाभांवित हो रहे हैं : अनुदान का अधिकांश भाग विकास कार्यक्रमों में व्यय किया जा रहा है।

एच० एम० टी० घड़ियों का निर्यात

4462. **श्री एन० डेनिस :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० घड़ियों का अन्य देशों को निर्यात किया जाता है;

(ख) किन-किन देशों को इनका निर्यात किया जाता है ;

(ग) गत पांच कलेंडर वर्षों के दौरान कितनी घड़ियों का निर्माण किया गया ;

(घ) इसी अवधि में कितने मूल्य का निर्यात किया गया ; और

(ङ) इन देशों को किस-किस किस्म की घड़ियों का निर्यात किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। फिर भी एच० एम० टी० घड़ियों के उत्पादकों से मुख्यतया देश की घड़ियों की मांग ही पूरी होती है तथा केवल सीमित मात्रा में ही इनका मुख्य रूप से मध्य पूर्व तथा पड़ौसी देशों को निर्यात किया जाता है।

(ख) घड़ियों का भूटान, दुबई, कुवैत, श्री लंका, हांग-कांग, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, स्विटजरलैंड तथा अमेरिका को निर्यात किया गया है।

(ग) तथा (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्यात की गई घड़ियों की मात्रा तथा मूल्य निम्न प्रकार है।

वर्ष	निर्यात घड़ियों की संख्या	मूल्य (लाख रु० में)
1975-76	13581	19.40
1976-77	18009	30.50
1977-78	45025	27.00
1978-79	22248	42.00
1979-80	45455	66.00

(ङ) हाथ से चाबी दी जाने वाली जेंटस तथा लेडीज घड़ियों और आटोमैटिक डे एण्ड डेट (जेंटस) किस्म की घड़ियों का निर्यात किया जाता है।

ईरानी आर्थिक आयोग

4463. **श्री पी० एम० सईद :**
श्री गुलाम रसूल कोचक :
श्री के० पी० सिंह देव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अपनी हाल की यात्रा के दौरान ईरानी आर्थिक मिशन ने अपने उच्च तकनीकी और आधुनिकतम औद्योगिक आधार को पुनरुज्जीवित करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने के लिए इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रतिनिधि-मंडल ने उद्योग मंत्री के साथ भी कोई चर्चा की थी; और

(ग) क्या भारत वहां पर नये उद्योगों की स्थापना के लिये ईरान की सहायता करने के लिए सहमत हो गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) महा महिम श्री रजा सदर, वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक ईरानी शिष्टमंडल जिसने जून, 1980 में भारत का दौरा किया था, ने उद्योग राज्य मन्त्री के साथ भारत तथा ईरान के मध्य द्विपक्षीय, आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करने की सम्भावनाओं के बारे में विचार विमर्श किया था। ईरानी पक्ष ने बताया कि उनके देश ईरान में एक उच्च तकनीकी तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक आधार है जिसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। भारतीय पक्ष ने औद्योगिक अवस्थापना के निर्माण तथा लघु, मध्यम तथा बड़े उद्योगों के क्षेत्र में ईरान के लिए उपयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण की पेशकश की। ईरानी पक्ष को ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने का अनुरोध किया गया था जिनमें इसे भारतीय सहयोग की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को नागालेंड कागज तथा लुगदी परियोजना के काम की हानि

4464. **श्री के० ए० राजन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० को नागालेंड कागज तथा लुगदी परियोजना के काम की उस समय हानि हुई जब कि परियोजना का कार्य काफी आगे बढ़ चुका था और तभी इसका काम गैर सरकारी क्षेत्र को एक परामर्शदात्री फर्म को सौंप दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इसी प्रकार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० की मैसूर पेपर मिल्स, मदावली से सम्बन्धित कार्य के कुछ भाग की भी हानि हुई है और यह कार्य इन्जीनियर्स इन्डिया लि० को सौंप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो काम की उस हानि के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) नागालैंड पल्प एन्ड पेपर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का दिसम्बर 1978 तक 6 वर्ष की अवधि के लिए परामर्शदाता रखा गया था। उसके पश्चात उसकी कार्य अवधि को बढ़ाया नहीं गया था।

(ख) मैसूर पेपर मिल ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को जून, 1981 तक अपना परामर्शदाता बनाए रखा। यद्यपि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम परियोजना को विस्तृत इन्जीनियरी व स्थल पर्यवेक्षण सेवाएं तो प्रदान कर रहा है लेकिन मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के परामर्श से प्रक्रिया संयंत्रों के पाइपिंग कार्य में मैसर्स इंजीनियर्स इन्डिया लिमिटेड के विशिष्ट अनुभव को ध्यान में रखते हुए परियोजना सम्बन्धित पाईपिंग कार्य उसे सौंप दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में लेखा अधिकारी की पदोन्नति

4465. **श्री के० ए० राजन** :
श्री रामस्वरूप राम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० के वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ने लेखा अधिकारी को वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति जल्दी में कर दी जबकि अन्य पदोन्नतियों में अनुचित विलम्ब किया गया;

(ख) क्या उक्त अधिकारी विदेशी मुद्रा तथा चीफ एग्जीक्यूटिव के विदेशी दौरों से संबधित मामलों पर कार्यवाही करता रहा है;

(ग) क्या उक्त अधिकारी कुछ समय पूर्व केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच में अन्तर ग्रस्त था; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकलें; और

(घ) उसके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लेखा अधिकारी को पदोन्नत करके भरा गया है।

(ख) वरिष्ठ लेखा अधिकारी जो राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की लेखा शाखा के प्रभारी हैं, विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में अध्यक्ष-एवं प्रबंध निदेशक सहित निगम के सभी कर्मचारियों के साथ विदेशी दौरों में सम्बन्धित नियमों और मामलों पर कार्यवाही करते हैं।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मकान किराया भत्ते के झूठे दावे के लिए अधिकारी द्वारा एक जाली रसीद प्रस्तुत किए जाने के आधार पर प्रारम्भिक जांच की थी जिसके आधार पर

अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी । किन्तु जांच अधिकारी ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया था क्योंकि उसे औचित्य पूर्ण ढंग से संदेह के परे सिद्ध नहीं किया जा सकता है सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी अर्थात प्रबन्ध निदेशक जांच अधिकारी की सिफारिशों से सहमत थे । फिर भी उन्हें प्रक्रिया सम्बन्धी चूक के लिए चेतावनी दी गई थी और उनसे यह कहा गया था कि वह मकान किराये के भत्ते की राशि जो उन्होंने ली थी लौटा दे जिसका अब उन्होंने पालन किया है ।

(घ) चूंकि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक इस मामले के अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं, अतः सरकार की ओर से कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है ।

मुठभेड़ में मारे गये विद्रोही नागा

4466. **श्री भीखा भाई : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन माह के दौरान, सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स तथा सुरक्षा बल के साथ हुई मुठभेड़ में कितने विद्रोही नागा मारे गये और कितने घायल हुए ;

(ख) क्या गिरफ्तार किये गये अथवा मारे गये विद्रोही नागाओं से कोई शस्त्र और गोला बारूद बरामद हुआ ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार को उन स्रोतों का पता है जहां से विद्रोही नागा ये सस्त्र और गोला बारूद प्राप्त करते हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में 2 भूमिगत नागा मारे गये ।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में 47 विद्रोही नागाओं को गिरफ्तार किया गया है और 13 हथियार, जिनमें से कुछ पर चीनी चिन्ह थे, और कुछ गोला बारूद बरामद किया गया ।

पेय जल की उपलब्धता

4467. **श्री चित्त बसु : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम निर्धारण संगठन (पी० ई० ओ०) ने हाल में केन्द्र की दो योजनाओं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और बहुत (एक्सलरेटेड) ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अधीन पेय जल की उपलब्धता के बारे में एक अखिल भारतीय क्विक स्टडी की है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं; और

(ग) अध्ययन के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां, । योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 1978 में, न्यूनतम आवश्यता कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

के अंतर्गत पीने के पानी की उपलब्धता के सम्बन्ध में "ग्रामीण जलपूर्ति के लिए गरीबों की अधिगम्यता" से सम्बन्धित एक त्वरित अध्ययन किया था।

(ख) इस अध्ययन से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष यह था कि यद्यपि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से पाइप वाले पानी और वेधित/ट्यूब/प्रवेधित कुओं के जरिए पहुंचाए गए पीने के पानी से गरीबों को लाभ पहुंचा है, परन्तु "गरीब से इतर व्यक्तियों" की तुलना में उनका भाग समानुपातिक रूप में कम रहा है।

(ग) केन्द्रीय निर्माण और आवास मन्त्रालय इस मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों और सुझावों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट कर चुका है।

राजस्थान की सीमेंट की मांग, उसका आवंटन और उसकी पूर्ति

4468. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1980 से मई, 1980 तक राजस्थान की सीमेंट की मांग कितनी थी आवंटन कितना हुआ है और पूर्ति कितनी हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान की मांग की उपेक्षा की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) राजस्थान सरकार ने प्रति तिमाही 2.5 लाख मी० टन सीमेंट की मांग होने का अनुमान लगाया है। राज्य को सीमेंट का आवंटन/संभरण तिमाही के आधार पर किया जाता है। राजस्थान राज्य को वर्ष 1980 की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान किया गया सीमेंट का आवंटन/संभरण निम्नलिखित है :—

(सीमेंट मी० टनों में)

तिमाही	किया गया आवंटन	किया गया संभरण
जनवरी-मार्च, 1980	1,53,300	93,769
अप्रैल-जून, 1980	1,28,000	97,263*

*(अप्रैल-मई, 80)

(ख) और (ग) जी, नहीं। आवंटनों में वृद्धि करने हेतु राजस्थान सहित अन्य राज्यों के अनुरोधों पर विचार किया गया है, किन्तु देश में मांग की अपेक्षा उपलब्ध होने वाली मात्रा कम होने के कारण राज्यों को सीमेंट के मूल तिमाही आवंटन में वृद्धि कर पाना संभव नहीं हो सकता है।

वैगन उद्योग के काम में रुकावट

4469. **श्री एच० एन० नंजे गौडा :**
श्री के० लकप्पा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील और व्हीइल सेटों के कुछ सैक्शनों की अनुपलब्धता के कारण वैगन निर्माण उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस उपकरण के निर्माता कौन है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या उपचारात्मक कार्रवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर तथा भिलाई इस्पात संयंत्र ।

(ग) चूंकि इस्पात तथा व्हील सैट वैगन निर्माताओं की फ्री सप्लाई मदें हैं, अतः कमी को पूरा करने के लिये विशेष महत्वपूर्ण इस्पात सैक्शनों तथा व्हील सैटों के ग्रायात के लिये कार्रवाई की गई है । लेकिन आयातों में लगने वाली लम्बी अवधि को ध्यान में रखते हुए वेतन उद्योग को इस्पात आवंटन बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

भारतीय वायुसेना में पदोन्नति के अवसर और सेवा की शर्तें

4470. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना में कैरियर अवरुद्धता को दूर करने के लिए चालू वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों में और अधिक पद बनाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह पता करने के लिए एक समिति बनायी गयी है कि सेना में सिविल कर्मचारियों के कैरियर संबंधी संभावनाओं को किस प्रकार आशाप्रद बनाया जा सकता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) विवाहित कार्मिकों के लिए आवास प्राप्त करने और उनके बच्चों की शिक्षा के प्रबन्ध संबंधी समस्या को किस प्रकार हल करने का विचार है ; और

(घ) सेनाओं की दशा में और सुधार करने के बारे में क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) वायु सेना में वायु सेना कार्मिकों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए सरकार ने अगले तीन वर्षों में उनके निम्नलिखित दर्जे बढ़ाने के आदेश दिए हैं :—

अफसर

ग्रुप कैप्टेन से एयर कमोडोर	—	10
विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टेन	—	80
स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर	—	360

अन्य रैंक

वारंट अफसर से मास्टर वारंट अफसर	—	509
जूनियर वारंट अफसर से वारंट अफसर	—	604
सार्जेन्ट से जूनियर वारंट अफसर	—	2742
कार्पोरल से सार्जेन्ट	—	12701

इनमें से चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित अफसरों के दर्जे बढ़ाए जाएंगे :—

अफसर

ग्रुप कैप्टेन से एयर कमोडोर	—	10
विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टेन	—	31
स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर	—	120

अन्य रैंक

वारंट अफसर से मास्टर वारंट अफसर	—	150
जूनियर वारंट अफसर से वारंट अफसर	—	200
सार्जेन्ट से जूनियर वारंट अफसर	—	914
कार्पोरल से सार्जेन्ट	—	1500

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) सरकार ने अफसरों, वायुसैनिकों और सिविलियनों के लिए और आवास के निर्माण के लिए 72 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय की स्वीकृति दी है। जिसे 1978-79 से आरम्भ कर के अगले 13 वर्षों में चरणवद्ध रूप से व्यय किया जाएगा।

भारतीय वायु सेना के सभी आवास स्थानों में स्थित वायु सेना यूनिटों में केन्द्रीय विद्यालयों के साथ-साथ वड़ी संख्या में यूनिट स्कूल खोले जा रहे हैं। भारतीय वायु सेना के कार्मिकों के वच्चों की शिक्षा प्रवन्ध के लिए हर साल कुछ केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना भी की जा रही है।

भारतीय वायु सेना के कार्मिकों की सेवा शर्तों और रहन-सहन में लगातार सुधार किया जाता है। जहां आवश्यक होता है वहां नये उपाय अपनाये जाते हैं।

सरकारी उपक्रमों का उत्पादन लक्ष्य

4471. **श्री बी० जी० देसाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए चालू वर्ष के लिए कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) इसे किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है ; और

(घ) उनके द्वारा चालू वर्ष के दौरान कौन-कौन सी नई परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) भारी उद्योग विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का 1980-81 के लिए लगभग 1413 करोड़ रु० का उत्पादन लक्ष्य है ।

(ग) अप्रैल-मई, 1980 की अवधि के दौरान 133.12 करोड़ रु० का वास्तविक उत्पादन हुआ है अथवा इन दो महीनों के 163.04 करोड़ रु० के लक्ष्य का 82 प्रतिशत है ।

(घ) विवरण के अनुसार ।

विवरण

क्र०सं०	उपक्रम/योजना का नाम
1.	**भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी० एच० ई० एल०)**
	1. बी० एच० ई० एल०, हैदराबाद में ब्लेड निर्माण सुविधाओं का विस्तार ।
	2. बी० एच० ई० एल०, हैदराबाद में हीट एक्सचेंजरों की क्षमता में वृद्धि ।
	3. बी० एच० ई० एल०, हैदराबाद में बाउल मिलों का निर्माण ।
	4. बी० एच० ई० एल०, तिरुचि में बायलर हाउस उपांगों का निर्माण ।
	5. बी० एच० ई० एल०, तिरुचि में वाल्व निर्माण सुविधाओं की वृद्धि ।
	6. बी० एच० ई० एल०, भोपाल में पन बिजली नियन्त्रण उपकरण की क्षमता में वृद्धि ।
	7. बी० एच० ई० एल०, बंगलौर में नियन्त्रण उपकरण परियोजना द्वितीय चरण ।
2.	**एच० एम० टी० लिमिटेड**
	1. एच० एम० टी० बंगलौर में इलेक्ट्रानिक घड़ी परियोजना ।
	2. मोहाली में ट्रैक्टर संयंत्र ।

3. **माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर**

1. हाइड्रालिक शाप परियोजना ।

4. **रिचर्डसन एण्ड कुडास लि० (आर० एण्ड सी०)**

1. परिषण लाइन टावरों का निर्माण ।

5. **बर्न स्टैंडर्ड एण्ड कं० लि० (बी० एस० सी० एल०)**

1. ऐश हैंडलिंग संयंत्र का निर्माण

2. रिफ्रैक्टरी यूनिटों का आधुनिकीकरण तथा विस्तार ।

6. **भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कं० लि० (बी० डब्ल्यू० ई० एल०)**

1. पारेषण लाइन टावर परियोजना ।

छोटी और सस्ती कारों का निर्माण

4472. **श्री निहाल सिंह : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर कार उद्योग उद्यमियों द्वारा छोटी और सस्ती कारों के निर्माण के लिए कुछ प्रस्ताव सरकार को भेजे गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन प्रस्तावों का अध्ययन किया है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) छोटी तथा सस्ती कारें बनाने के बारे में कोई आवेदन पत्र सरकार के पास अनिर्णीत नहीं पड़ा है ;

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली में दृष्टिहीनों पर लाठी चार्ज पर रिपोर्ट

4473. **श्री चित्त बसु :** क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) 15 मार्च, 1980 को दिल्ली में दृष्टिहीनों पर किये गये लाठी चार्ज की न्यायिक जांच की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) जांच आयोग द्वारा रिपोर्ट 14 मई, 1980 को प्रस्तुत कर दी गई है । रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्रवाई

का ज्ञापन जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 (4) के उपबन्ध के अनुसार सभा पटल पर रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

टेलीफोन पर अश्लील काल

4474. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी० एम० सईद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने यह सुझाव दिया है कि टेलीफोन पर अश्लील काल के मामलों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अन्तर्गत एक खंड शामिल किया जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई अन्य सिफारिशें तथा सुझाव क्या हैं ; और

(ग) क्या विधि आयोग द्वारा किये गये विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता में संशोधन के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) बलात्कार और सम्बद्ध अपराधों के सम्बन्ध में विधि आयोग की 84वीं रिपोर्ट की प्रतिलिपियां 17 जून, 1980 को सभा पटल पर रखी गई थी।

(ग) विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है और इस विषय पर एक विस्तृत विधायन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति

4475. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी. एम. सईद :

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम आन्दोलन के दौरान बहुत बड़ी संख्या में सैनिक कर्मचारी मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो पूरे आसाम, मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में कुल कितने सैनिक कर्मचारी नियुक्त थे ;

(ग) आसाम आन्दोलन में कितने कर्मचारी मारे गए थे और यदि कोई मुआवजा दिया गया है तो वह क्या है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने आसाम में नियुक्त की गई सेना की संख्या कम करने का निर्णय किया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी नहीं। वर्तमान असम आन्दोलन में कोई सेना कार्मिक नहीं मारा गया है।

(ख) असम में वर्तमान आन्दोलन के दौरान फ्लैग मार्च, गश्त तथा तेल प्रतिष्ठानों की रक्षा करने के लिए एक समय में छः कम्पनियों से अधिक सेनाएं तैनात नहीं की गई हैं।

मई और जून 1980 में मेघालय में आन्दोलन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो कम्पनियां तक तैनात की गई थी। ये सैनिक अब वापिस बुला लिये गए हैं।

त्रिपुरा में फ्लैग मार्च, गश्त लगाने और राहत तथा पुनर्वास कार्य के लिए कुल 2½ बटालियन सेनाएं तैनात की गई थी।

मिजोरम में विद्रोही संक्रियाओं को रोकने के लिए एक डिवीजन में एक ब्रिगेड कम सेना तैनात की गई है।

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) किसी राज्य में परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार के अनुरोध पर सिविल प्रशासन को सैनिक सहायता दी जाती है।

पुलिस का आधुनिकीकरण

4476. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री गुलाम रसूल कोचक :
श्री पीयूष तिरकी : क्या गृह मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने पुलिस का विस्तृत आधुनिकीकरण करने की सिफारिश की है और उस उद्देश्य के लिए अगले दो वर्षों में राज्यों को 550 करोड़ रुपये की सीधो सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिवेदन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य श्री संपत्ति की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय समिति के कहने पर तैयार किया गया है ; और

(ग) सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क), (ख) और (ग) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

सहायकों की, अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति

4477. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है की संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये सहायकों की केवल पांच वर्ष की सेवा के बाद ही अनुभाग अधिकारी के रूप में अल्प कालिक नियुक्त करने पर विचार किया जाता है, जबकि पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले विभागीय रूप से पदोन्नत सहायकों की उपेक्षा की जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि विभागीय रूप से पदोन्नति किये गये सहायक अपनी सेवा स्थिति से असंतुष्ट/निराश महसूस कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उनके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिये क्या कदम उठा रही है अथवा क्या कदम उठाने का विचार है ताकि सरकारी कार्य न रुके और पीड़ितों को न्याय से वंचित न रखा जाए?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के अनुसार ग्रेड में 8 वर्षों की अनुमोदित सेवा तथा वरिष्ठता की रेंज के भीतर आने वाले सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अस्थाई पदोन्नतियों के पात्र हैं। किन्तु जब 8 वर्षों की सेवा वाले किसी सहायक की पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो उससे वरिष्ठ ऐसे सभी सहायकों पर भी जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, ऐसी पदोन्नति के लिए विचार करना पड़ता है। चूंकि खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए सहायकों को स्थाई रिक्तियों पर नियुक्त किया जाता है, इसलिए वे ऐसे सहायकों से वरिष्ठ हो जाते हैं जो अस्थाई होते हैं, हालांकि अस्थाई सहायकों की सेवा उनसे अधिक हो सकती है।

(ख) इस विभाग को इस बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जिन सहायकों की ग्रेड में लम्बी सेवा हो गई है उनके हितों की रक्षा करने तथा उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से, रिक्तियों का 28 प्रतिशत कोटा इस वर्ग के सहायकों की पदोन्नति के लिए निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सीधी भर्ती वाले सहायकों के कोटे की सभी बकाया रिक्तियों को हाल ही में पदोन्नत सहायक कोटे में स्थानान्तरित कर दिया गया है ताकि पात्र सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के नियम 13 के उप नियम (6) के परन्तुक के अधीन इन रिक्तियों पर स्थाई किया जा सके।

अवर सचिवों और उपसचिवों के पैनल के लिए भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों का शामिल किया जाना

4478. **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय आर्थिक सेवा के कितने अधिकारियों के नाम उनके संवर्ग प्रशासन द्वारा अवर सचिव और उप सचिवों के पैनल के लिए भेजे गये थे और नाम भेजने के लिए अपनाया गया मानदन्ड क्या है ;

(ख) उनमें सीधी भर्ती से आये हुए और विभागीय अधिकारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ग) उनमें से कितनों का चयन किया गया और अस्वीकार करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अवर सचिव तथा उप सचिव के स्तरों की सचिवालयीन नियुक्तियों के लिए विचार हेतु प्रस्तावित किए गए भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की संख्या क्रमशः 15 तथा 16 है। ग्रेड III के अधिकारी अवर सचिव के पदों पर तथा ग्रेड I और II के अधिकारी उप सचिव के पदों पर विचार किए जाने के पात्र हैं।

प्रत्येक वर्ष, सभी सहभागी मन्त्रालयों को एक परिपत्र भेजा जाता है, जिसमें उनसे ऐसे सचिवालयीन पदों के लिए विचार हेतु नामांकन भेजने का अनुरोध किया जाता है। जिन अधिकारियों ने स्वेच्छा से अपने नाम दिए हैं और जिनके मामलों की मन्त्रालयों द्वारा सिफारिश की गई है, केवल उन्हीं के नाम भारत सरकार के स्थापना अधिकारी को भेजे जाते हैं तथा ये नाम प्रत्येक वर्ष निर्धारित की गई अपेक्षित संख्या तक वरिष्ठता क्रम में होते हैं और इसमें प्रत्येक ग्रेड की कुल स्वीकृत पद संख्या तथा पहले से ही संवर्ग से बाहर गए सेवा के अधिकारियों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) अवर सचिव के स्तर पर पदों के लिए सिफारिश किए गए 15 अधिकारियों में से 4 सीधी भर्ती के तथा 11 पदोन्नत अधिकारी थे। उप सचिव के स्तर पर पदों के लिए सिफारिश किये गये 16 अधिकारियों में से 5 सीधी भर्ती के तथा 11 पदोन्नत अधिकारी थे।

(ग) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान अवर सचिव तथा उप सचिव के पदों के लिए चुने गये अधिकारियों की संख्या क्रमशः दो तथा पांच है। ये चयन कार्य की अपेक्षाओं और प्रस्तावित अधिकारियों की अर्हताओं तथा अनुभव का उचित ध्यान रखते हुए अलग-अलग पदों के लिए किए जाते हैं।

भारतीय आर्थिक सेवा में छुट्टी ऐवजी अधिकारी

4479. **श्री तारिक अनवर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आर्थिक सेवा में कार्यरत छुट्टी ऐवजी अधिकारियों (लीव रिजर्व आफिसर्स) की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सेवा अन्य श्रेणी I के केन्द्रीय सेवाओं के समान है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) भारतीय आर्थिक सेवा में छुट्टी ऐवजी (लीव रिजर्व) पदों की संख्या 41 है ;

(ख) तथा (ग) सेवा की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वर्ग "क" (श्रेणी -1) केन्द्रीय सेवा में छुट्टी ऐवजी (लीव रिजर्व) की व्यवस्था होती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में टायर यूनिटों का वित्त पोषण

4480. **श्री के. पी. सिंह देव :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उडीसा में टायर निर्माण यूनिटों के लिए नई अथवा वढ़ाई गई क्षमता का वित्त पोषण करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा की गई मात्रा का स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चरनजीत चानना) (क) तथा (ख) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने नई टायर परियोजना जिसके लिए मैसर्स उड़ीसा टायर लि० को एक औद्योगिक लाइसेंस दिनांक 24-7-1975 को स्वीकृत किया गया था । सहायता दिए जाने से सम्बन्धित मामले को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० सी० आई०) के समक्ष रखने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा था ।

(ग) नए टायर एककों के निधीयन के प्रश्न पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ बात-चीत की गई थी और उसने सलाह दी है कि बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि टायरों तथा ट्यूबों के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने के लिए नई परियोजनाओं की स्थापना करने की बजाए विद्यमान एककों का विस्तार करना अधिक लाभप्रद होगा ।

घोषित अनुसूचित क्षेत्र

4481. **श्री भीखा भाई :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न-भिन्न राज्यों में समय-समय पर कुल कितना क्षेत्र अनुसूचित घोषित किया गया है ;

(ख) अनुसूचित क्षेत्र, राज्यवार, कितना है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में कुल कितनी जनसंख्या आती है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रजीकरण, विनियमन और कार्यकारी आदेशों के माध्यम से क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) (ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर में सुधार लाने और उसको ऊंचा करने की प्रक्रिया, सदा बनी रहने वाली है और सांविधिक उपबन्धों के अनुसार समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए गए हैं। हाल ही में जनजातीय क्षेत्र में प्रशासनिक प्रबन्ध और कार्मिक नीतियों के सम्बद्ध में कार्यकारी ग्रुप की रिपोर्ट राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ और आवश्यक कर्रवाई के लिए भेजी गई है। सातवें वित्त आयोग ने केवल जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को ऊंचा करने के लिए पांच वर्ष की अवधि (79 84) के लिए 42.63 करोड़ रुपये की धन राशि भी आवंटित की है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	अनुसूचित क्षेत्र		
		क्षेत्र वर्ग कि० मी० में)	कुल जनसंख्या (लाखों में) 1971 की जनगणना)	अनुसूचित जाति जनसंख्या (लाखों में) (1971 की जनगणना)
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	29683	15.02	7.52
2,	बिहार	43604	74.93	37·86
3.	गुजरात	24420	39.23	27.04
4.	हिमाचल प्रदेश	23954	1.14	0.84
5.	मध्य प्रदेश	159288	103.94	62.30

1	2	3	4	5
6.	महाराष्ट्र	18749	14.66	10.27
7.	उड़ीसा	69407	62.23	34.71
8.	राजस्थान	11966	13.53	8.94
जोड़		381071	324.68	189.48

टिप्पणी :—अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं।

सरकारी सेवा के लिए आयु सीमा में वृद्धि

4482. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार की सेवा में आने के लिए अधिकतम आयु सीमा को 25 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करने का है ताकि वे बेरोजगार युवा नौकरियां पा सकें जो 25 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं हालांकि उन्होंने अपने नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज करा रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क), (ख) तथा (ग) रोजगार कार्यालय द्वारा भरे जाने वाले पदों सहित, केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रवेश के लिए आयु सीमाओं को संशोधित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

छठी योजना में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन

4483. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितनी परमाणु ऊर्जा के उत्पादन की योजना है; और

(ख) उस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अन्त तक परमाणु बिजलीघरों की कुल उत्पादन क्षमता 1565 मेगावाट हो जाने की आशा है।

(ख) कुल अनुमानित पूंजीगत लागत 800.90 करोड़ रुपए है।

वैज्ञानिकों के पूल में वैज्ञानिकों का पंजीकरण

4484. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिकों के पूल में अब तक कुल कितने वैज्ञानिकों का पंजीकरण किया गया है;

(ख) इनमें से कितनों को रोजगार दिया गया है;

(ग) क्या कोई विदेश से योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक भी पूल में पंजीकृत है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या, योग्यता और अनुभव क्या हैं; और

(ङ) अब तक उनमें से कितनों को लाभ दिया जा चुका है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, इन्जीनियरों, डाक्टरों और सामाजिक वैज्ञानिकों का स्वैच्छिक रूप से नाम दर्ज कराने के लिए वै० औ० अ० प० भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का एक प्रवासी भारतीय अनुभाग चलाती है। जिन लोगों का प्रवासी भारतीय अनुभाग में नाम दर्ज किया गया है और भारत लौटने पर सहायता की इच्छा व्यक्त करते हैं, को और भारत में रहने वाले जो व्यक्ति विज्ञापन देखकर आवेदन करते हैं, को वैज्ञानिकों के 'पूल' में चयन करने के लिए विचार किया जाता है। वैज्ञानिकों के इस 'पूल' में इस प्रकार का कोई पंजीकरण नहीं है।

दिनांक **1-6-1980** तक वैज्ञानिक पूल में चयन किए गए व्यक्तियों की संख्या 13,774 थी। इनमें से 12,335 को पूल में कार्य करने के लिए वस्तुतः प्रस्ताव भेजा गया था।

दिनांक 1-6-1980 तक वैज्ञानिक पूल में चयन किये गये विदेशों में योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मिकों की संख्या 11,958 है। चूंकि, इनकी संख्या बहुत बड़ी है, अतः प्रत्येक मामले में योग्यता और अनुभव की सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। मोटे तौर पर, उनमें 4016 वैज्ञानिक (अधिकतर डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त), 192 सामाजिक वैज्ञानिक, (अधिकतर डाक्टरेट प्राप्त), 4010 इन्जीनियर (अधिकांश स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त), 496 प्रौद्योगिकीविद् (अधिकांश डाक्टरेट प्राप्त) और 3271 चिकित्सा कार्मिक (अधिकांश स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष प्राप्त) हैं।

पूल में चयन किये गये लोगों में से 4997 ने यू० एस० ए० में, 798 ने कनाडा में, 4196 ने यू० के० में, 527 ने प० जर्मनी में, 509 ने यू० एस० एस० आर० में और 958 ने अन्य समुद्र पार देशों में अनुभव प्राप्त किये थे।

(ङ) प्रवासी भारतीयों के मामले में, जहां तक सम्भव है, उनका चयन भारत वापसी से समुचित पूर्व ही किया जाता है जिससे वे अपने भविष्य की योजना बना सकें। दिनांक 1-6-1980

तक पूल में चयन किए गए 11,958 विदेशी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों में से 7715 ने अपनी भारत वापसी की सूचना भेजी है, 6520 को पदों का प्रस्ताव दिया गया और 5218 ने प्रस्ताव स्वीकार किया ।

पूर्वी क्षेत्र में संकटग्रस्त इंजीनियरी एकक

4485: **श्री सोमनथ चटर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी क्षेत्र में रेलवे वैगन, स्टील कास्टिंग, बिजली के पंखे आदि बनाने वाले अधिकांश लघु इंजीनियरी एकक संकटग्रस्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो एककों को चलाये रखने और देश और विदेश दोनों की मांग को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) सरकार को पूर्वी क्षेत्रों सहित लघु इंजीनियरी एककों को बिजली की कमी व कुछ प्रकार के कच्चे माल जैसे तार के रस्से, कच्चा लोहा, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम, तांवा तथा तांवा मिश्र धातु आदि के अभाव में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में पता है ।

(ख) लघु एककों को जिन विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं इनमें से कुछ ये हैं :—

1. राज्यों में लघु उद्योग विकास निगमों के माध्यम से दुर्लभ कच्चेमाल के बितरण के काम को सुप्रवाही बनाया गया है ।

2. रेल वैगनों द्वारा ढुलाई के काम की मानीटरिंग करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि अत्यधिक जरूरी कच्चा माल मिलने का सुनिश्चिय किया जा सके ।

3. कुछ कच्चे माल के सम्बन्ध में प्रणालीकरण अभिकरणों को मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिमाण में इनका आयात करने के अधिकार दे दिए गए हैं ।

4. प्रत्येक एकक की बिजली सम्बन्धी कमी को पूरा करने के लिए डीजल जेनरेटिंग सेटों के निर्बाध रूप से आयात किए जाने की अनुमति दे दी गई है ।

5. सहायक एककों की सहायता करने के लिए संयंत्र, राज्य तथा केन्द्रीय स्तरों पर दुर्लभ कच्चे माल के वितरण के कार्य की मानीटरिंग करने तथा सहायक एककों के सामान्य विकास का संवर्धन करने के लिए समितियों की स्थापना की गयी है ।

औद्योगिक उत्पादन में अड़चन

4486. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ द्वारा किए गए उस अध्ययन की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि इस्पात हाई कोक आदि की अनुपलब्धता से उत्पादन में अत्यधिक बाधा उत्पन्न हुई है और विद्युत की रुक-रुक कर सप्लाई ने तो उनके भविष्य को ही पूर्णतः अन्धकारमय बना दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है जबकि केन्द्रीय सरकार पूंजीगत सामान और उपकरणों के निर्यात में वर्तमान 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत वृद्धि करना चाहती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) और (ख) फेडरेशन आफ इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज आफ इन्डिया ने कलकत्ता में 5 मई 1980 को "इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीइन दि ईस्टर्न रीजन प्रास्पेक्टस एन्ड प्रोब्लम्स" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था संगोष्ठी की पृष्ठभूमि प्रश्न में अवस्थापना सम्बन्धी अड़चनों कच्चे माल की कमी और मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में इनका उल्लेख किया गया था । सरकार को अभी तक संगोष्ठी की कार्यवाही उपलब्ध नहीं करायी गई है ।

उच्च कोटियों पर सेना के कार्मिकों को दिया जाने वाला पर्वतीय भत्ता और अन्य सुविधाएं

4487. **श्री के० मालन्ना :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ऊंची चोटियों पर तैनात किए गए सेना के कार्मिकों को पर्वतीय भत्ता दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे जवानों को दी जा रही अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जो सीमावर्ती क्षेत्रों में ऊंच-ऊंची चोटियों पर शत्रु के विरुद्ध देश की रक्षा करते हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ऊंचे स्थान/प्रतिकूल जलवायु भत्ते के अलावा, सीमावर्ती क्षेत्रों में ऊंची चोटियों पर सेवारत सेना के कार्मिकों को, फील्ड सर्विस रियायतें भी दी जाती हैं । फील्ड सर्विस रियायतों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) **अफसर**

1. फर्नीचर (यदि कोई हो) बिजली और पानी सहित मुफ्त एकल आवास ।

2. अन्तिम ड्यूटी स्टेशन पर परिवार आवास को रखने की अनुमति या पृथक् हुए परिवार के निवास स्थान तक या उनके चुने हुए स्थान तक परिवार के सदस्यों के लिए निःशुल्क यात्रा और सामान को ले जाने का खर्च।

3. डाक द्वारा निःशुल्क पैसा भेजने की सुविधा और प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह निःशुल्क दो फोर्सिस लेटर फार्म।

(ख) **अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक।**

1. फील्ड/ऊंचे स्थान पर राशन, जैसा मामला हो।

2. परिवार आवास रखने की अनुमति अथवा पृथक हुए परिवारों के लिए आवास अथवा परिवारों को उनके घर अथवा चुने हुए स्थानों पर जाने के लिए निःशुल्क यात्रा और सामान ले जाने का खर्च।

3. दो परिवार आवास आवंटन में छूट।

4. अतिरिक्त वस्त्र।

5. डाक प्रेषण सुविधाएं और प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह दो निःशुल्क फोर्सिस लैटर फार्म।

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित तकनीकी जानकारी का उपयोग

4488. **श्री के० मालन्ना : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन द्वारा विकसित तकनीकी "जानकारी" का लाभ उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार मदों के डिजाइन और विकास कार्य तथा सेवाओं के लिए भविष्य में जिन मदों की आवश्यकता हो सकती है उनकी जानकारी तथा प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के कार्य में लगा हुआ है। रक्षा प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी/जानकारी, रक्षा क्षेत्र की अथवा बाहरी उत्पादन एजेन्सियों को निर्माण कार्य करने के लिए हस्तान्तरित कर दी जाती है। इसके लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया बनी हुई है। रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन के प्रयत्नों से रक्षा सेवाओं के हितों के लिए काफी संख्या में मदों का विकास एवं उत्पादन हुआ है और इसके परिणामस्वरूप देश में आर्थिक और तकनीकी वृद्धि हुई है।

विशेष कम्पोनेन्ट/योजना के अधीन राज्यों के लिए नियत राशि

4489. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष कम्पोनेन्ट योजना के अधीन विभिन्न राज्यों तथा विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए नियतन हेतु, कितनी राशि जारी की गई है; और

(ख) इन राशियों को खर्च करने सम्बन्धी विशिष्ट मार्गदर्शी निदेश क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं के वास्ते विशेष केन्द्रीय सहायता की स्कीम के अन्तर्गत किये गये आवंटनों का उल्लेख कर रहे हैं।

1980-81 के लिए 100 करोड़ रुपयों के आवंटन में से, 1234·75 लाख रु० की राशि, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए 83·75 लाख रुपयों की राशि भी शामिल है. पहली किस्त के रूप में उन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को रिलीज की गई है, जिन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाएं तैयार की है।

(ख) विशेष केन्द्रीय सहायता, राज्य योजना और अनुसूचित जातियों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के अतिरिक्त है और विशिष्ट स्कीमों के लिए योजनाबद्ध पैटर्न का अनुसरण नही करेगी। ये पूर्ण रूप से विकास के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्यों के प्रयत्न होंगे। जनजातीय उप योजनाओं के लिए विशिष्ट केन्द्रीय सहायता के समान राज्य की विशिष्ट संघटक योजनाओं को प्रभावकारी ढंग से सुधारने के लिए इसे एक साधन के रूप में माना गया है और इसका कई गुणा प्रभाव पड़ेगा। विशेष केन्द्रीय सहायता से अनुसुचित जातियों के विकास, विशेष रूप से मार्मिक क्षेत्रों, जैसे पशुपालन, कृषि, ग्राम तथा कुटीर उद्योग आदि के लिए तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों की अपेक्षित नीति की व्यवस्था होगी।

रक्षा मंत्रालय के औद्योगिक एकक

4490. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय के आधीन औद्योगिक एककों के नामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में एककवार और वर्षवार इन एककों के प्रचार पर किये गये खर्च का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक एककों के नाम विवरण 'क' में दिये गये हैं।

(ख) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान इन एककों द्वारा प्रचार पर किए गये व्यय का विवरण 'ख' में दिया गया है। वर्ष 1979-80 के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जा जायेगी।

विवरण 'क'

(क) सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के नाम ।

1. हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि०, बंगलौर
2. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलोर
3. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर
4. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
5. प्रागा टूल्स लिमिटेड, हैदराबाद
6. मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद
7. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एन्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता
8. माझगांव डांक लिमिटेड, बम्बई
9. गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, गोआ ।

(ख) विभागीय फैक्टरियां

1. आयुध फैक्टरी बोर्ड के अन्तर्गत आयुध कारखाने ।
2. हैवी वेहीकल्स फैक्टरी ।

विवरण 'ख'

प्रचार पर व्यय

	एकक का नाम	1977-78	1978-79
*		लाख रु० में*	
1.	आयुध कारखाना बोर्ड	4.65	0.93
2.	हैवी वेहीकल्स फैक्टरी	शून्य	शून्य
3.	हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड	1·81	0·63
4.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	9·56	10·00
5.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	18·39	17·49
6.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	0·25	0·17

*यह व्यय आयुध कारखानों द्वारा भारत और विदेशों में आयोजित विभिन्न सेमिनार और प्रदर्शनियों में भाग लेने के बारे में है और इसमें किराये के प्रभार, जमीन का किराया, विवरणिकाओं के प्रकाशन, विशिष्ट व्यक्तियों और विदेशी उच्चाधिकारियों को दिए गये मुफ्त उपहारों पर होने वाला व्यय भी सामिल है ।

7.	प्रागा टूल्स लिमिटेड	1·76	2·14
8.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	0·11	0·47
9.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड	3·19	0·17
10.	मझ गाँव डॉक लिमिटेड	7·81	2.31
11.	गोग्रा शिपयार्ड लिमिटेड	0.47	0.59

कम ग्राबादी वाले नगरों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन

4491. **श्री ग्रर्जुन सेठी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम आबादी वाले नगरों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रौद्योगिकीकरण के प्रयोजन के लिए जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन देने का मापदंड क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) से (ग) औद्योगिक लाइसेंस देने की स्थान सम्बन्धी वर्तमान नीति के अनुसार किसी भी नए एकक के किसी ऐसे बड़े महानगर की मानक शहरी सीमा के ग्रन्दर जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक हो तथा किसी भी नगर की नगरपालिका जिसकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के ग्रनुसार 5 लाख से ग्रधिक हो, के ग्रन्दर स्थापित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जिसमें प्रस्ताव के गुणावगुणों के ग्राधार पर कुछ किस्म के विस्तार तथा विविधीकरण की अनुमति को छोड़कर इस प्रकार के क्षेत्रों में विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों का विस्तार करने की भी अनुमति नहीं दी जाती है। इस प्रकार के प्रस्तावों के सम्बन्ध में किसी भी ढील देने की सिफारिश करने से पूर्व ऐसे कारक जैसे, औद्योगिक उपक्रमों से रुग्णता दूर करना, अथवा वास्तविक कठिनाइयां दूर करने पर भी विचार किया जाता है। ऐसा औद्योगिक उपक्रमों के पहले से ही विकसित स्थान में उनके जमाव को रोकने तथा कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां फैलाने की दृष्टि से किया गया है।

2. कम जनसंख्या वाले नगरों में उद्योगों की स्थापना करने के लिये कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। फिर भी, भारत सरकार पिछड़े जिलों का तेजी से औद्योगीकरण करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन देती है :—

1. निवेश राजसहायता की केन्द्रीय योजना।

2. अखिल भारतीय अवधिक ऋणदात्री वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्त देने की सुविधाएं प्रदान करना।

3. करों में रियायतें देना।

4. लघु उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योगों से किराया-खरीद के आधार पर मशीनें लेना।

5. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श देना।

6. ब्याज राजसहायता देना।

7. कच्चे माल का आयात करने के लिए विशेष सुविधाएं देना।

8. ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम चलाना।

9. ग्रामीण शिल्पकार कार्यक्रम चलाना।

10. जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करना।

दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के मामले

4492. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान दिल्ली में विभिन्न पुलिस थानों पर दर्ज कराए गए महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मामलों में पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ कमी हुई है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने ऐसी घटनायें रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) गत वर्ष और चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों के तुलनात्मक आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं के साथ छेड़खानी और उत्पीड़न के मामलों में काफी कमी हुई है जैसा कि नीचे के आंकड़ों से मालूम होता है :

	1-1-1980 से 30-6-1980 तक	1-1-1979 से 30-6-1979 तक
महिलाओं के साथ छेड़खानी	324	811
उत्पीड़न	28	68

(ग) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. जिन रूटों पर महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनायें बार-बार सूचित की गई हैं, उन रूटों पर, विशेष रूप से प्रातः और सायंकाल के समय बसों में बिना वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती।

2. ड्यूटी पर तैनात, बसों में यात्रा करने वाले कांस्टेबलों की सहायता के लिए कुछ बस स्टापों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती।

3. महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के मामले में बसों को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये निर्देश।

4. महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों का पता लगाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और जनता से सूचना एकत्र करना।

5. भीड़-भाड़ वाली बसों में 'डिकोय' के रूप में महिला पुलिस की तैनाती।

6. महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों का एलबम तैयार करना।

7. इस समस्या का और उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में स्थित महिला कालेजों में और उनके आस-पास विधि और व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य मामलों का समय-समय पर पुनरीक्षण करने के लिए अलग से पुलिस और छात्राओं की संयुक्त समन्वय समितियां बनाई गई हैं। दिल्ली परिवहन निगम को भी इन समितियों से सम्बन्ध करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों की सूची

4493. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों सम्बन्धी सूची में कितनी जातियों को शामिल किया गया है ;

(ख) क्या सरकार उनकी सूची सभा पटल पर रखेगी;

(ग) क्या सरकार को किसी स्रोत से ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि किसी समुदाय को सूची से अलग रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) अनुसूचित जन-जतियों का विशिष्टिकरण राज्य/संघ शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में किया जाता है। अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित समुदायों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र

1.	आंध्र प्रदेश	59
2.	असम	16
3.	बिहार	23
4.	गुजरात	30
5.	हरियाणा	37
6.	हिमाचल प्रदेश	56
7.	कर्नाटक	101
8.	केरल	63
9.	मध्य प्रदेश	47
10.	महाराष्ट्र	59
11.	मणिपुर	7
12.	मेघालय	16
13.	उड़ीसा	93
14.	पंजाब	37
15.	राजस्थान	59
16.	तमिलनाडु	76
17.	त्रिपुरा	32
18	उत्तर प्रदेश	66
19.	पश्चिम बंगाल	59
20.	दिल्ली	36
21.	चंडीगढ़	36
22.	मिजोरम	16
23.	अरुणाचल प्रदेश	16
24.	जम्मू और कश्मीर	13
25.	दादरा और नगर हवेली	4
26.	पांडिचेरी	15
27.	गोवा, दमन और दीव	5
28.	सिक्किम	4

अनुसूचित जातियों की सूची समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रपति के विभिन्न आदेशों में नीहित हैं और भारत के राजपत्र में अधिसूचित की जाती है।

(ग) और (घ) इस मन्त्रालय में कुछ समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए विभिन्न राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं और उन पर अन्य मुद्दों के साथ तभी विचार किया जाएगा। जब भारत सरकार का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची के विस्तृत संशोधन का विचार होगा।

घोषित जन-जातीय जिले

4494. **श्री गुफरान आजम : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1979 तक घोषित किये गये जनजातीय जिलों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन जिलों को क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं ;

(ग) क्या सरकार का इस वर्ग के अन्तर्गत कुछ और जिलों को घोषित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) कोई ऐसे जनजातीय जिले नहीं हैं। तथापि देश में जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत आने वाले 114 जिले हैं।

(ख) जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की सभी योजनाओं के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) यह निर्णय किया गया है कि कम से कम 10,000 कुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों जिनमें से 50 प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजाति के हों की पहचान करके जनजातिय आबादी वाले और अधिक क्षेत्रों की छठी योजना अवधि में शामिल किया जाएगा, 1 अप्रैल, 1980 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में 189 क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया गया है जिसमें 26 लाख अतिरिक्त जनसंख्या आती है।

देश में कुल सीमेंट कारखाने

4495. **श्री गुफरान आजम : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सीमेंट के कितने कारखाने हैं और गत दो वर्षों के दौरान उन्होंने कुल कितना उत्पादन किया ;

(ख) वर्तमान योजना के दौरान सीमेंट के कितने नये कारखाने आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) क्या नये संयंत्रों के चालू होने के बाद सीमेंट की मांग और बढ़ती कीमतों की समस्याओं के हल हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) भारत में सीमेंट के 57 कारखाने हैं। वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान सीमेंट का कुल उत्पादन क्रमश: 194.20 लाख मी० टन तथा 176.20 लाख मी० टन हुआ था।

(ख) वर्ष 1980-81 से 1984-85 की अवधि में 28 नए सीमेंट संयंत्र तथा 10 विस्तार सम्बन्धी प्रस्तावों के चालू हो जाने की आशा है।

(ग) सीमेंट के मूल्य कानून द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं जहां तक सीमेंट के मिलने का संबंध है, नई क्षमता बन जाने से स्थिति आसान हो जाने की सम्भावना है।

मध्य प्रदेश में माचिस अथवा टीक-बोर्ड के कारखाने की स्थापना

4496. **श्री गुफरान आजम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बेतूल में एक माचिस अथवा टीक-बोर्ड के कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में दियासलाई बनाने के कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु तकनीकी विकास के महानिदेशालय में चाय की पेटी वाली प्लाइवुड के अलावा 18 लाख वर्ग मीटर प्रतिवर्ष साल की परतों और ब्लैक बोर्डो दरवाजों व फ्लश सहित सभी प्रकार की 7.50 लाख वर्ग मीटर प्लाइवुड का उत्पादन करने के लिये एक एकक का पंजीकरण किया गया है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में बनी वस्तुएं

4497. **श्री गुफरान आजम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा स्विचगीयर, कन्ट्रोल मीटर ट्रांसफार्मर, टरबाइन और वहां उत्पादित अन्य प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) गत तीन वर्षों में वहां कितने मूल्य का उत्पादन हुआ है ;

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड देश की समूची मांग को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर रही है ; और

(घ) वर्ष 1979-80 में प्राप्त निर्यात क्रयादेशों का मूल्य कितना है और किन देशों को निर्यात किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों में बी० एच० ई० एल० के भोपाल एकक में निम्नलिखित उत्पादन हुआ था :—

1977-78	116.79 करोड़ रु०
1978-79	120.90 करोड़ रु०
1979-80	126.46 करोड़ रु० (अनंतिम)

(ग) देश की वर्तमान मांग को समय पर पूरा करने के लिये कुल मिला कर बी० एच० ई० एल० विद्युत जनित्रण और पारेषण उपकरणों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर रहा है।

(घ) 1979-80 में बी० एच० ई० एल० से लीबिया, सऊदी अरब, न्यूजीलेंड, थाईलेंड, मलयेशिया, पड़ौसी एसियन देशों और अन्य मध्य पूर्व/अफ्रीकी देशों को लगभग 85 करोड़ रु० मूल्य के उपकरणों का निर्यात किया।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में भोपाल एकक के उत्पादन का मूल्य निम्नलिखित है :—

(करोड़ रु० में)

	1977-78	1978-79	1979-80*
टर्बो सेट	25·46	14·81	12·95
हाइड्रो सेट	25·85	21·76	13·17
स्विचगियर	4·62	5·39	5·09
कन्ट्रोल गियर	2·32	2·76	2·26
कैपेसिटर	3·19	2·32	3·58
कन्ट्रोल पेनल	0·99	0·99	1·77
रेक्टिफायर	4·69	3·39	4·57
पावर ट्रांसफार्मर	14·75	31·15	27.85
ट्रैकशन मशीनें	15·82	21·83	28.87
औद्योगिक मशीनें	6·41	5·82	7·29
बड़ी वैद्युत मशीनें	3·63	4·32	4·94
फालतू पुर्जे व अन्य	9·06	6·36	14·12
योग	116·79	120·90	126·46

*अनंतिम

आदिवासी क्षेत्रों का विकास

4498. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आदिवासी विकास क्षेत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है ; और

(ख) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों का आधुनिक पद्धति पर विकास करने के लि‍ क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) देश में, जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों की संख्या की राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) पांचवीं योजना में जनजातीय विकास के लिए अपनाई गई नई नीति के अन्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्रों का निर्धारण 16 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में किया गया है। इन क्षेत्रों को और आगे 178 एकीकृत्त जनजातीय विकास परियोजनाओं में विभाजित किया गया है। राज्यों से कहा गया है कि वह पहले प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास योजना क्षेत्र की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें और योजना नीति के अनुसार राज्यों के लिए जनजातीय उपयोजना नीचे तैयार करें।

विवरण

जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत राज्यवार जिलों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य	जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत जिलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	7
2.	असम	8
3.	बिहार	4
4.	गुजरात	8
5.	हिमाचल प्रदेश	3
6.	कर्नाटक	4
7.	केरल	7
8.	मध्य प्रदेश	21
9.	महाराष्ट्र	10
10.	मणिपुर	5
11.	उड़ीसा	9
12.	राजस्थान	5

13.	तमिलनाडु	5
14.	त्रिपुरा	3
15.	उत्तर प्रदेश	1
16.	पश्चिम बंगाल	12
17.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1
18.	गोवा, दमन और दीव	1

दिल्ली में वाहनों की चोरी

4499. **श्री जी. वाई. कृष्णन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में वाहनों, स्कूटरों, कारों तथा साइकिलों की चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए ;

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के पुलिस, प्रमुख श्री पी० एस० बाबा की कार भी उनके निवास से चुरा ली गई और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) चालू वर्ष के प्रथम 6 महीनों और गत वर्ष के प्रथम 6 महीनों के तुलनात्मक आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में साईकिल चोरी में मामूली सी वृद्धि के अतिरिक्त वाहन चोरियों में कमी आयी है, जैसा कि नीचे देखा जा सकता है :

श्रेणी	1-1-79 से 30-6-79	1-1-80 से 30-6-80
स्कूटर	649	599
कार	761	566
मोटर साईकल	152	140
बस	7	5
अन्य वाहन	93	56
कुल मोटर वाहन	1662	1366
साईकिल	2630	2694

(ग) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1. कार पार्कों में, राजमार्गों पर, कार्यशालाओं, पुराने वाहन व्यापारियों और कबाड़ी बाजार में अचानक छापे मारकर, वाहन चोरी के मामलों की जांच पड़ताल करने, चुराये गये वाहनों को बरामद करने के लिए, जिलों में कार्य कर रहे मोटर वाहन चोरी की रोकथाम वाले दस्तों के अतिरिक्त अपराध शाखा में एक मोटर वाहन चोरी की रोकथाम करने वाला दस्ता बनाया गया है।

2. अपराध रिकार्ड कार्यालय से ज्ञात ओटो उठाई गिरों की सूची प्राप्त करके उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है।

3. मौके के स्थानों पर जैसे, सिनेमा घरों, पर, बैंकों में और अन्य व्यस्त बाजारों में बिना वर्दी में पुलिस तैनात की जाती है :

4. गश्त लगाने वाले स्टाफ को चुराई गई वस्तुओं की सूची दी जाती है ताकि चुराई गई वस्तुओं पर निगरानी रखी जा सके।

5. भारत में सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को बेतार-संदेश भेजे जाते हैं और पुलिस नियंत्रण कक्षों को सावधान किया जाता है।

(घ) जी हां, श्रीमान ;

कार, 19/20 जून 1980 के बीच की रात्रि के दौरान उनके निवास पर खड़ी थी। एक मामला दर्ज किया गया है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

वैगन उद्योग

4500. **श्री डी० पी अंबेजा : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वैगन बनाने वाले संयंत्रों के नाम क्या हैं और उनकी कितनी-कितनी वार्षिक उत्पादन क्षमता है ;

(ख) क्या वैगनों का निर्यात किया जा रहा है, यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी ने 1978-79 और 1979-80 के वर्षों के दौरान कितनी-कितनी वैगनों का निर्यात किया ;

(ग) क्या यह सच है कि वैगनों की कमी के कारण भारत को स्वयं ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) क्या सरकार का वैगनों के निर्यात को रोकने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां। जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं। चूंकि आन्तरिक मांग का निर्धारण बजट आवंटन के अनुसार किया जाता है इसलिए वैगनों के निर्यात को बढ़ावा दिया गया है जिससे अधिष्ठापित क्षमता जो कि आन्तरिक तथा निर्यात दोनों ही मांगों को पूरा कर सकती है, का उपयोग किया जा सके।

विवरण

क्रम सं०	वैगन बनाने वाले संयत्रों के नाम	वार्षिक लाइसेंस प्राप्त क्षमता (4 पहिये वाले)	निर्यात किए गए वैगनों की संख्या 1978-79	1979-80
1.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं० लिमिटेड, मुजफ्फरपुर	1000	—	—
2.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं० लिमिटेड, मोकामा	1500	—	—
3.	बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर	3911	—	—
4.	बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लि०, हावड़ा	4750	14	154
5.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता	3000	—	30
6.	जेसप एण्ड कं० लि०, कलकत्ता	3279	—	111
7.	सिम्मको, भरतपुर	2000	—	68
8.	हिन्दुस्तान जनरल इण्डस्ट्रीज, नांगलोई दिल्ली।	1000	—	—
9.	माडर्न इण्डस्ट्रीज, साहिबाबाद	2000	—	—
10.	टेक्समाको, कलकत्ता	3600	98	243
	योग	26040	112	606

स्पेस ऐपलीकेशन सेंटर के माध्यम से दूर संचार और चिकित्सा संबंधी सुविधायें

4501. डा० बसन्त कुमार पन्डित : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेस ऐपलीकेशन सेंटर दिल्ली अर्थ स्टेशन ने एक नई विकसित प्रणाली के माध्यम से दूर संचार और चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं की योजना तैयार की है;

(ख) यह प्रणाली ऐसी सेवाओं को देश के दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिये तैयार की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपग्रह के लिये कितने और किन स्थानों पर प्रमुख ग्राउण्ड टर्मिनल बनाये जाने की योजना है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्राचीन जनजातियां

4502. **डा० वसन्त कुमार पन्डित** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन आदिवासी वर्गों की सलाहकार समिति ने अंडमान तथा निकोबार की छः प्राचीन जनजातियों की उपेक्षा की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है ;

(ख) क्या सच है कि सरकार अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए एक आदिवासी कल्याण निदेशक नियुक्त करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके कार्यकलाप का क्षेत्र क्या होगा और उसके नियंत्रण में कितनी वित्तीय तथा सामग्री सहायता देने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी नहीं श्रीमान; । अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्राचीन आदिवासियों की कोई उपेक्षा नहीं की जाती है । सलाहकार समिति ने आदिवासियों के उत्थान के लिए एक संकल्प पारित किया है ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

"साइनो न्यू० एस० स्कटल इन नार्थ ईस्ट" शीर्षक से विवरणात्मक लेख

4503. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अप्रैल, 1980 के बम्बई "ब्लिट्ज" में "साइनो न्यू० एस० स्कटल इन नार्थ ईस्ट" शीर्षक से प्रकाशित विवरणात्मक लेख की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) ; (क) और (ख) सरकार ने रिपोर्ट देखी है। सरकार को देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संवेदनशील तथा जटिल स्थिति की भली प्रकार जानकारी है और उस पर पूरी तरह नजर रख रही है।

नमक के आयात पर लगे रोक को हटाया जाना

4504. **श्री रामलाल राही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाहौरी नमक के आयात पर लगे रोक को हटाये जाने से विदेश में नमक के उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में नमक के मूल्य में वृद्धि हो रही है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में नमक की सप्लाई करने हेतु पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ियां उपलब्ध नहीं की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में विस्तृत तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) देश में नमक के कुल उत्पादन की तुलना में लाहौरी नमक का आयात बिलकुल नगण्य है अतः नमक के उत्पादन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(ख) और (ग) नमक के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है नमक की कमी के कारण समय-समय पर नमक के मूल्यों में कुछ उतार चढ़ाव देखे गये हैं। ऐसे मामलों में रेलवे के परामर्श से और उसके सहयोग से विशेष अभ्युपाय किए गए हैं।

घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने की योजना

4505. **श्री रामलाल राही** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घड़ियों के उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) और (ख) देश में घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार पहले ही अनेक योजनाओं के लिये स्वीकृति दे चुकी है। मैसर्स एच० एम० टी० लिमिटेड को जो सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है तुमकुर कर्नाटक में 20 लाख घड़ियों के हिस्से पुर्जे बनाने की वार्षिक क्षमता सहित एक नये एकक की स्थापना करके उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। इस एकक द्वारा निर्मित हिस्से पुर्जे जोड़कर राज्य सरकारों द्वारा मैसर्स एच० एम० टी० की सहायता से स्थापित किये गये 14 असेम्बली एककों के

माध्यम से की जाएगी । इसके अलावा घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से मैसर्स एच० एम० टी० के बंगलौर तथा श्री नगर स्थित विद्यमान कारखानों का विस्तार किया जा रहा है ।

2. इसके अलावा सरकार द्वारा देश में घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कुल मिलाकर 69 लाख कलाई घड़ियों की क्षमता के लिये 15 अन्य योजनाओं (मैसर्स आंध्रप्रदेश इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन सहित) के लिए भी 30 जून 1980 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। विकास आयुक्त तथा उद्योग ने भी मूल रूप से पुर्जे जोड़कर घड़ियां तैयार करने के लिए लघु क्षेत्र में लगभग 88 एककों के स्वीकृति दे दी है ।

3. औद्योगिक विकास विभाग में घड़ी उद्योग पर स्थापित किए गए एक कृतिक बल ने विभिन्न स्वीकृति प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर विचार करने के उपरान्त यह अनुमान लगाया था कि लगभग 56 लाख घड़ियां बनाने की क्षमता उत्पन्न हो जाने की सम्भावना है जो मांग से बहुत कम है । इसे ध्यान में रखते हुए तथा पुर्जे जोड़कर घड़ियां बनाने वाले लघु एककों की जो इस समय अधिकतर आयातित पुर्जों पर निर्भर करते हैं घड़ियों के पुर्जे देश में उपलब्ध साधनों से ही सप्लाई करने की व्यवस्था का विकास करने की आवश्यकता को देखते हुये कृतिक बल ने मुख्य रूप से घड़ियों के पुर्जों का निवार्ण करने हेतु कुछ बड़े एककों को जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक क्षमता 12 लाख होगी स्थापना करने की सिफारिश की है । ये बड़े एकक पोषक एकक के रूप में कार्य करेंगे जो लघु तथा मध्यम एककों को अपने ब्रान्ड नाम से पुर्जे जोड़कर तथा विपणन करने के लिए घड़ियों के उत्पदान के कम से कम दो तिहाई पुर्जों की सप्लाई कर सकेंगे । सरकार कृतिक बल की सिफारिशों पर विचार करते हुए यांत्रिक घड़ियां बनाने के लिये एक नयी नीति बना रही है ।

मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्टरी की स्थापना

4506. **श्री जैनुल बशर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत कई वर्षों से अनुभव की जा रही सीमेंट की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र में सीमेंट की फैक्टरी की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जहां सीमेंट के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चा माल उपलब्ध है, सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वहां सीमेंट फैक्टरी की स्थापना का कोई विचार है और यदि हां, तो वहां कब तक फैक्टरी स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) भारतीय सीमेंट निगम और राज्य औद्योगिक निगम सरकारी क्षेत्र में सीमेंट की अतिरिक्त क्षमता स्थापित कर रहे हैं ।

(ख) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण व राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग आदि द्वारा की गई जांच के अनुसार मिर्जापुर जिले में अनुमानित श्रेणी के अन्तर्गत लगभग 1850 लाख मी० टन सीमेंट ग्रेड के चूने के पत्थर का कुल भंडार उपलब्ध है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक सीमेंट कारखाना स्थापित कर रहा है। यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही हैं तथा दोनों चरणों के वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के लिये पुलिसमैनों की संख्या

4507. **श्री जैनुल बशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक 1000 की जनसंख्या के पीछे कितने पुलिसमैन हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार की नीति के अनुसार, प्रत्येक 1000 की जनसंख्या के पीछे कितने पुलिस-मैन होने चाहिएं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में राज्यों को कोई सलाह दी है ; और

(घ) क्या राज्यों की वित्तीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता देने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सलग्न है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सातवें वित्त आयोग ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में वर्ष 1979-84 की अवधि में पुलिस प्रशासन के स्तर को उन्नत करने के लिए 168.73 करोड़ रुपया राजस्व व्यय की सिफारिश की है। राजस्व व्यय में वृद्धि करने के ये उपबन्ध इन राज्यों को पुलिस प्रशासन के मामले में पिछड़े हुए हैं को सक्षम करने के साथ-साथ सिविल पुलिस की संख्या में वृद्धि करने में समर्थ करेंगे।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुमानित मध्य वर्गीय जनसंख्या हजार में	पुलिस की कुल संख्या (सिविल सशस्त्र)	प्रत्येक 1000 जनसंख्या के पीछे पुलिस कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	48493	38399	0·8
2.	असम	17859	27232	1·5
3.	बिहार	63778	57074	0 9
4.	गुजरात	30630	44701	1.5
5.	हरियाणा	11510	16153	1·4
6.	हिमाचल प्रदेश	3942	7612	1·9
7.	जम्मू और काश्मीर	5456	10857	2·0
8.	कर्नाटक	33228	33111	1 0
9.	केरल	24341	20297	0·8
10.	मध्य प्रदेश	49083	58013	1·2
11.	महाराष्ट्र	57057	85218	1·5
12.	मणिपुर	1311	6332	4·8
13.	मेघालय	1200	4164	3·5
14.	नागालैंड	637	8182	12·8
15.	उड़ीसा	25150	26047	1·0
16.	पंजाब	15067	27263	1·8
17.	राजस्थान	30531	40986	1·3
18.	सिक्किम	239	1039	4·3
19.	तमिलनाडु	45098	43823	1·0
20.	त्रिपुरा	1890	5177	2·7
21.	उत्तर प्रदेश	99009	106510	1·1
22.	पश्चिम बंगाल	51739	68473	1.3
	जोड	617248	736663	1·2

1.	2.	3.	4.	5.
संघ शासित क्षेत्र				
23.	अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	160	1056	6·6
24.	अरुणाचल प्रदेश	571	1025	1·8
25.	चंडीगढ़	405	1537	3.8
26.	दादरा और नगर हवेली	83	141	1·7
27.	दिल्ली	5321	21360	4·0
28.	गोवा, दमन और दीव	1043	2096	2·0
59.	लक्षद्वीप	34	257	7·6
30.	मिजोरम	405	1944	4·8
31.	पांडिचेरी	548	1317	2·4
	जोड़	8570	30733	3·6
	कुल जोड़	625818	767396	1.2

छठी पंचवर्षीय योजना में जिलों के विकास के बारे में पटेल आयोग की सिफारिशों को योजनाओं में शामिल करना

4508. **श्री जैनुल बशर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के विकास के बारे में पटेल आयोग की सिफारिशें पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय उक्त जिलों के विकास के लिए पटेल आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा जा रहा है ; और

(घ) यदि हां; तो क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष अध्ययन दल बनाया गया है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों, अर्थात् गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर के लिए पटेल समिति की अधिकतर सिफारिशें 1964-65 और 1965-66 की अवधि में केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष सहायता से कार्यान्वित की गई थीं। बाद में राज्य सरकार अपने ही संसाधनों से विभिन्न कार्य-

क्रमों को कार्यान्वित करती रही है। पिछले कुछ वर्षों में, इन जिलों को (1) लघु कृषक विकास अभिकरण, (2) एकीकृत ग्रामीण विकास, (3) नियंत्रण क्षेत्र, और (4) खण्ड स्तर आयोजना से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों से भी लाभ पहुंचा है।

(ग) पटेल समिति रिपोर्ट अब पुरानी हो गई है, परन्तु इस समिति द्वारा यथापरिकल्पित एकीकृत विकास की संकल्पना को छठी योजना को तैयार करने में आवश्यक प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छठी योजना में अब शामिल किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान देना है।

(घ) राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए एक कार्यकारी दल बनाया है। संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सिफारिशें करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति भी बनाई गई है।

योजना आयोग में काम कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

4509. **श्री रामविलास पासवान :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग और उससे सम्बद्ध कार्यालयों में लिपिक वर्गीय और तकनीकी पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों की ग्रेडवार संख्या कितनी है ;

(ख) योजना आयोग और उससे सम्बद्ध कार्यालयों में लिपिक वर्गीय तथा तकनीकी पदों पर काम कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ;

(ग) क्या योजना आयोग में सभी स्तरों पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित आरक्षण सिद्धान्तों के अनुसार पर्याप्त है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों जो लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1097/80)

(ग) और (घ) कुछ मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कोटा से कम होती है और ऐसे उम्मीदवारों को प्राप्त करने के लिए किए

गए भरसक प्रयत्नों के बावजूद, उनके लिए आरक्षित कुछ पद खाली रहे हैं। रोस्टर में आरक्षित पद निर्धारित कार्यविधि के अनुसार अग्रेनीत किये जा रहे हैं।

(ङ) भारत सरकार ने एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अनुशिक्षण की सुविधाएं देने के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र तथा अनुशिक्षण और संदर्शन केन्द्र स्थापित किए हैं जिससे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजतियों के उम्मीदवार सरकारी सेवाओं में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकें।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आयोग का कार्यकरण

4510. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग के प्रभावकारी कार्यकरण के प्रति रुचि दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों में इसका नियमित कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग ने अपने क्षेत्र कार्यालयों के द्वारा देश के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अपना नियमित कार्य शुरू कर दिया है ;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में एक क्षेत्र कार्यालय खोला है। आन्ध्र प्रदेश संवर्ग के एक अधिकारी को इस कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निदेशक के रूप में पहले ही नियुक्त कर दिया गया है और उन्होंने 23 जून, 1980 को कार्यभार सम्भाल लिया है।

संकटग्रस्त कागज एककों को नियंत्रण में लेना

4511. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कु-प्रबंध के कारण कागज के कितने औद्योगिक एककों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया है ;

(ख) ऐसे संकटग्रस्त कागज/कु-प्रबन्ध वाले प्रत्येक औद्योगिक एकक को कितनी हानि हुई ;

(ग) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित एककों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ताकि वे ठीक ढंग से कार्य कर सकें ; और

(घ) ऐसे संकटग्रस्त/कुप्रबन्ध वाले एककों की संख्या कितनी है जिन्हें सही ढंग पर लाकर उनके मूल मालिकों को सौंप दिया गया है अथवा क्या सरकार का विचार उनमें से कुछ का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कागज का उत्पादन करने वाले किसी औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं लिया हे।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दानापुर छावनी में पीने के पानी की कमी और सफाई का कुप्रबन्ध

4512. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापुर छावनी बोर्ड के अधीन क्षेत्र को पीने के पानी की कमी, सफाई के कुप्रबन्ध और सड़कों की मरम्मत सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका मुख्य कारण धनराशि की कमी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ; और

(घ) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान वर्षवार सरकार द्वारा छावनी बोर्ड को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) दानापुर छावनी को समय-समय पर पर्याप्त निधि का आवंटन किया गया है, विशेषकर जल-पूर्ति, सफाई और सड़क मरम्मत, उपस्कर खरीदने के लिए। वित्तीय सहायता के लिए बोर्ड के प्रस्तावों पर विचार किया गया है और उपलब्ध धन के अनुसार धन के आवंटन की व्यवस्था की गई है। सरकार ने वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में सामान्य और विशेष सहायता अनुदान के रूप में कुल 26, 94, 275 रुपए की धन राशि मंजूर की थी। ब्यौरा इस प्रकार है ;—

	1977-78	1978-79	1979-80
सामान्य	3,40,575	3,86,900	8,08,000
विशेष	2,03,200	2,24,500	7,31,100
जोड़	5,43,775	6,11,400	15,39,100

कुल जोड़ = 26,94,275 रुपए

इस प्रकार से यह देखा जा सकता है कि बजट संबंधी पर्याप्त व्यवस्था की गई है और धन की कमी नहीं है। यह सूचित किया गया है कि दानापुर छावनी में कुल मिलाकर जल-पूर्ति की स्थिति संतोषजनक है। सफाई कार्य में भी सुधार हुआ है तथा इसके स्तर को और बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक सफाई वाहन खरीदने के लिए 1976-77 में 1,20,000 रुपए और दो ट्रैक्टर तथा ट्रेलर खरीदने के लिए 1978-79 में 1,00,000 रुपए का विशेष अनुदान दिया गया था। बोर्ड ने सड़कों तथा नालियों की मरम्मत करने के लिए भी एक व्यापक योजना तैयार की है और निर्माण कार्य का निष्पादन करने के लिए एम० ई० एस० के पास पैसा जमा करा दिया है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं पर हिंसा

4513. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः माह के दौरान दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं पर हिंसा के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को महिलाओं से कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) 1-1-80 से 30-6-80 तक के पिछले छः महीनों में दिल्ली पुलिस को पांच ऐसे मामलों की रिपोर्ट की गई है। ये सभी मामले महिलाओं के साथ छेड़खानी से सम्बन्धित हैं। प्रचार मामलो में अपराधियों को सिद्ध दोष किया गया है और एक मामला न्यायालय में विचारणाधीन है।

(ग) ऐसा कोई ज्ञापन पिछले छः महीनों में प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर-पूर्व राज्यों द्वारा कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिये मांगी गई सहायता

4514. **श्री चित्तामणि जेना :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों ने कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से असाधारण सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से सहयोग की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) विधि और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए उत्तर-पूर्व के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अतिरिक्त बलों की मांगें प्राप्त हुई हैं । उपलब्ध होने की स्थिति में अर्द्धसैनिक बलों को उपलब्ध करके आवश्यक सहायता दी जाती है और जब आवश्यक हो तो सैनिक सहायता भी दी जाती है ।

शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये परमाणु विस्फोट

4515. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री. जी. बाई. कृणष्न : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भवष्यि में शाँतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु विस्फोट करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार ने शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये परमाणुतकनीक की प्रगति के लिये मित्र देशों को अपना सहयोग दिया है; ओर

(ग) यदि हां,तो वे देश कौन से हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तदापि, यदि ऐसे परीक्षण की आवश्यकता अनुभव की गई तो हम उसे करेंगे ।

(ख) तथा (ग) भारत ने परमाणु ऊर्जा के शाँतिमय उपयोगों के क्षेत्र में निम्नलिखित देशों के साथ सहयोग-करार किए हुए हैं :—

अफगानिस्तान, अलजीरिया, अर्जेनटीना, वेल्जियम, चेकोस्लवाकिया, फ्राँस, जर्मन, संघीय गणराज्य, हंगरी, ईरान, ईराक, इटली, लीबिया, पौलेंड, रूमानिया सोरिया, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ तथा युगोस्लाविया ।

अब तक इन करारों के आधार पर न्यूक्लीय प्रौद्योगिकी का लेन देन नहीं हुआ है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का क्रियान्वयन

4516. **श्री मूलचन्द डागा : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में 'न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम' कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई योजना बनाई गई है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की कार्यनीति और मानकों को परिशोधित किया जा रहा है और 1980-85 की पंचवर्षीय योजना के साथ उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा । योजना को अंतिम रूप देने के साथ ही समयावधि भी मालूम होगी ।

गोआ, दमण और दीव में छोटे और कुटीर उद्योग का विकास करने के लिये सर्वेक्षण

4517. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमण और दीव में रोजगार उपलब्ध कराने और औद्योगिक क्षमता का उपयोग करने के विचार से वहाँ पर छोटे और कुटीर उद्योगों का विकास करने हेतु नए स्थानों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी, हाँ । लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा 1962 से संघ शासित क्षेत्र गोआ, दमण और दीव में पांच तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किए गए हैं ।

(ख) विवरण के अनुसार ब्यौरा संलग्न है

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1098/80)

लघु उद्योगों द्वारा कागज का उत्पादन

4518. **श्री के० अर्जुन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में कागज की भारी कमी को पूरा करने के लिये लघु उद्योगों के स्तर पर कागज का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने और कागज का कमी को पूरा करने के लिये इस प्रकार की कोई योजना आरम्भ करने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (डा०चरणजीत चानना) : (क) और (ख) हाथ बने कागज का उत्पादन लघु सीमाओं के अन्दर ही किया जा रहा है । किन्तु लघु क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकी आर्थिक जीव्यता प्रमाणित नहीं हो पाई, तथा लघु क्षेत्र में लागू होने वाली निवेश सीमा के अन्दर मशीन से कागज बनाने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है ।

इलेक्ट्रॉनिक घड़ी उद्योग का विकास

4519. **श्री अरविंद नेताम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार शीघ्र ही इलेक्ट्रॉनिक घड़ी उद्योग का विकास करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह उद्योग किस समय तक काम करना और उत्पादन करना आरम्भ कर देगा ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1980 में अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों से सम्बन्धित औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी नीति विवरण-क में दर्शायी गई है।

(ग) आशा की जाती है कि वर्ष 1981-82 के दौरान स्वदेशी-स्तर पर संयोजित इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बाजार में उपलब्ध हो सकेंगी।

विवरण-(क)

इलेक्ट्रॉनिक घड़ी उद्योग के लिए औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय नीति

1. सरकार ने निर्णय किया है कि स्वदेशी बाजार के लिए इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का उत्पादन पहले से ही एक प्रामाणिक उद्योग के रूप में विकसित किया जाए। इसका आशय यह है कि प्रारम्भिक अवस्थाओं में भी, जब इस प्रकार की घड़ी के लिए चार मूलभूत इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों अर्थात् बड़े पैमाने के एकीकृत सेमीकंडक्टर परिपथ, प्रदर्शयुक्ति, विशेष क्वार्ट्ज घड़ी क्रिस्टल तथा विशेषबैटरी के आयात की आवश्यकता होगी, तब भी इन संघटक-पुर्जों को न केवल सतत् आधार पर अपितु पृथक्-पृथक् तत्वों के रूप में प्राप्त किया जाएगा और इन्हें परस्पर संयोजित करके मूलभूत इलेक्ट्रॉनिक घड़ी माड्यल का रूप दिया जाएगा। यही दृष्टिकोण उन मामलों में भी अपनाया जाएगा, जिनमें माड्यल संलग्न हों और तैयार घड़ी में यांत्रिकीय कलपुर्जे अन्तर्ग्रस्त हों।

2. अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों (डी. ई. डब्ल्यू.) के सम्पूर्ण संयोजन के लिए हिन्दुस्तान मशीन्स टूल्स, समुचित संख्या में राज्य इलेक्ट्रॉनिकों/औद्योगिक विकास निगमों/उनके अंतर्गत बनाई गई सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को जिन्होंने आवेदन किया हो तथा समुचित संख्या में आवश्यक क्षमता से सुसज्जित लघु-उद्योग क्षेत्र की नई यूनिटों को जिन्होंने आवेदन किया हो, औद्योगिक अनुमोदन जारी किया जाएगा। ये उन कुछ यूनिटों (बड़े तथा छोटे दोनों क्षेत्र में) के अलावा होंगी, जो इस समय वस्तुतः अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों (डी. ई. डब्ल्यू.) के संयोजन में लगी हुई हैं। अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों (डी. ई. डब्ल्यू.) के लिए यांत्रिकीय आवरणों 'केसों' तथा छोटे-छोटे कल पुर्जों के विनिर्माण का कार्य सिर्फ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी जो यांत्रिक घड़ियों तथा घड़ियों के आवरण के विनिर्माण में लगे है, के लिए अनुमोदित की जाएगी।

3. इलेक्ट्रॉनिक घड़ी एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है जिसका स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि राष्ट्र-व्यापी आधार पर इसके कुशल विपणन तथा मुख्यतः बिक्री के बाद दी जाने वाली तकनीकी-सेवा का उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक महत्व है। इस कार्य के लिए पर्याप्त तकनीकी, प्रबंधकीय, संगठनात्मक तथा वित्तीय क्षमता होना आवश्यक है।

अतः अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों (डी. ई. डब्ल्यू.) के विपणन तथा उनके लिए बिक्री के बाद प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए वर्तमान अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियों (डी. ई. डब्ल्यू) का संयोजना करने वाली इकाईयों के अलावा सिर्फ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित राज्य इलेक्ट्रॉनिकी/औद्योगिक विकास निगमों की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां करेंगी। अनुमोदित की जाने वाली लघु उद्योग क्षेत्र की नई यूनिटों द्वारा संयोजित की जाने वाली अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का विपणन तथा बिक्री के बाद प्रदान की जाने वाली सेवा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अथवा किसी राज्य स्तरीय निगम द्वारा किया जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित सहयोग पर आधारित होगा।

4. इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के संयोजन के काम में आने वाले चार आवश्यक तथा मूलभूत इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों में से किसी का भी उत्पादन देश में नहीं किया जाता। विशेष प्रकार की बैटरी को छोड़कर इन सभी संघटक-पुर्जों की आवश्यकता कुछ रद्दो बदल के साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए भी होती है। स्वदेशी बाजार के लिए इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का उत्पादन आरम्भ करने के सम्बन्ध में सरकार ने समग्र रूप से जो निर्णय लिया है उसके पीछे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह रहा है कि एक प्रामाणिक उद्योग के रूप में इलेक्ट्रोनिक घड़ियों की स्थापना से इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों की मांग काफी बढ़ जाएगी। किन्तु, यदि व्यवहार में हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जे उद्योग के लिए मांग में यह वृद्धि वास्तविक रूप से हासिल करनी है तो घड़ी के संघटक-पुर्जों का अधिकतम मानकीकरण सर्वथा अनिवार्य है। केवल तभी इन संघटक-पुर्जों में से प्रत्येक संघटक पुर्जे की बाजार में इतनी मांग बढ़ जाएगी और तकनीकी विशिष्टियों/किस्मों के संदर्भ में इनमें इतनी एकरूपता आ जाएगी जिससे उनका स्वदेश में उत्पादन तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो सकेगा। इस प्रकार से मानकीकरण का सुनिश्चय प्रथमतः अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के लिए सम्पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक माड्यलों के आयात द्वारा किया जाएगा और तत्पश्चात् उस माड्यल में लगने वाले इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जे बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ (एल. एस. आई.), प्रदर्श (डिस्प्ले) क्रिस्टल आदि जैसे संघटक-पुर्जों-के आयात की व्यवस्था सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह लिमिटेड के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। संघटक-पुर्जे सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह द्वारा अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के सभी संयोजकों को, जिनमें इस तारीख तक अंकीय इलेक्ट्रॉनिक का वास्तविक रूप से संयोजन

करने वाली यूनिटें शामिल हैं, सीधे आवंटित की जाएगी। इस प्रकार किया जाने वाला सीधा आवंटन पंजीकृत तथा "वास्तविक प्रयोगकर्ता" की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा। जो लाइसेंस शुदा/अनुमोदित क्षमताओं के लिए निर्धारित अधिकतम आवश्यकता से अधिक नहीं होगा तथा वर्ष 1980-81 तथा उसके बाद की घड़ियों आयात-शुल्क-सूची में विनिर्दिष्ट आयात तथा उससे संबंद्ध शुल्कों को एक-समान दर के अधीन होगी। किन्तु जहां तक अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के अनुमोदित संयोजकों का सम्बन्ध है, उन्हें अपने ऐसे आर. ई. पी. लाइसेंसों के माध्यम से माड्यलों, संघटक-पुर्जों का सीधे आयात करने की अनुमति दी जाएगी जिसे उन्होंने अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का आयात करके हासिल किया है। सम्पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक माड्यलों के प्रारम्भिक आयात के पश्चात् सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के सभी निर्माताओं को सम्पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक माड्यल के संयोजन तथा उनकी आपूर्ति में सहायता करेगा और बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों का क्रमिक रूप से स्वदेशीकरण स्वयं सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह करेगा तथा प्रदर्श (डिस्प्ले) और क्रिस्टल का क्रमिक रूप से स्वदेशीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियां करेंगी।

5. जो यूनिटें आज अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के वास्तविक संयोजन कार्य में संलग्न हैं वे अपने द्वारा संयोजित घड़ियों को बाजार में प्रस्तुत करना जारी रखेंगी। वर्ष 1980-81 में सेमीकण्डक्टर उद्योग-समूह अपने थोक एवं सुव्यवस्थित आयात के माध्यम से इस समय संयोजन कार्य में संलग्न यूनिटों के लिए ऐसे सम्पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक माड्यल उपलब्ध कराएगा जो इन घड़ियों के लिए आवश्यक है अथवा जो यूनिटें माड्यलों को देश ही में संयोजित करने के कार्य में पहले से ही संलग्न है, उनके मामले में पृथक्-पृथक् संघटक-पुर्जे मुहैय्या कराए जाएंगे। इन यूनिटों को वर्ष 1980-81 में किए गए अपने उत्पादन के लिए जिन यांत्रिकीय आवरणों (केसों) की आवश्यकता होगी, उन्हें सीधे आयात करने की इजाजत दी जाएगी। किन्तु वर्ष 1981-82 से इन यूनिटों को अपने इलेक्ट्रॉनिक माड्यलों/बड़े पैमाने के एकीकृति परिपथों की आश्यकताओं की पूर्ति अधिकाधिक मात्रा में सेमीकण्डक्टर उद्योग-समूह द्वारा देशी स्रोतों से की जाएगी। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियों द्वारा बनाए जाने वाले प्रदेशों तथा क्रिस्टलों का संबंध है, उनके मामले में भी यही पद्धति अपनाई जाएगी। फिर भी यदि किसी अपशिष्ट आयात की आवश्यकता हुई तो सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह सरणोबद्ध आधार पर आपूर्ति करना जारी रखेगा। जहां तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य संबंद्ध कम्पनियों के लिए आवश्यक आवरण (केस) तथा यांत्रिकीय कल-पुर्जों की पूर्ति का सम्बन्ध है उनके भी सरकार इसी प्रकार का योजनाबद्ध कार्यक्रम अपना कर इनकी पूर्ति स्वदेशी स्रोतों से करेगी।

6. सभी संयोजकों को (जिसमें ऐसे संयोजन कार्य में संलग्न यूनिटें शामिल हैं) आरम्भतः सरणोबद्ध एवं थोक आयात के जरिए और क्रमशः स्थानीय उत्पादन के जरिए एक

ही स्थान पर सेमीकण्डक्टर उद्योग-समूह लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक घड़ी माड्यलों की पूर्ति की जाएगी और इस प्रक्रिया का उपयोग अन्ततः सरकार तैयार अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के लिए मूल्य निर्धारण नीति कार्यान्वित करने के लिए करेगी। इससे इस बात का इत्मीनान हो सकेगा कि यांत्रिकीय घड़ी उद्योग अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के प्रादूर्भाव से-प्रभावित नहीं होगा। सरकारी नीति के आधार पर सम्पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक माड्यूल के लिए नियत मूल्य तथा सेमीकण्डक्टर उद्योग-समूह लिमिटेड द्वारा सामान्य वाणिज्यिक उत्पादन पर आधारित वास्तविक मूल्य के बीच जो अन्तर होगा उसे भारत को समेकित निधि में जमा करा दिया जाएगा।

7. जहां तक एनालॉग घड़ियों अर्थात् उन घड़ियों का सम्बन्ध है जिनमें परम्परागत डायलें तो लगी होती हैं किन्तु जिनमें घड़ियों के सामान्य संचलन के स्थान पर एक बड़े पैमाने की एकीकृत युक्ति (एल. एस. आई. डिवाइस) तथा एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है, ऐसे मामलों में औद्योगिक लाइसेंस देना इस बात पर निर्भर करेगा कि यांत्रिकीय घड़ियों पर कौन सी सामान्य नीति लागू है किन्तु अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों की भांति हो तथा उन्हीं कारणों से बड़े पैमाने की एकीकृत युक्ति (एल. एस. आई. डिवाइस), क्वार्ट्ज क्रिस्टल तथा स्टेपर मीटर की आपूर्ति सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह लिमिटेड द्वारा सीधे उन सभी पार्टियों को भी की जाएगी जिन्हें ऐसी घड़ियां बनाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मध्यम दर्जे की पांच सिंचाई परियोजनाओं का अनुमोदन

4520. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 19

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने मध्यम दर्जे की पांच (सिंचाई) परियोजनाओं का हाल ही में अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश का कोई भी जनजातीय क्षेत्र इनमें से किसी भी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित हुआ है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, योजना आयोग ने 30 मई, 1980 से हाल ही में 7 मझौली सिंचाई परियोजनाएं (मध्य प्रदेश की पांच, उड़ीसा की एक और राजस्थान की एक) मंजूर की हैं जिनका ब्योरा आगे दिया गया है :

	स्कीम का नाम	लाभान्वित होने वाला जिला	अनुमानित लागत (लाख रु०)	कृषि योग्य नियंत्रण क्षेत्र (हैक्टेयर)	प्रस्तावित वार्षिक सिंचाई (हैक्टेयर)
1.	बाह् (मध्य प्रदेश)	विदिशा	1398,00	9893	11048
2	सागर (मध्य प्रदेश)	विदिशा	1063,11	9478	9713
3.	दोराहा तालाब (मध्य प्रदेश)	सिहोर	248,77	3654	2833
4	बालीसांट (मध्य प्रदेश)	भोपाल और रायसेन	932,90	8097	11093
5.	तिल्लर सिंचाई (मध्य प्रदेश)	शाजापुर	577,31	8265	6000
6.	बंकवल सिंचाई (उड़ीसा)	मयूरभंज	571,975	7200	75(0
7.	छापी सिंचाई (राजस्थान)	झालावाड़	590,60	9449	6437

(ग) मध्य प्रदेश में उपर्युक्त पांच मझौली सिंचाई परियोजनाओं में से किसी से भी जनजातीय क्षेत्र को लाभ नहीं पहुंचता है।

(घ) मझौली सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए जब राज्य सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होती है और योजना आयोग की मंजूरी के लिए उन पर कार्रवाई होती है, तब जनजातीय उपक्षेत्रों में मझौली सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है। यह उल्लेखनीय है कि योजना आयोग ने मार्च, 1980 में मध्य प्रदेश की तीन मझौली स्कमों को मंजूरी दी है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	परियोजना का नाम	लाभान्वित होने वाला जिला	अनुमानित लागत (लाख रु०)	कृषि योग्य नियंत्रण क्षेत्र (हैक्टेयर)	प्रस्तावित वार्षिक सिंचाई (हैक्टेयर)
1.	बुंदाला तालाब	बैतूल	218,13	3289	3159
2.	चंदौरा तालाब	बैतूल	292,82	3802	2773
3.	बांकी तालाब	सरगुजा	312,68	4762	3441

उपग्रह—'एप्पल'

4521. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम भारतीय संचार उपग्रह, जिसका कोड नाम 'एप्पल' है, यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेंसी द्वारा छोड़ा जाना था ;

(ख) क्या एरियाने राकेट में खराबी के कारण योजनाबद्ध परीक्षण उड़ान अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो उपग्रह कब तक छोड़ा जायेगा ; और

(घ) क्या प्रस्तावित प्रयोग पर भारतीय वैज्ञानिकों का किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एरियन पैसेंजर नीतभार परीक्षण (एप्पल) नामक प्रथम भारतीय प्रायोगिक संचार उपग्रह को यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी (यू. अ. ए.) के एरियन प्रमोचक की तृतीय विकासात्मक उड़ान से छोड़ा जाएगा ।

(ख) और (ग) एरियन प्रमोचक में समस्याओं के कारण कुछ विलम्ब हुआ है । उपग्रह के अब 1980 के अन्त तक अथवा 1981 के प्रारम्भ में छोड़े जाने की सम्भावना है ।

(घ) जी, हां । अन्तरिक्षयान पर, इसके प्रचालन पर तथा इसके उपयोग द्वारा किए जाने वाले सभी परीक्षणों पर भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन का पूर्ण नियन्त्रण होगा ।

सीमेंट उद्योगों में कम उत्पादन

4522. **श्री पीयूषी तिरकी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 1980 में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में सीमेंट इन्डस्ट्री वरीड ओवर लो आउट पुट ट्रेंड (सीमेंट उद्योग कम उत्पादन की प्रवृत्ति पर चिन्तित) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) सीमेंट उद्योग को पर्याप्त बिजली व कोयला उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

दिल्ली में हत्याएं

4523. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, और 31 मई, 1980 के बीच दिल्ली में कितनी हत्याएं हुई ;

(ख) इन हत्याओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनमें से कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया, मुकदमा चलाया गया और सजा दी गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) तक : एक फरवरी, 1980 से 31 मई, 1980 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस को हत्या के 67 मामलों की रिपोर्ट की गई उनमें से दो मामलों को रद्द किया गया, 49 में जाँच पड़ताल लम्बित है, 14 विचारणाधीन हैं और दो लापता हैं। 45 मामलों में 119 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 32 व्यक्तियों का चालान किया गया है।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोग

4524. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **योजना मन्त्री** राज्यवार ऐसे लोगों की प्रतिशतता जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, के बारे में 12 मार्च, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 285 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) वर्ष 1979-80 या 1978-79 या 1977-78 में राज्यवार क्या स्थिति थी ; और

(ग) अद्यतन आंकड़े प्रस्तुत न करने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा संकलित पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबंधित आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। अद्यतन उपलब्ध सूचना 1972-73 से सम्बधित है। पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित आंकड़े 5 वर्ष के अन्तराल से संकलित किए जाते हैं और जिस अद्यतन वर्ष के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा सर्वेक्षण किया गया है वह 1677-78 है। इन आंकड़ों को अभी प्रक्रमित किया जा रहा है। 1978-79 या 1979-80 के वर्षों में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों में हुए अपराध

4525. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 फरवरी से 23 मई 1980 के बीच राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, पंजाब,

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में हत्या, डकैती, लूट-मार, बलात्कार हरिजनों और आदिवासियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर हमला, अपहरण, पुलिस हिरासत में मारने-पीटने और मौत आदि के प्रत्येक प्रकार के अपराधों की संख्या क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

"17 प्रो०पाक मैन हेल्ड चायनीज आर्म्स सीज्ड" शीर्षक समाचार

4526. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 जून, 1980 के 'पैट्रियट' नई दिल्ली अंक में "17, प्रो-पाक मैन हेल्ड, चायनीज आर्म्स, सीज्ड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रो-पाक विद्रोहियों को ढूढ़ निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो गहन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ल्हासा (तिब्बत) से वापस आये मालूम होते हैं और पूर्वी क्षेत्र में उपद्रव उत्पन्न करने में सक्रिय हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार देखा है । मणिपुर पुलिस/संरक्षा बलों ने मैतई उग्रवादियों के छिपने के अनेक संदिग्ध स्थानों पर छापा मारा और उनमें से 38 को गिरफ्तार किया । 16 जून से 12 जुलाई, 1980 तक की अवधि के दौरान एक चीनी पिस्तौल सहित 7 हथियार और कुछ गोला बारूद पकड़ा गया । इसके अतिरिक्त असम में असम पुलिस द्वारा 2 और उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया शेष उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयत्न किये जाते रहेंगे ।

सदस्यों की गिरफ्तारी और दोष सिद्धि

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ घोषणाएं करनी हैं । कृपया बैठ जाइये । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुए हैं :

(एक) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, बागपत का 14 जुलाई, 1980 का बेतार-संदेश :

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देना मैंने अपना कर्तव्य समझा है कि

लोक सभा के सदस्य श्री जगपाल सिंह को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उपबंधों का उल्लंघन करने और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाए। श्री जगपाल सिंह, संसद सदस्य को तद्नुसार 14-7-80 को बागपत में मध्याह्न 13-15 बजे गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें मेरठ में जूडिशियल मजिस्ट्रेट बागपत के समक्ष पेश किया गया।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 229 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे घोषणायें करने दीजिए। कृपया बैठ जाइये।

(दो) जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेरठ का 15 जुलाई 1980 का बेतार संदेश :—

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्ग दण्डनीय अपराध के आरोप में श्री जगपाल सिंह, सदस्य लोकसभा को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मेरे समक्ष पेश किया गया। 14-7-80 को उसी दिन विचारण के पश्चात् मैंने उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दोषी पाया और उन्हें 7 दिन के साधारण कारावास का दंड दिया।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) · नियम 229 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको गिरफ्तारी की सूचना तुरन्त आनी चाहिए थी और जहां पर सदस्य को रखा गया है उस स्थान की सूचना भी होनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : जब मै घोषणा कर रहा हूं तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं। मुझे घोषणाएं करने दीजिए।

(तीन) अधीक्षक, जिला जेल, मेरठ का दिनांक 14 जुलाई 1980 का बेतार संदेश :—

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि श्री जगपाल सिंह, संसद-सदस्य को 174 अन्य व्यक्तियों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (थाना बागपत) के अन्तर्गत दोषी ठहराये जाने और 7 दिन के साधारण कारावास का दंड दिये जाने पर 14-7-80 को 23-50 बजे रात्रि में इस जेल में लाया गया।

(चार) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, बागपत (मेरठ) का दिनांक 15 जुलाई, 1980 का तार :—

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देना मैने अपना कर्तव्य समझा है कि लोक सभा के सदस्य, श्री मंगल राम प्रेमी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के

उपबन्धों का उल्लंघन करने और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया जाये। श्री मंगल राम प्रेमी संसद सदस्य को तद्नुसार 15-7-1980 को बागपत में मध्याह्न पश्चात् 12-15 बजे गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बागपत, मेरठ के समक्ष पेश किया गया।"

(पांच) जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेरठ का दिनांक 15 जुलाई, 1980 का बेतार संदेश :—

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में श्री मंगल राम प्रेमी, सदस्य लोकसभा को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मेरे समक्ष पेश किया गया। 15-7-1980 को उसी दिन विचारण के पश्चात् मैने उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अपराध करने का दोषी पाया और उन्हें 7 दिन की अवधि के लिए साधारण कारावास का दंड दिया।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब भी घोषणाएं कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने पहले ही जो कुछ पढ़कर सुनाया है, वह सदन के समक्ष है। नियम 229 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाये तो, उसकी सूचना तथा उसे कहां रखा गया है अथवा बन्दी रखा गया है, "इसकी सूचना तत्काल दी जाएगी। यह बात भी तत्काल बताई जानी चाहिए, न कि दण्ड देने के पश्चात। इन दोनों बातों की सूचना अवश्य देनी चाहिए। यदि आप हमारे हितों की रक्षा नहीं करते और उन्हें आश्रय देते हैं तो यह उचित नहीं है...... (व्यवधान)।

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में

अध्यक्ष महोदय : सर्व श्री के० लकप्पा, एडुआर्डो फलेरो, तथा जगदीश टाइटलर ने अन्तर्राज्यीय कोयले की तस्करी के समाचार के सम्बन्ध में, सदन में 9 जुलाई, 1980 को ध्यानाकर्षण की चर्चा के दौरान श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा ऊर्जा तथा कोयला मन्त्री श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी तथा इनके कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के झूटे आरोप लगाए जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। श्री बसु के उत्तर की प्रतीक्षा है।

सर्वश्री ज्योतिर्मय बसु, मनीराम बागड़ी तथा राम विलास पासवान ने भी ऊर्जा तथा कोयला मन्त्री श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी द्वारा अन्तर्राज्यीय कोयले की तस्करी के समाचार

के सम्बन्ध में 9 जुलाई, 1980 को सदन में ध्यानाकर्षण की चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में टिप्पणी किए जाने पर उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। मुझे मन्त्री महोदय का उत्तर प्राप्त हो गया है तथा मैं इसकी जांच कर रहा हूं।

सभी पक्ष के सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि किसी सदस्य द्वारा अन्य वर्तमान सदस्य अथवा मन्त्री के विरुद्ध अथवा किसी सदस्य अथवा मन्त्री द्वारा किसी राज्य सरकार अथवा राजनैतिक दल के विरुद्ध अतिशयोक्तिपूर्ण आरोप हमारे संतुलित तथा रचनात्मक वाद-विवाद के लिए उचित नहीं है। मैं सभी पक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे मामलों में वे संयम से काम लें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम इस मामले पर विरोधी दल समूहों के नेताओं की बैठक में बातचीत कर रहे हैं तथा मुझे आशा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम आवश्यक दिशा निर्देश तैयार कर सकेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमड हार्बर) : मुझे आपकी अनुमति चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु ने एक प्रस्ताव की सूचना दी है कि ऊर्जा तथा कोयला मन्त्री श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी को मंत्रिमण्डल से निकाल दिया जाए। ये गंभीर आरोप हैं और मैं इस मामले की जांच कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने नियम 184 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव की भी सूचना दी है कि कुछ पार्टियों को सीधे कोयला जारी करने के लाइसेंस दिए जाने के औचित्य तथा ऊर्जा तथा कोयला मंत्री के निजी कर्मचारियों द्वारा कोयला परमिट जारी करने हेतु धन प्राप्त करने सम्बन्धी आरोपों की जांच करने के लिए एक संसदीय सीमित की नियुक्त की जाए। मैं इस मामले की भी जांच कर रहा हूं।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सम्बन्धित सदस्यों को पहले ही सूचित कर दिया है। मैं कारण नहीं बताऊंगा। श्री पासवान जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको अनुमति नहीं दी गई है। (व्यवधान) मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही में कुछ भी शामिल न किया जाय।

श्री राम विलास पासवान* **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे आपकी अनुमति चाहिए। इस घटना के घटित होने के अगले दिन ही मैंने आपको 10 जुलाई को श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी आदि के विरुद्ध ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना आदि दी थी आपने कृपा करके यह घोषणा की थी कि हमारे प्रस्तावों

*कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

आदि को माननीय प्रधानमंत्री के पास भेज दिया गया है। क्योंकि इस बात को लगभग 7 दिन हो गए हैं ······(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच कर रहा हूं (व्यवधान) मैंने पहले ही कुछ बातें बता दी हैं। मैं इसकी जांच कर रहा हूं। संसद की कार्यवाही में कुछ भी शामिल न किया जाए। (व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे। श्री भाटिया। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गई है। मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही में कुछ भी शामिल न किया जाए। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको मालूम है कि इस मंत्रालय की अनुदान की मांगे कल पुनः आ रही हैं, तथा हम इस पर चर्चा करेंगे। इस तरह से सदन का समय खराब मत कीजिए।

श्री शास्त्री, यह कोई तरीका नहीं है आप सदन के एक अनुभवी सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए। कृपया, व्यवस्था बनाए रखिए। अब बैठ जाइए। (व्यवधान)*।

श्री निरेन घोष (दमदम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान) श्री घोष, आपको काफी संयम रखना चाहिए। इतना गुस्सा करने से बुरा हो जाता है। क्यों गुस्सा कर रहे हैं। (व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : उस समय आपने अवसर का लाभ नहीं उठाया। मैं क्या कर सकता हूं ? हां, श्री घोष ?

श्री निरेन घोष : नियम 222 के अन्तर्गत मैंने एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी थी। उस समय आपने मुझसे कहा था कि मैं किसी अन्य नियम के अधीन नोटिस दूं। वह प्रक्रिया भी अपनाई जा चुकी है। इस समय मामले की क्या स्थिति है ? आपको यह स्थिति सदन को बतानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने सूचना दी है, तो इसे भेज दिया गया होगा।

---

*कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) संशोधन नियम, 1980 तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1980

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम, 1966 की धारा 6 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बल (अधिकारों का निर्बन्धन) संशोधन नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 679 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1074/80)

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 544 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1075/80)

इलैक्ट्रानिक्स विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगें, 1980-81

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1980-81 के लिए इलैक्ट्रानिक्स विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1076/80)

(2) वर्ष 1980-81 के लिए अंतरिक्ष विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रथान्लय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1077/80)

उद्योग मन्त्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें, 1980-81

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं वर्ष 1980-81 के लिए उद्योग मन्त्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1078/80)

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सा० सां० नि० 398 (ङ) जो दिनांक 8 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने सम्बन्धी पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ;

(2) सा० सां० नि० 404 (ङ) और 405 (ङ) जो दिनांक 11 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा फिल्मों को, जब उनका आयात केवल निर्बन्धित पुरालेख अध्ययन या अभिलेख या निर्देश के प्रयोजन के लिये किया जाये, उन पर उदग्रहणीय समस्त मूल, अतिरिक्त और उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1079/80)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगें, 1980-81

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : मैं वर्ष 1980-81 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1080/80)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दूर संचार सेवाओं में गम्भीर गड़बड़ी और व्यवधान

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : मैं संचार मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय महत्व के निम्न विषयों की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"दूर संचार सेवाओं विशेष रूप से स्थानीय और ट्रंक टेलीफोन सेवाओं में गम्भीर गड़बड़ी और व्यवधान से लोगों को हो रही भारी असुविधा के समाचार।"

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री क्यार्तीक उरांव) : अभी हाल की वर्षा से दिल्ली तथा देश के कुछ अन्य इलाकों में भूमिगत केबुल कार्यजाल में निश्चित रूप से खराबी उत्पन्न हुई है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि दूर संचार सेवाओं में कोई गंभीर खराबी उत्पन्न हुई है। सदन को ज्ञात है कि भूमिगत केबुल यद्यपि शीशा आच्छादित तार स्टील टेप्स तथा ईट की परतों द्वारा सुरक्षित होते हैं फिर भी अन्य नागरिक प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिये सड़कों की खुदाई करते समय खराबियां उत्पन्न होती है। इससे केवल बचाव परत पर ही प्रभाव पड़ता है तथा शुष्क दिनों में खराबी का पता नही चलता। इस प्रकार की खराबियां एकत्र होती रहती हैं और ज्योंही मानसून की पहली वर्षा होती है, पानी दरार के रास्ते अन्दर पहुंचता है और तारों के विद्युत उपकरणों पर प्रभाव डालता है। इसके परिणामस्वरूप अकस्मात भारी संख्या में खराबियां सामने आ जाती हैं। टेलीफोन विभाग इसकी कदाचित ही उम्मीद करता है तथा सचमुच इसके लिए दो माह पूर्व ही अपने को तैयार रखता है। मानसून से पहले बैठकें होती है तथा सामग्री एवं आदमी दोनों साधन जुटाए जाते हैं तथा टेलीफोन ज़िलों को इस भारी अनुरक्षण समस्या से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। इस सम्बन्ध में पहले से ही निश्चित निदेश तथा कार्य प्रणाली है कि गम्भीर खराबियों के लिए मानसून आने से पूर्व ही तैयारी कर ली जाए। खराबी के समय इसे दूर करने के लिए विभाग चौबीसों घंटे कार्य करता है। अधिकारी एवं कर्मचारी मूसलाधार वर्षा के कठिन समय में निरन्तर सेवारत रहते है। दुर्भाग्य से वर्तमान परिस्थितियों में खराबियाँ रोकी नहीं जा सकती तथा जटिलता तथा केबुलों में खराबियों की मात्रा अधिक होने के कारण उसकी मरम्मत करना कठिन हो जाता है तथा अधिक समय लगता है। जनता को असुविधा तो होती है परन्तु विभाग हर प्रकार से प्रयत्नशील रहता है कि व्यवधान कम हों।

पहले भी इस प्रकार की खराबियां उत्पन्न हुई थीं परन्तु नागरिक क्रियाकलाप कम हुए थे तथा खराबियां भी कम हुई। परन्तु अब सभी सार्वजनिक सेवाएं नवीन विकास के लिए चालू हैं तथा सड़कों की खुदाई का कार्य बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप टेलीफोन केबुलों में अत्यधिक दोष उत्पन्न होते हैं।

वास्तविक समस्या यह है कि जब खराबी उत्पन्न होती है उस समय वह दूर नहीं की जाती तथा इसका परिणाम यह होता है कि खराबियां एकत्र होती रहती हैं, और ज्यों ही मानसून आता है अकस्मात उभर आती हैं. इस समस्या का विस्तार से अध्ययन किया गया है तथा इस विषय पर हुए सेमिनार में भी चर्चा की गई। इस कठिनाई को कम करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि सभी प्रमुख केबुलों का दाबीकरण किया जाए। केबुलों में शुष्क हवा भरी जाती है और दबाव बनाए रखा जाता है इस प्रक्रिया से निम्नलिखित लाभ हैं :—

1. ज्योंही खराबी उत्पन्न होती हैं एक्सचेंज पर मानीटर करने वाले दबाव द्वारा दूर करते हैं।

2. खराबी वाले स्थान को सरलीकृत्त किया जाता है केबुल में गैस भरी जाती है तथा विशेष लीक परीक्षण के जरिए लीकेज रोका जाता है।

3 मामूली खराबियों से बाधा नहीं उत्पन्न होती क्योंकि केबुल के अन्दर अधिक दबाव होने के कारण अंदर पानी प्रवेश नहीं कर पाता।

जब यह प्रक्रिया प्रारम्भ होती है खराबियां दूर की जाती है तथा वर्ष भर ठीक रहती हैं और इससे मानसून के प्रांरम्भ में जल्दबाजी से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। सभी टेलीफोन जिलों में जिनमें 10,000 से अधिक टेलीफोन कनेक्शन है, दाबीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग 6600 कि० मी० केबुलों का पहले ही दाबीकरण कर दिया गया है और 6900 कि० मी० केबुलों का दाबीकरण किया जाना है। यह व्यवहार्य रूप से सिद्ध हुआ है कि किसी विशेष दर से आगे इस कार्य को बढ़ाने से आयातित उपस्करों की आवश्यकता होगी। जो कुछ भी हो, इस कार्यक्रम से उन इलाकों में जैसे बंबई तथा कलकत्ता में जहां यह कार्य हुआ है बड़ी प्रगति हुई है और इन स्थानों पर 1979 वर्ष की तुलना में 1980 में दोष की दरें आधी हुई हैं।

छोटी साइज के वितरण केबुलों का दाबीकरण संभव नहीं है। इसके लिए भी तकनीकी हल ढूंढ़े गए हैं। विभाग ने यह निश्चय किया है कि विवरण के लिए पेट्रोलियम जेलीभरे केबुलों का इस्तेमाल किया जाए। पेटोलियम भरे जेली से संरक्षित परत में खराबी हो जाने पर पानी प्रवेश नहीं कर पाता।

स्वयं खराबियां उत्पन्न न हों इसके लिए विभाग ने प्रमुख केबुलों को डक्ट में बिछाने का निर्णय लिया है। इससे लागत में वृद्धिहोगी परन्तु आशा है कि कुल मिलाकर इससे लाभ होगा।

इन उपायों से लाभकारी प्रभाव कुछ ही वर्षों में अनुभव किये जाने लगेंगे।

मानसून के आरम्भ होने पर दिल्ली में करीब 173,700 सीधी एक्सचेंज लाइनों में से करीब 15,500 टेलीफोन खराब हो गये थे। 11 जुलाई, 1980 की स्थिति के अनुसार उनमें से

5677 टेलीफोन खराब थे। तब से 4052 नई खराबियां और हो गई हैं जिससे कुल मिलाकर 19602 लाइन खराब है।

जून के अन्त में स्थानीय केबुलों के अरिरिक्त ट्रंक केबुलों पर भी प्रभाव पड़ा था। इससे अंबाला तथा कुछ अन्य स्थानों के लिए कुछ दिनों तक ट्रंक सेवाओं पर प्रभाव पड़ा परन्तु इन सभी को ठीक कर दिया गया है।

कलकत्ता टेलीफोन की कुछ विशेष समस्याएं हैं। महानगरीय ट्यूब रेलवे परियोजना, तथा कलकत्ता नगर विकास प्राधिकरण परियोजना के क्रिया-कलापों द्वारा तो अत्यधिक खराबियां उत्पन्न हुई ही हैं साथ-साथ भारी मात्रा में केबुलों की चोरी तथा बिजली फेल होना भी प्रमुख कारण हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से सहयोग करके मामले को सुलझाया जा रहा है। कलकत्ता के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित किया गया है। कलकत्ता के महत्वपूर्ण एक्सचेंजों के बीच अंकीय सूक्ष्म तरंग प्रणाली के आदेश दिए गए हैं।

अन्ततः मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मानसून की खराबियों की समस्याओं के बारे में गहराई से विचार किया गया है तथा विभिन्न निमित तथा हल निकाले गए हैं। सभी बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है ताकि भविष्य में खराबियां उत्पन्न न हों या ज्यों ही खराबी उत्पन्न हों उसका संकेत दें ताकि मानसून प्रारंभ होने से पूर्व शीघ्रता से सुधार का कार्य प्रारंभ किया जा सके। हमें आशा है कि वर्ष-दर-वर्ष खराबियों की संख्या में पर्याप्त कमी होगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में, विशेष रूप से दिल्ली में टेलीफोन प्रयोक्ताओं को दोषपूर्ण टेलीफोन व्यवस्था के कारण भारी असुविधा होती है। यदि आप ट्रंक डायलिंग प्रणाली के अन्तर्गत 180 नम्बर पर टेलीफोन करें तो आपको कोई टेलीफोन नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति इस नम्बर पर कार्य करता है वह या तो आई० क्यू० कम होने के कारण या अत्यधिक शोर के कारण सुन नहीं पाता है। वहां बहुत सी लड़कियां आपस में बात-चीत करती रहती हैं। जिससे आपकी बात कोई नहीं सुन सकता। इससे टेलीफोन करने वाले व्यक्ति को परेशानी होती है। यदि आप कोई कॉल बुक करायें, तो आप को इसके बारे में मालूम नहीं होगा कि आपको यह कॉल कब मिलेगा। यदि आप अपने बुक कराये गये कॉल को रद्द करा दें, तो काल के रद्द कराये जाने के बाद भी काल मिल जाता है। मैं नहीं जानता कि कॉल रद्द करने वाले व्यक्ति और कॉल बुक करने वाले व्यक्ति के मध्य कोई समन्वय रहता है या नहीं। या इन दोनों के बीच में इतनी लम्बी दूरी है जिससे कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को सूचित नहीं कर पाते हैं। कॉल रद्द करने के बावजूद बहुत सी बार कॉल मिला दिये गये हैं। काल के पैसे लिये गये हैं।

जहां तक ए० टी० डी० का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि इस प्रणाली को जनता को अपने तात्कालिक समाचार भेजने की सुविधा देने के लिए लागू की गई थी। लेकिन इस सुविधा

का दुरूपयोग किया गया है । इसका कारण यह है कि चांदनी चौक के कुछ व्यक्ति स्थानीय टेलीफोन कर्मचारियों के साथ मिले हुए हैं तथा वे अपने व्यापार के लिये टेलीफोन की लाइन बहुत देर तक रोके रखते हैं । इसलिये ग्राहकों को एस० टी० डी० कॉल आसानी से नहीं मिल पाती है ।

स्थानीय टेलीफोन कॉल के सम्बन्ध में भी जनता को शिकायत है । मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि 13 जुलाई को 15,500 टेलीफोन खराब थे । स्थानीय टेलीफोन प्रणाली में या तो आपका टेलीफोन खराब होता है और यदि आपका टेलीफोन ठीक है और आप किसी अन्य व्यक्ति को टेलीफोन करते हैं तो उसका टेलीफोन खराब मिलता है इस प्रणाली में कहीं न कहीं टेलीफोन खराब रहता है । मेरा अपना टेलीफोन पिछले 15 दिनों से खराब है । मैंने इस सम्बन्ध में टेलीफोन विभाग को भी लिखा है लेकिन अभी तक उनसे कोई जवाब नहीं मिला है तत्पश्चात् मैं स्वयं पांच दिन पहले संसद भवन के सम्पर्क अधिकारी के पास गया और मैंने उन्हें अपने टेलीफोन की खराबी के बारे में बताया तथा उनसे इसको ठीक करने के बारे में भी कहा । इसी प्रकार मुझे अपने मित्र श्री मनफूल सिंह, संसद सदस्य तथा अन्य संसद सदस्यों से भी अनेक समाचार मिले हैं (व्यवधान) । श्रीमान आप जानते हैं कि संसद सदस्य महत्वपूर्ण व्यक्ति होते है । उन्हें बहुत व्यक्तियों से टेलीफोन से आवश्यक समाचार आते हैं । वे अन्य व्यक्तियों को भी टेलीफोन पर आवश्यक समाचार भेजते हैं । हमारे टेलीफोनों की यह स्थिति है । संसद सदस्यों के टेलीफोनों की भी ऐसी ही स्थिति है । यदि इस प्रकार की स्थिति जनसाधारण के टेलीफोनों की हो तो आप उसकी स्थिति का स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा । टेलीफोन एक महत्वपूर्ण यंत्र है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भाटिया जी, क्या आज आपका टेलीफोन ठीक है ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : नहीं, श्रीमान । इसका पता आप मंत्री महोदय से कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा होगा यदि आप उनसे प्रश्न पूछें । (व्यवधान) ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : श्रीमान् जी टेलीफोन तत्काल समाचार भेजने का एक महत्वपूर्ण यंत्र है । जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके लिए डा० की तत्काल आवश्यकता होती है । यदि टेलीफोन ठीक नहीं है तो उस हालत में कभी रोगी की मृत्यु हो सकती है । व्यापारी वर्ग, जिसका लाभ या हानि टेलीफोन पर ही आधारित होती है, इस योजना का लाभ उठा रहा है । मैं यह नहीं जानता कि इसके लिए किसे उत्तरदायी मानें । यदि टेलीफोन की मशीन खराब हो अथवा इसकी देख भाल करने वाला व्यक्ति खराब हो । या उसे उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया हो, तो टेलीफोन योजना में खराबी होने के कारण जनता को होने वाली हानि तथा उनके सामने आने वाली कठिनाईयों के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार होगा ।

क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या वे इसके लिए अधिकारियों को चाहे वे महाप्रबन्धक, परिचालन प्रबन्धक या छोटी श्रेणी के कर्मचारी हों, उत्तरदायी बनाने के लिए

तैयार हैं ? क्या वे उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि यह प्रणाली ठीक प्रकार से काम करे।

श्रीमान, मंत्री महोदय ने अपने इस लम्बे वक्तव्य में इसके लिए वर्षा आदि जैसे अनेकों कारणों को देने का प्रयास किया है। उन्होंने बचाव के लिए ये आधारहीन कारण क्यों दिये हैं ? फिर उन्होंने केबिलों के बदलने के बारे में भी कहा है। यह ठीक हो सकता है। तकनीकी तौर से आप बिल्कुल ठीक हैं लेकिन मनुष्यों द्वारा पैदा की गई समस्याओं के बारे में क्या करेंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए तैयार हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : श्रीमान्, इस मुद्दे पर कोई असहमति नहीं हो सकती है, कि हमारे टेलीफोनों का कार्यकरण उचित स्तर का नहीं है। मैं इस बात को तत्काल मानने को तैयार हूं, और इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि यह बात केवल भारत में ही है। प्रत्येक जगह टेलीफोन प्रणाली में आप को यह दोष मिलेगा क्योंकि इस प्रणाली के दो भाग हैं—यांत्रिक भाग तथा मानव भाग। हमारी विभिन्न प्रकार की यांत्रिक एजेन्सियों से वास्ता रहता है। टेलीफोन एक्सचेंज है, केबल प्रणाली है और केवल प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों में बंटी हुई है। इसलिये यांत्रिक खराबी हो सकती है। उदाहरण स्वरूप, हम एक केन्द्र के एक महीने के 100 कॉल का हिसाब लेते हैं। यह अखिल भारतीय रिकार्ड है—1976-77 : 42; 1977-78 : 43; 1978-79 : 42। बम्बई के बारे में आंकड़े इस प्रकार हैं 1976-77 : 31; 1977-78 : 30; 1978-79 : 26 तथा 1979-80 : 25। कलकत्ता 1976-77 : 29; 1977-78 : 30; तथा 1978-79 : 25। दिल्ली 1976-77 : 41; 1977-78 : 45 तथा 1978-79 : 42। इन आंकड़ों से मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये खराबियां होती ही रहती हैं। यह कोई नयी बात नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि इन खराबियों को कितनी जल्दी ठीक किया जाता है। यहां भी मैं यह दावा नहीं करता हूं कि इस मामले में स्थिति अच्छी रही है। मैं बम्बई में इस बारे में औसत अवधि के बारे में पढ़कर बताऊंगा--1976-77 : 9 घंटे; 1977-78 : 10 घंटे; 1978-79 : 12 घंटे तथा 1979-80 : 14 घंटें। कलकत्ता 1976-77 : 8 घंटे; 1977-78 : 14 घंटे तथा इसमें 1979-80 में कमी हुई। दिल्ली के सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार है : 1976-77 : 2 घंटे; 1977-78 : 3 घंटे; 1978-79 : 4 घंटे तथा 1979-80 : 5 घंटे।

इस प्रकार इनमें घटा बढ़ी होती रहती है। प्रश्न यह है कि इसमें सुधार किया जाय तथा इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है। श्रीमान जी, केबिलों को कंकरीट आदि वस्तुओं से मजबूती से लगाया जाना चाहिए। लेकिन पैसा बचाने के विचार से हम खुदाई कराकर ही केबिल बिछा देते हैं। अन्य एजेंसियां जमीन के अन्दर भी केबिल बिछवाती है, दूसरे टेलीफोन के केबिल जमीन के भीतर तीन फुट की गहराई पर बिछाने चाहिए। यह देखने में आया है कि कुछ स्थानों पर केबिल तीन फुट की गहराई पर नहीं हैं। इसके परिणाम स्वरूप वर्षा के दिनों में केबिलों में खराबी की घटनायें दुगनी हो जाती हैं। श्रीमान जी वर्षा होने से पहले ही हालांकि

कोई व्यक्ति केबिलों के ठीक प्रकार से कार्य करने की गारंटी नहीं दे सकता है लेकिन हमें यह बात देखनी है कि एक बार केबिल में खराबी होने पर उसके ठीक करने में अनुचित देरी न हो। विभाग के उस विंग को सशक्त बनाना होगा तथा इसे सशक्त बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं। मैंने स्वयं उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की है जिनको केबिलों की खराबी को ठीक करने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने यह कार्य नहीं किया।

वर्षा के दिनों में खराबी होने के सम्बन्ध में मैंने पिछला रिकार्ड देखा था और ऐसा प्रतीत होता है कि खराबी का तरीका एक जैसा ही है। यह सब कहां और कैसे हुआ इसकी पूरी जांच करने के लिए मैने कहा है और मुझे इन की रिपोर्ट को प्रतीक्षा है, जिससे यह पता चल सके कि ऐसा क्यों हुआ, और सम्बन्धित व्यक्तियों, चाहे वे कोई भी हों, पर जिम्मेदारी निश्चित की जा सके। ऐसा किया जा रहा है। इस सेवा को सुदृढ करने के लिए उच्च अधिकारियों के एक तदर्थ दल का गठन किया गया है ताकि इसका पता लगाया जाय और स्थिति को ठीक किया जाय और वह पहले ही प्रारंभिक कार्यवाही कर सकें जिससे कि इन सब चीजों से बचा जा सके। अब महोदय, हमें यह भी मानना पड़ेगा कि मशीनी खराबियां भी होती हैं। हमारी टेलिफोन प्रणाली विविध प्रणालियों का तालमेल है। हमारे यही हस्तचालित प्रणाली, स्टॉजर प्रणाली और क्रॉस-बार प्रणाली भी है। हमारे यहां क्रॉस-बार प्रणाली का भारती रूप भी है। हमारे यहां इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली भी है। ये सब प्रणालियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। कॉस-बार प्रणाली भी विभिन्न देशों में अलग-अलग है। मैंने वह जगह भी देखी हैं जहां क्रॉस-बार प्रणाली ऊंचे दर्जे की है। उन एक्सचेंजों में अधिक गड़बड़ नहीं है। पर जहां यह उच्च दर्जे की नहीं है वहां परेशानी हो रही है। जहां तक स्टॉजर प्रणाली का संबंध है, यह प्रणाली पुरानी हो चुकी है और अतिरिक्त पुर्जों की तथा उनके रख-रखाव की समस्या आ रही है। परन्तु आई० टी० आई० में एक्सचेंज उपकरण व अतिरिक्त पुर्जे तैयार करने की क्षमता नहीं है। यह स्थिति है इन सबको कारगर बनाया जा रहा है। और मैंने आई० टी० आई० और अपने विभाग का एक सम्मेलन बुलाया था और उसके रख-रखाव को आधुनिकतम करने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि संतुष्ट सेवा प्रदान करने का हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

जहांतक काल का जबाव न आने का संबन्ध है। मेरे मित्र श्री भाटिया इसकी जांच करेंगे। शुरू में मैंने 180,187 आदि नम्बर मिलाए परन्तु कोई जबाव नहीं मिला। अब इस बात को मानना पड़ेगा कि जहां तक इस चीज का सम्बन्ध है इसमें सुधार हुआ है। **(व्यवधान)** मैं इसकी दोबारा जांच करूंगा। एक अनुरक्षण सूचना सेवा है और एक दल यह जांच कर रहा है कि क्या यह ठीक चल रहा है। यह दल वहां पर है। इस सम्बन्ध में होने वाली सभी त्रुटियां वह ठीक कर रहे हैं। अतः इस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि तीन-अंक वाले नम्बरों की उच्च (सुपर) सेवा, प्रदान की जाएगी जिससे कि आपको सही नम्बर जानने के लिए तथा किस सहायक इंजीनियर को टेलीफोन करना है आदि के लिए परेशान न होना पड़े। इस (सुपर) उच्च सेवा पर तुरन्त टेली-

फोन किया जा सकता है। इस मामले को उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा। इसका भी प्रबंध किया जा रहा है। कुछ ही दिनों में इस प्रबंध की घोषण कर दी जाएगी। ताकि कोई भी व्यक्ति तुरन्त जाकर अपनी शिकायत सामने रख सके। मैंने उनसे कहा है कि ये अधिकारी प्रतिदिन तीन से चार बजे तक अपने कार्यालय में उपलब्ध होने चाहिएं, ताकि जो शिकायत लेकर आए उनकी सहायता की जा सके, और यदि शिकायतें आती हैं तो उन्हें रजिस्टर में दर्ज किया जाए, और उन्हें अपने पास न रख कर इसकी सूचना तुरन्त उच्च अधिकारियों को दी जाए ताकि वे इनकी निगरानी कर सकें। वे शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही कर सकते हैं। अधिकारियों के एक सम्मेलन में मैंने उन्हें यह बात समझा दी है कि यदि कोई किसी के पास शिकायत रखी हुई पाई गई तो उसे दुर्व्यवहार समझ कर उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। यही सब किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा जहां तक मशीनी खराबियों का संबंध है, हम उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। क्रॉस-बार प्रणाली और जैसी-केवल आदि का मामला मजाक नहीं है। इसमें समय लगेगा। इसमें काफी चीजें सम्मिलित हैं जिनमें समय लगता है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इस विषय में भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। हमें यह बात समझ लेना चाहिए। मानसून शुरू होने के समय, हालांकि मैंने उस दिन वास्तविक संचयन 15,000 बताया था परन्तु वास्तविक संचयन लगभग 20,000 पाया गया। मैं दिन में वहाँ गया था। मैंने देखा कि कर्मचारी काफी रात गए तक खाइयों में इन चीजों को ठीक करने के लिए काम कर रहे थे। इसी कारण यह संभव हो पाया कि, 15,000 लाइनों को ठीक करने का कार्य कुछ ही दिनों में सम्पन्न हो गया। जैसा कि मैंने कल कहा कि बाकी के करीब 2,000. बचे थे। फिर बारिश आई। और 2,000 लाइनें खराब हुईं। और आज फिर 5,000 और हो गईं। यह मामले तो आते रहते हैं। हमने केबिल कंकरीट की नलिका में डाले थे। अब दिल्ली प्रशासन भी एक अन्य केबिल डाल रहा है या वह उसे इसके आर पार डालना चाहते थे। तो, कंकरीट की नलिका को तोड़कर उसमें केबिल डाल दिया गया। और उन्होंने उसके आर-पार केबिल डाला। अब, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? वर्षा आने से विभिन्न सेवाओं के केबिलों को क्षति पहुंचती है। उसमें पानी चला जाता है। एक बार उसमें वर्षा का पानी चला जाए तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। चूंकि ट्रंक विभिन्न चैनलों में है इस कारण इस हद तक उसका प्रभाव महसूस नहीं हुआ। संसद के एक सदस्य ने मुझे बताया कि वह टेलीफोन पर बातचीत नहीं कर पाए। मैंने पूरे मामले की जांच की और इसके परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति को मुअत्तिल कर दिया गया क्योंकि वह दोष को नहीं सुधार पाया। इस की जांच की जा रही है। मेरा यह प्रयास है कि इसकी जिम्मेदारी नियत की जाए। हम यह जानते हैं कि सेवा का चालू रहना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और हमें संसद और देश के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। कुछ बाधाओं, जैसे मशीनी खराबियां और हमारे कर्मचारियों की कुछ हद तक काम में ढील आदि, जिनके कारण हम मजबूर हैं, से निपटने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारी एक जुट होकर काम करेंगे। मैं अधिकारी वर्ग को भी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि वह ठीक से काम करेंगे, तो सब कार्य ठीक हो जायेगा। ऐसा करने की मैं

भरसक कोशिश कर रहा हूं और सारी स्थिति मैंने सदन के समक्ष रख दी है। जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उसमें मुझे आपकी सहानुभूति, विचार, समालोचना और सहायता चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका विभाग प्रकृति का भी सामना करता है। यह आपने नहीं कहा।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, ऐसा भी है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर)**

श्री सी० एम० स्टीफन**

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में हम लोगों को इन्द्र भगवान से प्रार्थना करनी चाहिये कि वर्षा न हो तभी टेलीफोन का कनैक्शन सही चलता रहेगा। मंत्री जी के कहने का अर्थ यही है कि वर्षा नहीं हो तो टेलीफोन ठीक चलेगा, वर्षा होगी तो खराब होगा, ठीक नहीं चलेगा। श्री भगवत झा आजाद ने ठीक ही कहा है कि मिनिस्टर साहब ने अपने डिपार्टमेंट को डिफैन्ड करते हुए जो उत्तर दिया है, उससे लगता है कि डिपार्टमेंट की कोई गलती ही नहीं है।

हमारे दो संसद-सदस्यों श्री समोनाथ चटर्जी और शास्त्री जी ने हमको खबर दी है कि कलकत्ते में लोग 6 घंटे बैठे, लेकिन एस० टी० डी० की लाइन नहीं मिल सकी, डिमांड काल नहीं मिल सकी। ऐसी शिकायतें हम तमाम लोगों को हैं। हमारे शास्त्री जी ने 3 बार टेलीफोन का इन्स्ट्रुमेन्ट बदलवाया लेकिन अभी भी असुविधाजनक है। हम टेलीफोन की बात कर रहे हैं और अभी एक पहलू बताया है, दूसरे पहलू पर ध्यान नहीं दिया है।

आपका 197 इन्क्वायरी का नम्बर है। पूरे देश में कहीं जाइये, इन्क्वायरी से जब पूछिये तो घंटों जवाब नहीं मिलेगा और जवाब अगर मिलेगा तो बिल्कुल अमानवीय तरीके से। मालूम पड़ता है कि कंज्यूमर्श लोग उनके गुलाम हैं जो कि 197 पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को यही जवाब मिलता है, आपको भी जब मिनिस्टर नहीं थे, तब वही जवाब मिलता होगा। जो जवाब मिलता है वह नम्रता से नहीं, क्या यह भी मैकेनिकल डिफैक्ट है? नहीं।

आप मैकेनिकल की बातें कहते हैं कि वर्षा हो जाती है और बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन बुकिंग में जाइये, 180, 182, 199, 198 कोई भी मिलाइये,

आज टेलीफोन-सेवा कहीं भी संतोषजनक नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा है कि मैकेनिकल डिफेक्टस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन डिफेक्टस में एकरूपता नहीं है। जनता को मल्टी-फेस्ड और मल्टी-प्रांग्ड डिफीकल्टीज सहन करनी पड़ रही हैं। जब हम यहां पर कम्यूनिकेशन्ज मिनिस्टर पर सवालों की बौछार करते हैं, तो वह इधर-उधर हाथ मारते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उनके विभाग की कार्रवाहियां सुसंगत हों और कनज्यूमर्ज को सुविधा हो।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुछ दिन पहले खबर निकली थी कि इन्द्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन में पूरे एक दिन टेलीफोन डेड रहे और भिंडर साहब को, जो सरकार के प्रियपात्र हैं, यहां से वहां दौड़ना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कहीं चोरी या कोई अन्य अपराध हो जाये और टेलीफोन काम न करे, तो क्या होगा। मैं तो यही कहूंगा कि प्रकारांतर से टेलीफोन विभाग क्राइम में सहयोग और मदद कर रहा है। मुजफ्फरपुर, मोतीहारी, कलकत्ता, बम्बई और पटना, सब जगह टेलीफोन की इसी तरह की डिफीकल्टीज हैं। इस विभाग की तरफ से डायरेक्ट्ली कुछ नहीं होता होगा, लेकिन क्राइम्ज में टेलीफोन डिपार्टमेंट का भी हाथ है। हम लोग भुक्त-भोगी हैं। मंत्री महोदय को इन बातों को कुबूल करना चाहिए।

मैंने चार महीने पहले अपना टेलीफोन इन्स्ट्रुमेंट बदलने के लिए कहा था, लेकिन आज तक उसे बदला नहीं गया है। हम और मंत्री महोदय पार्लियामेंट में नये नहीं हैं। हम और वह पुराने दोस्त हैं। ये रीयल डिफीकल्टीज हैं।

टेलीफोन की एक अनुपूरक डायरेक्टरी निकली है। दिल्ली से हावड़ा ट्रेन में एक बिजिनेसमैन ने मुझे दिखाई। वह डायरेक्टरी अभी तक पार्लियामेंट के मेम्बरों को नहीं मिली है। हमारे पास जो डायरेक्टरी है, उसमें पार्लियामेंट के मेम्बरों में जनता पार्टी के मेम्बरों के नाम हैं, उसमें नये मेम्बरों के नाम नहीं होंगे।

मंत्री महोदय ने खुद कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। वह स्वयं भी अपने कामों द्वारा महत्वपूर्ण बनें। अगर विभाग के अधिकारी कोई गलती करते हैं, तो वह उनके साथ कोई रियायत न करें। अगर हम मंत्री महोदय से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो विभाग के अधिकारी जो उत्तर लिख देते हैं उसी को मंत्री महोदय लोक सभा में पढ़ देते हैं, चाहे हम संतुष्ट हों या असंतुष्ट।

अब मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। बरसात तो हर साल होगी। अगर बरसात नहीं होगी, तो खेती नहीं होगी और अगर खेती नहीं होगी तो कम्यूनिकेशन्ज मिनिस्टर नहीं रहेगा और हिन्दुस्तान भी नहीं रहेगा। क्या सरकार कोई ऐसा रिसर्च विंग या संस्थान कायम करने जा रही है, जिसके द्वारा इस बारे में जाँच की जाये कि टेलीफोन की व्यवस्था बरसात में खराब न होने पाये ?

क्या सरकार ने कोई विजिलेंस व्यवस्था कायम की है, जिसके द्वारा टेलीफोन के बारे में सभी शिकायतों की जाँच की जा सके और जो अधिकारी दोषी पाये जायें, उन्हें सजा दी जाये, ताकि टेलीफोन व्यवस्था में सुधार हो ?

क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा निर्देश देने जा रहे हैं कि सारे हिन्दुस्तान में अगर कोई नम्बर 197 से कोई इनक्वायरी करे, तो वह कम से कम विनम्रता का जवाब पा सके ?

अन्तिम प्रश्न मैं यह करने जा रहा हूं कि आप ने एलान किया था, उस समय मैं भी एम. पी. था और आप भी एम. पी. थे, मिनिस्टर नहीं थे लेकिन एम. पी. जरूर थे, तो उस

समय यह कहा था कि तमाम जिला केन्द्रों को राज्य केन्द्र से एस. टी. डी. से कनेक्ट किया जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि पटना से मुजफ्फरपुर जोड़ दिया गया है, मोतीहारी नहीं जुड़ा है, बेतिया नहीं जुड़ा है, छपरा नहीं जुड़ा है, गोपालगंज नहीं जुड़ा है, सिवान नहीं जुड़ा है, तो इन जगहों को पटना से जोड़ने जा रहे हैं या नहीं ? मेरा प्रश्न यह है कि तमाम जिला केन्द्रों को राज्य केन्द्र से एस. टी. डी. से जोड़ने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरे मित्र श्री मधुकर ने बिल्कुल सही कहा है कि यह समस्या बहुपक्षीय है ; वास्तव में यह ऐसी ही है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि समस्या केवल मशीनी है। मानवीय समस्याएं भी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इसकी चर्चा यहां हुई क्योंकि उन्होने जोर देकर यह कहा कि 197 और 180 नम्बर की सेवा पर जो लोग हैं उनसे वह सन्तुष्ट नहीं हैं। मुझे यकीन है कि वह लोग संसद द्वारा उठाई गई जनता की आवाज को सुन रहे हैं। इसका अवश्य ही असर पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि श्री मधुकर चाहते हैं कि मै उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करूं...(**व्यवधान**)। मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों में से केवल उन्होंने यह सलाह दी है...(**व्यवधान**)।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उनका गलत उद्धरण न दें। (**व्यवधान**)।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने उनकी सलाह मान ली है, लेकिन उस विभाग के कर्मचारियों और अफसरों के बारे में मेरी प्रतिक्रिया व राय यह है कि वह भी और लोगों की तरह देशभक्त व उपयोगी हैं। परन्तु स्थिति की सम्पूर्णता उन्हें कुछ हद तक प्रभावित करती है। इसलिए मैं अफसरों से लेकर एस.डी.ओ. के स्तर तक एक सम्मेलन आयोजित कर रहा हूं। मैंने विभिन्न राज्यों में यह सम्मेलन बुलाया है। मैंने एक साथ उन्हें बुलाकर उन्हे नया कार्यक्रम समझाया है जिसका उन्हें सामना करना है। मैंने मजदूर संघ के अपने मित्रों के साथ भी बातचीत की है। मेरे मित्र यह महसूस करेंगे कि इस विभाग की मजदूर संघ गतिविधियां बहुत दृढ़ और अच्छे नेतृत्व में हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्हें केवल रास्ता समझाने का प्रश्न है, परन्तु वह स्वयं ही यह चाहते हैं और उन्हें परेशानियों व जिम्मेदारियों का अहसास है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे सन्तुष्ट हूं। इस विभाग का मन्त्री होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं उन्हें बुलाकर यह बताऊं कि जनता की उनके बारे में क्या राय है और उन्हें किस प्रकार कार्य करना है। वह प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु कुछ समस्याएं, जो मशीनी खराबी की है, उनके या हमारे बस के बाहर है। उसे सुधारने में समय लगेगा। समस्याएं तो रहेंगी ही। परन्तु हमें उचित प्रकार से कार्यवाही करनी हैं। उन्होंने मुझसे सतर्कता विभाग के बारे में पूछा है। एक सतर्कता विभाग है और मैं कुछ क्षेत्रों में सतर्कता विभाग को और सुदृढ़ कर रहा हूं ताकि यह देखा जा सके कि क्या हो रहा है,...और वहां भी, जैसा कि मैंने कहा, अनुरक्षण सूचना सेवाएं, जिसे मैं मानीटरी सेवा कहूंगा, विभिन्न मण्डलों में स्थापित कर रहे हैं जो सीधे निदेशालय को रिपोर्ट देगा, जिससे कि यह देखा जा सके कि सेवा कैसे कार्य कर रही है। यह तब तक चलेगी जब तक हमारी वाणिज्यिक सेवा है, हमें यह भी आंकना पड़ेगा कि हमारी सेवा कितनी सन्तोषजनक है, तभी इसे

ठीक किया जा सकता है। मैं अपने कर्मचारियों, स्टाफ और अपनी ओर से केवल यही कहूंगा कि यह देखते, हुए कि विभाग किन कठिनाईयों में कार्य कर रहा है, सेवा को सुधारने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम बहु-पक्षीय मजबूरियों के भीतर कार्य कर रहे हैं, परन्तु इस बहु-पक्षीयता से निपटा जा सकता है बशर्ते कि थोड़ा सा सब्र किया जाये और मुझे विश्वास है कि सब सब्र करेंगे ? (व्यवधान)। जहां तक सेवा को सुधारने का सम्बन्ध है, आप कृपया यह पायेंगे कि दिल्ली में वर्षा के आने पर 1.5 लाख टेलीफोनों में से केवल 5 हजार टेलीफोन ही खराब हुए हैं। एक पूरे एक्सचेंज में पानी भर गया। हम इसमें क्या कर सकते थे ; वह तो हो ही गया। पानी आया और भर गया। सारा का सारा ही वह बेजान हो गया। इन्हें सुधारा जा रहा है। भरसक कोशिश की जा रही है। मैं सभा का सहयोग मांगता हूं... (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बीच में श्री भागवत झा आजाद ने मन्त्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछे थे और उन्होंने उनके उत्तर भी दे दिए थे। प्रथा यह है कि जब किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा चल रही होती है तो उन सदस्यों के अलावा जिनका नाम दिया गया होता है, अन्य किसी सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है।

श्री भागवत झा आजाद **

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते। श्री झा ने जो कुछ भी कहा है वह रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

श्री भागवत झा आजाद **

उपाध्यक्ष महोदय : गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी समिति
पांचवां प्रतिवेदन

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का पांचवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नारियल जटा उद्योग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 348 दिनांक 2 जुलाई 1980 के उत्तर में शुद्धि

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : लोक सभा में दिनांक 2 जुलाई 1980 को नारियल जटा उद्योग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 348 के सम्बन्ध में श्रीमती सुशीला गोपालन द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का जो उत्तर मैंने दिया था उसकी कार्यवाही के मसौदे में निम्नलिखित पैरा में असावधानीवश एक अशुद्धि रह गई है :

"माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न मशीनीकृत एककों में चटाइयां बनाने के बारे में था। सबसे पहली बात तो यह है कि इसके लिए कोई भी लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। जहां तक पंजीकरण का सम्बन्ध है, हमने चटाइयां बनाने के लिए इसका पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं दी है। मैं माननीय सदस्य महोदया को आश्वासन दे सकता हूं कि इस मामले में हम किसी भी ऐसे राजनीतिक मताग्रह से प्रभावित नहीं होंगे जिससे हथकरघा उद्योग को हानि पहुंचे।"

मैं इसे ठीक करना चाहूंगा और पूरक प्रश्नों के बारे में मेरा सही किया गया उत्तर निम्न प्रकार है :

"दूसरे प्रश्न में मशीनीकृत एककों में चटाइयां बनाने का उल्लेख किया गया था। सर्वप्रथम तो नारियल जटा एककों को कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, लेकिन नारियल जटा अधिनियम के अनुसार सभी नारियल जटा एककों को नारियल जटा बोर्ड के पास अपना पंजीकरण कराना जरूरी होता है। जहां तक मैसर्स एलप्पी एंड कम्पनी नामक एकक विशेष के पंजीकरण का सम्बन्ध है, इसका पंजीकरण चटाइयां बनाने के लिए गलती से कर दिया गया था। हम इस एकक विशेष के पंजीकरण के नवीकरण के मामले पर अलग से विचार कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस मामले में किसी भी ऐसे राजनैतिक मताग्रह से प्रभावित नहीं होंगे जिससे हथकरघा उद्योग को नुकसान हो।"

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चलती रेल गाड़ियों में डाके की घटनाओं में वृद्धि के समाचार

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : रेल यात्रा, विशेषकर रात्रि कालीन रेल यात्रा, दिन-प्रति-दिन असुरक्षित होती जा रही हैं। इस वर्ष 1 जून, से दर्जनों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें से कुछ ये हैं। (1) 4 जून, की रात्रि को दिल्ली-अलीगढ़ सवारी गाड़ी में दाँवर और सोमना स्टेशनों के बीच पिस्तौल दिखाकर यात्रियों को लूट लिया गया। (2) 5 जून, को लगभग एक दर्जन सशस्त्र गुन्डों ने अलीगढ़-दिल्ली शटल गाड़ी के चार यात्रियों का सब कुछ लूट लिया,

(3) 22 जून, को लगभग एक दर्जन सशस्त्र डाकुओं ने 21 अप सहारनपुर-बलिया सवारी गाड़ी के दूसरी श्रेणी के डिब्बे के यात्रियों को रिवाल्वर दिखाकर लूट लिया, (4) 30 जून, को गुण्डों ने बम्बई जाने वाली देहरादून एक्सप्रैस के 20 यात्रियों से 11000 रुपये की नकदी और जेवरात लूट लिए, (5) 2 जुलाई, की रात्रि को सशस्त्र डाकुओं ने दादर-नागपुर एक्सप्रैस के दूसरी श्रेणी के डिब्बे के यात्रियों से चाकू दिखाकर 7000 रुपए लूट लिए, (6) 6 जुलाई, को सशस्त्र डाकुओं ने 327 अप हावड़ा-दानापुर तेज सवारी गाड़ी के दूसरी श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे लोगों से लाखों रुपए का सामान, जिनमें घड़ियां, गहने और अन्य कीमती वस्तुएं शामिल थीं, लट लिया। (7) 8 जुलाई, की रात्रि को सशस्त्र डाकुओं ने 51 अप सियालदाह एक्सप्रेस के पहली और दूसरी श्रेणी के शयनयानों के लगभग 140 यात्रियों से लगभग 2 लाख रुपए का सामान लूट लिया।

जून के पहले सप्ताह में रेलवे प्रशासन और सरकार ने चलती गाड़ियों में होने वाली डकेतियों के बारे में चिंता प्रकट की थी और इस अपराध को रोकने के लिए त्वरित कार्यवाही करने का निश्चय किया गया था। यह निश्चय किया गया था कि जी. आर. पी. की संख्या दो-गुनी कर दी जाएगी और अभी आर. पी. एफ. के लगभग 2000 जवान नियुक्त किए जायेंगे। श्री एस. एस. जोग, संयुक्त सचिव (पुलिस) की अध्यक्षता में तीन अधिकारियों की एक समिति भी बनायी गई थी। रेल मंत्री रेल विभाग में एक डाकू-विरोधी कक्ष बनाने के लिए एक कानून लाना चाहते हैं किन्तु यह नहीं जानते हैं कि किन कारणों की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 'कानून और व्यवस्था' राज्य का विषय है। किन्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने वाले रेलवे यात्रियों की यात्रा सुरक्षित रहे इसकी जिम्मेदारी रेलवे के ऊपर होती है। अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में त्वरित कार्यवाही करें और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए तत्काल कदम उठायें। समाप्त

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर गिरि। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

(दो) माडर्न बेकरीज आफ इन्डिया लिमिटेड, उज्जैन के छंटनी किए गए कर्मचारियों को तुरन्त बहाल करने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, माडर्न बेकरीज इन्डिया लिमिटेड उज्जैन ने 103 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया है, जिसके कारण उनके परिवार के लोग बेबस और बेसहारा हो गए हैं। इन कर्मचारियों में कुछ एक कर्मचारी 1974 से तथा ऐसे 85 कर्मचारी जो हरिजन और पिछड़े वर्ग के हैं, वर्षों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा चलाए जा रहे इसी संस्थान के कर्मचारी थे। भारतीय खाद्य निगम ने इस संस्थान का प्रवन्ध 1 मार्च, 1980 को माडर्न बेकरीज इन्डिया लिमिटेड को सौंपते हुए यह आश्वस्त किया था कि किसी भी कर्मचारी को सेवा मुक्त नहीं किया जाएगा, किन्तु संस्थान के प्रबन्ध-अन्तरण के बाद माडर्न बेकरीज के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया है। संबंधित अधिकारियों और श्रम विभाग से बार-बार सम्पर्क के बाद भी मजदूरों को न्याय नहीं मिल सका है। इसके कारण मजदूरों में भारी असंतोष और रोष व्याप्त है।

अतएव मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले में रुचि लेकर अन्याय और भूख से पीड़ित मेहनतकश कर्मचारियों को पुन: सेवा में लेकर न्याय प्रदान करें।

(तीन) निर्माताओं द्वारा मिलावटी सीमेंट बेचे जाने की जांच करने की आवश्यकता

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक वक्तव्य दे रहा हूं :

विहार में सीमेंट निर्माता बड़े पैमाने पर मिलावटी सीमेंट बेच रहे हैं और लोगों तथा राज्य एवं केन्द्र की सरकारों को धोखा दे रहे हैं। यह बड़ी चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्तर-राज्यीय नदियों के पुलों पर तथा सरकारी उपक्रमों में इस घटिया सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। हाल ही में स्थानीय प्राधिकारियों ने रोहतास उद्योग, डालमिया नगर पर छापा मारा था और यह पाया था कि प्रबन्धकों ने धूल और रेत मिले सीमेंट को वहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर रखा था और सीमेंट के वोरों का वजन भी निर्धारित वजन से कम था। उपरोक्त उद्योग के शीर्ष अधिकारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 468, 120 (ख) और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। क्या सरकार इस मामले की अवलम्वनीयता को ध्यान में रखते हुए इसकी सी. बी. आई. द्वारा जांच कराने का आदेश देगी।

(चार) अगरपाड़ा वर्गीकृत सड़क के रखरखाव के लिए केन्द्र द्वारा अधिक धन दिए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैं नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य दे रहा हूं :

क्योंझर जिला (उड़ीसा) की बाउला खानों से अगरपाड़ा वर्गीकृत सड़क मार्ग द्वारा भद्रक-बाउला होते हुए परादीप पत्तन से प्रतिवर्ष 60,000 मीटरी टन क्रोम अयस्क का निर्यात किया जाता है। इस निर्यात से केन्द्र को 3.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय होती है। यदि इस सड़क को अच्छा वना दिया जाए तो इस आय में काफी वृद्धि की जा सकती है। चूंकि राज्य सरकार इसकी दशा में सुधार करने और मरम्मत करने के लिए अधिक धन की व्यवस्था नहीं कर सकती है, यह दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है। यह कहा जाता है कि उस सड़क पर सामान्यत: 6 से 8 मीटरी टन ट्रक-भार ले जाने की अनुमति दी जाती है किन्तु प्रत्येक ट्रक प्राय: 12 से 15 मीटरीटन क्रोम अयस्क लेकर सड़क से गुजरता है। फलस्वरूप, इसकी दशा दिन-प्रति-दिन खराब होती गई है। यद्यपि खानों से निकाले जाने वाले क्रोम अयस्क की मात्रा काफी अधिक है। इसे उपरोक्त सड़क की अत्यधिक खरावी की वजह से पत्तन तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। ऊपरी रास्ते में होने वाली हानि के फलस्वरूप खर्चों में वृद्धि की वजह से कोई भी ट्रक मालिक क्रोम अयस्क ले जाने के लिए तैयार नहीं है।

अत: राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार को इस बात के लिए राजी करे कि वह सड़क की मरम्मत और सुधार करने के लिए

पर्याप्त धन की व्यवस्था करे। अन्यथा केन्द्र सरकार अलग से इस कार्य के लिए धन आवंटित कर सकती है। ताकि सड़क का सुधार करके उस पर अधिक क्रोम अयस्क ले जाया जा सके और इस प्रकार राष्ट्र के लिए विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सके।

(पांच) कुवेत स्थित एअर इण्डिया के कार्यालय के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट)। कुछ समय से कुवेत के एअर इण्डिया कार्यालय में बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना ढंग से काम हो रहा है। इस कार्यालय में जिस ढंग से काम हो रहा है उससे अपने देश के नाम को धब्बा लगता है समय की पाबन्दी का न होना जो कि किसी भी एअर लाइन सेवा के लिये बहुत अनुचित बात है आये दिन की बात हो गई है। इससे बड़े होटल मालिकों को लाभ होता है ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यालय में यात्रियों को होने वाली असुविधा की ओर जरा भी ध्यान नहीं देता है यदि कोई व्यक्ति कुवेत स्थित एअर इण्डिया के कार्यालय से विमानों के वहां पहुंचने अथवा रवाना होने के बारे में कोई जानकारी चाहता है तो उसे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा यह भी शिकायत की गई है कि वहां के कर्मचारी यात्रियों की आवश्यकताओं की जरा भी परवाह नहीं करते हैं और उन यात्रियों के साथ उनका व्यवहार बड़ा धृष्टतापूर्ण होता है। टिकटों को बुक करने में प्राथमिकता के क्रम का पालन नहीं किया जाता है चूंकि वहां के कर्मचारी ट्रेवल एजेंसियों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों के दबाव में होते हैं यहां तक कि जिन टिकटों की बुकिंग की जा चुकी होती है उन्हें भी बाद में अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसे भी उदाहरण हैं कि जो यात्री विमान यात्रा के लिये हवाई अड्डे पर आते हैं उन्हें यह कह कर परेशान किया जाता है कि वे देर से आये हैं।

कुवेत स्थित एअर इण्डिया कार्यालय के सामने भीड़ लगी रहती है। वहां कोई लाइन का पालन नहीं करता है। इसलिये लोगों ने उसे "फेरी वालों का काउन्टर" कहना शुरू कर दिया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि वहां यत्रियों के सामान के मामले में पक्षपात किया जाता है। कर्मचारियों के मित्रों या सम्बन्धियों के मामले में सामान के बारे में कोई रोक या नियन्त्रण नहीं रखा जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण स्थानीय समाचार पत्रों में सम्पादक के नाम पत्र के माध्यम से प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुवेत में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने ऐसे मामलों का उल्लेख करते हुए संयुक्त रूप से मुझे पत्र लिखे हैं।

इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन मामलों की जांच करे और कुवेत स्थित एअर इण्डिया कार्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन, समय की पाबन्दी तथा जिम्मेदारी की भावना सुनिश्चित करें। यात्रियों की समस्याओं को सुलझाने के लिये उपाय किये जाने चाहिये जिससे कि एअर इण्डिया और उस देश की छवि को दोबारा अच्छा बनाया जा सके।

*मलयालम में दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(छः) सलेम रेलवे स्टेशन से उत्तरी राज्यों को नारियल की ढुलाई के लिये वैगनों की कमी

श्री के० अर्जुनन (धर्मपुरी) : महोदय, मैं रेल स्टेशन से उत्तरी राज्यों को नारियल के परिहवन के लिये वैगनों की सप्लाई की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सलेम जिले (तमिलनाडु) में नारियल के बहुत से उत्पादक तथा व्यापारी हैं जिनके व्यापार को उचित समय पर नारियल के परिवहन के लिये वैगनों की कमी के कारण बहुत हानि हुई है। यह सामान्यतया सलेम स्टेशन से बुक किए जाते हैं। नारियल जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है। इसलिये उत्पादकों को एक विशेष समय के अन्दर नारियल को लाना और उनको भेजना होता है। इस समय नारियल के व्यापार कार्य में लगे उत्पादकों तथा व्यापारियों का सीजन है। यदि उन्हें इस सीजन के व्यस्त समय में नारियल परिवहन करने के लिये वैगन नहीं मिलते तो अवश्य ही उनके व्यापार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सलेम, कोयम्बतूर, त्रिरुचि और धर्मपुरी जिले में हजारों एकड़ भूमि में नारियल का उत्पादन किया जाता है। नारियल उत्पादकों को वैगनों की कमी तथा उनकी सप्लाई रोक दिए जाने के कारण नारियल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए रेल मंत्री को चाहिए कि वे उचित समय के अन्दर नारियल परिवहन के लिए वैगनों की सप्लाई को बहाल करने के लिए दक्षिण रेल को अनुदेश जारी करें।

(सात) निदामंगलम मन्नारगुडी रेलवे लाइनों पर सवारी/माल गाड़ी सेवा को पुनः चालू करना

श्री एस० सिंगारावाडीवेल (तंजावुर) : दक्षिण रेल प्रणाली में निदमंगलम रेल जंकशन मेरे तंजावुर संसदीय क्षेत्र में तंजावुर तंवुजार-नागौर रेल लाइन पर स्थित है। निदमंगलम जंकशन से मन्नरगुड़ी तक जो कि तंजावुर जिले में एक महत्वपूर्ण नगर हैं, 12 किलोमीटर लम्बी एक ब्रांच रेल लाइन है जोकि कई दशकों से विद्यमान है और उस लाइन पर यात्री और मालगाड़ियां चलती थीं मन्नरगुड़ी से जाने वाली यही रेल लाइन है और इसका किसी और रेल लाइन से सम्पर्क नहीं हैं। इस पर चलने वाली यात्री और मालगाड़ियों को, जो कि उक्त लाइनों पर काफी समय से लोगों की आवश्यकता को पूरा करती थीं, स्थगित कर दिया गया है और इससे जो लोग उस सेवा का उपभोग करते थे उन्हें असुविधा और कठिनाई हो रही है मन्नरगुड़ी को जाने और वहां से आने वाले यात्री रेल सेवाओं से वंचित हो गए हैं और वे तंजावुर-नागौर रेल सेवाओं का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं।

मन्नरगुड़ी में नगरपालिका भी है और वह एक तालुक का मुख्यालय है और वहां एक आर्ट्स कालेज, रोगियों को भर्ती करने वाला सरकारी अस्पताल, अनेक मन्दिर जिन्हें देखने अन्य स्थानों से तीर्थयात्री आते हैं, अनेक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, न्यायालय और बैंक हैं तथा पामिनी उर्वरक संयन्त्र है और अन्य गोदामों के अलावा केन्द्रीय भण्डागार हैं। प्रतिदिन बहुत से व्यक्ति मन्नरगुड़ी आते और जाते रहते हैं। उक्त लाइन पर यात्री और माल गाड़ियों के स्थगित हो जाने के कारण लोगों को बहुत परेशानी होती है और उन्हें यात्रा और सामान के परिवहन के लिए सड़क मार्ग का उपभोग करना पड़ता है। पामिनी उर्वरक तथा केन्द्रीय भण्डागार गोदामों को भी सड़क मार्ग

द्वारा परिवहन करना पड़ता है जिस पर बहुत अधिक व्यय होता है। मन्नरगुड़ी में माल लादने तथा उतारने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनके परिवारों को बहुत परेशानी होती है। निदामंगलम-मन्नरगुड़ी रेल लाइनों पर यात्री और मालगाड़ियों को दुबारा चला कर ही लोगों की कठिन समस्यायें दूर होंगी।

इसलिए माननीय मंत्री महोदय को चाहिए कि वे निदमंगलम-मन्नरगुड़ी रेल लाइनों पर माल तथा यात्री गाड़ियां पुनः चलाने के लिए तत्काल उपाय करें।

अनुदानों की माँगें (समामान्य) 1980-81

कृषि मन्त्रालय और ग्रामीण पुर्नानिर्माण मन्त्रालय

श्री उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कृषि मन्त्रालय तथा ग्रामीण पुर्ननिर्माण मन्त्रालय के नियन्त्रण में अनुदान की मांग पर आगे चर्चा करेंगे तथा मतदान करेंगे।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आज ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश के देहातों में, गाँवों में बसने वाली 75 फीसदी आबादी का ताल्लुक है, जिसके जीवन का दारोमदार इसी खेती पर है, काश्तकारी पर है। चाहे वह हल चलाने वाला काश्तकार हो, चाहे वह खेत में काम करने वाला मजदूर हो सभी का ताल्लुक इस से है।

आम तौर से, मान्यवर, देखा गया है कि चाहे कितनी ही महगाई बढ़े, कास्ट आफ लिविंग चाहे कितना ही बढ़ जाए, प्राइस इन्डेक्स चाहे कितना ही बढ़ जाए, और उसके बढ़ने पर चाहे दफतरों में काम करने वाले हो या कारखानो में काम करने वाले हों, सभी प्राइस इन्डेक्स के बढ़ने पर शोर मचाते हैं। कभी वे पेन डाउन स्ट्राइक, कभी वे टूल डाउन स्ट्राइक करते हैं।

अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से सरकार पर जोर डाला जाता है। यही एक ऐसा सैक्टर है जिसका कोई जोर नहीं है। अभी तक मुल्क ने पेनडाउन स्ट्राइक को देखी है, टूल डाउन स्ट्राइक को देखा है। लेकिन हैल्ड डाउन स्ट्राइक को अभी तक नहीं देखा है। यही एक सैक्टर है जो अन आर्गेनाइज्ड है, जिसकी तरफ सरकार की कभी तवज्जह नहीं जाती है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं। उनमें ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज तक गांवों की शक्ल तक नहीं देखी है। रूरल इकोनोमी के एक्सपर्ट यहां पर मौजूद है। मुझे एक वाका याद आता है। एक रूरल इकोनोमी के एक्सपर्ट लन्दन गये। उनसे पूछा गया कि आप

कहां के रहने वाले है । उन्होंने कहा कि मैं गांव का रहने वाला हूं । जब उनसे पूछा गया कि कब से आप गांव में तशरीफ नहीं ले गये हैं तो उन्होंने कहा कि सतरह साल से । सतरह साल से जिस आदमी ने गांव की शक्ल नहीं देखी है वह रूरल इकोनोमी का एक्सपर्ट है । डैस्क पर बैठ कर हिसाब लगाने वालों ने कभी कोशिश की है गांवों में जाकर हालत मालूम करने की ? किसान की आज हालत क्या है, इसको जानने की क्या उन्होंने कभी कोशिश की है ?

एक एग्रिकलचरल प्राइसिस कमीशन बना हुआ है । वह प्राइसिस मुकर्रर करता है । बड़ा महत्वपूर्ण यह कमीशन है । यहां पर व्हाइट एलीफेंट का जिक्र किया गया है । कोई रेलवे बोर्ड को सफेद हाथी कहता है और कोई किसी दूसरे को। लेकिन यह फूड डिपार्टमेंट यानी एफ. सी. आई. भी सफेद हाथी से कम नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा । इसलिए कि यह जिस ख्याल से कायम किया गया था वह बहुत फायदेमन्द आर्गेनाइजेशन की रू से किया गया था । लेकिन आज वह हमारे लिए सफेद हाथीबन गया है । इसको भी मैं साबित करना चाहता हूं ।

शुरुआत कहां से होती है ? जहां से हमारे खेत में हमारी मेहनत का, खून पशीने से बहाई गई मेहनत का, साल भर की मेहनत का फल मिलने का सवाल आता है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है । जब हमारी पैदावार का मूल्य देने का सवाल पैदा होता है, वहां से इसकी शुरुआत होती है । एफ. सी. आई. जगह-जगह सेंटर खोलता है पैदावार की खरीद करने के लिए । जब इसको कायम किया गया था तब यह कहा गया था कि मिडलमैन को बीच में से निकालने के लिए इसको कायम किया जा रहा है । हाउस में भी जब-जब पूछा गया है यही कहा गया है कि यह कोई प्राफिट मैकिंग आर्गेनाइजेशन नहीं है । लेकिन आप देखें कि इसको जब कायम किया गया था तो इसका क्या एम बताया गया था । मैं एफ. सी. आई. के रिकार्ड से ही कोट करूंगा, उसकी, एनुअल रिपोर्ट से ही कोट करूंगा । 20 नवम्बर 1964 को जब इसके बारे में बिल हाउस में पेश किया गया था तब उसमें यह कहा गया था :

"इस अभिकरण का प्रयोग धीरे-धीरे विशाल भंडार बनाने के लिए भी किया जाएगा और निगम को वाणिज्यिक स्तर पर स्वशासी संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा ।"

आज हालत यह है कि यह सफेद हाथी सैकड़ों करोड़ों रुपया टैक्स पेअर का खा गया है । मैं जो आंकड़े दूंगा वे एफ. सी. आई. की एनुअल रिपोर्ट से ही दूंगा । लेकिन उससे पहले जो खरीद का इसका तरीका है वह मैं बताना चाहूंगा । एफ. सी. आई. खरीद करने के लिए सेंटर खोलता है, सूबों के लोग भी खरीद करने के लिए खोलते हैं और कोआप्रेटिव सैक्टर में भी खरीद की जाती है । एफ. सी. आई, वालों ने एक टैक्नीकल चीज लगा दी है और वह यह है कि क्वालिटी के हिसाब से कीमत दी जाएगी और ग्रेड 1, 2 और 3 होंगे । अब क्वालिटी के हिसाब से लेने का जहां तक सवाल है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है लेकिन यहां तो करप्सन का दरवाजा ही इन्होंने खोल दिया है । इन्स्पैक्टर को इन्होंने इजाजत दे दी की जितना वह चाहे

किसान का खून चूसे क्वालिटी के नाम पर। आप गेहूं साफ करवा कर लें, बिल्कुल क्लीअर करवा कर लें, छनवा कर लें लेकिन एक कीमत पर लें ; दो-दो और तीन-तीन कीमतें जब आप मुकर्रर करते हैं, इससे दिक्कत पैदा होती है। दो-दो और तीन-तीन दिन तक किसान गाड़ियों को लाइन में लगा कर खड़ा रहता है। धूप तेज होती है, मई जून का महीना होता है और वह लाइन में खड़ा रहता है। कभी उसको कह दिया जाता है कि बोरे नहीं हैं, बोरे लेने के लिए साहब गए हैं और कभी कोई और बहाना लगा दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि तंग आकर जो बनिया बैठा होता है, लाला बैठा होता है, जो उसका एजेंट होता है, वह उसको थोड़े दामों में खरीद लेता है।

आप यकीन जानिये, पूरे मुल्क में शायद एक, दो परसेंट ऐसा किसान होगा जिसको 100 रुपये पर-क्विंटल से ज्यादा कीमत मिली हो और वह कीमत भी मिली या नहीं मिली, मैं आंकड़ों से साबित करूंगा। कीमत एनाउन्स 110 रुपये की गई और एफ० सी० आई० से 102 रुपये एक्चुअल कीमत काश्तकार के पास पहुंची। 1977-78 में वैल्यू पर -क्विंटल 119·74 है और प्रोक्योरमैंट इन्सीडेंटल्स 17·62 है और काश्तकार को क्या मिला है 102 रुपये 12 पैसे। यह आपके फूड कार्पोरेशन के रिपोर्ट में आंकड़े हैं। 1977-78 में जब कि 110 रुपये कीमत एनाउन्स की सरकार ने तो काश्तकार को 102 रुपये 12 पैसे एवरेज कीमत मिली। 7·88 रुपये कम पहुंची। वहां जो कुछ मार-काट होता है, वह अलग। जो फूड कार्पोरेशन, सरकार की जेब से पैसा गया यह 77-78 में 102 रुपये 12 पैसे गया। हमें इस आर्गेनाइजेशन के बारे में बड़ा सोचना पड़ेगा। आप यकीन जानिए, इस साल 600 करोड़ रुपए सब्सीडी के दिए हैं।

बड़े मंत्री जी भी आ गऐ हैं। मैं कोई बुराई से नहीं कहता, मैं चाहता हूं कि इस आर्गेनाइजेशन को संभाला जाऐ यह टेक्स-पेयर का सारा पैसा खा जाते हैं और बिला-वजह। मैं निवेदन करूंगा कि सब्सीडी का यह आलम है।

1973-74 में 264·2 करोड़ रुपए, 1974-75 में 264·81 करोड़ रुपए, 1975-76 में 291·92 करोड़ रुपए, 1976-77 में 451·99 करोड़ रुपए, 1977-78 में 565·67 करोड़ रुपए और 1978-79 में 270 करोड़ रुपए, और अब 1919-80 में यह 600 करोड़ रुपए की सब्सीडी दी गई है।

जो गेहूं और अनाज खरीदते हैं, जो मैंने हिसाब लगाया है, 1 क्विंटल पर आपका 95 रुपए खर्च आता है। हम 102 पर गेहूं खरीदते हैं, बाजार में 130 रुपए बेचा जाता है। 130 पर बेचने के बाद इनको तो करोड़ों रुपए की सब्सीडी भी जाये, मगर वह लाला जो बाजार में गेहूं उसी भाव में खरीदता है और उसी भाव में बेचता है, वह कोठी बनाये खड़ा है, मिल खुल रहे हैं और तुम्हारा पैसा जो जाता है उससे ये 102 रुपए पर खरीदकर 130 रुपए बेच रहे हैं। आपने 1977-78 में 110 रुपए प्राइस एनाउन्स किया और 102 रुपए आपके फूड कार्पोरेशन के आंकड़े से हैं।

28 रुपये तो मार्जिन आपको यह मिल गया और 600 करोड़ रुपये सब्सीडी मिल गया और 2 हजार करोड़ रुपये ये बैंक से लोन लेते हैं। लोन जो और लोगों को मिलता है, उससे 4 परसेंट कम ब्याज पर इनको लोन मिलता है और इस 4 परसेंट से 97 करोड़ रुपये बैठता है। यानी 28 का मारजिन, 600 करोड़ सब्सीडी और 97 करोड़ रुपये का यह फायदा सूद में। अगर हिसाब लगायें तो एक क्विटल पर 95 रुपये खर्च बैठता है और यह जाता कहाँ है ? 1968 में इनटर्नल प्रोक्युरमेंट हुआ 6.81 मिलियन टन, इमपोर्ट किया 5.7 मिलियन टन और कुल इस्यू हुआ 10.2 मिलियन टन। इस तरह साल भर में वाल्युम आफ बिजिनेस था 22.71 मिलियन टन। उस वक्त एम्पलाई थे 15,228 फूड कार्पोरेशन में। मैं हर साल के फिगर्ज दे कर सदन का वक्त खराब नहीं करूंगा, बल्कि आखिर में 1978 पर आऊंगा। 1978 में वाल्युम आफ बिजिनेस था 17.30 मिलियन टन और एम्पलाईज थे 67,2831। आप देखें कि जब वाल्युम आफ बिजिनेस 22.71 मिलियन टन था तब एम्पलाईज 15,228 थे, और जब वाल्युम आफ बिजिनेस 17.30 मिलियन टन है, तो एम्पलाईज बढ़कर 67,283 हो गये ! इस तरह फूड कार्पोरेशन में टैक्स-पेयर के रुपये के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहाँ पर रिश्तेदारों की परवरिश हो रही है, सबसिडी ले कर पैसा बर्बाद हो रहा है और मुख्तलिफ बहाने किए जाते हैं। अगर आप चाहेंगे, तो मैं यह किताब "स्टेट इन फूडग्रेन ट्रैंड इन इन्डिया" को सदन के टेबल पर रख दूंगा। शायद इससे मंत्री महोदय को फायदा हो जाये।

कृषि और ग्रामीण पुर्नानिर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैं माननीय सदस्य से ले कर पढ़ लूंगा।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : इससे आपको अन्दाजा हो जाएगा कि यह रुपया कहां जा रहा है।

यहां पर मिडलमैन की बात कही गई है। जब फूड कार्पोरेशन नहीं था, तो मिडलमैन का इतना बड़ा रोल नहीं था, जितना कि आज है। यह बहुत अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट चाहे 117 रुपये का भाव डिक्लेयर करे और चाहे 115 रुपये का, काश्तकार को आज तक 100 रुपये या 102 रुपए से ज्यादा नहीं मिला है। कुछ वहाँ खा जाते हैं और कुछ क्वालिटी इन्स-पैक्टर खा जाते हैं। यह जो ग्रेड वन, टू थ्री का ग्रेडेशन किया जाता है, यह करप्शन की जड़ है। मैं फिर निवेदन करूंगा कि काश्तकारों को कहा जाए कि वे गेहूं को छांट कर, साफ कर के दें, लेकिन ग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह करप्शन और बेईमानी की जड़ है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : अब की बार पूरा मिला है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : कभी भी नहीं मिलता है। मैं किसान हूं, गांव का रहने वाला हूं। कभी भी किसान को पूरा पैसा नहीं मिला है। बीच में लाला और इंस्पैक्टर खाते है। अगर मंत्री महोदय चाहेंगे, तो मैं उन्हें साथ ले जाकर ऐसे मामले पकड़वा दूंगा।

फूड कार्पोरेशन में एक और बीमारी है ट्राँजिट और स्टोरेज लासिज। यह बड़ी भारी प्लेग है। मैं फूड कार्पोरेशन का चार साल तक डायरेक्टर रहा हूं। ट्रांजिट एंड स्टोरेज लासिज के बारे में एक कमेटी मुकर्रर हुई और मैं उसका चेयरमैन मुकर्रर हुआ। हमारे सामने फूड कार्पोरेशन के आफिसर्ज आये। हमने उनसे निवेदन किया कि इन लासिज को बाइफ्रकेंट कर दीजिए-ट्रांजिट में कितना लास होता है और गोडाउन में कितना लास होता है। एक साल उन्होंने हमें घुमाया-बड़ी डिफीकल्टी है, कैसे बाइफर्केंट होगा, कई तरह के टेकनिकल जवाब दिये गये। मैं भी नहीं माना, कहा कि यह करना पड़ेगा। रोज बोर्ड की मीटिंग में पूछा जाता था कि क्यों देर हो रही है। हमने कहा कि ये लोग साथ नहीं देते हैं। आखिर यह एक्सपेरिमेंट कराया। मैं उस किताब से कोट करता हूं। मै ये बातें किसी की बुराई करने की गरज से नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि काम में इम्परूवमेंट हो। मंत्री महोदय खुद काश्तकार है। मैं चाहता हूं कि वह काश्तकारों के गले कटने से बचायें और हैवी हैंडूज से इन गलत प्रॅक्टिसिज को रोकें।

मैं इस किताब से पढ़कर कोट करता हूं। इस कमेटी का मैं चेयरमैन था;

"मार्ग में और भंडारण में हानियां सम्बन्धी समिति, के विभिन्न रेलवे स्टेशनों जैसे जींद से दिल्ली-किशनगंज और बेजवा से बोरो-विल्ली (बम्बई) के बीच खाद्यान्नों के लाने-ले जाने का वास्तविक अध्ययन किया। समिति ने देखा कि बोरियों के फट जाने और डिब्बों में बहुत सा अनाज गिर जाने के बावजूद वास्तव में प्राप्त खाद्यान्न वजन में अधिक बैठा।"

मेरे बाद एक और इसके चेयरमैन हुए। कान्क्लूडिंग चैप्टर इसका आप देख ले। मैंने एक बात नोट की है। मैं भी किसान हूं। मुझे यह बता दें कि बैशाख में जो गेहूं कटेगा उसको बरसात में निकालेंगे तो शार्टेज हो कैसे जायगी? उसमें तो म्वायश्चर बढ़ेगा। मई जून के काटे हुए गेहूं में शार्टेज कहां से हो जायगी? ये चोरी करते हैं। गेहूं की बोरी में परकी लगाकर गेहूं निकाल लेते हैं और बताते हैं कि लास है। मैं जानता हूं, मुजे प्रॅक्टिकल मालूम है। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया की कोई ताकत यह दिखा दे कि उसमें शार्टेज हो जायगी। गेहूं खरीदने के बाद और गोडाउन में लाने के बाद बरसात में निकाला जायगा तो दो से चार परसेंट तक एक्सेस जरूर होगा। मैं इसका चेयरमैन रहा हूं और मैंने एक्सपेरिमेंट कराया है। उसकी रिपोर्ट मौजूद है, उसे देख लीजिए। मेरे बाद एक कमेटी मुकर्रर हुई, उसकी रिपोर्ट सुन लीजिए। यह जो पंजाब और हरयाने का गेहूं नार्थ ईस्टर्न रीजन में जाता है उसके मुताल्लिक कहा जाता है कि उसमें 6 परसेंट शार्टेज और लास है। उसके लिए एक हाई पावर कमेटी फिर उन्होंने मुकर्रर की। वह लिखते हैं:

"भारती खाद्य निगम की एक अन्य उच्च-शक्ति-प्राप्त समिति ने पंजाब। हरियाणा से पूर्वी प्रदेश के स्थानों को भेजे गए माल में मार्ग में हुई हानियों को अत्याधिक उच्च प्रतिशतता (6 प्रतिशत तक) की जांच पड़ताल की है। इस समिति की जांच से पता चता है कि उस माल के भेजे जाने में मार्ग में कोई हानि नहीं हुई। इसके विपरीत पंजाब से पूर्वी क्षेत्र को रेलगाड़ी

द्वारा ले जाए गए खाद्यान्न की जब प्राप्ति स्टेशनों पर तोला गया तब वह कुछ अधिक ही निकला।"

हुजूरआला, गौर फरमाएं कि यह 6 परसेंट जो शार्टेज दिखाते रहे यह कहां गया ? इसे कौन खाता रहा ? मैं तो सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकता हूं। गद्दी तो आप के हाथ में है। तो यह क्या हो रहा है फूड कारपोरेशन में ? एक जाल है बहुत बड़ा।

साढ़े सात सौ करोड़ का एडिबल आयल इम्पोर्ट होता है। मैं इस कमेटी का भी चेयरमैन रहा हूं आप ताज्जुब करेंगे कि जिस राइस ब्रैन में 16 से 25 परसेंट आयल है वह हमारे यहां गधे और घोड़े खा लेते हैं। वह जो चावल के ऊपर का हिस्सा होता है जिसे राइस ब्रैन बोलते हैं उसमें 16 से 25 परसेंट तेल है। यह भी हमने एक्सपरिमेंट करके देखा है और राइस ब्रैन आयल कमेटी की यह रिपोर्ट है कि जहां हम माडर्न मिल लगाते हैं वहां उसके साथ-साथ एक्सट्रैक्शन प्लांट भी लगना चाहिए। मेरी ड्यूटी थी सलाह देने की, वह मैंने दे दी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? जब से वह रिपोर्ट दी गई, 73 या 74 में तब से अब तक कितने एक्सट्रैक्शन प्लांट लगे हैं? उस रिपोर्ट में यह दिया है कि माडर्न मिल के साथ-साथ, साइड बाई साइज, एक्सट्रैक्शन प्लांट लगने चाहिए। आज भी हम साढ़े सात सौ करोड़ का एडिबल आयल इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहां गधे और घोड़े उस राइस ब्रैन को खा जाते हैं या उसे घूर पर फेंक देते हैं जिसमें तेल मौजूद है और जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो राइस ब्रैन आयल कमेटी की रिपोर्ट है उस पर क्या कार्यवाही हुई ? कितने एक्सट्रैक्शन प्लांट मुल्क के अन्दर लगे हैं ताकि साढ़े सात सौ करोड़ के इम्पोर्ट से हम बच सकें।

कहने को तो बहुत मामले हैं लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं उन को अर्ज कर सकूं। आज अभी-अभी 377 के जरिए से माडर्न बेकरीज का जिक्र किया गया है। मुझे गर्व रहा है इससे भी ताल्लुक रखने का। चार साल सेवा की है। मैं एक बात जरूर पूछूंगा कि '74-75' में इस आर्गेनाइजेशन का 1 करोड़ 3 लाख का प्राफिट था, एक करोड़ तीन लाख का प्राफिट 1972-73 में था जबकि तीन लाख की रकम आउटस्टेंडिंग थी, अगर उसको भी शामिल कर लिया जाय तो एक करोड़ 6 लाख का प्राफिट हो गया। मैं पूछना चाहता हूं क्या कभी किसी मिनिस्ट्री ने आज तक जानने की कोशिश की कि आज उसकी पर्फार्मेन्स क्या है। मुझे माफ करें, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता लेकिन मिनिस्ट्री के कुछ लोगों से साठ-गांठ करके पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज को अपना अड्डा कुछ लोगों ने बना लिया है। मुझे बड़ा दु:ख होता है, मैं क्या अर्ज करूं, जहां मैंने सेवा की है उसको जब डूबते देखता हूं तो परेशान जरूर होता हूं। अभी मेरे एक साथी ने कहा कि 377 में से 103 वर्कर्स को निकाल दिया गया। मुझे मालूम है 50 सीनियर एक्सपीरियंस्ड आफिसर्स में से 20 को शण्ट कर दिया गया और उनकी जगह मैनेजमेंट ट्रेनी रख दिए गए हैं।

फूड कार्पोरेशन ने फरीदाबाद में एक मेज क्रशिंग मिल लगाई थी। श्री इकबाल सिंह फूड कार्पोरेशन के चेयरमैन थे। तब भी मैंने कहा था कि आप सफेद हाथी बांध रहे हैं,

फरीदाबाद में जो मेज मिलिंग फैक्टरी आप लगा रहे हैं उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। उस वक्त भी हमने यह कहा था लेकिन आपने लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं कि वह फैक्टरी जितने दिन फूड कार्पोरेशन के पास रही, उसकी क्या पर्फामैन्स है, वह कितने दिन चली, कितना प्राफिट और लास हुआ, कितने आदमी उसमें रखे गये, कितनी मेज क्रश की गई ? मैं पूछना चाहता हूं कि इस मिल को एक ऐसी अण्डरटेकिंग माडर्न बेकरीज, जो कि मुनाफा दे रही थी मैंने बताया कि एक करोड़ 6 लाख का मुनाफा दिया था—के पास क्यों ट्रांसफर कर दिया गया ? सिर्फ अपने ऐब छिपाने के लिए। फिर वहां से तरक्कियां होती हैं, चेयरमैन, फूड सेक्रेटरी और फलां फलां को लावो। उनकी तरक्की होती है। मैं पूछता हूं क्या जरूरत थी मेज मिल को एक ऐसी अण्डर टेकिंग के पास देने की जो कि अच्छी चल रही थी, प्राफिट दे रही थी और अपने वर्कर को 20 परसेन्ट बोनस दे रही थी ? मेरी बात को आप नोट कर लें, यह जो यूनिट्स आपने ट्रांसफर की हैं वह माडर्न बेकरीज को खा जायेंगी। मैं यह तजुर्बे की बात बता रहा हूं।

इसी तरह से मैं पूछना चाहूंगा आपने उज्जैन आयल मिल क्यों ट्रांसफर कर दी ? क्या यह सही है कि एक करोड़ की मूंगफली वहां खरीदी गई थी ? उस मूंगफली का क्या हुआ ? क्या यह सही नहीं है कि उज्जैन आयल मिल जबसे कायम हुई है उसकी एनुअल रिपोर्ट नहीं आयी ? पिछले तीन सालों से उसकी कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं आई है। सब पोलखाना चल रहा है, खाओ, पियो, मस्त रहो। आप मुझे बतायें कि दो साल से उज्जैन यूनिट का क्या पर्फार्मेन्स है। जो मूंगफली खरीदी गई थी क्या उसको क्रश किया गया और जो तेल निकाला गया क्या उसको मार्केट में बेचा गया और कितने में बेचा गया ? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मूंगफली में उलटफेर हुआ है, वह क्रश नहीं हुई है। आप इसकी जानकारी करें—मैं बहुत गम्भीर बात बता रहा हूं। मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि मेज मिल जब से माडर्न बेकरीज के पास आई है तब से इतने दिनों में कितने मेज का क्रसिंग हुआ, कितना फायदा और नुकशान हुआ। ईसी तरह उज्जैन मिल को कितना नुकसान और नफा हुआ है ? एक इतनी बड़ी आर्गेनाइजेशन जो 600 करोड़ की सब्सीडी पी जाती है उसको 50 करोड़ की सब्सीडी और सही लेकिन माडर्न बेकरीज का बेड़ा आप क्यों गर्क कर रहे हैं ? यह तो एक प्राफिट की यूनिट थी। बेकरीज के अलावा 40 लाख रु० एडवर्टिजमेंट पर खर्च हो गया, जबकि 10-12 लाख रु० रखा गया था, आखिर इसमें भी कुछ नार्मस मुकर्रर होंगे कि यह रुपया कैसे खर्च होगा। बाटलर्स कम्पनी की तरफ से मुकर्रर किये जाते हैं। उनका एलोकेशन है, लेकिन कहीं अखबारों में, रेडियो में एडवर्टिजमेंट नहीं। अगर अखबारों में और रेडियो में एडवर्टिजमेंट होगा, तो उसका बिल बनेगा कि इतना रुपया खर्च हुआ।

मैं स्पेसिफिक चार्ज लगा रहा हूं, आप जरा गौर फरमायें, क्या जो मार्डन बेकरीज में बाटलर्स के नार्मस मुकर्रर किये जाते हैं, क्या उन नार्मस के मुताबिक रुपया खर्च होता है। क्या यह सही नहीं है कि बाटलर्स मैनेजमेंट के नार्मज के खिलाफ उसी बाटलिंग फैक्ट्री में जिसमें "77" बाटलिंग होता है, उसमें अपना-अपना बाटलिंग कर रहे हैं खिलाफे एग्रीमेंट, खिलाफे

नार्मंज । यह बड़ा भारी जाल है । मेरी मन्त्री महोदय से दरख्वास्त है कि यह ट्रांसफर जो मार्डन फैक्ट्री को हुआ है, इसमें धोखेबाजी है, इसको जरा गौर करें और इसकी जांच करायें वरना यह मार्डन बेकरी जो है यह बिल्कुल बैठ जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट से डिमाण्ड करूंगा कि यह जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसमें देश की 75 फीसदी आबादी लगी हुई है, चाहे हल चलाने वाला, चाहे खेत में मजदूरी करने वाला हो । मैं चाहता हूं कि इस मद में एलोकेशन आफ फण्ड्स को और बढ़ाया जाये । आप मुझे माफ करेंगे इस बात को कहने के लिए कि लेंड डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो किसानों को लोन दिया जाता है, वह किसनों के लिए एक प्रकार से मौत है । अगर एक दफा उन्होंने उनसे पैसा ले लिया, उनके हाथ में फंस गया तो उसकी जमीन नीलाम हो गयी । मेरी आप से अर्ज है कि आप इसके प्रोसीजर को भी देखें । होता क्या है कि किसान जो पम्पिंग सैट्स या इंजन लेते हैं, उसके लिए भी एजेन्ट्स मुकर्रर हैं, उनके अलावा वह काश्तकार किसी दूसरे से नहीं ले सकता है । बैंक भी उन्हीं के नाम से इंजन का कट जाएगा, लेकिन रिमेंनिंग पैसा, जो कि पम्प खरीदने के बाद बचता है, यह भी उनको नहीं मिलता है । यह बड़ी भारी बीमारी है जो काश्तकारों को तबाह कर रही है ।

दूसरी बात, जो बिजली की फिक्स्ड प्राइसेस हैं, उसकी भी हालत को आप जरा देखिए । पूरे साल भर किसानों को बिजली नहीं मिलती है, लेकिन जो रेट बिजली का 12-12.5 रु० हार्स पावर का मुकर्रर है, वह उनसे मंथली चार्ज कर लिया जाता है । यह कितना बड़ा जुल्म है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक मीटर लगा दो, उसके हिसाब से जितना पैसा बनता है, वह हमसे ले लो, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है । पानी नहीं, बिजली नहीं, देश में सूखा है । इसका चार्ज किसानों पर लगाया जा रहा है और कहा जाता है कि खेत में गल्ला नहीं होगा तो घर निलाम कर दिया जायेगा । एक तरफ तो आप ने कुकर, टी० वी० और टूथपेस्ट पर रेट कम कर दिया है और दूसरी तरफ फर्टिलाइजर आपने 30 रुपया मंहगा कर दिया । यह आप क्या करने जा रहे हैं । मुझे तो ऐसा मालूम देता है कि आइंदा आप जो प्राइस फिक्स करेंगे, क्या उसमें आप 30 रु० क्वींटिल गेहूं का दाम बढ़ायेगे ताकि फर्टिलाइजर की बढ़ोतरी पूरी हो सके ।

यह क्या तमाशा है कि सारा बजट बनाने वाले, सारा प्लानिंग करने वाले जो अधिकारी हैं, वे सब प्लान शहरों के लिए करते हैं, और गांवों को तबाह कर रहे हैं । यह इसलिए करते हैं क्योंकि गांवों में किसान यूनाइटेड सैक्टर में नहीं है । ये अधिकारी लोग तो डण्डे को जबान समझते हैं, हड़ताल की जबान समझते हैं किन्तु भले आदमी की जबान नहीं समझते हैं । यदि किसान भी आर्गेनाइज्ड हो जाये तो ये शहरों में रहने वाले, एयर कंडीशन्ड में रहने वाले सब भूखे मर जाएंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि हम एयर कन्डीशन्ड नहीं चाहते हैं, हम कूलर नहीं चाहते हैं, हम रोटी चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए कपड़ा चाहते हैं । किसान के जरूरत की हर चीज मंहगी हो जाती है, लेकिन किसान तो पैदा करता है, अपने खून पसीने से, उसके

द्वारा पैदा की हुई चीज सब सस्ती कर दी जाती है। उसकी पैदा की हुई चीज को जो शक्ल बदलने वाला है वह तो तीन-तीन मंजिली कोठियों में रहता है, लेकिन पैदा करने वाला किसान झोपड़ियों में रहता है—यह बड़े अफसोस की बात है। इस चीज को आप को आज नहीं तो कल बदलना पड़ेगा और जरूर बदलना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक घोषणा करता हूं। सत्ताधारी दल के तेंतीस वक्ता हैं। केवल 2½ घंटे बाकी है। इसलिए मैं सत्ताधारी दल के सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वे पांच-पांच मिनट से अधिक समय न लें।

श्री अनादिचरण दास (जाजपुर) : कृपया मुझे दस मिनट दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अत्यधिक समय चाहते हैं तो संसदीय कार्य मन्त्री से निवेदन कीजिए।

***श्री अनादिचरण दास** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मन्त्रालय और ग्रामीण मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। भारत कृषि प्रधान देश है और इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। हमें भोजन के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी में अधिक फसल पैदा हो सकती है। हमारी कृषि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अच्छे बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि उपकरण बहुत आवश्यक है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 80% कृषि पर निर्भर करता है। किसान गांवों में रहते हैं। वे गरीबी की रेखा से निचले स्तर पर हैं, वे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं और पूरे देश के लिए भोजन का प्रबन्ध करते हैं। वे देश का मूलाधार हैं। वे बहुत दयनीय जीवन बिताते हैं। उनके वर्ग का उद्धार करना हमारा पहला फर्ज है। यदि किसानों की सहायता नहीं की जाती और कृषि में प्रगति नहीं होती तो देश की प्रगति प्रायः असम्भव है।

मुझे प्रसन्नता है कि योजना आयोग ने तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने की सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। सरकार भी मूल्य कम करने की दिशा में उपाय कर रही है। तिलहन, दालों, चारे तथा घास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कृषि उत्पादन बढ़ाकर ही हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकता है।

हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान को उच्च प्राथमिकता दे रही है। इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय अलग है। ग्रामीण उत्थान सम्बन्धी विभिन्न योजनायें लागू हो जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। मैं पंचायती राज प्रणाली के बारे में

*उड़िया में दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

दो शब्द कहना चाहूंगा। महोदय, स्थानीय स्वशासन तीन स्तरों पर चला करता था। कुछ वर्षों पहले जिला परिषद, ब्लाक और ग्राम पंचायतें काम कर रही थीं। आजकल उड़ीसा में केवल स्थानीय स्वशासन निकाय हैं। जिला परिषदें समाप्त कर दी गई हैं। हम शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। इसलिए हम जिला परिषद की महत्त्वपूर्ण भूमिका को अनदेखा नहीं कर सकते। महोदय, मैं बलवंतराय मेहता समिति का उल्लेख करना चाहूंगा जिसने जिला परिषदों की भूमिका की प्रशंसा की है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह जिला परिषदों की पुनः स्थापना करे। खंड विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान पर ध्यान दे रहे हैं। एक अलग राजस्व एकक खोला जाना चाहिए और खंड विकास अधिकारियों को खंड अधिकारी की और साथ ही तहसीलदार की भी दोहरी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। मैं सरपंच की शक्तियों के बारे में भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। महोदय, पहले सरपंचों को कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त थीं। उन्हें तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त थीं। सरपंच पंचायत के स्तर पर छोटे मामलों का फ़ैसला करते थे। गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए सरपंचों को संक्षिप्त विचारण की शक्ति दी जानी चाहिए। गांधी जी ने गांवों में वापिस लौटने का आह्वान किया था। अब समय आ गया है कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांग विकास के लिए उपाय करने चाहिए। इसलिए सरपंचों, वार्ड पार्षदों और वार्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे ग्रामीण लोगों को बेहतर प्रशासन सुविधायें दे सकते हैं। पंचायत के स्तर से ही 20-सूत्री कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए।

अब मैं भूमि सुधार उपायों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। महोदय; हमारे देश में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई थी परन्तु कुछ जमींदारों के पास अब भी जमींदारी है। उनके कब्जे में दूसरों के नाम से अनेक एकड़ों की भूमि सम्पदा है। वे जाली काश्तकार हैं। मैं मांग करता हूं कि सरकार इस मध्यस्थ प्रणाली को समाप्त कर दे। इस प्रयोजन के लिए सभा के सम्मुख विधान प्रस्तुत करना चाहिए। पिछली सरकार के शासन के दौरान भूमिहीन लोगों को पट्टे वितरित किए गए थे, परन्तु मुझे खेद है कि जनता सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया। फिर भी वर्तमान सरकार ने इस कार्यक्रम को आरम्भ करने का निर्णय किया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस कार्यक्रम में कुछ संशोधन करके इसे लागू करे। महोदय, भूमिहीन लोगों को पट्टे वितरित किए गए हैं। फिर भी, उन्हें कुल मिलाकर जितनी भूमि मिल रही है वह बहुत कम है। यह अधिशेष भूमि है। यह कृषि योग्य भूमि नहीं है और जिन गरीब लोगों को यह भूमि मिलती है उसे कृषि के योग्य बनाने पर जब वे काफी धन लगा देते हैं तब वह जमीन उनके हाथ से निकल जाती है। मैं आशा करता हूं कि भूमिहीन लोगों को कुछ और एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए राज्य सरकारों को कुछ मार्गदर्शी निर्देश भेजे जाएंगे।

सरकार बड़े जमींदारों से जो अधिशेष भूमि अर्जित करती है, वह उसे भूमिहीन श्रमिकों को दे देती है। इतना ही काफी नहीं है। ऐसे किसानों को अपनी भूमि जोतने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। ऐसी श्रमिक सहकारी संस्थाओं का गठन करना चाहिए जो इन किसानों को अपनी भूमि सुधारने के लिए सभी सम्भव सहायता दें। ऐसा होता है कि कुछ

लोगों के पास भूमि है, परन्तु उनकी वित्तीय स्थिति इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने खेतों पर पैसा लगाएं। इसलिए उनकी भूमि पर खेती नहीं होती। उनसे यह बंजर भूमि ले लेनी चाहिए ताकि भूमिहीन लोग उस पर खेती कर सकें। इस प्रयोजन के लिए सभा में एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। भूमि की चकबन्दी का कार्यक्रम मुस्तैदी से लागू किया जाना चाहिए। यदि हम इस कार्यक्रम का पालन करेंगे तो हमारे किसानों को बहुत लाभ होगा और उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

अब मैं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर चर्चा करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में गांव में सड़कों का निर्माण, प्रौढ़ शिक्षा, निरक्षरता निवारण, पीने के पानी की पूर्ति, ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाएं और समेकित आवास योजनाएं शामिल हैं। उड़ीसा पिछड़ा हुआ राज्य है। ऐसे बहुत से गांव हैं, जिनमें सड़कें नहीं बनी हुई हैं। बहुत सी गांव की सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि उड़ीसा सरकार को गांव की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए विशेष सहायता दे। प्रत्येक गांव में सड़क होनी चाहिए। प्रत्येक ग्रामवासी को पीने का पानी मिलना चाहिए। शिक्षा-प्रसार और निरक्षरता उन्मूलन के लिए कदम उठाये जाने चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिये। विभिन्न गांवों में चल स्वास्थ्य एकक खोले जाने चाहिये। राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और स्थानीय लोगों को यह खर्चा बराबर-बराबर उठाना चाहिये। गरीब और आवासहीन लोगों को पक्के मकान दिये जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आवासीय मांग पर बोल सकते हैं। यह कृषि के अन्तर्गत नहीं आता। कृषि मन्त्री उसका उत्तर नहीं दे पायेंगे।

श्री अनादिचरण दास : मैं रिकार्ड के अनुसार बोल रहा हूं। यह ग्रामीण पुनर्निर्माण के अन्तर्गत आता है। अब मैं प्रोषण कार्यक्रम के बारे में कुछ कहूंगा। बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांवों को पौष्टिक आहार भेजा जा रहा है। किन्तु 'केयर' आहार की वर्तमान प्रणाली जारी नहीं रखनी चाहिए। इससे गांव के गरीब लोगों में आपस में ही बेकार के झगड़े हो रहे हैं। इसीलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस प्रणाली पर गहनता से विचार करे और इस विषय में वह राज्य सरकारों का कुछ मार्गदर्शन करे।

महोदय, मेरे राज्य में कृषि मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है। अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मजदूरी की वर्तमान दर पर मिलने वाली मजदूरी में वे अपने परिवारों का पालन-पोषण नहीं कर पाते। इसीलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 7 रुपए कर दी जाए।

महोदय, मेरी बात अधूरी ही रह जाएगी, यदि मैं देश के भीतर मछली-उद्योग की स्थिति का उल्लेख नहीं करूंगा। उड़ीसा के चार जिले—कटक, पुरी, बालासोर, और गंजम, तटवर्ती जिले हैं। इसके अलावा तालाबों, नदियों और जलाशयों में मछली उद्योग के पनपने की काफी

संभावनाएं हैं। सरकार को मेरे राज्य में मत्स्य-पालन में सहायता देनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो बेरोजगार युवा वर्ग को रोजगार मिल सकेगा और वे देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे। उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस शीर्ष के अन्तर्गत धन दिए जाने के लिए निवेदन किया था। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के अनुरोध पर ध्यान देगी। अन्ततः मैं बाढ़-नियंत्रण कार्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस योजना को लागू करने के लिए उड़ीसा में काफी गुन्जाइश है। इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार ने व्यवहार्यता प्रतिवेदन भेजा है। एक योजना तैयार की जा चुकी है। उड़ीसा सरकार ने बाढ़-नियंत्रण योजना को लागू करने के लिए 533·26 लाख रुपए की मांग की है। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस पर अनुग्रह पूर्वक विचार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : कृषि की मांग के सिलसिले में मैं अपने कुछ विचार सदन के सामने रखना चाहूंगा।

पिछला साल हमारे देश में अकाल का साल था। उसके पहले दो साल काफी अच्छे उत्पादन के साल थे और इस देश के खाद्यान्न का उत्पादन करीब 122 मिलियन टन के पास पहुंच गया। इस बार काफी लम्बे चौड़े दावे किए गए। यह कहा गया कि हम ने योजना में कुल 7340 करोड़ का प्रावधान किया है और यह प्रावधान पिछले साल के प्रावधान से 14.6 प्रतिशत अधिक है। रुपये की कितनी कीमत कम हो गई है और मंहगाई कितनी बढ़ गई है, इस को आपने देखा ही नहीं। रोज या हर सप्ताह जो आपके आंकड़े निकलते हैं उनको देखने से पता चलता है कि पांच प्वाइंट प्राइस राइज हर सप्ताह हो जाता है। कुल मिलाकर करीब 25 प्रतिशत दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है पिछले साल जो कीमतें थीं उनके मुकाबले में। आप स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस योजना में 7340 करोड़ रुपए का प्रावधान कर के पिछले साल के मुकाबले में आपने रुपया बढ़ा दिया है। यह असली 14·6 की बढ़त है। यह बढ़त है कहां? यह सब घटत है।

फिजीकल टारगेट, जिनका आमतौर से हर बजट में हमेशा मैंने उनका प्रावधान देखा है कि इतनी दालें, रुई, धान पैदा करेंगे और इन्डस्ट्रीज के टारगेट्स भी होते हैं। इस साल के बजट में आप देखेंगे कि जहां तक फिजिकल टारगेट्स का सवाल है, वहां बिल्कुल दबी जबान से थोड़ा सा इशारा किया गया है और कुछ नहीं कहा गया है। यह भी लिखा है कि हमारा धान का लक्ष्य 120 मिलियन टन इस साल में होगा।

राष्ट्रीय कृषि आयोग एक आयोग है जिसे कांग्रेस की सरकार ने 5 साल पहले बैठाया था। उसने बड़ा सोच-समझकर एक रिपोर्ट दी, कुछ सिफारिशें कीं और सोचा कि इस देश में जनसंख्या किस रफ्तार से बढ़ रही है। जनसंख्या की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए किस-किस चीज के कितने उत्पादन की आवश्यकता रहेगी, इन सारी बातों का बहुत बारीकी से सारा सोच-विचार करके इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए थे। यह भी सोचा गया कि 1985 तक इस

देश में करीब 75 करोड़ की आवादी होगी और इस 75 करोड़ की आवादी को खाने के लिए 156 मिलियन टन अनाज इस देश को चाहिए। आज हम 1980-81 में 120 मिलियन टन अनाज पैदा करने की बात सोच रहे हैं और यह सरकार वड़ा गर्व करती है कि हमने वजट को पहले से बढ़ा दिया। मैं समझता हूं कि यह परफार्मेन्स इस रफ्तार से इस देश को ले डूबेगी। आज जिस तरह के हालात इस देश में हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जायेगी, 70 करोड़ पर हम पहुंच गये।

एक माननीय सदस्य : आपकी ओर से विरोध हुआ था।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। सन् 1952 से मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं, आप मुझे जानते नहीं हैं, कि जनसंख्या पर नियंत्रण अगर इस देश में नहीं किया जायेगा और उसके साथ योजना को नहीं जोड़ा जायेगा तो यह देश डूब जायेगा। यह मेरी बात आप सन् 1952 से देख लीजिए, आम मीटिंगों के मेरे भाषणों को सुन लीजिए। आप तो अभी आये हैं, जान नही रहे हैं मुझे।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कृषि आयोग की सिफारिशों के बारे में मैंने एक रैफरेन्स में पूछा था कि किस स्टेज पर चल रही है। मेरे उस सवाल के जवाब में यह कहा गया कि 2361 सिफारिशें हैं, 1614 मान ली गई, 305 पर अभी काम हो रहा है और नौट-एक्सैप्टेड 25 हैं और अन्डर एग्जामिनेशन 416 हैं।

मैं सोचता हूं कि जिस गौर से इन सिफारिशों को लिया जाना चाहिए था, खासतौर से 2 सिफारिशों की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेन्जेज के बारे में है कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमैंट्स के तमाम सैक्रेटरिएट्स से नीचे के जिले लैवल तक सारी मशीनरी में एडमिनिस्ट्रेटिव चेन्जेज हों, और दूसरा चैप्टर इम्पार्टेन्ट है जिसमें लिखा है कि सेंट्रल और स्टेट रिलेशन्ज इस नए दौर में क्या होने चाहियें।

इन सुझावों के बारे में आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि आज वक्त है, आपका एक वैल-निट सरकार का आर्गेनाइजेशन है, स्टेट्स में भी चारों तरफ आपने अपनी सरकारें बना ली हैं। यह सेंटर और स्टेट में आपस में ताल-मेल करने का वक्त है। जैसे आप जानते हैं कि कृषि राज्यों का विषय है और आप नीति-निर्धारण का काम करते हैं या कुछ पैसा सेंटर से देने की कार्यवाही करते हैं। वह पैसा आप उनको एलाट करते हैं, पर आपका और उनका आपस का ताल-मेल, कि किस प्रकार से पैसा खर्च होना चाहिए और उन योजनाओं के जो परिणाम होने चाहिए, उनमें आज कतई नहीं है।

जिस तरह की कार्यवाही आज आप करने की स्थिति में हैं, वैसी कार्यवाही करने की स्थिति में जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और उससे पहले जब हमारी और आपकी सरकार थी, वह भी इस काम को नहीं कर सकी। आज इस काम को करना चाहिए।

बहुत से माननीय सदस्य तो कृषि आयोग की रिपोर्टों के बारे में जानते भी नहीं होंगे। वे रिपोर्टें पुराने सदस्यों को दी गई थीं। यदि नये मेम्बर साहबान को भी एक-एक कापी पढ़ने के लिए दे दी जाये, तो उन्हें भी मालूम हो सकेगा कि कृषि आयोग ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसका सारांश सदस्यों को वितरित किया जाना चाहिए।

श्री नाथू राम मिर्धा : कृषि आयोग ने बहुत से विषयों पर बहुत जबर्दस्त रिपोर्टें दी हैं—उसने समुद्र में पैदा होने वाली मछलियों, जानवरों, जंगलों और खेती से उत्पन्न होने वाली सब चीजों के बारे में रिपोर्टें दी हैं।

सिंचाई की मांगे इस मन्त्रालय के साथ आती रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अब सिंचाई मन्त्रालय को अलग कर दिया गया है। सिंचाई आयोग और कृषि आयोग दोनों ने एक महत्व-पूर्ण सिफारिश की है कि नदियों का पानी एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है और उस पानी का उपयोग देश की सारी जमीन को सिंचित करने के लिए किया जाना चाहिए।

(श्री के० राजामल्लू पीठासीन हुए)

आज स्थिति यह है कि नदियां जिन इलाकों में से निकलती हैं, उन राज्यों का उन पर हक है। राज्यों का आपस में ताल-मेल नहीं है और उनमें आपस में झगड़े होते हैं। इसी कारण हरियाणा में नहरें बिना पानी के पड़ी हुई है। इस बारे में संविधान में संशोधन करने के लिए एक कानून तैयार हो चुका है। जब तक संविधान में यह संशोधन नहीं किया जायेगा, तब तक राज्यों के बीच पानी के बारे में डिस्पूट्स होते रहेंगे। कुछ डिस्पूट्स निपटाये गये हैं। नर्वदा नदी का डिस्पूट्स 14 साल के बाद तय किया गया है, और वह भी करीब-करीब उसी लाइन पर तय किया गया है, जो पन्द्रह साल पहले खोसला कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। उस वक्त उस कम्प्लेक्स की कास्ट 1200 करोड़ रुपये थी। यदि आज इस योजना को शुरू करें, तो वह पन्द्रह सालों में पूरी होगी। उस समय यह कम्प्लेक्स 12,000 करोड़ रुपये में पूरी होगी। अगर उसी वक्त इस बारे में फैसला हो जाता, तो देश का कितना भला होता। देश में सबसे ज्यादा पानी रखने वाली नर्वदा नदी का फैसला आज हुआ है। जब तक सरकार इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देगी, तब तक इस देश में जरूरी काम नहीं होंगे।

कृषि आयोग और सिंचाई आयोग की सिफारिश के मुताबिक संविधान में संशोधन आज किया जा सकता है, क्योंकि आज राज्य सरकारें आपके हाथ में हैं, केन्द्रीय सरकार भी एक मजबूत सरकार है और इन्दिरा जी जैसी मजबूत प्रधान मन्त्री हैं। इसलिए इस काम को अविलम्ब करना चाहिए।

राजस्थान कैनाल कितने अरसे से बन रही है। वह सारे देश की खाद्यान्न और कपास की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। कृषि आयोग ने कहा था कि जहां आदमी रहते हैं, वहां पानी

ले जाया जाये, बजाये इसके कि पानी को पाकिस्तान के बार्डर पर रौंड ड्यून्ज की तरफ ले जाया जाये, जहां कालोनाइजेशन का कास्ट बहुत ज्यादा होगा। कृषि आयोग ने कहा था कि लिफ्ट योजना बना कर पानी वहां ले जाया जाये, जहां आदमी बसे हुए हैं। जनता सरकार ने उस सिफारिश को रिजेक्ट कर दिया था। इस सरकार को चाहिए कि वह इस महत्वपूर्ण सिफारिश को स्वीकार करके राजस्थान की लिफ्ट योजना को सिक्स्थ प्लान का अंग बनाकर इम्प्लीमेंट करे। आज देश में हर चीज की कमी है, जिससे महंगाई बढ़ती जा रही है। इस योजना से उन चीजों का उत्पादन बढ़ेगा।

नर्मदा के पानी को डेजर्ट में ले जाना और राजस्थान कैनाल के पानी को ऊंचे इलाकों में ले जाना बहुत जरूरी काम है। अगर इन योजनाओं को तेजी से पूरा नहीं किया जाएगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा।

आज हमारे किसानों की क्या हालत है ? वित्त मन्त्री जी ने राज्य सभा में भाषण देते हुए कहा है कि हम किसान की पैदा की हुई चीजों और इंडस्ट्रियल उत्पादन की कीमतों में पैरिटी कायम करेंगे। कब करेंगे ? क्या सरकार के पास इसके लिए कोई मशीनरी है ? पन्द्रह वर्ष से तो मैं इस बात को सुनता आ रहा हूं। आज भी इसके लिए कोई मशीनरी नहीं है। इसलिए पैरिटी का प्रश्न ही नहीं है। किसान की सब चीजें आप सस्ती लेना चाहते हैं और किसान को जो भी चीज आप दे रहे हैं सारी की सारी उसकी इनपुट्स मंहगी कर दी। किसान के ट्रैक्टर पर 45 परसेंट, 46 परसेंट टैक्स है। एक ट्रैक्टर आज किसान लेने जाता है तो मय इम्लीमेंट्स के 80 हजार रुपये में मिलता है, क्या कोई किसान 80 हजार रुपये खर्च करके ट्रैक्टर खरीद सकता है ? और अगर इस देश में ट्रैक्टराइजेशन नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं होगी। कृषि आयोग ने बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि इस देश में तीन स्टेजेज पर मेकैनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। पहले तो जमीन की जुताई के लिए ट्रैक्टर का सवाल है, फिर जमीन से पानी निकालने का सवाल है, लिफ्ट करके पानी को इस्तेमाल करने का सवाल है और हार्वेस्टिंग के लेवेल पर मशीनों के यूज का सवाल है। कड़ी गहराई से अध्ययन करने के बाद कृषि आयोग द्वारा यह राय दी गई है कि इन तीनों स्टेजेज पर एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन तेजी से करने की जरूरत है। आज दाम बहुत बढ़ गए। किसान की मोटरें महंगी, डीजल का भाव इतना बढ़ा दिया, कुल मिलाकर 21 सौ करोड़ का टैक्स आपने लगा दिया है, 6-7 सौ करोड़ का टैक्स फर्टिलाइजर पर लगाया है, किसनों का फर्टिलाइजर ड्योढ़ा महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, ट्रैक्टर का दाम बहुत बढ़ गया, क्या चीज आप किसान को सस्ती दे रहे है ? किस बुनियाद पर किसान से आप सस्ती चीज पैदा करने की आशा करते हैं और लोगों को सस्ती चीज दिलवाना चाहते हैं ? आप दो चोजें कीजिए। या तो किसान को उपयुक्त दाम दीजिए या इनपुट्स के दाम कम कोजिए, इनपुट्स सस्ते दीजिए। आज एक भी चीज नहीं है। हर चीज किसान से तो सस्ती लें और किसान को सब चीज महंगी दें इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप ने बजट के अन्दर बड़ी सफाई से कह दिया.. (व्यवधान)... मैं आप से निवेदन कर रहा था कि किसान के बारे में पैरिटी इन प्राइसेज होनी चाहिए। किसान

को इनपुट्स के अन्दर जो चीजें आप दे रहे हैं वह कितनी महंगी हो गयी है, बहुत गहराई से माननीय मन्त्री जी को इस पर सोचने की जरूरत है और यह कृषि आयोग की रिपोर्ट है, इरीगेसनरी रिपोर्ट है, इसको देखें।

कई बातें हैं। खास तौर से बैल और गो-वंश का क्या हाल हो रहा है? विनोबा जी रोज उसके बारे में कहते हैं। इंदिरा जी की भी उनसे बातें हुई हैं और आप लोग भी उसके बारे में कहते रहते हैं। गो-वंश को जब तक इस देश में आप ऊंचा नहीं उठाएंगे और उनके गले पर से छुरी नहीं उठाएंगे तब तक इस इस देश के अन्दर कभी भी आप सुखी और खुशहाल नहीं हो सकते हैं। यह मेरी कोई पोलिटिकल मांग नहीं है। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आप को 14 हजार मिलियन बैल इस आने वाली सैन्चुरी के अंत तक चाहिए अगर किसान से ठीक ढंग से आप खेती करवाना चाहते हैं। यह बड़ा अहम् प्रश्न है। बैलों की शक्ति को भी आपको बढ़ाना होगा और दूसरे तरह के पावर को भी बढ़ाना होगा। ज्यादा समय दे नहीं रहे हैं इसलिए मैंने इशारे में बातें की हैं।...(व्यवधान)...मुझे खुशी है कि आप मेरी बात पसंद कर रहे हैं।

मैं खास तौर से कुछ गरीब मछुवों और फिशरीज के बारे में कहना चाहता हूं। फिसरी में बराबर इन पिछले सालों में टैक्स बढ़ता चला जा रहा है और वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। वैल्यू बढ़ने से आप कहेंगे कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है लेकिन ऐक्चुअल कैच हमारा घट रहा है और वह इसलिए घट रहा है कि छोटे लोगों के पास भी मेकेनाइज्ड नोटस हो गई। यह सवाल कई दफा आप के सामने भी आता है और बड़े ट्रालर्स भी हो गये। तो ट्रालर्स दूर जाना नहीं चाहते क्योंकि दूर जाना महंगा पड़ता है, डीजल के दाम और कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। डीप सी में जा कर वह कैच करते नहीं हैं। वहीं नजदीक में हीं दोनों लड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं समुद्र का यह वेल्थ है। यह काफी बड़ी मात्रा में हिन्दुस्तान के अन्दर भी खाने के काम आएगी और बाहर भी भेजी जा सकती है, तो इस तरह की जो खाने की चीज है उसको भी आप बढ़ाते नहीं हैं, उसको तो आप बढ़ायें।

इस बात को मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस देश में खासतौर से गो-वंश की रक्षा होनी जरूरी है। इस देश में गऊ नहीं कटनी चाहिए और कहीं नहीं कटनी चाहिए फाडर और चारे के बारे में बहुत योजनाएं दी हैं।

फारेस्ट्स के बारे में भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। इस कमीशन की रिपोर्ट में 8 रिपोर्टें फारेस्ट के बारे में हैं और खासतौर से डेजर्ट डेवलपमेंट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।। डेजर्ट डेवलपमेंट के अन्दर पिछले साल योजना में आप ने 18 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि 9 करोड़ राज्यों वाले फाइन्ड आउट करें। 18 करोड़ की पूरी सेन्ट्रली फाइनेंस्ड स्कीम इसलिए रखी गई थी कि यह इलाके देश के पिछड़े हुए इलाके हैं। इनमें 11 जिले राजस्थान के हैं, 4 जिले गुजरात के हैं और 4 हरियाणा के हैं। इसी में लद्दाख और लाहोलस्पीति का इलाका भी है। यह सब पिछड़े हुए इलाके हैं, इसलिए डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए केन्द्र की तरफ से आपको पूरा धन खर्च करना चाहिए। लेकिन आपने

भी जनता पार्टी की नकल कर ली, आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाए। पिछले साल 9 करोड़ का प्राविजन था और खर्चा किया 5-6 करोड़ और इस साल आपने 8 करोड़ का खर्चा रख दिया। यह डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइवल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह कमीशन की रिपोर्ट में इस दृष्टि से सजेस्ट किए गए थे कि वे स्पेशल इलाके हैं, बैकवर्ड रीजन्स हैं जहां गरीब लोग रहते हैं, इसलिए इन योजनाओं को पूरा करने के लिए सेन्टर को विशेष तौर से आगे आना पड़ेगा और कार्यवाही करनी पड़ेगी।

जहां तक फारेस्ट की बात है, उसके बारे में हमने रिपोर्ट में दिया था कि मैनेजेड फारेस्ट से लोगों को एम्पलायमेंट मिलेगा। यहां पर रात दिन एम्पलायमेंट के बारे में चर्चा होती रहती है। हमने कृषि आयोग रिपोर्ट में सारा वर्कलोड बताया था कि कितना एम्पलायमेंट दे सकते हैं अगर योजनाबद्ध काम किया जाए। परन्तु डिटेल में किसी ने भी इन योजनाओं को नहीं देखा, केवल कुछ बातों को पकड़ लिया। इस तरह से अधूरी योजनायें चल रही हैं।

आपको डिटेल में सारी योजनाएं लेनी पड़ेंगी। मार्केटिंग के बारे में देखना होगा ताकि आप किसान को वाजिब कीमत दिला सकें। किसान को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। भन्डारण के लिए गोडाउन्स बनाने पड़ेंगे। आपने कुल मिलाकर 9 करोड़ का प्राविजन किया है जिसमें पिछले साल 3 करोड़ खर्च किए गए। मार्केटिंग के बारे में कृषि आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि जब तक मार्केटिंग की, हाट-बाजारी की व्यवस्था नहीं होगी किसानों की लूट-खसोट होती रहेगी, उसको सही दाम नहीं मिल सकेगा। इसलिए मार्केटिंग के बारे में जो रेकमेंडेशन्स हैं उनको सही ढंग से लागू किया जाए, उसी के हिसाब से उचित प्रावधान किए जायें तथा जो प्रावधान किया जाए उस पैसे को खर्च किया जाए। आप देखेंगे कि कृषि से सम्बन्धित बहुत सी मदों में पिछले साल जो पैसा रखा गया वह खर्च नहीं हुआ और इस साल आपने उसको कम कर दिया। जैसा कि दिगम्बर सिंह जी कह रहे थे, एनिमल हस्बेंडरी में आपने बढ़ा दिया है, लम्बे चौड़े प्लान्ट्स लगाए जायेंगे लेकिन जानवरों की नस्ल सुधारने के लिए, उनके लिए चरागाह बढ़ाने के लिए, उनकी बीमारियों की रोक-थाम करने के लिए कोई प्राविजन नहीं किया गया है। बड़े-बड़े प्लान्ट्स भी जहां पर लगाने की जरूरत है वहां पर नहीं लगाये जाते हैं।

गन्ना जलाने की जो नौबत आई वह इसलिए आई कि गन्ना क्रश नहीं किया गया। बड़ी शुगर मिलें थीं नहीं और जो छोटी यूनिट्स थीं वह गन्ना खरीद नहीं पा रहीं थीं। इसीलिए आज यह चीनी की मुसीबत आई। इस साल आपने कितनी चीनी मिलों का प्रावधान किया है? कितनी मिलें लगाई जा रही हैं? कोआपरेटिव सेक्टर में जो मिलें लगाई गईं वह चलती नहीं हैं। कोआपरटिव मिलें अभी फेल हो रही हैं। ऐसी हालत में जब तक आप किसान के उत्पादन की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। प्याज कभी एक रुपये की पांच किलो और कभी पांच रुपये किलो—यह क्यों होता है? इसलिए कि मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। यही सब्जियों का भी हाल है। इसलिए आप मार्केटिंग की तरफ ध्यान दें। आप यह भी देखें कि क्या-क्या चीजें एक्सपोर्ट की जायें। मैंने

निवेदन किया था कि भेड़ और बकरे का मान्स जो बाहर जाता था वह भी आज बन्द हो गया है। किसान अगर मरता है तो, मरे उसका कोई इलाज नहीं है। इन सारी चीजों पर जब तक कृषि मन्त्रालय ध्यान देकर कामर्स मिनिस्ट्री और दूसरों की वृद्धि ठीक नहीं करेगा तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : ठीक कर रहे हैं।

श्री नाथू राम मिर्धा : आप करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आंख मीचकर कर दिया जाता है। सभापति जी, आपने मुझे इतना समय बोलने के लिए दिया, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मेरी बातों को दिलचस्पी से सुना और उम्मीद है कि मन्त्री जी भी मेरी बातों पर गौर करेंगे और देश के कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे।

***श्री एच० एन० नन्जे गौडा (हसन)** : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं ग्रामीण पुनर्निर्माण के मसले पर अपनी राय देना चाहूंगा। महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भाषण की स्वतन्त्रता के लिये इच्छुक नहीं हैं। वे बढ़िया कपड़े तक पहनने के लिए भी उत्सुक नहीं हैं। किंतु वे अपने जीवन-निर्वाह के लिए अवश्य ही चिंतित हैं। वे जीना चाहते हैं। भगवान ने कृपापूर्व हवा प्रदान की है। किंतु हमें ऐसी व्यवस्था करनी है ताकि ग्रामीणों को पानी मिल सके, हम इस राष्ट्र के लोगों को कपड़ा और भोजन देने के लिए भी वचन बद्ध हैं। इस देश में अभी काफी ग्रामीण विकास होना है। हमारे देश में ग्रामीण पुनर्निर्माण ही प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगा। किंतु यदि आप हमारे देश के गांवों के मौजूदा हालत को देखें तो हमें मालूम होगा कि 60% गांव गंदी बस्ती क्षेत्रों के समान हैं। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। यहां स्वच्छता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य भी लागू नही किया गया है। ग्रामीण पुनर्निर्माण एक स्वप्न बन कर ही रह गया है। कई कार्यक्रम शताब्दियों तक और स्वतंत्रता के बाद भी यह स्वप्न ही बना रहा है। आज यदि हमारे ग्रामीणों को जीवित रखना है तो उनके लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि इस समस्या का केवल यही समाधान है। गांवों में जल-निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गलियां नालियों के रूप में बदली हुई हैं। गांवों की यही असली दशा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन गाँवों के सुधार को क्यों प्राथमिकता नहीं दी गयी है? 50% ग्रामीण कुपोषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश कुपोषण के कारण रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं। यहां तक कि पेय जल जैसी अत्यावश्यक वस्तु भी उन्हें उपलब्ध नही है। मानव-शक्ति ही हमारे देश का धन है। किंतु दुर्भाग्यवश यह विशाल मानव-शक्ति व्यर्थ जा रही है। लगभग 20%

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

ग्रामीणों के पास ही छोटे-मोटे काम हैं। लगभग 30% ग्रामीण वर्ष में केवल तीन महीने ही काम करते हैं। शेप लोगों के पास बिल्कुल भी काम नहीं है। आजकल सफाई कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ आन्दोलन कर सकते हैं। यदि वे काम नहीं करते, तो सरकार को उनसे अनुरोध करना पड़ता है। ग्रामीण जनता जिसकी संख्या कुल आबादी में से 46 करोड़ है, संगठित नहीं है, इन लोगों के मतों से ही हम चुनाव जीतते हैं। आज एक उद्योग पति अपनी व्यक्तिगत समस्या पर मुझसे चर्चा करने के लिए आए थे। किंतु एक गौडा (ग्रामीण कृषक) यहां नहीं आ सकता और हमसे अपनी समस्या की चर्चा नहीं कर सकता है। इसलिए अभी तक ग्रामीणों पर ध्यान नही दिया गया है हमें उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। पूरी सभा से मेरा यही हार्दिक अनुरोध है। जैसाकि मैंने पहले कहा, बहुत से ग्रामीण बेरोजगार हैं। और जिनके पास थोड़ा काम है, वे भी दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रणाली क्यों चल रही है। राष्ट्र की संपत्ति नगरों में केन्द्रित हो रही है। और ग्रामों में कुछ भी नहीं रह गया है। आज टाटा और बिड़ला जैसे बड़े लोगों की भरती हुई तिजोरियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई भी नहीं है। उनके उत्पादों की बिक्री के लिये बाजार सुरक्षित हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं, और अपने उत्पादों को वे इच्छित दर पर बेच सकते हैं। उनके टूथ पेस्ट जैसे उत्पादों और अन्य मदों पर उन्हें 500% लाभ होगा। इन पूंजीपतियो ने ऐसा वातावरण तैयार कर लिया है और दूसरी ओर कृषक और उसकी पत्नी दिन भर काम करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उनको कठोर श्रम के बदले में कुछ नहीं मिलता, किसानों के खून पसीने का कोई मूल्य नहीं है। खाद्यान्न की कमी के कारण हमें बाहर से खाद्यान्न मंगवाना पड़ता है।

महोदय, खरीद मूल्य को निश्चित करना कोई अच्छी प्रथा नहीं है। इसे वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया जाता है। खरीद मूल्य को निर्धारित करते समय भूमि की लागत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि खरीद मूल्य को निश्चित करने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जाए। किसान को लाभ कारी मूल्य मिलना चाहिए। केन्द्रीय सरकार का यह सर्वोपरि कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह कृषि उत्पादों को खरीदे। इस समय किसान को यह निश्चित रूप में मालूम नहीं है कि उसके उत्पादों के लिए उसे क्या मूल्य मिलेगा। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वह उसे आश्वस्त करें कि वह उस लाभकर मूल्य पर उसके उत्पाद खरीद लेगी जो कम से कम पांच वर्ष तक एक समान रहेगा।

खेती के लिए पानी सबसे अधिक आवश्यक है। हम अब तक पांच पंचवर्षीय योजनाएं लागू कर चुके हैं लगभग 230 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी थी जिसके लिए कृषि सुविधाएं उपलब्ध थी। अब इन पांच पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वियन के बाद ऐसी भूमि बढ़कर केवल 430 लाख हेक्टेयर ही हुई है। देश के कुछ भागों में सूखा पड़ गया है। कुछ स्थानों पर खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार नहीं है। हम खाद्यान्नों का आयात करते हैं। किंतु हमारी नदियों का 80% पानी सीधे ही समुद्र में चला जाता है। कैसी विडंबना है।

हमारी कोई राष्ट्रीय जल-नीति नहीं है। हमने प्राथमिकतायें निश्चित नहीं की हैं। हमने न्यायाधिकरणों को इस बारे में कोई मार्ग-निर्देश नहीं दिये हैं कि वे कैसे कार्य करें। हमें

बहुत से न्यायाधिकरणों के निर्णयों में बहुत सी कमियां देखने को मिलती हैं। मैंने कृष्णा न्यायाधिकरण, गोदावरी न्यायाधिकरण और अन्य न्यायाधिकरणों के निर्णयों का अध्ययन किया है। इनमें कमियां इसलिए हैं, क्योंकि उनके पास कार्य-सम्बन्धी मार्ग निर्देश नहीं है। राष्ट्रीय जल-नीति के बगैर मार्गनिर्देश कैसे बनाये जा सकते है ? कर्नाटक में 17%, आन्ध्र प्रदेश में 38%, तमिलनाडु में 42%, महाराष्ट्र में 39% भूमि की सिंचाई हो पाती है अन्यत्र भी ऐसी ही स्थिति है। हम नहीं जानते कि भारत सरकार इस बारे में कोई निर्णय करेगी और प्राथमिकता निर्धारित करते हुए राष्ट्रीय जल-नीति की घोषणा करेगी। मैं सरकार से एक आश्वासन चाहता हूं, क्योंकि यदि हम समुद्र में बह कर चले जाने वाले जल का पूरी तरह से उपयोग करें, तो मुझे यकीन है कि उससे 12 करोड़ हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। इस देश से और आप कौन सी सम्पत्ति चाहते हैं। आप अपनी नीति की घोषणा क्यों नहीं करते और समय-बद्ध कार्यक्रम क्यों नहीं बनाते ?

अन्त में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बकाया परियोजनाओं को स्वीकृति दे। कर्नाटक राज्य की बहुत-सी परियोजनाओं को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है। आपको आश्चर्य होगा कि यहां परियोजनाएं 19 वर्षों से स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है। यह राज्य के राजकोष पर बोझ बन गया है, क्योंकि इसे योजना के अन्तर्गत नहीं रखा जाता। ऐसा क्यों हो रहा है ? ऐसा नौकरशाही के कारण हो रहा है। नौकरशाही पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। इस देश में नौकरशाही ही सबसे अधिक निष्क्रिय और उत्तरदायित्वहीन है। उसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अन्यथा देश के दलित वर्गों की मदद के लिए लोकप्रिय सरकार जो भी निर्णय करेगी, उनका लाभ नौकरशाही की निष्क्रियता और अनुत्तरदायित्वपूर्ण रवैये के कारण उनको नहीं मिल पायेगा। मैं सरकार को यह परामर्श भी देता हूं कि वह समय-बद्ध कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निश्चित करे और यह निर्देश दे कि अमुक कार्य इतने दिनों में पूरा होना चाहिए।

मैं एक उदाहरण देता हूं, चीन में यदि कोई अधिकारी गलती करता है, तो उसका सिर फोड़ दिया जाता है और पेट में गोली मार दी जाती है। मेरा यह मतलब नहीं है कि यहां भी ऐसा ही किया जाये, मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। अतः नौकरशाही को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और उससे काम कराया जाना चाहिए। ऐसा न किये जाने के कारण ही, आजादी के 33 वर्षों के बाद भी देश में इतनी लालफीताशाही है। जब तक इसे ठीक नहीं किया जायेगा, तब तक आप आम आदमी को लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : सभापति जी, सदन के समक्ष कृषि विभाग की जिन मांगों की चर्चा हो रही है, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन करते वक्त मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक कृषि उत्पादन का सवाल है, पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन की गति, चाहे कितनी भी नुक्ताचीनी करें,

लेकिन एक बात माननी होगी, काफी तेज हुई है और हम विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों में कृषि उत्पादन हमारी आवश्यकता से ज्यादा था, जिस में से हमने बाहर के मुल्कों को भेजने की भी कोशिश की और उसके भेजने के बाद भी हम ने अपने देश के लोगों को काफी अच्छी मात्रा में अनाज देने का बन्दोबस्त किया।

इसके साथ मैं एक दूसरी बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम जिस विभाग की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, असल में वह 4-5 विभागों का एक समूह है। इसके बारे में यह बताया गया है कि इसके लिए बजट में 14 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है। आज देश में कृषि के लिए पर्याप्त साधनों की आवश्यकता है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा।

मैं सब सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था देहात के बारे में जो अखबारों में आता है उसे भी मैं पढ़ रहा था, इस बजट के बारे में जो देहात के अखबारों में लिखा है उसे भी पढ़ रहा था। इस बजट में शहर के लोगों के लिए भी रखा गया है, अरबन पापुलेशन के लिए भी रखा गया है। लेकिन जब किसान इस बजट की ओर देखता है तो मैं स्वयं मुश्किल में पड़ जाता हूं यह जानने के लिए कि इस बजट में किसान के लिए क्या रखा गया है। किसान के काम आने वाली जो चीज है उसकी कीमतें बढ़ी हैं साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रतिदिन किसान जो माल खरीदता है उसकी भी कीमतें बढ़ी हैं। इसलिए आज किसान हम से असन्तुष्ट है और नाराज है। उसकी नाराजगी का सवाल यह है कि किसान जो उत्पादन करता है उसके लिए हमें यह देखना होगा कि उसे हम उसके उत्पादन की रेम्युनरेटिव प्राइसिज देते है या नहीं देते हैं। एक ओर किसान जो चीजें खरीदते हैं उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं और वह जो गेहूं और ज्वार पैदा करता है उसके दाम वैसे ही हैं, वह जो कपास पैदा करता है उसके दाम भी वैसे ही हैं। इस तरह से उसके काम आने वाली चीजों के दाम बढ़ने से उसकी उपज का लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है और उसकी उपज की कीमतें बढ़ नहीं रही हैं। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें उसके द्वारा उत्पादित की हुई चीजों के दामों को निश्चित करने की ओर ध्यान देना पड़ेगा।

जैसा अभी एक सदस्य ने कहा, उनकी मालूमात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कृषि सिंचाई से नहीं होती है उसे ड्राई फारमिंग कहते हैं। मैं जिस स्टेट महाराष्ट्र से आता हूं उस में 10 फीसदी ही खेती सिंचाई से होती है बाकी की बची हुई खेती ड्राई फार्मिंग है। ड्राई फार्मिंग में किसान साल में एक ही बार फसल ले सकता है। ऐसे किसान को जो आठ नौ महीने फसल नहीं ले सकता है, उसको अगर हम उचित मूल्य उसके माल का न दें तो उसके लिए जीना असंभव हो जाएगा, व्यवसाय करना असंभव हो जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम अनाज के जो दाम निश्चित करते हैं, कपास के जो दाम निश्चित करते हैं उनमें वृद्धि करना बहुत आवश्यक है।

वे लोग संगठित नहीं हैं, किसानों की कोई ट्रेड यूनियन नहीं है इसलिए उनकी हड़तालें भी नहीं हो सकती हैं। वे आवागमन के साधन भी नहीं रोक सकते हैं। न उनके पास प्रेस है

जिसमें कि वे पब्लिसिटी करा सकें। हम प्रेस में भी देखते हैं कि किसानों की तरफ जितनी प्रेस को सहानुभूति दिखानी चाहिए उतनी सहानुभूति वह नहीं दिखाता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब-जब किसानों की बात कही जाती है तो कुलक की बात सामने आ जाती है। जहां तक मेरे राज्य का सवाल है, हमारे राज्य में लेण्ड रिफार्म्स पर सौ फीसदी अमल हुआ है। वहां कोई कुलक नहीं बचा है। जिन राज्यों में लेण्ड रिफार्म सौ फीसदी नहीं हुए हैं उनको देखकर यदि इस परिणाम पर पहुंचा जाए तो यह ठीक नहीं है। उन राज्यों को देखकर सभी किसानों की गणना कुलक में नहीं की जा सकती। यह भेद प्रेस को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब जब किसान का वर्णन होता है, वह कुलक और जमींदार के नाते किया जाता है। जिन राज्यों में सौ फीसदी लेण्ड रिफार्म्स पर अमल किया गया है उन राज्यों के किसानों को हम कुलक नहीं कह सकते। जिन राज्यों में लेण्ड रिफार्म्स पर सौ फीसदी अमल नहीं हुआ है उन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा लेण्ड रिफार्म्स पर अमल होना चाहिए।

एक बात के लिए मैं केन्द्रीय सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि कुछ दिनों में हमारे महाराष्ट्र राज्य में केन्द्र सरकार ने अपनी समाजवादी नीतियों को ध्यान में रखते हुए कोट ने मोनोपली परचेज योजना को सहायता दी है। लेकिन साथ ही मैं चाहता हूं कि इस योजना को और राज्यों में जहां तक हो सके और आगे बढ़ाया जाए। इसे दूसरे राज्य में भी बढ़ाया जाए। लेकिन साथ ही किसान को जो चीजें या माल खरीदना पड़ता है उनकी कीमतें भी निर्धारित की जाएं। जो मिल मालिक कपड़ा पैदा करते हैं उनका मुनाफा भी निर्धारित किया जाए। इस योजना पर दूसरे राज्यों में भी अमल किया जाए। इसको करते वक्त इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसान को जो चीजें दी जाती हैं और किसान की जो चीजें ली जाती हैं उनकी कीमतों में कुछ सन्तुलन हो। अर्थ मंत्री जी ने राज्य सभा में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रीज में जिन चीजों का उत्पादन होता है उनकी कीमतों में और खेती से पैदा होने वाली जो चीजें हैं, उनकी कीमतों में सन्तुलन रखा जाएगा, पैरिटी रखी जाएगी। लेकिन आज यह पैरिटी बिल्कुल नजर नहीं आती है। नैशनल इकोनोमी में यह बैलेंस आफ प्राइसिस होना चाहिए। किसान को उद्योग में पैदा हुई चीज बहुत महंगी खरीदनी पड़ती है और अपना उत्पादन जब वह बेचता है तो उसको उसे बहुत सस्ते में बेचना पड़ता है। अगर यह पैरिटी नहीं लाई जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि किसान में और भी ज्यादा असन्तोष पैदा होगा। यदि देश का उत्पादन बढ़ाना है और किसान के उत्पादन को थोड़े सस्ते में भी लेना है तो यह आवश्यक है की जो उत्पादन करता है, उसको कुछ इन्सेंटिव दिया जाए और ऐसा कुछ हद तक खाद की कीमतों तथा खेती के काम आने वाले औजारों की कीमतों को कम करके किया जा सकता है।

इस वर्ष खास कर महाराष्ट्र के विदर्भ के हिस्से में सोइंग सीजन में किसान को बहुत तकलीफ हुई है सीड के मामले में। सीड कार्पोरेशन के पास सीड नहीं था। अब प्लानिंग में क्या गलती हुई मुझे मालूम नहीं। लेकिन किसान को दूसरी जगह से प्लेन से सीड ले जा कर तक्सीम

करना पड़ा है और कुछ जिलों में तो सीड मिल ही नहीं सका। यह क्यों हुआ और प्लानिंग में क्या गलती रही इसकी इनक्वायरी की जानी चाहिए, जांच पड़ताल की जानी चाहिए ताकि अगले साल सोइंग के वक्त किसान को खास कर कपास, ज्वार और गेहूं के लिए जो हाईब्रिड सीड चाहिए वह उपलब्ध हो सके। ऐसे भी मौके हमने देखे हैं जब प्राइवेट व्यक्ति को सीड बेचने का कांट्रैक्ट दे दिया गया और उन लोगों ने बहुत मुनाफा कमाने की कोशिश की जिसकी वजह से किसानों में काफी असन्तोष पैदा हुआ। कृषि मंत्री स्वयं किसान हैं। मैं समझता हूं कि वह स्वयं इस मामले की तहकीकात करेंगे और किसान को राहत देने की कोशिश करेंगे।

चीनी का सवाल भी यहां उठाया गया है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो चीनी पैदा करने में अग्रसर है। महाराष्ट्र की सहकारी क्षेत्र में कई शूगर फैक्टरीज स्थापित करने की योजना है। दूसरे राज्यों का तो मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन महाराष्ट्र में सहकारिता के क्षेत्र में शूगर मिलें बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और बहुत अच्छा चीनी का उत्पादन करती है। महाराष्ट्र सरकार ने कई शूगर मिलों के वास्ते योजनायें बना कर केन्द्रीय सरकार के पास भेजी हैं जो यहां पड़ी हुई हैं। यदि केन्द्रीय सरकार उन योजनाओं को अपनी मान्यता दे दे तो चीनी का मसला हल करने में काफी मदद मिल सकती है। इस ओर भी केन्द्रीय सरकार ध्यान देगी, ऐसा में समझता हूं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार-विमर्श करते हुए, ऐसा लग रहा है कि सिंचाई विभाग को इससे अलग कर दिये जाने के कारण इस मंत्रालय का महत्व कम हो गया है। सिंचाई तथा कृषि पर एक साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का कार्य भार मंत्री महोदय को दिये जाने से मंत्रालय का महत्व बहुत बढ़ गया है और आज यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है।

महोदय, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश के 70% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित हैं। 49% राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। अब आपने यह ठीक ही कहा कि कृषि-उत्पादन को दुगुना किया जा सकता है डा० स्वामीनाथन और डा० एस० के० सिन्हा ने यह कहा है कि कृषि में उन्नति की बहुत सम्भावना है, उसके उत्पादन को दुगुना किया जा सकता है।

अभी, कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग के सभापति ने हमें आयोग द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि-क्षेत्र इतना उत्पादन करने की क्षमता रखता है जिससे सन् 2000 ई० में 90 करोड़ लोगों को भोजन मिल सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए मांग होगी, क्या लोगों के पास क्रय शक्ति होगी और क्या कृषकों में उत्पादन को दुगुना करने का उत्साह रहेगा।

हम सब जानते हैं कि कृषकों की उपेक्षा की गयी है। इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले प्रत्येक वक्ता ने कहा है कि कृषि-उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाये जाने की आवश्यकता है। अनेक मंचों पर यह बात कही गयी है कि कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य नहीं दिया जा

रहा है और कृषक द्वारा अपने उपभोग की वस्तुओं के लिए दिए जाने वाले मूल्य और उसे अपने उत्पाद के लिए प्राप्त होने वाले मूल्य के बीच समानता रखी जानी चाहिए। इससे कृषि क्षेत्र में वास्तविक उत्पादन और उसमें अन्तर्निहित संभावना का अन्तर स्पष्ट होता है, क्योंकि हमारा औसत उत्पादन अन्य देशों के औसत उत्पादन से कम है। लेकिन हमारे कुछ राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरणीय खेतों में होने वाला उत्पादन विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ खेतों से तुलनीय है। अतः कृषकों को आवश्यक उत्साह दिये जाने की आवश्यकता है।

जनता पार्टी की सरकार ने यह अनुभव किया कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है और उसने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आप यह देखेंगें कि जब हमने आयात को रोकने का निश्चय किया तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। 1977-78 में 12.5 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। 1979-80 में यह बढ़कर 13.1 करोड़ टन हो गया, लेकिन 1979-80 में सूखे के कारण यह कम होगा। जो भी हो, हमने अपने सोचने के ढंग में परिवर्तन किया।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कृषि के महत्व और देश के विकास में इसके योगदान को स्वीकार किया, लेकिन इस स्पष्ट स्वीकृति के बावजूद गरीब लोगों की सहायता के लिए बनायी गयी बहुत-सी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया और उन्होंने कृषि के सुधार के लिए बहुत कम धनराशि दी है। कल, श्री दिगम्बर सिंह ने प्रस्तुत विषय पर बोलते हुए, ऐसी विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया जिनके लिए 1979-80 की अपेक्षा कम धनराशि नियत की गयी है।

वित्त मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय ग्रामीण-रोजगार की बात कही। इस मंत्रालय पर ग्रामीण पुनर्निर्माण का भी कार्य-भार है। ग्रामीण बेरोजगारी की गंभीर समस्या मंत्रालय और इस देश के लिए चुनौती है। जब तक हम पूर्ण श्रम शक्ति को कार्य में लगाने की योजनायें नहीं शुरू करेंगे, तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यदि हमारे पास अपने उत्पादन को दुगुना करने की शक्ति है, तो भी यदि लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं होगी, तो उस उत्पादन की मांग नहीं होगी। अत: ग्रामीण गरीब लोगों को रोजगार दिलाने के लिए योजनायें शुरू किये जाने की आवश्यकता है। अपने अनुमानों से हमें पता चलता है कि 1978 में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 2.06 करोड़ हो गयी थी और उन्हें रोज़गार देने की जिम्मेदारी सरकार पर है। बहुत-सी योजनाएं शुरू की गयी, लेकिन दुर्भाग्य से, उनसे कुछ भी नहीं हो सका। वित्त मंत्री महोदय ने जिस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में कहा है, वह भी अब तक सफल नहीं होगी, जब तक कि विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए समुचित तंत्र नहीं बनाया जाएगा। हमें खण्ड स्तर पर संसाधनों की सूची बनानी चाहिए और सूक्ष्म योजना बनानी चाहिए। जब तक हम समस्या के स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक उसका हल नहीं खोजा जा सकेगा। विभिन्न योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के लिए दी गई विधियों के उपयोग के लिये हमें समुचित आधारभूत ढांचा तैयार करना चाहिए।

कृपकों के बारे में मुझे कुछ सुझाव देने हैं। मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि उन्हें उतना मूल्य नहीं मिल रहा है, जितना कि मिलना चाहिए। मालगोदमों की कमी उनकी सबसे बड़ी बाधा है। मालगोदमों की सख्या बढ़ाई जानी चाहिए और ये गोदाम कृषि-स्थलों के पास ही बनाये जाने चाहिए ताकि कृपक अपने उत्पाद का संग्रह कर सकें और फसल के फौरन बाद बेचने के बजाय उस समय बेच सकें जब उनके उत्पाद के मूल्य ऊंचे हों।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अधिक उपज वाली किस्में तैयार की हैं, कि जिनका निर्यात किया जा रहा है और उनकी विश्वभर से प्रसंशा की गयी है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं उनका ध्यान समेकित कृषि प्रणाली के लिए अनुसंधान करने की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने प्रयोगशाला. में किए गए अनुसंधान का लाभ खेतों तक पहुंचाने का निश्चय किया है और उन्होने इसके लिए प्रति वर्ष केवल 50,000 परिवारों को लेने का निश्चय किया है। लाभ पहुंचाने वाले इस तंत्र को दृढ़ बनाना होगा और उनका विस्तार करना होगा, ताकि अनुसंधान का लाभ कृषकों को मिल सकें।

भारत का किसान बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है, उसमें इतनी समझ है कि अगर आप उसे नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लाभ बताएंगे तो वह उन्हें अपना लेगा। अतः लाभ बताने वाले इस तंत्र को ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। अब तक हमने ज्यादा उत्पादन वाली किस्म के बारे में ध्यान दिया अब मैं यह चाहता हूं कि वे समेकित कृषि प्रणाली अपनाए जाने की ओर ध्यान दें। मानलो किसी किसान के पास 5 एकड़ भूमि है, उसे यह बताया जाना चहिए कि किस प्रकार की खेती वह करे, किस प्रकार की फसल उगाए। वह तीन फसल ले सकता है, लेकिन साथ ही, अपनी आय बढ़ाने के लिए वह पशु पालन, मुर्गी पालन अथवा सूअर पालन जैसे काम भी कर सकता है। इससे उसकी आय तो बढ़गी ही और साथ ही उर्वरक के खर्च में भी कमी आएगी। ऊर्वरक पर से राज सहायता हटाए जाने से किसान के सम्मुख काफी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पिछले साल किसानों ने जितना उर्वरक इस्तेमाल किया था उतनी ही मात्रा के लिए अब उन्हें 600 करोड़ रु० अधिक देने होंगे। इसका किसान पर कितना बोझा पड़ेगा, आप इसका अनुमान अच्छी तरह लगा सकते हैं। लगभग 30 लाख पंप सेटों को डीजल से चलाया जाना है, लेकिन डीजल के भाव बढ़ गए हैं। अगर आप बढ़े हुए भावों का मोटे तौर पर हिसाब लगाएं तो किसानों को 300 करोड़ रु० अधिक देने होंगे। अतः भारत के किसान पर कुल अतिरिक्त बोझ लगभग 900 से 1000 करोड़ रुपये होगा। भारतीय किसान की स्थिति का आप अच्छी तरह अनुमान लगा सकते हैं। अतः अगर अन्य सभी राज सहायतायें जारी हैं, तो उर्वरक पर राजसहायता फिर से दिए जाने पर भी आप विचार कर सकते हैं। नहीं तो, लगभग कई लाख टन उर्वरक का उपयोग कम हो जायेगा, जिससे खाद्यान्न उत्पादन गिर जाएगा। उसमें 1 करोड़ टन की कमी हो जायेगी जिससे देश की स्थिति पिछड़ कर वही हो जायेगी जो कि 1976-77 में थी। आयात पर निर्भर करना पड़ेगा और आत्म-निर्भरता समाप्त हो जाएगी। अगर हमें एक बड़ा देश, एक महान देश रहना है तो हमें खाद्यान्न उत्पादक में आत्म-निर्भरता प्राप्त करनी होगी। हमें न केवल अपनी आवश्यकता के लिए काफी उत्पादन करना होगा अपितु अन्य पड़ोसी देशों,

जिन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता के लिये काफी उत्पादन करना होगा अपितु अन्य पड़ौसी देशों, जिन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता है, को भी निर्यात करना होगा। अतः, मैं कृषि मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह उर्वरक के लिए राज सहायता फिर से दिलाए जाने पर विचार करें और दूसरे, कुछेक अन्य योजनाओं में की गई कटौती-जैसे सूखा ग्रसित क्षेत्र कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, छोटे और सीमान्तक किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम आदि को समाप्त करके फिर से पूरा धन दिए जाने पर भी विचार करें।

अगर आप सही मायने में प्रगति चाहते हैं तो जहां कहीं भी कटौती हुई है, इसे फिर से बहाल कराया जाए। अगर आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की सफलता चाहते हैं, तो वह एकमात्र काम के बदले अनाज कार्यक्रम से ही प्राप्त नहीं हो सकती। आप को सभी कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा और तभी, आप गांव के गरीब को रोजगार सुलभ करा सकेंगे। यह अनुमान लगाया गया है कि 2000 ईस्वी तक आपको कम से कम 11 करोड़ 10 लाख ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा।

कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग का विचार है कि आप 5 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकेंगे तथा बाकी के लिए आपको कहीं और काम दिलाना होगा। अतः कृषि के साथ-साथ आपको छोटे पैमाने के उद्योग भी खोलने होंगे। अगर आप देश से गरीबी हटाने के लिए जनता सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को अपनायेंगे तो मैं कृषि मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस सरकार ने कोई ऐसी समय सीमा निश्चित की है, जैसी कि हमने जनता शासन के दौरान की गई थी, जिसके अन्दर उनका देश से गरीबी समाप्त करने का विचार है।

श्री रणबीरसिंह (कैसरगंज) : सभापति महोदय, कई दिनों से सुन रहा हूं कि यह कृषि प्रधान देश है, यहां की जनता गांवों में रहती है और साथ-साथ यह भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जी कृषक हैं, स्पीकर महोदय कृषक हैं, माननीय कृषि मन्त्री जी भी कृषक हैं और इतना मैं और जोड़ना चाहता हूं कि जो वर्तमान संसद हैं, शायद इतिहास में सबसे अधिक सभासद् भी उसके इस वक्त कृषक हैं। यदि आज कृषकों की दशा नहीं सुधरती तो हमेशा के लिए कृषकों का विश्वास आप पर से उठ जाएगा। अभी हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य सिन्हा साहब बोल रहे थे। उन्होने जनता पार्टी के महान प्रयत्नों की कुछ चर्चा की है मुझे भी आकर्षण हुआ कि मैं भी दो चार शब्द उत्तर में कहूं। हम ने तो इतना विश्वास किया था कि हम ने अपनी सारी कुछ सम्पदा, सारा देश समर्पित कर दिया था उस किसान के बेटे को जिसके नेतृत्व में आप काम कर रहे थे और जो धोखा हमारे साथ हुआ उसकी कुछ झलकियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उसी प्रोग्राम के बारे में जिसकी कहानी आपने कही है कि आप गरीबी दूर करना चाहते थे उसी के विषय में मेरा विनम्र निवेदन थोड़ा-सा होगा, कृपया सुनने का कष्ट करें।

पहली बात मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मेरे जिले में एक बड़े भारी नेता आपके गए थे, उनका नाम लेने में भी मुझे हिचक नहीं है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कृषकों को

भुलावा देने के लिए कहा था कि हमारा शासन आने पर हम 150 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेगें। मैं कृषक हूं। मुझे आज तक आपकी वह दुकान नहीं मिली कि जहां 150 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा जा सके। आपने कहा था कि जो भी तुम उत्पादन करोगे उसका सब कुछ खरीदने का हमारा पूरा उत्तरदायित्व होगा। हमने आलू का उत्पादन किया। आलू का उत्पादन इस तरह से किया गया और उसके किसान की दुर्व्यवस्था ऐसी हुई कि मेरे ख्याल में वह कीर्तिमान इस देश के कृषि के इतिहास में आपकी पार्टी के लिए एक शर्मनाक अध्याय रहेगा। आलू को रखने की जगह नहीं थी, शीत भंडार भरे हुए थे और आलू रखने का कहीं स्थान नहीं था फतेहगढ़ में जिन किसानों ने ऋण लेकर आलू की खेती की थी उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी और स्त्रियों की क्या दशा हुई, मैं कहना नहीं चाहता।

इसी प्रकार से जो गन्ने का एक्सपेंशन किया गया उसका प्रायश्चित आज हमारी सरकार कर रही है। श्री चरण सिंह जी मेरठ के हैं, गन्ने की हालत यह हो गई थी कि उसको खरीदने का आपके पास साधन नहीं था कृषक यहां आकर आपसे और कृषि मंत्री जी से निवेदन करते थे और कहते थे कि हम आपसे और कोई काम नहीं कराना चाहते, आप कृपा करके चले चलिए और हमारे खेत में दियासलाई की एक तीली जलाकर लगा दीजिए। जब किसानों को गन्ने का दाम नहीं मिला तो उन्होंने गन्ना बोने से अपना हाथ खींच लिया। आज आप यहां पर सरकार को उलाहना दे रहे हैं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पाप हैं जिनका प्रायश्चित हमारी सरकार कर रही है।

दूसरी बात यह है कि आप बिजली के कनेक्शन देते चले गये लेकिन आपको यह पता नहीं था कि कितनी बिजली का उत्पादन होगा। मैं भी एक कृषक हूं। आपने बिजली के कनेक्शन बढ़ाने शुरू कर दिए और उसके बाद मीटर हटवा दिए। आपका केवल एक ध्येय था कि किस तरह से किसानों को लूटा जाए। अगर मीटर लगे होते तो आपकी अकर्मण्यता और अकुशलता का पता चल सकता और हम जान सकते कि आप कितनी बिजली दे रहे हैं और कितने दाम वसूल कर रहे हैं। आपने दाम फिक्स कर दिए। आपने बिजली केवल दो घंटे दी और दाम पूरे वसूल किए जितने तय कर रखे थे।

अभी एक बड़ी विचित्र बात कही गई कि आपके कार्यकाल में उत्पादन बढ़ा। मैं आपके सामने एक बड़ी एथारिटी का उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

वर्ल्ड एफ० सी० के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने ब्रुसेल्स में 18 फरवरी, 1980 को कहा :

"विकासशील देशों में, अनाज उत्पादन में सबसे ज्यादा गिरावट दक्षिण एशिया में आई, जिसका प्रमुख कारण भारत में उत्पादन में कमी होना था।"

यह आपके कारनामे हैं जो मैं बता रहा हूं कि कितना ऊंचा उत्पादन चला गया था।

अब मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से भी कुछ कहना चाहूंगा। आज का जो विषय है उसमें एग्रीकल्चर के साथ-साथ रूरल रिकांस्ट्रक्शन भी है। रिकांस्ट्रक्शन एक बड़ा उपयुक्त शब्द है, आज रिकांस्ट्रक्शन केवल आपको ग्रामों का नहीं करना है बल्कि सरकार के प्रति कृषकों के विश्वास को भी रिकांस्ट्रक्ट करना है। आज उसका विश्वास सरकार के ऊपर से उठ रहा है इसलिए उसके विश्वास को भी रिकांस्ट्रक्ट करना है। मन्त्री महोदय, मुझे दया आती है जब मैं कहता हूं कि इतना बीमार, मरीज कृषि का अर्थ-तंत्र आपको मिला है। इस बीमार अर्थ तंत्र को क्या दवा दें, एक शिल्पकार की तरह से इसकी तस्वीर में कैसे नए रंग भरें, यह आपकी ड्यूटी है। एक कृषक होने के नाते पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद कृषि ही एक ऐसा उद्योग है जिसमें उत्पादन तो आप हमसे कराते हैं और उसके दाम दूसरे से तय कराते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा उद्योग नहीं होगा जहां उत्पादन कोई करे और उसके उत्पादन का भाव कोई दूसरा तय करे।

मुझे भी यह अधिकार मिलना चाहिए कि जहां मन्त्री जी और उनके सरकारी वरिष्ठ अधिकारी हमारे उत्पादन का मूल्य करने बैठें, उन में भी हमें बोलने का मौका मिले।

मैं कहना चाहता हूं कि आपके इतने सरकारी फार्म देश में चल रहे हैं, क्या कोई भी सरकारी फार्म ऐसा है जो लाभ में चल रहा है? अगर लाभ में नहीं चल रहा है, तो उसका क्या आधार है और उसके क्या आंकड़े हैं कि हम जिस के आधार पर उसका भाव 115, 117 रुपये तय करते हैं? इसका सामंजस्य, इसका तारतम्य जरूर बनायें, अगर खेती को आगे ले जाना चाहते हैं।

दूसरी बात मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आप के अधिकारी भावों की राय देते हैं, वे आप को यह भी बतायें कि जब गेहूं हमें बीज के रूप में 200-250 रुपये क्विंटल पर दिया जाता है, और उसके दिये जाने के बावजूद भी आप के सारे फार्म घाटे में चल रहे हैं, तो फिर हम से 117 या 115 रुपये क्विंटल पर लेने में हमको कितना लाभ हो सकता है। उस का अन्दाजा आप लगा सकते हैं।

एक और महत्वपूर्ण सुझाव मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में देना चाहता हूं। हम जनता पार्टी की गल्तियों को न दोहरायें...।

श्री मूल चन्द डागा : इनके यहां कृषि मजदूर कार्य करते हैं।

श्री रानावीर सिंह : आलू, गन्ना और दूसरी पैरिशैबिल कमोडिटीज का भाव यथाशीघ्र तय होना चाहिये। मैं चाहूंगा कि इसके लिए आप एक बोर्ड नियुक्त करें जो कृषकों को राय दे कि कितना उत्पादन होना चाहिए और जितने उत्पादन की राय कृषकों को दी जाय, उतना उत्पादन सरकारी मूल्य पर केन्द्रीय सरकार के लिए खरीदना आवश्यक होना चाहिए, ताकि किसानों को फिर से आलू, प्याज और गन्ने के किसी ग्लट की परेशानी झगड़े में न पड़ना पड़े।

जहां तक क्षेत्रीय असन्तुलन का प्रश्न है, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब कभी कृषि के बारे में बात की जाय तो उसे हरियाणा, पंजाब या दूसरे उन्नतिशील प्रदेशों की निगाह से न देखा जाय। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा प्रदेश है, उसके लिये विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। न वहाँ विद्युतीकरण हुआ है, न सड़कें बनी हैं। मैं बहराइच जिले से आता हूं, वहां एक नहर निकली है। वहां जलाशय के पास में हमारा जनपद बसा हुआ है, लेकिन उसको एक बूंद पानी भी उस नहर से नहीं मिला है और वह प्यासा ही रहेगा। इस तरह की योजनायें कृषि और सिंचाई दोनों विभागों के समन्वय से बनाई जायं और जिस जनपद के वक्ष-स्थल को खोद कर नहर बाहर जा रही है, उस जनपद को उस का पानी जरूर दिया जाए।

जहां तक नल-कूपों का प्रश्न है, हमारे यहां जनता पार्टी के समय में जो मंत्री थे उन्होने ऐसी अनुपायुक्त जगहों पर नल-कूप लगा दिये हैं, जहां आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उन ट्यूब-वैलों द्वारा पानी की रनिंग-आवर कम हो गई है। जब हम मांग करते हैं तो सरकार कहती है कि आप के यहां ट्यूब-वैलों के रनिंग-आवर्स कम हैं, इसलिए दूसरे ट्यूब-वेल्ज नहीं दिए जा सकते। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बहराइच जिले के लिए कोई दूसरा मापदण्ड निर्धारित किया जाय। भिंगा जैसे क्षेत्र में, कांग्रेस के कार्यकाल में, रिग मशीनें भेजी गई थीं, लेकिन वहां वह काम पूरा नहीं हुआ और वे ट्यूब-वैल अर्ध-निर्मित अवस्था में पड़े हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि आप इसकी तरफ ध्यान दें और तुरन्त रिग मशीनें वहां भेजें जिनसे यह अधूरा काम पूरा हो सके और उस सूखे और पहाड़ी क्षेत्र में नल-कूपों का काम पूरा हो सके।

आप जो ऋण देते हैं उनको वापस करने की क्षमता का सवाल है। आज केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा आप के पास दौड़कर आ रहे हैं कि हमारा ऋण माफ किया जाय। मैं यह नहीं कहता कि आप उनके ऋण को माफ न करें, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप के पास क्षमता है तो खाद के दामों को अनुदान देकर सस्ता करें। बड़े और छोटे काश्तकार भिन्न नहीं हैं, काश्तकार तो सब छोटे हैं। आप की तरफ से छोटे काश्तकारों को अनुदान दिया जाय, उनकी सहायता की जाए. लेकिन जो काश्तकार 16-17 या 18 एकड़ के हैं, उनको सुविधाओं से वंचित न किया जाय। वे कृषक जो आप का बफर स्टाक भरते हैं, जो दूसरों के लिए गल्ला पैदा करते हैं, उनकी उपेक्षा न की जाय।

अन्त में मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि जहां हमारे कृषि मंत्री जी इतना सब कुछ कर रहे हैं वहां यह भी करें कि स्थान-स्थान पर उन्नतिशील पशुओं का भी प्रबन्ध करें, ताकि वे किसानों को मिल सकें।

आप जानते हैं, अशान्ति का कारण केवल गरीबी नहीं है, भूख भी है। यदि भूख नहीं मिट सकी तो मानव मूल्यों के बारे में बात करना निरर्थक होगा।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगो के बारे में बोलना चाहता हूं। महोदय, यह बड़े मंत्रालयों में से एक है

जिसमें दो विभाग शामिल हैं, एक ग्रामीण पुनर्निर्माण और दूसरा कृषि। हमें जो रिपोर्ट दी गई हैं उससे मैंने मंत्रालय के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त की है। इन उदि्दष्ट विषयों में कृषि उत्पादन से लेकर वानिकी, मत्स्य पालन, डेयरी-दूध सप्लाई, सभी कुछ शामिल हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें एक कमी है जो कि आयोजन सम्बन्धी है।

वही पुराने ढांचे में ढली, मंत्रालय की इस आयोजना से इस देश की गरीब जनता की हालत सुधारने, में, गरीबी दूर करने में अथवा किसानों की दशा सुधारने में कोई मदद नहीं मिलेगी। हर साल हम देखते हैं कि हरेक मद के लिए ज्यादा राशि निर्धारित की जाती है। मंत्रालय सोचता है कि मंत्रालय में कुछ सुधार हो रहा है, जनता और लोकदल के तीन वर्ष के शासन के बाद भी उन्होंने क्या किया ? उन्होंने सब कुछ अस्त-व्यस्त कर दिया। इसके बाद नई सरकार के लिए इतनी थोड़ी अवधि में सब कुछ सही करना बहुत ही कठिन कार्य है।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

मेरे ख्याल में तो मंत्री महोदय, को, जिन्हें खेती के बारे में काफी अनुभव है, एक योग्य प्रशासक की तरह, स्थिति को ठीक करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे। जब तक कि हम कृषि मंत्रालय में विकास के बारे में उचित तरीके से आयोजना नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि हम देश के साथ न्याय नहीं करेंगे। केवल यही एक ऐसा मंत्रालय है जो हमारे बेरोजगार युवकों को ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता है। पशु पालन, कृषि, मछली पालन, वानिकी—ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में तीव्रगामी कार्यक्रमों के होने से ही हम उत्पादन में वृद्धि ला सकते हैं और इससे ही हम इस देश की जनता की स्थिति सुधारने में सहायक हो सकते हैं।

यहां माननीय सदस्यों ने कई विषयों के बारे में बात-चीत की है तथा इस मन्त्रालय की कार्य प्रणाली की उन्होंने रचनात्मक आलोचना की है। यहां मैं संघ राज्य के बारे में बोलना चाहूंगा। यह कहा जा सकता है कि कृषि, राज्य सूची का विषय है अतः इसकी जिम्मेदारी राज्यों पर होनी चाहिए। केन्द्र नीति निर्माण करता है अतः मैं तो यही कहूंगा कि संघ राज्य क्षेत्रों के विकास की पूरी जिम्मेदारी केन्द्र की है। मैं यह भी कहूंगा कि केवल केन्द्र ही ऐसा कार्य कर सकता है जिसे उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सके। केन्द्र इस प्रकार के विकास कार्य कर सकता है ; जिसका राज्य सरकारें अनुकरण करें। वे भी यह देखें कि केन्द्र सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई विशेष कार्य किया है। इसी बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह से निर्वाचित होकर आया हूं। वहां क्या स्थिति है ? देश के उस भाग में अलग-थलग पड़े छोटे-छोटे क्षेत्र हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा लक्ष्य द्वीप द्वीपसमूह भी हैं। कुछ ऐसे भी संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां का प्रतिनिधित्व केवल एक अथवा ज्यादा से ज्यादा दो संसद सदस्य करते हैं। देश के अन्य बहुत से भागों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी सूखा पड़ा है। केन्द्रीय दल उन इलाकों में गया है और उसने सूखे से हुए नुकसान का जायजा लिया है। इन क्षेत्रों में जनता की कठिनाईयों

को समझने का उन्होंने प्रयत्न किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि केन्द्र सरकार ने उनकी हरेक प्रकार से सहायता की हैं, लेकिन जहां तक मेरे क्षेत्र का सम्बन्ध है मन्त्रालय को पत्र लिखकर बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, केन्द्र सरकार की ओर से एक भी अधिकारी वहां की जनता के हालात देखने के लिए नहीं गया। हां, मन्त्री महोदय ने काम के बदले अनाज योजना के लिए चावल जरूर दिलवा दिये थे। लेकिन क्या यह पर्याप्त है ? हमें हल चलाने वाले मवेशियों की जरूरत है ; हमें मुफ्त बीज और औजार आदि दिए जाएं। हमें काफी सहायता की जरूरत है, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। हमारी सारी पुकार निरर्थक चली गई।

अब मैं मूल्यों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। हम देश के मुख्य भाग से चावल, गेहूं आदि प्राप्त करते हैं और 1·98 रु० प्रति किलो ग्राम के हिसाब से हम चावल बेच सकते हैं, लेकिन स्थानीय किसान अपने द्वारा उगाए गए चावलों को 1·72 रु० प्रति किलोग्राम से महंगा नहीं बेच सकते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कृषि मन्त्रालय द्वारा यह नीति क्यों अपनाई गई है। महोदय, इस द्वीप में गेहूं की वसूली मूल्य और वितरण मूल्य में 40 रुपये प्रति क्विंटल का अन्तर है। माननीय मन्त्री जी को, दूर और अलग-थलग पड़े इस संघ राज्य क्षेत्र की इन समस्याओं को अवश्य ही देखना चाहिए। हमारे यहाँ विधान सभा तो है नहीं जहां हम अपनी परेशानियों को रख सकें। केवल यही एक स्थान है, जहां हम अपनी परेशानियों को सामने रख सकते हैं।

अब मैं किसानों को वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने की बात उठाना चाहूंगा। सारे ही देश में गरीब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संगठित क्षेत्र और सरकारी कर्मचारियों को थोड़ी बहुत सुरक्षा प्राप्त है—चाहे वह पर्याप्त नहीं है—लेकिन खेत में काम करने वाले गरीब किसानों की दशा दयनीय है। वही हमारा अन्नदाता है, परन्तु उसकी क्या स्थिति है। उन्हें कितनी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। केन्द्रीय सरकार को देश भर में किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने का अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि उन्हें यह महसूस न हो कि सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही।

महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान मत्स्यशालाओं की ओर दिलाना चाहूंगा। मत्स्यशालाओं सम्बन्धी संदिग्ध मामला क्या है ? हमारे द्वीप समूह के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है जिसमें तूना मछली भारी संख्या में पाई जाती है भारी संख्या में विदेशी शिकारी अनाधिकृत रूप से यहां आते हैं और हमारी मछलियां पकड़ कर ले जाते हैं परन्तु हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। महोदय, हमारे देश में एक मत्स्यशाला अनुसन्धान परियोजना चल रही है। गत दस वर्षों से इसका कार्यालय उसी क्षेत्र में है। वे लोग क्या कर रहे हैं, इसकी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमारे लिए कुछ भी जान पाना असम्भव है। वास्तव में, मत्स्य उद्योग का विकास प्रदेश में बहुत अधिक व्यवहार्य है। इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया।

जनता राज में उन्होंने इस बारे में क्या किया ? महोदय, मैंने उनके भाषणों को सुना था। उनके कुछ नेताओं ने क्या किया है ? टाटा और अन्य बड़े उद्योगपतियों को जलपोत प्रदान कर दिए गए। विदेशियों के सहयोग से, वे हमारे समुद्रों में मछली पकड़ते हैं और उन्हें विदेशों में बेच देते हैं। हमारे प्रदेश को इस लाभ में से कुछ भी नहीं दिया जाता। प्रदेश में रहने वाले लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पाता। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर उच्च-प्राथमिकता के आधार पर विचार करें तथा उस क्षेत्र में एक मत्स्य निगम की स्थापना करें। इससे उस प्रदेश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं। मत्स्य व्यवसाय से विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। इसके साथ-साथ, मैं चाहता हूं कि पहले जो केन्द्रीय मत्स्य निगम हावड़ा में था वह पुनः स्थापित किया जाए। कांग्रेस राज में इसे बनाया था, परन्तु जनता सरकार ने उसे बन्द कर दिया। मैंने मन्त्री महोदय को अनेक पत्र लिखे और उन्होंने मुझे उत्तर भी दिए। उन्होंने अपने उत्तर में कहा था कि इस मामले को मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। मै चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस मामले पर शीघ्र आगे कार्यवाही करें ताकि यह एक व्यव्हार्य एकक बन सके। (व्यवधान)।

महोदय, अब मैं पशुपालन के विषय पर आता हूं। यह कृषि से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण मामला है। मेरे चुनाव-क्षेत्र (अंडमान निकोबार द्वीपसमूह) में दुधारू पशुओं की भारी कमी है। हमें अपने लिए पशु महाद्वीप से लेने पड़ते हैं। हमारे यहां के मौसम और वातावरण के कारण ये पशु जीवित नहीं रह पाते। मेरा सुझाव है कि कृत्रिम गर्भाधान परियोजना को तेजी से अमल में लाया जाना चाहिए। देश के सभी ग्रामों के लिए पशुचिकित्सा सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। जब तक आप पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान नहीं करते, तब तक हमारे लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना या कृषि में किसान-वर्ग की सहायता करना सम्भव नहीं है।

मेरे चुनाव-क्षेत्र में ऐसे भी गांव हैं जहां लोगों को अच्छी सड़कें न होने के कारण 20 मील तक पैदल चलना पड़ता है। वे ग्रामीण कहते हैं : "हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल पशुओं की चिकित्सा करने वाला एक कम्पाउन्डर और आवश्यक दवाईयां दे दो ताकि हम अपने पशुओं का इलाज करा सकें।" ग्रामीण केवल इतना ही चाहते हैं इसलिए में माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस मामल की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करें।

वनों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे चुनाव-क्षेत्र का 85 प्रतिशत भू-भाग वनों से घिरा है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, हमारे देश की कुल भूमि का 23 प्रतिशत बनों से घिरा है। मंत्रिमण्डल के निर्णय अनुसार, 1952 में यह तय किया गया था कि देश में कुल भू-भाग के 33 प्रतिशत में वन होने चाहिये। उसके द्वारा हम उचित पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित कर सकते हैं और ऐसा करने से हम भूमि को प्रदूषण, मिट्टी के कटाव तथा कई दूसरी चीजों से बचा पाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। जब तक हमारे देश में पर्याप्त वृक्ष और पर्याप्त वन नहीं होंगे तो, शायद निकट भविष्य में, हम स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।

मेरे चुनाव-क्षेत्र में, वनों के एक बड़े भाग को दो तरीकों से नष्ट किया जा रहा है। एक तो बन विकास निगम और स्वयं बन विभाग द्वारा तथा फैक्टरियों द्वारा वहां से लकड़ी काटकर और दूसरे, भूमिहीन किसानों द्वारा कृषि करने के लिए बनों की भूमि हथियाकर। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। यह एक सामाजिक बुराई है। इसके न रोके जाने से, पारिस्थितिकीय संतुलन बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय बन अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करें ताकि बन सम्पदा का संरक्षण और सुरक्षा की जा सके। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे ऐसा दण्ड दिया जाना चाहिए जो और व्यक्तियों के लिए सबक रहे।

महोदय, ऐसे भी लोग हैं जो पिछले अनेक वर्षों से बनों में रह रहे हैं। उन्हें वहां वन ग्रामों में नियमित तौर से बसा दिया जाना चाहिए तथा उनकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे बनों की देखभाल करें और यह सुनिश्चित करें कि लोगों द्वारा बन का और आगे अधिक्रमण न हो तो तथा वन सम्पदा नष्ट न की जाय। लट्ठों के रूप में इमारती लकड़ी का निर्यात तुरन्त बन्द कर दिया जाना चाहिये।

अब मैं, कृषि अनुसन्धान के विषय में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। अंडबान और निकोबार द्वीपसमूह में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद (आई० सी० ए० आर०) द्वारा अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है। मैंने स्वयं कुछ फार्म देखें हैं जिन पर आई० सी० एं० आर० द्वारा अनुसंधान कार्य किया जा रहा था। जब मैं वहां गया और मैंने यह जानना चाहा कि वे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि "यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, आपको इस बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप गैर-सरकारी तरीके से आते तो हम आपको इस संबंध में बता सकते थे।" इस बारे में मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वे क्या संसद सदस्य यह नहीं जान सकते कि वे लोग क्या कर रहे हैं और क्या भारत सरकार द्वारा उन्हें हिदायतें जारी की गई हैं कि ये चीजें संसद सदस्यों को नहीं बताई जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे कृपा करके इस मामले की जांच करें।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बन विभाग को वाणिज्यिक विभाग घोषित किया गया है। हाल ही में, रेलवे विभाग ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है, डाक-तार विभाग ने भी यह घोषणा की है कि उनके कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा तथा आर्डनेंस फैक्ट्रियों ने भी घोषणा की है कि उनके कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में, वन विभाग को वाणिज्यिक इकाई घोषित कर दिया है और इसमें 'छट्टान आरा मिल' नामक एक आरा मिल है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़े आरा मिलों में से एक है। इस मिल में काम करने वाले व्यक्ति वन अधिनियम के अधीन और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन आते हैं। क्या वे बोनस के हकदार नहीं हैं? ऐसा कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें आयुध कारखाने या रेलवे या डाकतार

विभाग के अन्य कर्मचारियों की तरह ही बोनस का अधिकारी क्यों न माना जाए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस बारे में कुछ करें और बोनस दिलाने का प्रबन्ध करें, जैसा कि रेलवे, डाकतार विभाग और आयुध कारखानों के कर्मचारियों के मामले में किया गया है। महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों के बजट पर बोलने का एक मौका दिया और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अमरराय प्रधान (कूच बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मन्त्रालय और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय के इस कुलकोन्मुखी, जमींदारोन्मुखी बजट का समर्थन नहीं कर सकता। कुल ग्रामीण आबादी में से जो 79 प्रतिशत है, लगभग 72 प्रतिशत कृषक हैं और 1971-72 की जनगणना के अनुसार लगभग 470 लाख कृषि मजदूर हैं जो हमारे देश की कुल श्रम-शक्ति का एक चौथाई भाग हैं। लगभग 730 लाख बटाईदार हैं। इस बजट में लगभग 12 करोड़ लोगों के लिए आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती जो कृषि मजदूर हैं, मेहनतकश हैं और जो अपने जीवन को ऋषि 'दधीचि' की तरह बलिदान कर रहे हैं। वे अपने खून और पसीने से सारे देश के लिए अनाज पैदा करते हैं और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी कुल राष्ट्रीय आय का 46 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है। अगर आप किसी गांव में काम करने वाले से, बटाईदार से या किसी कृषि मजदूर से यह पूछें कि "तुम कैसे हो" तो वह यही कहेगा कि दिन का भी अन्त है, रात भी खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी तकलीफों का कोई अन्त नहीं। ऐसी हालत है हमारे भूमिहीन मजदूरों की, बटाईदारों और कृषि मजदूरों की चर्चा करने से पहले मैं मन्त्री महोदय का ध्यान कृषि मन्त्रालय की 1979-80 की रिपोर्टों की ओर आकर्षित करूंगा। पृष्ठ 54 पर, मूल्य नीति के अन्तर्गत यह बताया गया है कि :

"इन विचारार्थ विषयों में उल्लेख किया गया है कि कृषि मूल्य आयोग धान/चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, रागी (मोटा अनाज), जौ, टर्न, मूंग, उड़द, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, रेपसीड (तोरिया), सरसों, कपास, जूट और तम्बाकू की मूल्य नीति के बारे में सरकार को सलाह देगा।"

"मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसके बाद "मिल मालिकों के हितों के लिए" शब्द और जोड़ लिए जायें।"

कृषि मूल्य आयोग सफेद हाथी के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। "समर्थन-मूल्य" का क्या अर्थ है ? यह किसान के लिए लाभप्रद नहीं होती और इससे उसकी दशा नहीं सुधर सकती। अब देखिए, विभिन्न वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है ? कच्चे जूट के लिए, समर्थन मूल्य 155 रु० प्रति क्विंटल है, कच्ची कपास के लिए यह मूल्य 275 रु० प्रति क्विंटल है और गन्ने के लिए यह मूल्य 12·5 रु० प्रति क्विंटल है, बशर्ते कि उससे 8·5 प्रतिशत चीनी निकले। मुझे इस समर्थन मूल्य के निर्धारण का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। उदाहरण के तौर पर कच्चे जूट को लें। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने 1978 में अपनी सिफारिशों में कहा था कि एक क्विंटल जूट के उत्पादन की श्रम-लागत 340 रु० बैठती है, जिसके अलावा कृषि उपकरणों, खाद

और अन्य खर्चों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त खर्च आ जाता है। इस प्रकार सरकारी उद्यमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन और कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन में कितना भारी अन्तर है? इनमें से कौन-सा सही है? मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में यदि मौसम अनुकूल हो तो, एक क्विंटल जूट उगाने के लिए 36 श्रमदिवसों की जरूरत होती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी 8·98 रु० है। इस आधार पर, एक क्विंटल जूट उगाने पर अकेले श्रम की लागत ही 324 रु० बैठ जाती है। जबकि न्यूनतम उत्पादन लागत 324 रु० है, तब आप उत्पादक को 155 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं। क्या आपको यह समर्थन मूल्य इन कटु सत्यों के आधार पर नहीं तय करना चाहिए? यह उनका मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। जब जूट उत्पादक अपने कच्चे जूट को बेचता है, तो उसे 1·50 रु० प्रति किलो मिलता है, लेकिन जब वह एक किलो जूट के वजन की मिल की बनी हुई बोरी खरीदने के लिए बाजार जाता है तो उसे कम से कम 5 रु० खर्च करने पड़ते हैं। जूट मिलों में उत्पादन लागत, यातायात व्यय आदि सिर्फ 1·50 रु० प्रति किलो बैठता है और इस प्रकार जूट मिल मालिकों को 2 रु० प्रतिकिलो का मुनाफा होता है। चीनी और कपास की भी यही स्थिति है। मैं स्पष्ट रूप से यह कह सकता हूं कि आप का कृषि मूल्य आयोग बिड़ला, डालमिया, गोयंका और ऐसे ही दूसरे बड़े मिल मालिकों के हितों की रक्षा करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है।

सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य देश में व्याप्त सभी बुराइयों की जिम्मेदार हमेशा जनता पार्टी को ही ठहराते रहते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वे इस देश पर कुछ समय को छोड़कर पिछले तीस वर्षों से शासन कर रहे हैं। उन्होंने गरीब लोगों के लिए, बटाइदारों के लिए और कृषि मजदूरों के लिए क्या किया है? वास्तविकता यह है कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। जबकि संविधान में, हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन अभी तक ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सामंती राजाओं (जागीरदारों) के हाथों में है। हर राज्य में सम्पदा अधिग्रहण अधिनियम तथा भूमि सुधार अधिनियम मौजूद हैं, लेकिन व्यवहार में, पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर अन्य राज्यों में कुछ भी नहीं किया गया।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 68·60 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। और इसमें से 45 लाख हैक्टेयर भूमि फालतू भूमि घोषित की गई है, लेकिन अब तक केवल 15·76 लाख हैक्टेयर भूमि ही बांटी गई है। अलबत्ता, योजना आयोग ने अपनी अलग राय दी है। कि अनुमानित उपजाऊ भूमि लगभग 215 लाख हैक्टेयर है।

इस सम्बन्ध में, मैं महलनोबिस समिति की रिपोर्ट या दांडेकर समिति की रिपोर्ट का जिक्र नहीं करूंगा; मैं तो सिर्फ राज समिति की रिपोर्ट की ही चर्चा करूंगा। राज-समिति का गठन श्रीमती गांधी के शासन काल में हुआ था। राज समिति की रिपोर्ट के अनुसार, कुल कृषि योग्य भूमि का 60 प्रतिशत, कुल 10 प्रतिशत किसानों के हाथों में है और 10 प्रतिशत जमींदार कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत हिस्सा हड़प जाते हैं। और आप ग्रामीण पुनर्निर्माण की बात करते हैं। आप हरित क्रांति की बात करते तो हैं लेकिन इससे लाभ केवल जमींदार का ही होता है।

कितनी करुणाजनक स्थिति है इन कृषि मजदूरों की। 1965 में उन्हें एक वर्ष में 270 दिन काम मिलता था, 1976 में यह घटकर एक वर्ष में 235 दिन रह गया, और हालांकि 1980 के सही-सही आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी यह निश्चित है कि अब उन्हें वर्ष में लगभग 200 दिन ही काम मिलता है। 1961 के मूल्य सूचकाँक के अनुसार, वर्ष 1963-64 में पुरुष कृषि मजदूर को 1·19 रुपये मिलते थे और 1974-75 में यह घटकर केवल 88 पैसे रह गये। मेरा ख्याल है कि आज भी यह सिर्फ 75 पैसे से ज्यादा नहीं है। विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू हैं। इन अधिनियमों के अधीन निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी 3·50 रु० से 8·76 रुपए तक है। परन्तु पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर यह विधान केवल सांविधिक पुस्तक में दर्ज मात्र है और इसे बिल्कुल भी अमल में नहीं लाया जाता। इन गरीब लोगों की यह स्थिति है। माननीय सदस्य श्री मनोरंजन भक्त ने कृषकों की पेंशन के बारे में कहा है। जब हमारे माननीय राष्ट्रपति सेवा निवृत्त होंगे तो उन्हें पेंशन मिलेगी। जब इस कार्यालय का कोई चपरासी सेवा-निवृत्त होगा तो उसे पेंशन मिलेगी। संसद सदस्य भी पांच साल बाद सेवा-निवृत्त होने के बाद पेंशन प्राप्त करेंगे लेकिन जब ये गरीब लोग कृषि-मजदूर, वृद्ध हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता ; उन्हें कुछ भी नहीं मिलता।

इस सम्बन्ध में मैं पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने अपने सीमित साधनों से पेंशन के सम्बन्ध में इन गरीब लोगों के लिए कुछ किया है। बटाईदार, कृषि-मजदूर और एक एकड़ भूमि तक के भूमिधर जब 60 वर्ष के हो जायेंगे तो उन्हें 60 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जाएगी। यह प्रणाली सारे देश में शुरू की जानी चाहिए और इसका सारा खर्च केन्द्रीय सरकार को उठाना चाहिए।

मैं इस सरकार को, विशेषकर कृषि मंत्रालय को चेतावनी देना चाहूंगा कि वह वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भविष्य के प्रति जागरूक रहें। इस सभा में, इस वातानुकूलित और हरे कालीन वाली सभा में आप हरित क्रांति के बारे में समाजवाद के बारे में। कितनी ही बातें करें, जय किसान कहें लेकिन इन भूमि जोतने वालों को न भूलें। पिछले 33 वर्ष से इनका शोषण किया जा रहा है। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। अब वे आगे आ रहे हैं। वे आपकी त्वचा से कालीन बनायेंगे और उस कालीन पर वे एक जलूस के रूप में "इंकलाब जिन्दाबाद" का नारा बोलते हुए चलेंगे। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री के० ए० स्वामी, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा क्योंकि दुभाषिया उपलब्ध नहीं है। उसे आ जाने दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : सभापति महोदय, श्रीमान, अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर आने से पहले आरम्भ में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। सुझाव यह है कि हम सब यह जानते हैं कि विश्व में ऐसा देश जहां मानसून वाली जलवायु हो संभवतः विश्व का ऐसा भाग है जहां प्रकृति की अनियमितताओं पर बहुत सावधानी रखते हुए संतोष करना पड़ता है क्योंकि इस क्षेत्र में एक से दूसरे वर्ष वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है और विशेषकर ऐसे

सीमान्त-क्षेत्रों में जिनमें औसतन वर्षा वर्ष में लगभग 20 इंच होती है। ऐसे क्षेत्रों में इन अनियमितताओं से महामारी फैलती है और इन क्षेत्रों में किसान दुविधा में पड़े रहते हैं क्योंकि किसी वर्ष में बहुत अच्छी वर्षा हो सकती है जबकि दूसरे वर्ष उसे बिना वर्षा के रहना पड़ सकता है। देश के जिस भाग का मैं रहने वाला हूं, अर्थात् सौराष्ट्र, वहां औसत रूप में वर्षा दोगुनी हो गई और पिछले दो वर्षों में तो दोगुनी से भी अधिक हुई है जिससे भारी संकट और विपत्ति आ गई है और अगला वर्ष अकाल का होगा। ऐसे क्षेत्रों में यह अनिवार्य है कि सरकार फसल-बीमा योजना लागू करने पर गंभीरता से विचार करे। फसल-बीमा नीति अभी तक अलमारियों में ही बन्द पड़ी रही है, जो कई वर्षों से अक्रियान्वित रही है। सरकार आईं और चली गईं, परन्तु इस क्षेत्र में इस सम्बन्ध में कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। मेरे राज्य जैसे कई प्रगतिशील राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं थीं; संभवतः एक या दो अन्य राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई थीं। लेकिन यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो यह ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए बहुत सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। कपास भारत की महत्वपूर्ण उपज में से एक है, विशेष रूप से गुजरात में और इससे भी अधिक मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपज के रूप में होती है। इस फसल की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है। मैं जानता हूं कि भारतीय कपास निगम बढ़ती हुई व्यापार-संस्था है और यह हर वर्ष अधिकाधिक धन खेतों में ही खड़ी फसल को खरीदने पर व्यय कर रही है ताकि बिचौलियों को धीरे-धीरे हटाया जा सके; परन्तु इस कपास को खरीदने के लिए इस संस्था के पास जो धन है वह आवश्यकता से कहीं कम है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि इस वर्ष गुजरात में, विशेषकर मेरे क्षेत्र में, कपास का उत्पादन करने वाले किसान इसका उत्पादन विक्रय-मूल्य से अधिक लागत पर कर रहे हैं और इसलिए प्रत्येक किसान को हानि हो रही है। इसका एकमात्र उपाय जो मुझे मिला वह यह था कि अधिकाधिक कपास का निर्यात किया जाए। सरकार को इस सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस वर्ष लगभग एक करोड़ गांठों का उत्पादन हुआ है; 70 लाख गाँठों की खपत कपड़ा बनाने वाले मिलों में हो जाएगी; केवल 7.5 लाख गाँठों को ही निर्यात करने की अनुमति है; कम से कम 5-6 लाख गाँठें भारतीय कपास निगम के माध्यम से और निर्यात होनी चाहिएं जिससे किसान को अच्छे दाम मिल सकें।

भारतीय खाद्य निगम का विस्तार प्रत्येक जिला-मुख्यालय तक है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसका विस्तार तहसील, तालूक स्तर तक किया जाना चाहिए। प्रत्येक खंड, तालुक-मुख्यालय में भंडारण की सुविधा होनी चाहिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मार्ग में और भंडारण में होने वाली क्षति को रोकने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए, चाहे ऐसी क्षति भ्रष्टाचार के कारण हो या चूहों द्वारा खराब किए जाने के कारण हो जो भंडारण किए गए काफी प्रतिशत उत्पादन को नष्ट कर देते हैं।

मैं पशु पालन के बारे में भी कहना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत एक विस्तृत उप-महाद्वीप है और यहां बहुत विभिन्नता है। यहां पर पालतू पशुओं की बहुत जातियां हैं, विशेषतः गोधन, भैंस और हाथी से लेकर अंगोरा खरगोश तक बहुत सारे पशु हैं। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय

स्तर की तुलना में इन सभी जातियों से न तो उतना मांस का उत्पादन होता है और नहीं दूध का उतना उत्पादन होता है जो पशु पालन उद्योग को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। हम जानते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं विशेषकर हरियाणा, पंजाब और गुजरात जिनमें दूध का उत्पादन आम जनता के द्वारा उपभोग किए जाने की मात्रा के कुछ समान है। लेकिन सारे देश को देखें, विशेषकर उत्तर प्रदेश या बिहार या उड़ीसा को, और तब यह पता लगाएं कि दूध और दुग्ध-उत्पादों की औसत दैनिक खपत कितनी है। यह निराशाजनक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतने वर्षों में भारत ने इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया है ? मैं समझता हूं यह निन्दा जनक है। श्वेत क्रान्ति को बढ़ाने तथा उसमें तेजी लाने के लिए बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है जिससे सामान्य ग्रामवासी अधिक दूध तथा दुग्ध-उत्पादों का उपभोग कर सके। पक्षियों के विषय में मैं एक पक्षी विज्ञानी के रूप में कहना चाहता हूं। हम कृषकों की तरह यह जानते हैं कि कृषि-क्षेत्र में पक्षियों का कितना महत्व है। मेरा सुझाव है कि हमें तुरन्त एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करना चाहिए जिससे पक्षियों की बहुत-सी ऐसी जातियां की जो समाप्ति के समीप हैं— उनमें से बहुत सी ऐसी हैं, परिरक्षा की जा सके और 'जीव-पूल' तथा 'जीव-बैंक' बनाये जाएं। यही बात पालतू पशुओं पर भी लागू होती है; उनमें से बहुत-सी जातियाँ समाप्ति के कगार पर हैं।

मैं मछली उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। अण्डमान के मेरे साथी ने अपने द्वीपसमूह में जो हो रहा है उसका बहुत विस्तृत विवरण किया है। लेकिन सारे देश को ध्यान में रखते हुए, हम अपनी समुद्री सीमा में विद्यमान समुद्री-सम्पदा के बारे में कितना जानते हैं ? इस बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यदि हम अपनी समुद्री सीमा में होने वाले मछली-प्रवास और तट-स्थानान्तरण के बारे में जानना चाहें तो संभवतः हमें नक्शे प्राप्त करने के लिए टोकियो जाना पड़ेगा ताकि उन नक्शों से हम यह जान सकें कि हमारी समुद्री सम्पदा कहां-कहां पर है। इसके अतिरिक्त, क्या सरकार हमें बता सकती है कि विभिन्न देशों के कितने चोरी छिपे हमारी मछलियाँ पकड़ने वाले पोत और कितनी मछुआ-नावें हमारी मछलियां पकड़ने के आरोप में पकड़ी गई हैं तथा उन्हें निरुद्ध रखा गया है ? इस सम्बन्ध में हमने कुछ भी नहीं किया है। हमारी मछलियां भारी मात्रा में चोरी-छिपे पकड़ी जा रही हैं।

खारी भूमि को ही लीजिए। भूमिगत जल के अधिक मात्रा में निकाले जाने तथा काम में लाये जाने से, विशेषकर तटीय क्षेत्रों में, हमारी कृषि-भूमि का बहुत अधिक क्षेत्र खारा हो गया है, क्योंकि उचित विनियमन नहीं किया गया है। इस स्थिति को सुधारने के लिए एक राष्ट्रीय निगम बनाया जाना चाहिए जिससे खारी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

जहां तक जल-प्रबंध का सम्बन्ध है प्रायोगिक योजनाओं में धन लगाया गया है, परन्तु वह बिल्कुल अपर्याप्त है। चार या छः वर्ष पूर्व जो भूमि उपयोग बोर्ड स्थापित किए गए थे उनकी कभी कोई बैठक नहीं हुई। भूमि उपयोग बोर्ड वातावरण और घास-स्थली तथा सामान्य भूमि

की मिट्टी के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं । परन्तु छः वर्ष से ये निष्क्रिय पड़े हैं । मेरे विचार से इनके बारे में बहुत जल्द कुछ न कुछ किया जाना चाहिए ।

टिड्डी तथा अन्य कीड़ों से फसलों को बचाने के लिए हम सब कीटनाशक दवाइयां इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इनसे मिट्टी में कितनी मात्रा में विषैले तत्व पहुंच जाते हैं तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समाज के लिए कितने हानिकारक हैं ? इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

अब मैं वनों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । इन्हें घास-स्थली, ग्राम वन कार्यक्रमों और सामाजिक बन प्रान्तों में वर्गीकृत किया जा सकता है । ये सब सम्भवतः बहुत रोजगार उन्मुख एजेन्सियां हैं । लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि आप सामाजिक वन-प्रान्त योजना को बनों या घास-स्थलों की पुनरुत्पत्ति या भूमि-संरक्षण की दृष्टि से देखें तो यह योजना ढकोसला मात्र है । यह केवल रोजगार एजेसी है । इस क्षेत्र में उचित आयोजन न होने के कारण ग्राम वन कार्यक्रमों का ढोल तो बजाया जाता है, परन्तु वास्तव में कुछ नहीं होता । ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और यदि इन्हें सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए तो ये ग्रामीणों के लिए ईन्धन के विकल्प के रूप में काम आ सकते हैं । हम जानते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, हमारे देश के 75 प्रतिशत बन समाप्त हो चुके हैं । हमारे विस्तृत पहाड़ी-क्षेत्र तथा हिमालय के चट्टानी क्षेत्र बेकार पड़े हैं तथा बंजर हो गए हैं । मिट्टी बहकर समुद्र में पहुंच गई है । समझ नहीं आता कि इन्हें कैसे फिर से सुधारा जाएगा । मैं तो केवल यह कह सकता हूं कि दूरगामी प्रभाव वाली योजना अपनाई जानी चाहिए । ऐसी योजना है तो सही, परन्तु उसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि हम जान सकें कि हमें कितनी हानि हो रही है और इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिए ।

***श्री के० ए० स्वामी (विशाखापत्तनम)** : सभापति महोदय, कई प्रतिष्ठित सदस्यों ने कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण के बारे में विचार व्यक्त किए हैं । मैं कुछ और बातें माननीय मन्त्री के ध्यान में लाना चाहता हूं ।

श्रीमन्, इस समय इस बात की बहुत आवश्यकता है कि शुष्क क्षेत्रों में खेती करने के लिए भूमिगत जल-साधनों का सर्वेक्षण किया जाए । दुर्भाग्यवश हम भूमिगत जल-साधनों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं । भूमिगत जल का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। वह कहां उपलब्ध है, उसके स्थल का निर्धारण करने के बाद हमें देखना चाहिए कि उपयोग के लिए नलकूपों द्वारा जल बाहर निकाला जाए । सरकार को यह भी देखना चाहिए कि विद्युत की उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं । तेल के इंजनों, बिजली की मोटरों और पम्पों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

*तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

एक ऐसा स्थाई कार्यक्रम होना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शुष्क क्षेत्र में आने वाला प्रत्येक गांव इस योजना के अन्तर्गत आ जाए । जब तक हमारे पास ऐसी स्थाई योजना नहीं होगी, तब तक हम यह आशा नहीं कर सकते कि और अधिक एकड़ भूमि पर खेती की जा सकेगी । केवल इस योजना के माध्यम से हम शुष्क क्षेत्र में स्थित सुदूरवर्ती गांवों में छोटे किसानों को पानी उपलब्ध करा सकते हैं । हमारा देश कृषि-प्रधान देश है । लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार अधिक से अधिक शुष्क क्षेत्रों में कृषि कार्य आरम्भ करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन अन्ततः ऐसे मंहगे निर्माणों के साथ-साथ भूमिगत जल-साधनों का भी उपयोग करना होगा ताकि देश के समस्त शुष्क क्षेत्र में खेती की जा सके । इस सम्बन्ध में पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है । वहां छोटे-छोटे खेतों में भी भूमिगत-जल की सहायता से खेती की जा रही है । दूसरे राज्यों को भी इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए ।

आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम, विशाखापटनम, विजयनगरम और पूर्वी गोदावरी जैसे पिछड़े जिले और पूरा देश लगातार ही प्राकृतिक आपदाओं से घिरे रहते हैं । इन इलाकों में किसी वर्ष सूखा पड़ जाता है और किसी वर्ष में अन्तंवृष्टि हो जाती है । पिछले 20 वर्षों में यहां एक भी फसल नहीं हो पाई है, परिणाम स्वरूप कितने ही किसानों ने अपने खेतों और गावों को छोड़कर आसपास के नगरों में बसेरा कर लिया है । महोदय, एक व्यक्ति जो पान की दुकान करता है, या गोदी मजदूर है, अपने बच्चे को डाक्टर, इंजीनियर या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आई० ए० एस० आफीसर) बना सकता है । लेकिन एक गरीब किसान जो गावों में अपनी भूमि के साथ चिपका हुआ है, अपने बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा तक भी नहीं जुटा पाता, हालांकि वह 25 एकड़ भूमि का स्वामी है । मुझे शुष्क-भूमि कृषकों की कठिनाइयों की ओर ज्यादा विस्तार से कहने की जरूरत नहीं हैं क्योंकि इस बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है ।

यह पता लगाने के लिये अनुसंधान किये जाने चाहिये कि एक एकड़ भूमि पर कृषि उत्पादन करने के लिये कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है । उसी आधार पर न्यूनतम मूल्य तय किया जाना चाहिये । न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी आवश्यकता है नहीं तो उत्पादन में गिरावट आ सकती है इस समय गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने का उचित मूल्य तक नहीं मिल रहा है । यहां तक कि उन्हें अपने पूंजी निवेश तक का भी प्रतिफल नहीं मिल रहा है । मिलमालिक सरकार द्वारा निश्चित किये गये मूल्य से भी बहुत कम मूल्य पर उनका गन्ना खरीद रहे हैं ।

महोदय, राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामों में सभी किसानों को ऋण सुविधायें नहीं दे रहे हैं । यहां तक कि वे अपने अंगीकृत किये गये गांवों में भी ऋण सुविधायें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं । किसानों को स्थायी रूप से 'पास बुकें' दी जानी चाहिए और उन्हें इन 'पास बुकों' के आधार पर अपेक्षित ऋण प्रदान किया जाना चाहिये । यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक की नीति भी इन किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है । बल्कि उल्टा-उन्हें नुकसान पहुंचा रही है । इस सम्बन्ध में ,मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर बहुत ही गम्भीरता से

विचार करें और यथा शीघ्र इसे सही करायें, और यह देखें कि दूर दराज तक के गांवों के किसानों को भी ऋण सुविधायें उपलब्ध हो जायें।

एक और जरूरी बात है जिस पर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है 'फसल बीमा योजना'। यह योजना बहुत से देशों में लागू है। हमारा देश और हमारे देश के किसान काफी हद तक नुकसान उठा चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि सरकार इस योजना को अपनाने में क्यों आनाकानी कर रही है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय हमारे किसानों की सहायता करने के लिये इस योजना को लागू करने में और अधिक समय बरबाद नहीं करेंगे। यह योजना हमारे किसानों को उस किस्म की सहायता देगी जिसकी जरूरत, उन्हें विपत्ति के ऋणों में होती है।

किसानों को उपलब्ध विपणन-सुविधायें भी, अपर्याप्त हैं। भंडारण सुविधायें भी, बहुत ही कम हैं। किसानों के उत्पादन के भंडारण करने के लिये हर गांव में गोदाम बनाए जाने चाहिए। अगर यह सम्भव न हो तो सरकार को प्राइवेट (गैर-सरकारी) स्वामियों से गोदाम किराए पर लेने चाहियें।

हमारे यहां उत्पादकों और उद्योग की जरूरत पूरी करने के लिए भारतीय जूट निगम है। परन्तु सीधे ही उत्पादकों से जूट खरीदने के बजाय, यह निगम इस समय दलालों से खरीदारी कर रहा है। ये दलाल उत्पादकों से बहुत ही कम कीमत पर जूट खरीदते हैं और इसे भारतीय जूट निगम को ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अभी भी उत्पादकों के पास जूट का भारी मेजर पड़ा हुआ है मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इन दलालों और मिल मालिकों के एजेन्टों को बीच में से हटवायें और यह देखें कि उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।

आजकल, जंगलों को बहुत से बहाने बनाकर नष्ट किया जा रहा है और वृक्षा रोपण कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। हालांकि हमारे यहां बन विभाग भी है, लेकिन यह बनों के विकास में कोई सहायता नहीं कर रहा है। इसलिए उपर्युक्त कार्यक्रम पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और देश में बेकार पड़ी तमाम भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उड़ीसा ने कुछ सफलता प्राप्त की है और अन्य राज्यों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे विचारों पर ध्यान देंगे। महोदय इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : अगले वक्ता को बुलाने से पहले, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे पास न आयें। यदि उन्हें कुछ कहना हो तो वे मेरे पास एक पर्ची लिखकर भेज सकते हैं।

चौधरी मुलतान सिंह (जलेसर) : माननीय सभापति जी, दो दिन से कृषि की अनुदान मांगों पर बहस चल रही है और इधर और उधर के बैठने वाले सभी सदस्यों ने यह कहा है कि कृषि उत्पादन का उचित मूल्य किसानों को नहीं मिलता है, कृषि का सही दाम उनको नहीं दिया जाता है। यह आज से नहीं बल्कि पिछले 34 सालों से रोना चल रहा है और मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं उनको उचित मूल्य दिया जाता है। बार-बार यह कहा जाता है कि जनता पार्टी की सरकार भी आई और उसने यह भी नहीं किया कि किसानों को उचित मूल्य देती लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह नहीं दे पाई इसलिए ढ़ाई साल में वह खत्म हो गयी लेकिन आप तो 33 साल से बैठे हैं, आपने क्यों नहीं उनको उचित मूल्य दिया। .. (व्यवधान) सरकार की यह हालत है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं दिया जाता जबकि फैक्टरी वालों को उनके माल के दाम सही मिल जाते हैं। मैं आपको एक मिशाल देना चाहता हूं। हमारे मिर्जापुर में हिन्डालको फैक्टरी है, जिसको 11 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जातीहै। जबकि किसानों को 27 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाती है मैं यह पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि क्या केवल 20 फीसदी आदमियों को ही आजादी मिली है और 80 फीसदी आदमी आज भी गुलाम हैं। आप बिरला को 11 पैसे प्रति यूनिट बिजली देते हैं और किसानों को 27 पैसे प्रति यूनिट। जब लागत खर्च 13 पैसे आता है, तो 11 पैसे प्रति यूनिट आप उनको देते हैं और पहले जब ढ़ाई पैसे लागत खर्च आता था तो बिरला को दो पैसे प्रति यूनिट बिजली देते थे। हिन्डालको को आप सस्ती बिजली देते हैं और किसानो को महंगी बिजली देते हैं। यह हालत इस सरकार की है और यह सरकार सरमायेदारों की ही वफादार रही है और किसानों और गांवों के लोगों को मिटाना चाहती है। जितनी बिजली देश में बनती है, उसका 60 फीसदी उद्योगों में चला जाता है और किसानों को केवल 6 फीसदी बिजली दी जाती है जब कि सारा खर्च किसानों पर, एग्रीकल्चर पर डाल दिया जाता है। 8 फीसदी बिजली रेलों में दी जाती है और बाकी जो बिजली बचती है वह दिल्ली और पूना जैसे बड़े-बड़े शहरों को जगमगा रही है जब कि किसानों के खेत सूख रहे हैं। इंडस्ट्रीज में केवल 5 फीसदी लोग काम करते हैं और खेती में 80 फीसदी काम करते हैं लेकिन इतना होने पर भी किसानों को कुल 1281 करोड़ रुपये दिये गये हैं, जिसमें केवल 18 करोड़ रुपये किसानों को जाएगा और बाकी जो रुपया है वह कृषि में लगे हुए लोगों की तनख्वाहों में चला जाएगा। इस तरह से किसानों के बजट का 70 फीसदी पैसा तन्ख्वाह में चला जाता है। इसके अलावा आप यह देखें कि इंडस्ट्री में 5 फीसदी आदमी काम करता है, तो उसको 350 करोड़ रुपये दिये गए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन पिछले 34 सालों में कोशिश इस बात की ही हुई है कि बड़े-बड़े शहरों की तरफ देखा जाए और गांवों में रहने वालों की तरफ कोई खास ध्यान नहीं है। गांवों में 5 फुट का रास्ता नहीं है जबकि इन शहरों में 500, 500 फुट का रास्ता बना हुआ है। आज देश में इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि जो कोई वस्तु बनाने वाला है, वह अपनी चीज के भाव तय करता है लेकिन किसान ही ऐसा अभागा है, जो पैदा खुद करता है लेकिन एअर कन्डीशन्ड कमरों में बैठकर दिल्ली में 3 आदमी

उसके भाव तय कर देते हैं और वे ऐसे आदमी हैं जिनके बाप-दादा को भी यह पता नहीं था कि बाजरा में और ज्वार में बाल क्या होती है। इसको उनका पता नहीं है।

मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। एक अकड़ में किसान का कितना पैसा खर्च होता है, उसके आंकड़े मैं आपको देता हूं। बीज 40 किलो, 200 रुपये का, खाद 200 रुपये, यूरिया एक कट्टा 130 रुपए का, डी० ए० फी० खाद 170 रुपये, जुताई, बुआई में 315 रुपये निकाई, गुड़ाई 150 रुपये, पौधा संरक्षण तथा दवाई 160 रुपये, सिंचाई में 350 रुपये, कटाई 100 रुपये ढुलाई 40 रुपए, मढ़ाई 50 रुपए, मार्केटिंग के लिए ले जाना 25 रुपये, जमीन की कीमत 750 रुपये, जमीन का रख-रखाव 100 रुपये और एक मजदूर की तन्ख्वाह 300 रुपये। इस तरह से एक एकड़ पर कुल लागत 2,980 रुपये आती है।

एक एकड़ में 6 क्विन्टल गल्ला होता है। उसकी कीमत आप किसान को सात सौ रुपये देते हैं। उसका जो खर्च आता है उसके मैंने अभी आपको आंकड़े बताये हैं। इसके बारे में आप आयोग से मालूम कीजिए या कोई कमीशन बिठाइये। अगर खेती को उद्योग में लिया ले लिया जाये तो जैसे उद्योगों में सारा खर्चा लगा कर दाम जोड़ा जाता है उस तरह से इस 6 क्विन्टल गल्ले का दाम एक हजार रुपये से कम नहीं बैठेगा।

एक हमारे यहाँ सोयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है। इसमें सिवाय एक फाला और फावड़े के कुछ भीं नहीं है और उसका खर्चा अरबों रुपये का है। मैं मन्त्री जी को सुझाव दूंगा कि इस सोयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को खत्म किया जाए और हर कमिश्नरी को पांच बड़े बुलडोजर दे दिए जाएं। जिनके आगे लेवलर लगता है ऐसे बुल्डोजर दे दिए जायें जो कि चम्बल, जमुना गंगा, क्वारी, सरसों और सरयू नदियों की 50 लाख हेक्टेअर जमीन को एक सा कर दें और फिर वह जमीन गरीब आदमियों और भूमिहीनों में आप बांट दें।

एक लघु उद्योग विभाग कहलाता है। इसकी हालत यह हो रही है कि उसके पास एक मूंज की रस्सी और चार फुट का एक पाइप है। जब वह बोर करता है, अगर पत्थर और कंकड़ आ जाए तो वह बोर नहीं कर सकता। इसके लिए मैं मन्त्री जी को सुझाव दूंगा कि लघु उद्योग को दो से चार इंच तक की रिंग मशीनें दी जाएं जिनसे तमाम किसान प्राइवेट बोर कर सकें। आपके ट्यूब वाले तो आठ से बारह इंच के रिगों से बोर करते हैं लेकिन इनसे किसान प्राइवेट बोर नहीं कर सकता है।

उत्तर प्रदेश में एक स्कीम चली है बड़े रिसर्च फार्म की। झलेसर, हरद्वार देहरादून और आइजटनगर में ये रिसर्च फार्म हैं। पन्तनगर, कानपुर और फैजाबाद में कृषि यूनवर्सिटियां हैं। ये सब की सब बिजनस सेन्टर बन गयी हैं। ये किसान से सवा रुपये में लेकर पांच रुपये किलो में बीज बेचती हैं फिर भी इनमें अरबों रुपये का नुकसान होता है। मैं सुझाव दूंगा कि इन सबको खत्म कर दिया जाए। न रिसर्च फार्म की जरूरत है और न रिसर्च यूनिवर्सिटी की जरूरत है। इन पर खर्च होने वाले पैसे से चार-पांच गांवों के बीच में दो-तीन एकड़ के रिसर्च फार्म खोल दिए जाएं जहां गांव के आदमी जा कर देखें और सीखें। वहीं से वे बीज लें।

शहरों में भण्डार पर भण्डार बनाये जा रहे हैं। ये यू० पी० से गल्ला मद्रास भेजते हैं और मद्रास से दिल्ली भेजते हैं। पहले बनिया एक रुपये क्विन्टल के मुनाफे पर गल्ला बेचा करता था। ये एफ० सी० आई० वाले 25 रुपये क्विन्टल ले रहे हैं। गांवों में पुराने जमींदारों की पुरानी बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं। वे आपको सस्ते किराये पर मिल सकती हैं। आप वहीं की वहीं गल्ला खरीद कर उनमें रख सकते हैं और वहीं की वहीं गल्ला गरीबों में बांट सकते हैं।

हरियाणा में विश्व बैंक योजना चल रही है। उसमें ज्यादातर दिल्ली और दूसरे बड़े-बड़े शहरों के बी. एस. सी., एम. एस. सी. साढ़े सात सौ से तेरह सौ रुपये तक की तंख्वाह पर भर दिये गये हैं जिनको यह तक पता नहीं है पौध के ऊपर बाल लगती है या बाल के ऊपर पौध लगती है। ये गांवों में कभी नहीं जाते सिर्फ अफसरों को बियर पिलाकर तंख्वाहें लेने के लिए जाते है। मेरा आपको सुझाव है कि कृषि विभाग के अन्दर चपड़ासी से लेकर मन्त्री तक सभी किसान के लड़के होने चाहिए क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान तो होता ही है, थियोरिटिकल ज्ञान उन्होंने पढ़कर लिया होता है। उनसे सही काम हो सकता है।

हमें यह उम्मीद थी कि कृषि में आप सिंचाई, बिजली, खाद्य और पानी विभाग भी देंगे और रुपये भी देंगे लेकिन आपने उससे सिंचाई विभाग निकाल लिया और दिया कुछ नहीं मेरा सुझाव है कि कृषि के काम आने वाली वस्तुएं जितनी भी हैं, वे सभी एक मन्त्रालय के नीचे होनी चाहिए। चाहे ये प्रदेश में हों या देश में हों। आज दिक्कत यह हो रही है कि स्टेट छोटी और कारिन्दा ज्यादा। अगर आपको मन्त्री बढ़ाने ही हैं तो आप बेशक घोड़े का, लकड़ी का, सफाई का विभाग खोल दीजिए और उनमें मन्त्रियों को रख दीजिए। लेकिन यह मन्त्रालय एक ही होना चाहिए, उसमें चाहे राज्य मन्त्री कितने ही हों। यह मन्त्रालय चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो।

यह कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति जी, मैं आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण डिमांड्ज पर मुझे बोलने का समय दिया। निश्चित तौर से बहुत से साथियों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, लेकिन आज देश अपने कृषि मंत्रालय का आभारी रहेगा। कुछ साथी चर्चा करते हैं कि 30,35 सालों में कोई तरक्की नहीं हुई, मैं कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं और बड़ी-बड़ी तूफानी बाढ़ों के बावजूद कृषि का उत्पादन हिन्दुस्तान में बढ़ा है। मैं खास तौर से अपने कृषि वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके प्रयास से हर क्षेत्र में खोज हुई और आज हमारा हिन्दुस्तान भी दूसरे देशों के सामने अपना सिर ऊंचा करके खड़ा होता है। अगर मैं आज उनको धन्यवाद नहीं देता, तो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाऊंगा।

मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, जिनके बारे में हमारे दूसरे सदस्य बोल चुके हैं। मैं निवदेन करना चाहता हूं कि अगर कृषि की तरक्की करनी है तो निश्चित तौर से जो छोटे किसान है, सीमान्त किसान हैं, एग्रीकल्चरल लेबर है, आदिवासी, गिरिजन, हरिजन, हैं और देश के

तमाम वह क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं, ट्राइबल हैं, जब तक कृषि के विकास का काम उनके बीच में नहीं होगा, तब तक निश्चित तौर से हिन्दुस्तान का विकास नहीं होगा। मुझे खुशी है कि कृषि विभाग ने इनकी तरक्की के लिए बहुत सी योजनायें बनाई हैं।

एक योजना डी० पी० ए० पी० है, ड्राउट-प्रोन एरिया प्रोजक्ट इसके तहत तमाम हिन्दुस्तान में सूखे के लिए 78 जिले छांटे गये थे, लेकिन जो सूखे की राहत के लिये तेजी से कार्यक्रम चलना चाहिये था, वह नहीं चला। एग्रीकल्चर कमीशन में एक स्टडी टीम बनी थी श्री बी० शिवरमण के नेतृत्व में। उन्होंने हिन्दुस्तान का दौरा करने के बाद बहुत से सुझाव दिये थे गांवों का विकास करने के लिये। उसके लिये 38 गांव चुने गये थे। बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। उनमें से उत्तर प्रदेश में 5, बिहार में 23 उड़ीसा में 6 और तमिलनाडु में 4 थे इनमें 5 गांव उत्तर प्रदेश के थे जो मेरी कांस्टीटुएन्सी में पड़ते थे। इसके अलावा 100 गांव और लिये गये थे जिनमें डिमांस्ट्रेशन के तौर पर कृषि की तरक्की की बात करनी थी उसके जो रिजल्ट आये हैं वह अच्छे हैं और उत्साह-वर्द्धक हैं। हमारे यहां एक वनवासी शिव आश्रम है जो कि रिप्यूटेड सोशल आर्गेनाइजेशन है। यह काम उसको सौंपा गया था। इन 100 गांवों में जो काम हुआ उसका मूल्यांकन एग्रीकल्चर फाइनेन्स कार्पोरेशन बम्बई ने किया है। मैं बताना चाहता हूं कि 160 रुपए जिनकी पर-कैपिटा इनकम थी गांव की, उनकी 3 साल में 272 हो गई। शिक्षा में 14 परसेंट से 27 परसेंट लिटरेसी हो गई और 35 परसेंट लोग पावर्टी लाइन से ऊपर आ गये। इस तरह की 4-5 चीजें हैं। हैल्थ में 98 प्रतिशत सफलता रही और ऋण-मुक्ति शत-प्रतिशत सफल रही। इस प्रकार से इनकी जो फाइन्डिंग्ज हैं, वह बहुत उत्साहवर्द्धक हैं।

मैं कृषि मंत्री से मांग करता हूं कि जहां भी ऐसे क्षेत्र हैं, वहां होल विलेज डैवलपमैंट कार्यक्रम को विस्तार से बढ़ाया जाये और एक कम्प्रीहैंसिव विस्तृत प्रोग्राम हो जिसमें कृषि ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, दवायें और अनेक प्रकार के कम्युनिटी डैवलपमैंट के समग्र विकास के कार्यक्रम हों।

मैंने अभी कृषि मंत्री और प्रधान मंत्री से कहा था कि जो उपलब्धियां हुई हैं, उनके आधार पर एक सैमिनार आयोजित किया जाये। उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है।

छोटे काश्तकारों और सीमांत कृपकों को-ढाई एकड़ तक वाले काश्तकारों को-33 परसेंट सहायता दी जाती है। मैं चाहता हूं कि उन्हें 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाये।

उत्तर प्रदेश में तीन इलाकों में पिछड़े हुए जिले हैं: पूर्वी उत्तर प्रदेश 15 जिले, बुन्देलखंड में 5 जिले और 8 पहाड़ी जिले। उनकी हालत बहुत खराब है। उनकी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जाने चहिए। समुचित योजनाओं को कार्यान्वित कर के उन्हें ड्राउट -प्रूफ बनाया जाये। सूखे से छुटकारा पाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी और एक्सपर्ट्स कोई स्कीम बनायें और उसके रिजल्ट सारे हिन्दुस्तान पर लागू हों।

हिन्दुस्तान भर में 5028 ब्लाक हैं। लेकिन दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश को उसका हिस्सा नहीं मिला है। मैं मांग करना चाहता हूं कि कृषि सेवा केन्द्रों का विश्तार किया जाये,

जिनके अंतर्गत ट्रेनिंग की व्यवस्था और आर्थिक तथा तकनीकी सहायता की जाती है। ये सारे कार्यक्रम सेंट्रली-स्पांसर्ड थे। पिछले वर्ष जनता पार्टी के रेजीम में इन कार्यक्रमों को प्रदेशों को ट्रांसफर कर दिया गया। नेशनल डेवेलपमेंट कौंशिल की मिटिंग में यह निर्णय ले लिया गया इससे इमबैलेंसिज और बढ़ गये है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पर पुनर्विचार करे। जो योजना केन्द्र द्वारा बनाई जाती है, जिसके लिए पैसा केन्द्र द्वारा दिया जाता है, उसके सम्बन्ध में जो गाइडलाइन्ज दी जाती है, राज्य उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं।

बहुत स्टेट्स भूमि-सुधार के कार्यक्रमों में बहुत पिछड़ी हुई है। गरीबों को जो जमीन एलाट हुई है, उस पर उनको कब्जा नहीं मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट से यह आदेश जाना चाहिए कि उन लोगों को जमीन का कब्जा दिलाया जाये। भयावह बाढ़ से आए-दिन परेशानियां होती हैं। यदि किसी गरीब किसान का घर गिर जाता है, तो उसे 200 रुपए की सहायता दी जाती है। यह रकम बहुत कम है। अगर किसी किसान का घर गिर जाए, तो उसे कम से कम 1,000 रुपए मिलने चाहिए।

मैं सरकार और कृषि मंत्रालय का बहुत आभारी हूं कि इस भयंकर और अप्रत्याशित सूखे में—भारत के इतिहास में ऐसा सूखा पहले कभी नहीं पड़ा है—उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि एक भी इन्सान भूख से नहीं मरने पाया। इससे हमारा मस्तक ऊंचा हुआ है। हमने देखा था कि बंगाल के अकाल में लाखों आदमी मौत के घाट उतर गए थे। आज जो व्यवस्था की गई है, वह हमारे लिए गौरव का विषय है और उसके लिए केन्द्रीय सरकार और कृषि मंत्रालय धन्यवाद के पात्र है।

पशुओं को सूखे से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उनके चारे के बारे में जो गाइडलाइन्ज भेजी हैं, कुछ स्टेट्स उन पर अमल नहीं कर सकी है। मिर्जापुर में 30 परसेंट पशु मर गए। मैं मांग करना चाहता हूं—मुझे खुशी है कि कृषि मंत्री आ गए हैं, मैंने उन्हें पत्र भी लिखा है—कि जिन किसानों के जानवर मर गए हैं, उन्हें सबसिडी दी जाए, ताकि वे कृषि का काम कर सकें।

सूखे में रिग मशीनों ने बहुत काम किया है, लेकिन उनकी संख्या अपर्याप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिग मशीनें मांगी है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : वहां भेजी हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : लेकिन वे काफी नहीं हैं। और रिग मशीनें दी जाएं, ताकि पानी के बारे में स्थायी हल हो सके।

सरकार ने किसानों के लिए जो योजनायें चलाई हैं—एस० एफ० डी० ए०, डी० पी० ए० पी०, एम० एफ० डी० ए०, आदि, उनका विस्तार किया जाना चहिए। आदिवासियों के लिए ट्राइबल पायलट प्राजेक्ट चलाए गए हैं, जिन्हें टी० डी० ए० प्राजेक्ट कहा जाता है। सरकार ने कुछ ब्लाकों को चुना है। इससे काम नहीं चलने वाला है। हिन्दुस्तान भर के सारे ट्राइबल

एरिया को इसमें शामिल करना चाहिए। हरिजन और आदिवासी देश की आवादी का 25 प्रतिशत है। उनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाने चाहिए।

जैसा कि श्री मिर्धा ने कहा है, वजट में जो प्रावधान किया गया है, वह निश्चित रूप से कम है। उसको बढ़ाना चाहिए। सभी राज्यों को निर्देश दिया जाए कि दस वर्ष तक जंगल न काटे जायें। राजा साहब बैठे हैं। वह उत्तर प्रदेश में फारेस्ट मिनिस्टर थे। उन्होंने कुछ इलाकों में दस वर्ष तक जंगल काटना रोक दिया था। आज आवश्यकता यह है कि जंगल को कटने से आप रोकें। उनका ठेका वगैरह न दिया जाय। स्टेट की रेवेन्यू बढ़ाने के नाम पर स्टेट की सरकारें अनाप शनाप उनकी नीलामी कर रही हैं। आप इंडियन फारेस्ट ऐक्ट में कुछ ऐसा प्राविधान कीजिए कि आप को अधिकार मिल जाए कि जब तक आप अधिकार न दें तब तक वह न काट सकें।

जानवारों के लिए चारे बगैरह की व्यवस्था पूरी कीजिए। जगह-जगह उनके रिसर्च सेंटर्स को बढ़ाइए।

इसी प्रकार से जैसे इंडस्ट्री के लिए आप बिजली में छूट देते हैं ऐसे ही डीजल वगैरह में किसानों के लिए सब्सिडी दीजिए। यही नहीं, सब जगह डीजल के पम्प्स नहीं लगे हैं। जहां जरूरत हो वहां पम्प्स की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लक्ष्मण मालिक (जगतसिंह पुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

हमारे देश में कृषि उत्पादन का बड़ा महत्व है। खाद्यान्न की अवश्यकता पूरी करने के साथ ही साथ, यह क्षेत्र हमारी अधिकांश श्रम शक्ति को रोजगार भी प्रदान करता है और उनकी (किसमों की) भलाई उत्पादकता के ऊंचे स्तर पर निर्भर है। वर्ष 1978-79 के दौरान, खाद्यान्न था उत्पादन 1313.7 लाख टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच चुका है। हमें इस रिकार्ड उत्पादन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए।

पहली बात यह है कि इन आंकड़ों में अनाज और दालों का उत्पादन शामिल है। परन्तु, दालों के उत्पादन में शायद ही कोई बढ़ोत्तरी हुई है। बल्कि इसका उत्पादन वर्ष 1975-76 के मुकाबले में गिरा है। व्यवहार्यतः गरीबों की खुराक से दालें तो यहां गायब ही हो गई है। निम्न और मध्यम वर्ग के लोग तो दालों को अपने भोजन के लिए खरीद ही नहीं सकते। असिंचित भूमि में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस अनुसंधान के प्रयासों की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि कुल उत्पादन आंकड़ों से क्षेत्रीय स्थिति का सही पता नहीं लग पाता। 1977-78 के मुकाबले 1978-79 में अनाज उत्पाद की 47.6 लाख टन की कुल वृद्धि में से, 32.3 लाख टन गेहूं के कारण है। चावल उत्पादक क्षेत्र, तुलातमक रूप से गेहूं उत्पादक

क्षेत्र से अधिक है। चावल के कम उत्पादन के सम्भवतः बहुत से कारण हैं। प्राकृतिक आपदायें भी कम उत्पादन में अपनी भूमिका निभाती हैं। गेहूं के उत्पादन में चावल के उत्पादन से कहीं अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। बहुत से चावल उत्पादन क्षेत्रों में प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। हमारी खाद्य समस्या कभी भी सुलझ नहीं सकती। चावल उत्पादक क्षेत्रों के किसान उस समय तक परेशान रहेंगे जब तक कि उत्पादन का यह अन्तर समाप्त नहीं हो जाता। चावल उत्पादन में इस रुकावट के प्रमुख कारणों में से एक कारण है 'अपूर्ण सिंचाई सुविधायें'। जब भी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, किसानों ने सुधरी हुई कार्यप्रणाली अपनाई है और खेती में काम आने वाली चीजों की खपत में वृद्धि की है तथा संतोषजनक उत्पादन किया है। दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्षा पर निर्भर रहता आया है। चावल उत्पादक क्षेत्र और गेहूं उत्पादक क्षेत्र के बीच इस असन्तुलन को समाप्त करने के लिए यह नीति सम्बन्धी निर्णय किया जाना चाहिए कि सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने में केन्द्र राज्यों की सहायता करेगा।

महोदय, हम अपने खाद्यान्न उत्पादन के लिए आयातित उर्वरकों पर निर्भर हैं। उर्वरकों की खपत में काफी वृद्धि हुई है जो 1974-75 में 25·7 लाख टन से बढ़कर 1978-79 में 51·1 लाख टन हो गई है। मुझे ऐसी कोई आशा नहीं है कि निकट भविष्य में भी उर्वरकों का आयात रुक सकेगा। मन्त्रालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ महत्वपूर्ण उर्वरक उपलब्ध ही नहीं है और इनके मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चढ़ते जा रहे हैं तथा सप्लायर्स संविदा सम्बन्धी वायदों का पालन नहीं करना चाहते। हमें इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उत्पादन भी बढ़ाना है ताकि देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए। उर्वरक संयत्रों को लगाने के लिए तदनुरूप एक योजना बनाने की आवश्यकता है। यह योजना शीघ्र बनाई जानी चाहिए और क्रियान्वित की जानी चाहिए।

महोदय, हाल ही में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि ने तो यह अनिवार्य कर दिया है कि किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिलना ही चाहिए।

उचित मूल्य की दुकानों के बिना उत्पादन स्तर कायम नहीं रखा जा सकता। उड़ीसा में पटसन उगाने वाले बहुत से किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता। प्रायः उन्हें पटसन बहुत ही कम मूल्य पर बेचनी पड़ती है। उचित मूल्य पर पटसन की खरीद की व्यवस्था की जानी चाहिए।

महोदय, गांवों में रोजगार की स्थिति शोचनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अपूर्ण-रोजगारी में वृद्धि होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। दुर्भाग्यवश, ग्रामीण विकास के हमारे एक भी कार्यक्रम पर बल नहीं दिया जा रहा है। समान निहितार्थों वाले विभिन्न कार्यक्रमों, का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर इन कार्यक्रमों का नियंत्रण कभी-कभी विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है जिसके फलस्वरूप ये योजनाएं समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही कार्य करती हैं। अतः इससे भ्रांति उत्पन्न होती है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि छोटे

और सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों की बेहतरी के लिए इस प्रकार की सभी योजनाओं को एक ही योजना के अन्तर्गत न लाया जाए। वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में "ग्रामीण रोजगार के लिए राष्ट्रीय योजना" का उल्लेख किया था। हमें आशा है कि यह योजना नेमी किस्म की योजना नहीं होगी तथा वे सभी योजनाएं जो विभिन्न नामों से चलाई जा रही हैं, मिलाकर एक कर दी जाएगी। हमें ऐसा प्रतीत होता कि ग्रामीण विकास के लिए एक (व्यवहार्य) तन्त्र स्थापित किए जाने के बारे में समुचित रूप से विचार किया जा रहा है।

1950 के दशक में प्रतिस्थापित किए गये ब्लाक—उपयोगहीन हो गये हैं और उनके पास कोई व्यवहार्य कार्यक्रम नहीं है। एक ही स्थान से अधिक महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए, ही मूलत: ग्रामीण समुदाय ब्लाकों की स्थापना की गई थी। यह एक नया प्रयोग था। परन्तु पूर्णत: स्थापित होने से पूर्व ही इसे समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार फिलहाल, हमारे पास ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कोई एजेन्सी नही है। यदि ऐसी स्थिति चलती रही, तो इसके लिए नियत राशि का मुख्य भाग अप्रयुक्त ही रह जाएगा। और लोगों को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पायेंगे।

अत: मेरा यह सुझाव है कि ब्लाक तन्त्र का पुनर्गठन करने के लिए गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित विभिन्न विषय एक ही प्रशासनिक तन्त्र के नियंत्रण में लाये जा सकें।

महोदय मेरा अन्तिम प्रश्न यह है। देश के सभी भागों में रेल सेवाएं समान रूप से प्राप्त नहीं हैं। ऊदाहरणतया उड़ीसा में कई जिले ऐसे हैं, जहां रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। उर्वरक का मूल्य रेल-पर्यन्त निशुल्क गन्तव्य स्थल रेलवे स्टेशन पर आधारित है। लाभ बहुत ही कम है। अत: उर्वरक को रेलवे स्टेशन से आभ्यान्तर क्षेत्रों में ले जाना खर्चीला हो गया है।

इसके परिणाम स्वरूप बहुत से आभ्यान्तर क्षेत्रों में उर्वरक उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता। उड़ीसा जैसी कई राज्य सरकारें भारत सरकार से यह अनुरोध करती रही हैं कि ब्लाक मुख्यालय को राष्ट्रीय रेल-पर्यन्त घोषित कर दिया जाये ताकि निकटतम रेलवे स्टेशन से सड़क मार्ग द्वारा ब्लाक मुख्यालय तक उर्वरक ले जायी जा सके। यह ब्लाक मुख्यालय रेल-तक-निष्प्रभार गन्तव्य मूल्य के लिए गन्तव्य स्थल होगा। इस सुविधा के बिना। उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में उर्वरकों की खपत में अधिक सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए, सरकार को चाहिए कि वह ब्लाक मुख्यालय को रेल पर्यन्त घोषित कर दें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री लहना सिंह तुर (तरन तारन) : सभापति महोदय,

सभापति : आप हिन्दी या अंग्रेजी में बोलिए। यदि आप पंजाबी में बोलना चाहते हैं, तो आप बाद में बोलिए। आपने कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी।

श्री लहना सिंह तुर : पंजाबी ओखी जबान नहीं है, सोखी जबान है।

सभापति महोदय : आप हिन्दी में बोलिये क्योंकि अभी इन्टरप्रीटर नहीं है और नहीं तो बाद में बोलिए।

श्री लहना सिंह तुर : मैं बाद में बोल लूंगा, लेकिन बोलूंगा पंजाबी में।

श्री कुम्भाराम आर्य (सीकर) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है और जिसके लिये सरकारी प्रोत्साहन की बात कही जा रही है वह "लम्बाह हेला, ओछी बीख" के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं आप के द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि किसानों के साथ बड़ा पक्षपात होता है उनके साथ बड़ा अन-जस्टिस होता है और इतना कठोर सौतेला व्यवहार होता है, किन्तु जिस को कोई सहन नहीं कर सकता। यह किसान ही ऐसा है जो इन सारी बातों को सहन करता है।

मैं इस वक्त गन्ने और चीनी की बात कहता हूं। चीनी पैदा करने में किसान को भी काम करना पड़ता है और उद्योगपति को भी काम करना पड़ता है। उद्योगपति को अपनी मिल चलानी पड़ती है और किसान को गन्ना पैदा करने के लिये अपने खेत में काम करना पड़ता है। लेकिन इन दोनों के साथ सरकार का क्या व्यवहार है ? इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। चीनी मिल के लिए कानून बनाया जाता है, एरिया डिमार्केट किया जाता है। उस एरिये में पैदा होने वाला गन्ना किसी दूसरी जगह नहीं बेचा जा सकता अगर कोई बेचता है तो उसको सजा मिलती है, दूसरी तरफ किसान को मजबूर किया जाता है कि वह उसी मिल को गन्ना बेचेगा, दूसरी जगह नहीं बेचेगा। नतीजा यह होता है कि मिल-मालिक उसको उसके गन्ने का पैसा भी नहीं देता, उधार की पर्ची पकड़ा देता है उधार की पर्ची की हालत यह है कि उसका पेमेन्ट पांच-पांच साल तक नहीं होता, करोडों रुपए चीनी मिल मालिकों में किसान के पड़े हैं, किसान को रकम का ब्याज भी नहीं मिलता। सरकार से कोई पूछे कि इस तरह का दुर्व्यवहार किसान के साथ करने में सरकार को क्या लाभ है ? किसान को बरबाद करने के लिए इस तरह का कार्य सरकार क्यों कर रही है ; उसको इसमें क्या मिल रहा है, मेरा ख्याल है कि इसमें इसके सिवा कुछ नहीं —

सत्तहीना सरदार गत्तहीना राखै मिनख
अस अन्धे असवार राम रुखालो राजिमा।

इन को कुछ भी पता नहीं है कि किसान के साथ क्या हो रहा है, उस पर क्या गुजर रही है।...(व्यवधान)...मैं भी किसान का बेटा हूं, किसी बनिए का छोरा नहीं हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान गन्ना बोता है, उस गन्ने को सरकार पानी देती है। चीनी मिलवालों को चीनी बनाने के लिये, मिल चलाने के लिये बिजली देती है।

बिजली के पैसे में कोई गड़बड़ नहीं है । लेकिन खेती में जो पानी लगता है, अगर किसान ने उससे गन्ना पैदा कर लिया, तो पानी की दर ज्यादा ली जाती है । जो दर गेहूं के लिये या बाजरे के लिये है, गन्ने के लिये वह दर नहीं होती है । गन्ने के लिए ज्यादा दर चार्ज की जाती है । मैं पूछना चाहता हूं कि किसान के साथ यह पक्षपात क्यों ? क्या आप ने पानी में कोई हींग डाल दी है या फिटकरी डाल दी है, क्या कर दिया है जो गन्ने के लिये पानी लगे उस की कीमत ज्यादा चार्ज करेंगे और गेहूं या बाजारा में जो पानी लगेगा उसकी कीमत कम वसूल करेंगे ? इस तरह का व्यवहार मिल-मालिकों के साथ क्यों नहीं किया जाता, अगर वह चीनी पैदा करेगा तो उस से बिजली का ज्यादा पैसा लेंगे, अगर खाण्डसारी पैदा करेगा तो कम पैसा लेंगे ? इस तरह का व्यवहार मैंने 'राम और राज" के घर में कहीं नहीं देखा, सिवाय इस कांग्रेस राज के । राम किसी को दो नजर से नहीं देखता, राज को भी दो नजरों से देखने का अधिकार नहीं है ।

मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं —कृषि मंत्री आप उस राव तुला राम की संतान हैं. जिसने दिल्ली के सन्मुख कभी सिर नहीं झुकाया था और आपने हरियाणा में गुंजाया था —

राव आया, भाव आया ।

राव गया, भाव गया ।

इस वक्त आप हरियाणा में नहीं है, दिल्ली हाथ लग गई है, कर दे दो हाथ । क्या दिक्कत है ? किसान की भलाइ करने में अगर यहां से चले जाना पड़े तो भरोसा करें किसान वापस ले आयेगा, लेकिन एक बार किसानों का भला कर के दिखला दे । किसान की दुहाई सब देते हैं, लेकिन किसान की भलाई के लिये कोई तैयार नहीं है ।

मैं आप को एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं । हम बड़े ऋण देते हैं, ऋणों से किसानों का भला करते हैं । आप ऋण से भला भी करते हो और किसानों को बरबाद भी करते हो । जो छोटा किसान है, वह अपने खेत में कुंआ बनाने के लिये ऋण लेगा, मशीन लगवायेगा, लेकिन पैदावार शुरू नहीं होगी, उसके पहले ही पहली किश्त और दूसरी किश्त ड्यू हो जायेगी । वह किश्त अदा नहीं कर सका तो सरकार उसकी मशीन को निकालने जाएगी, निलाम कर देंगी । मशीन को निलाम कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन मिनिमम चार्ज के नाम पर बिजली का बिल फिर भी भेज देंगें लोगों से साल-साल भर की बिजली वसूल की जाती है । यह कोई अक्ल का काम है ? यह मूर्खों का काम है, बेईमानी का काम है ! इस पर थोड़ी नजर डालिये, राव साहब ।

एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं । जिस किसान ने अपनी जमीन के डेवलपमेंट के लिए ऋण लिया, कुंआ बनाया और उस कुंए में पत्थर निकल गये या पानी खारी निकल आया, अथवा उसकी फसल को टिड्डी ने खा लिया या कोई और बीमारी आ कर लग गई, फसल नष्ट हो गई बस फिर क्या था, सरकार आई और उसके खेत को निलाम कर दिया । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके गरीब किसान को उजाड़ो मत । किसी को बसा नहीं सकते तो

मत बसाओ। लेकिन किसान की जमीन आप निलाम करते हैं, यह किसानों के साथ सब से बड़ी इनजस्टिस है। इस को रोकना चाहिये। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम किसानों की उन्नति के लिए पैसा देते हैं और उस पैसे को अगर किसान अदा नहीं कर सकता है, तो उसकी भूमि को निलाम करके उसको भूमिहीन बना देते हो इसमें दोष किसका ? और फिर कहते हो कि भूमिहीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आप रहे और आप के लोग बढ़ते रहे और उनकी वसूली आप इसी तरह से करते रहे, तो किसानों की संख्या घटेगी और मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। यह आप के काम करने के तरीकों की मेहरबानी है। मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि किसानों की भूमि को निलाम होने से रोक देना चाहिए। और इस की वजह से अगर सरकार को नुकसान होता है, तो उसको भुगत लेना चाहिए। ऐसा करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। किसान इस हैसियत में नहीं है कि वह सरकार से लड़ सके। अगर किसान इस हैसियत में होता, तो आज से बहुत पहले ही वह सरकार से लड़ कर अपना हक प्राप्त कर लेता।

सभापति जी, आप घंटी न बजाएं। मैं बोलूंगा। आप मार्शल से निकलवा सकते हैं। मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं अपने दुःख, दर्द कहने के लिए आया हूं। घन्टी बजाने से मेरा दिमाग बिगड़ जाता है, इसलिये इस को मत बजाइए।

सभापति महोदय : हम नहीं चाहते लेकिन हमें घन्टी बजानी ही पड़ती है।

श्री कुम्भा राम आर्य : मैं एक बात और बताना चाहता हूं। सरकार ने जितने बिजली बोर्ड बना रखे हैं, हर एक बिजली बोर्ड के अन्दर कन्ज्यूमर वर्ग का एक सलाहकार प्रतिनिधि के रूप में बैठा हुआ है लेकिन एक बदकिसमत वर्ग ऐसा भी है, जो संख्या में सबसे अधिक कन्ज्यूमर कहलाता है लेकिन उस वर्ग का यानी किसान वर्ग का कोई भी प्रतिनिधि किसी भी बोर्ड के अन्दर आज तक नहीं है। सरकार ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर किसान का प्रतिनिधि परामर्शदाता के रूप में बिजली बोर्ड में जाता है, तो इस सरकार का क्या नुकसान है ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं उसको जाने दिया जाता जबकि दूसरे वर्गों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं ? सरकार का इरादा किसानों की हमदर्दी का नहीं हैं किसान के साथ ऐसे दुर्व्यहार अनेक हो रहे हैं मैं ऐसी सब बातें कहना चाहता, हूं आप नाराज न हों आपने ऐसी परम्परा जो बना दी है, वह बहुत बुरी है, बिना समझदारी की है और अकारण है। इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूं कि बिजली बोर्ड में किसान वर्ग का एक प्रतिनिधि होना चाहिए।

सभापति जी : सरकार उद्योगों का तो आप ध्यान रखती है लेकिन खेती का नहीं रखते ? क्योंकि वह बड़े लोगों का भला देखती है गरीबों का नहीं। बहुत बढ़िया सरकार है ! सरकार गरीबों के लिए पहले हुआ करती है और अमीर के लिए बाद में। आप अमीर के लिए पहले हैं और गरीबों के लिए बाद में भी हैं अथवा नहीं, इसका कोई पता नहीं। यह हालत है सरकार की। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप इस तरफ ध्यान दें। उद्योगों के अन्दर 2 पैसे यूनिट बिजली दी जाती है और उसके बाद सब्सीडी अलग से दी जाती है जिसकी मात्रा

लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। लेकिन किसान से बीस पैसे से लेकर सत्ताईस पैसे यूनिट तक चार्ज किया जाता है। अनुदान किसान के नाम पर किसान के नाम लिख दिया जाता हो तो पता नहीं उसे दिया तो नहीं जाता। मैं किसान के बारे में आप से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक तो किसान की जमीन को नीलाम होने से रुकवा दें। दूसरे बिजली बोर्ड के अन्दर किसानों के प्रतिनिधि रखवा दें और पक्षपात बन्द करवा दें। आप स्टेट के मुख्य मंत्रियों को इसका परामर्श भेजिये जिससे कि किसान की भी वहां सुनवाई होने लगे।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

दूसरी बात मैं सहकारिता के बारे में कहता हूं। सहकारिता किसान की सब से बड़ी समस्या है। सहकारिता को एक फर्जी जामा पहना रखा हैं। इसको जमने नहीं दिया जाता है। नेशनल आरगेनाइजेशन से लेकर नीचे गांव तक सभी सहकारी समितियां की हालत बिगाड़ रखी है मैं आपको बताता हूं। गांव के लोगों का एक सहकारी समिति के नाम और आकार के संबंध में दिमाग बनता है तो उससे पहले नाम बदल दिया जाता है, आकार बदल दिया जाता है। गांव के लोग कोशिश करके बदला नाम और आकार अपने दिमाग में बिठाते हैं तो इतने में तीसरा नाम आकार स्थापित कर दिया जाता है कभी उसका नाम सेवा सहकारी समिति, कभी ग्राम ऋणदात्री सहकारी समिति, कभी ग्राम समूह सहकारी समिति कर दिया जाता है। गांव का किसान इन सहकारी समितियों का नाम याद करने में ही आज तक उलझा हुआ है। अगर एक आदमी का नाम तीन-तीन, चार-चार बार बदल दिया जाए तो कैसे उसका नाम याद रह सकता है। गांव के अन्दर सहकारी समितियां की हालत बहुत खराब है उससे बनने वाली मार्केटिंग सोसायटी को फेल करने के लिए सरकार ने अलग से खाद्य निगम का दिया कायम इसलिए किया है कि स्टेट और नेशनल लेवल के सहकारी संघ फेल हो जाएं। स्टेट और नेशनल लेवल के सहकारी संगठनों के लिए चाहते हैं कि फेल हो जाएं। आप सारा का सारा पैसा निगमों को देते हैं सहकारी संस्थाओं को नहीं देते निगम बाजार में खड़े हो कर खरीद-फरोख्त करते हैं सहकारिता सिसक रही है। इसकी वजह यह है कि अगर सहकारिता के अन्दर सरकार का पैसा चला जाए, और इसको सरकार का समर्थन मिलता जाए नौकरशाही क्या करें ? नौकरशाही के बीच में से निकलना पसंद नहीं। हिन्दुस्तान की जनता इस नौकरशाही के रहते आज़ाद नहीं।

आज गांवों की हालत आपने क्या बना रखी है ? एक गांव के अन्दर आपकी तीन-तीन, चार-चार, सरकारें चलती हैं। इर्रीगेशन मिनिस्टर का डिपार्टमेंट अलग, एजूकेशन मिनिस्टर का डिपार्टमेंट अलग, हेल्थ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट अलग और कोआप्रेटिव का डिपार्टमेंट अलग है। इन महकमों के कर्मचारी एक दूसरे की मानते नहीं और गांव वाले को अलग-अलग डील करना पड़ता है। क्यों नहीं सरकार पंचायत स्तर पर एक प्रशासनिक यूनिट बना दे मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप यह बनाइए और उसका इन्चार्ज सरपन्च को बनाइए। गांव में सरपन्च का हुक्म चलवाएं जिससे मालूम हो कि गुलामी चली गई और आजादी आ गई। आज सरपन्च को सिंचाई का पानी लेने के लिए ओवरसियर और बेलदार के पैर पकड़ने पड़ते हैं। राव साहब ! यह नौकरशाही का राज है। इस नौकरशाही के चक्कर में आप और हम पिसे जा रहे हैं। नतीजा

यह हो रहा है गांव की तमाम कोप्रेटिव से लेकर दिल्ली तक की कोआप्रेटिव फैल हो रही है। उसको फेल करने के लिए निगम और भण्डारण की व्यवस्था अलग बना दी। सारा धन नौकरशाही के हवाले कर दिया। अब आप कहते हैं कि नौकर ज्यादा धन खर्च करते हैं, बेतरतीब का खर्च करते हैं। बनियां कम खर्च करता था यह कहना था तो फिर उन्हें धन दिया ही क्यों? आप को कोआप्रेटिव को फैलाना चाहिए, सारा पैसा उसको देना चाहिए? भण्डारण की मार्केटिंग की सारी व्यवस्था आपको कोआप्रेटिव के हवाले करनी चाहिए ताकि वहीं पैदा करने वाला हो, वहीं खरीदने वाला हो। शिकायत का प्रश्न ही न रहे। लेकिन आज खरीदने वाला कोई, बेचने वाला कोई और पैदा करने वाला कोई है। नतीजा यह है नतीजा यह है कि सब जगह गड़बड़ घोटाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता को स्वतन्त्रता दीजिये, स्वावलम्बी बनने का अवसर दीजिये। इसे नौकरशाही के शिकंजे से निकालने की मेहरबानी कीजिये, इसमें आपके घर से कुछ लगेगा नहीं। तीसरी बात मैं पंचायत राज की करना चाहता हूं।

पंचायती राज आज हिन्दुस्तान में कहने मात्र को है। पंचायतों को जो अधिकार मिलने चाहियें थे, वह अधिकार नहीं हैं। अधिकार तो दूर रह गये, अशोक मेहता ने जो रिपोर्ट दी थी कि पंचायती राज को संवैधानिक संरक्षण देने के लिये इसको संविधान में जगह देनी चाहिए, उस रिपोर्ट को लाल-फीते में बांधकर अलमारी में रख दिया गया है। वह आज तक हमारे सामने नहीं लाई गई है यह सब नौकरशाही की मेहरबानी है। नौकर नहीं चाहता कि देश की जनता उनके सामने सिर उठाकर चल सके। वह यह भी पसन्द नहीं करता कि गांव का गंवार आदमी एक कलैक्टर को हुक्म दे दे कि तुमको यह काम करना पड़ेगा।

मैं एक आश्चर्य की बात बताता हूं अगर कोई जन प्रतिनिधि मुख्य मंत्री की गद्दी पर बैठा हुआ है तो वह बड़े-से-बड़े अफसर के खिलाफ एक्शन ले सकता है, उसको डिग्रेड कर सकता है, ट्रांस्फर कर सकता है, बर्खास्त करवा सकता है, लेकिन वह मुख्य मंत्री अगर चीफ मिनिस्टर की गद्दी से उतरकर गांव में पंचायत की गद्दी पर बैठ जाये, सरपंच बन जाये तो वह पटवारी से रिपोर्ट नहीं मंगवा सकता है। यह है पंचायती राज। जब वह मुख्य मंत्री की गद्दी पर बैठा था, बड़े दिमाग वाला आदमी था चरित्र वाला आदमी था और सरपंच बनते ही उसका चरित्र हनन हो गया और बुद्धि भी खत्म हो गई। यह सब पंचायती राज के साथ मखौल है। आप इस नौकरशाही को पंचायत के हवाले कर दीजिये। पूरे गांव के सत्तर नौकर सरपंच के नीचे रहने चाहिये और जो तहसील के हैं वे प्रधान के नीचे रहने चाहिये चाहे उनकी हैसियत कुछ भी हो, तभी पंचायती राज कायम होगा, इसके बगैर पंचायती राज कायम नहीं हो सकता। पंचायती राज कायम होने पर ही देश में तरक्की का काम शुरू होगा, नहीं तो तरक्की का काम नहीं हो सकता है। अब तो करप्शन का काम होता है, मैं तेरी नही कहूंगा, तू मेरी न कहियो।

इस तरह से लोग बजट का पैसा ठिकाने लगा देंगे, आप कहेंगे कि हमने बहुत दिया और हम कहेंगे कि आपने कुछ नहीं दिया। यह दोनों के लिये समस्या है।

आप भी मंत्री महोदय, सदा यहाँ नहीं रहेंगे, कभी गांव में सरपंच बनना पड़ गया तो पटवारी आपको पसीना ला देगा। इसका प्रबन्ध अभी से करलें पटवारी को सरपंच के नीचे लगा दें। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह गांव वालों के लिए बड़ा भारी संकट है, यह उन की व्यथा कह रहा हूं।

श्री राम नगीना मिश्र : चौधरी साहब ने तो पटवारियों को समाप्त किया। वह एक रुपया चार आने लेता था, लेकिन उन्होंने नए लेखपाल पैदा कर दिए जो 10 रुपए लेते हैं।

श्री कुंभाराम आर्य : मैं यहां चौधरी साहब के हक में नहीं बोल रहा हूं, मैं तो किसान की व्यथा प्रकट कर रहा हूं, अगर उसमें कोई खराबी हो तो मुझे वापस दे दें।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं तो यह कह रहा हूं कि यह चौधरी साहब ने किया था, जब वह सत्ता में थे।

सभापति महोदय : ठीक है, वह व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कह रहे है। चौधरी साहब अब आपने अपनी बात समाप्त कर ली।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : महोदय, दूसरे पक्ष के और मेरे पक्ष के भी अनेक सम्मानीय सदस्यों ने कृषि मन्त्रालय और ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय की बजट माँगों पर हुई बहस में भाग लिया। मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री राव वीरेन्द्र सिंह, बाद में वाद-विवाद का उत्तर देंगे। वे कृषि तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में इस बहस में उठायी गयी बातों के विषय में बतायेंगे। मैं मुख्यतः पशु-पालन, डेयरी उद्योग, मछली उद्योग और ग्रामीण पुनर्गठन से सम्बन्धित कुछ मसलों पर प्रकाश डालने के लिए हस्तक्षेप किया है क्योंकि ये विषय मेरे पास हैं।

फिलहाल, भारतीय कृषि अर्थ-व्यवस्था में फसल-पालन का प्रमुख योगदान है। यह कृषि के क्षेत्र में कुल उत्पादन के लगभग 79% मूल्य के बराबर है। पशुधन क्षेत्र के लिए 17 प्रतिशत और मछली उद्योग के लिए लगभग 1·7 प्रतिशत।

फसल-पालन पर इतनी अत्यधिक निर्भरता के कारण, प्रतिवर्ष कृषि आय में बहुत अधिक अस्थिरता आती जा रही है। यदि कृषि को स्थिर किया जाना है तो हमें पशु-धन क्षेत्र तथा मत्स्य पालन क्षेत्र को विकसित करना चाहिए। इन क्षेत्रों से निर्यात की भी काफी सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, इन्हीं क्षेत्रों में छोटे किसान, सीमान्त किसान, कृषि मजदूर और छोटे मछुवे कुशलता पूर्वक भाग ले सकते हैं।

उपर्युक्त सन्दर्भ में, निर्माणाधीन नई पंचवर्षीय योजना में हमारा पशुधन विकास और मत्स्यशालाओं पर अधिक बल देने का प्रस्ताव है। 1980-81 में ही इस दिशा में श्रीगणेश किया जा चुका है।

दूध की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, हमारे देश का दूध का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता है। फिलहाल, हमारा दूध का वार्षिक उत्पादन लगभग 290 लाख टन है। हमारी इच्छा है कि आगामी पांच वर्षों में इस उत्पादन को लगभग 80 लाख टन और बढ़ाया जाए। इस प्रयोजन के लिए, यह आवश्यक है कि संकरण कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर चलाया जाए। देश में संकरण कार्यक्रम लागू करने की दिशा में कुछ शुरुआत पहले ही की जा चुकी है। हमारी 1980-81 में इस कार्यक्रम को और अधिक बढ़ाने की इच्छा है। इस प्रयोजन हेतु, कृत्रिम गर्भाधान के लिए देश के विभिन्न भागों में शीत वीर्य-संग्रह केन्द्र (फ्रोजन सीमेन स्टेशन) स्थापित करने के लिए केन्द्रीय बजट में हमने 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

पशु विकास के साथ-साथ हम डेयरी विकास के क्षेत्र में अपने प्रयासों में तेजी लाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यक्रम है आपरेशन फ्लड 2, इस कार्यक्रम में लगभग 155 ऐसे जिलों को शामिल किया गया है जहां दूध अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। इस व्यापक परियोजना का उद्देश्य एक करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना है और इस परियोजना में 1.5 करोड़ दूध देने वाले पशुओं को शामिल किया जाएगा। इस बारे में हमारी उत्सुकता के एक संकेत के रूप में, मैं यह कहना चाहूंगा कि पशु और डेयरी विकास के लिए योजनागत निवेश जो 1979-80 में लगभग 51 करोड़ रुपये था को विचाराधीन केन्द्रीय बजट में बढ़ा कर 81 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मुझे 'आपरेशन फ्लड 1' के बारे में कुछ आशंकाओं का मैं निवारण करना चाहूंगा। यह कार्यक्रम सफल रहा और इसके प्रमुख लक्ष्य मुख्यतः प्राप्त हुए हैं। एस० एम० पी० और बटर आयल उपहारों से प्राप्त 112.60 करोड़ रुपये की राशि में से 106 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। चार महानगर डेयरियों की प्रक्रियन क्षमता को तीन-गुना बढ़ाकर 9 लाख लिटर प्रतिदिन से 27 लाख लिटर प्रतिदिन कर दिया गया है। अधिक दूध पैदा करने वाले 18 क्षेत्रों में, फीडर सन्तुलन क्षमता, जो कि 7 लाख लिटर प्रतिदिन से कम थी, को बढ़ाकर 32 लाख लीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। प्रतिदिन लगभग 30 लाख लिटर दूध बाहर ले जाने में सक्षम रेल और सड़क मार्ग पर चलने वाले टैंकरों का एक भारी बेड़ा बनाया गया है।

9000 सहकारी समितियों की सदस्यता के माध्यम से दूध का उत्पादन करने वाले लगभग 12 लाख लोग लाभान्वित हुए। ये समितियां उनके लिए तकनीकी सुविधाएं तथा उनके दुधारु पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करती हैं। उन क्षेत्रों में लगभग 14 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हूं। पशुओं के अनुपूरक चारे के लिए, 8 पशुचारा संयंत्र चालू किए गए हैं तथा शीघ्र ही 8 और संयंत्र चालू किये जाने है।

इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि पाउडर दूध का आयात जो 1968-69 में 48000 टन था घटकर 1979-80 में 19000 टन रह गया, जब कि इसी अवधि के दौरान स्वदेशी उत्पादन 20,000 टन से बढ़कर 64,000 टन हो गया।

हमारे अध्ययनों से यह पता चलता है कि दूध का अधिक उत्पादन करने वाले सभी 18 जिलों में सोसायटियों के लगभग, 70 प्रतिशत सदस्य छोटे या सीमांत किसान या भूमिहीन मजदूर हैं।

हमारे मूल्यांकन में, आपरेशन फ्लड I कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहा जिससे हमें आपरेशन फ्लड 2 परियोजना जिसका संचालन क्षेत्र लगभग सभी राज्य होंगे, को हाथ में लेने के लिए प्रेरणा मिली।

श्री दिगम्बर सिंह का यह कथन सही नहीं है कि डेयरी के क्षेत्र में अधिक व्यय करने से केवल शहरी उपभोक्ता को सस्ता दूध और मक्खन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रथम, व्यय का लगभग 35 प्रतिशत स्पष्ट तौर से कृत्रिम गर्भाधान सुविधाओं, पशुचिकित्सा, चारा, वीर्य बैंक इत्यादि के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्रामों में पशु सुधार कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा।

दूसरे शोधन क्षमताओं पर लागत, जो लगभग 35 प्रतिशत होगी, से भी उत्पादन कर्त्ताओं को सुनिश्चित लाभकारी मूल्य और स्थिर बाजार तथा शहरी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति का लाभ पहुंचेगा।

तीसरे, आपरेशन फ्लड I के अन्तर्गत दूध का अधिक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ कि दूध उत्पादकों की नकद आय में कम से कम 50% वृद्धि हुई है।

अन्तत:, शोधन क्षमताओं, विशेषतौर पर पोषक/संतुलन डेयरियों का स्वामित्व उत्पादन कर्त्ताओं की सहकारी समितियों को सौंप देने का प्रस्ताव है।

अन्डमान के सम्मानीय सदस्य ने कहा कि अन्डमान की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जिस किसी कार्यक्रम की भारत सरकार परिकल्पना करती है, वह पूरे देश के लिए होता है। अन्डमान भी हमारे देश का एक भाग है हालांकि यह एक दूर-दराज स्थान पर स्थित है। हम इसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। वे चाहते थे कि आप्रेशन फलड-2 कार्यक्रम वहां भी लागू किया जाये। ऐसा करने की हमारी योजना है। पशु विकास कार्यक्रम में भी अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल किया गया है।

मुर्गी पालन कार्य प्राय: छोटे और सीमान्त किसानों, जन जातीय तथा समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों द्वारा किया जाता है। अन्डों और पोल्ट्री मीट की मांग बढ़ती जा रही है। आजकल अर्थात् 1980-81 में अन्डों का उत्पादन स्तर है 1200 करोड़ अन्डे और 2200 करोड़ चूजे।

अंडों और पक्षियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हम इनके उत्पादन को 1984-85 तक 1651 करोड़ अंडे और 3500 करोड़ चूजों तक बढ़ाना चाहते हैं। मुर्गी पालन

के क्षेत्र में उत्पादन में इस अभिवृद्धि से ग्रामीण जनता के लिए अत्यावश्यक रोजगार मिलेगा तथा देश की मांग को पूरा करने के लिए अन्डों और पक्षियों का उत्पादन बढ़ेगा।

देशी मुर्गी एक वर्ष में लगभग 60 से 100 तक अंडे देती हैं जबकि उन्नति किस्म की आयातित मुर्गी प्रतिवर्ष 220 से 260 तक अंडे देती है। विदेशों ने हमारे देश को ग्रान्ड पेरेन्ट। पेरेन्ट नस्ल की मुर्गियां सप्लाई की जिनमें मुर्गा किसी अलग नस्ल का था और मुर्गी अलग नस्ल की थी। अतः विशुद्ध नस्ल का पुनर्जनन कठिन हो गया था।

इसलिए भारतीय फार्मों को नियमित अन्तरालों पर मुर्गियां बदलने के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। यह भी महसूस किया गया था कि मुर्गियों की ऐसी नई नस्ल का विकास करने के लिए प्राइवेट मुर्गी-प्रजनकों द्वारा अनुसन्धान तथा विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा जो हमारी जलवायु में पनप सकें।

प्रजनन-नस्ल की पूर्ति के लिए विदेशों पर निरन्तर निर्भरता के खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रान्ड पेरेन्ट। पेरेन्ट नस्ल की मुर्गियों का विदेशों से निर्यात करने पर रोक लगाने का नीति सम्बन्धी निर्णय किया है। सरकार ने देश में वास्तविक मुर्गी प्रजनकों को मूल प्रजनन कार्य (विशुद्ध नस्ल) करने के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। इससे देश आत्म-निर्भर बनेगा।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमें मछली पालन के विकास पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में, हमारे पास अन्तर्देशीय मछली-उद्योग के विकास के लिए बहुत गुंजाइश है। 1980-81 के बजट में हमने अन्तर्राष्ट्रीय मछली-उद्योग के विकास के लिए 100 लाख रुपये की व्यवस्था की है जबकि पिछले वर्ष के बजट में 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

इस वर्ष के प्रारम्भ से अन्तर्देशीय मछली-उद्योग-विकास के लिए पाँच राज्यों में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विश्व बैंक परियोजना शुरू की गई है।

ऐसा प्रस्ताव है कि गांवों के तालावों आदि को अलग-अलग मछियारों या उनकी सहकारी संस्थाओं को लम्बी अवधि के पट्टे पर दे दिया जाए। तालाबों को उन्नत बनाने तथा उनमें मछली पालन के प्रयत्न किए जाएंगे। मछली-बीज निगम के माध्यम से मछली-बीज सप्लाई करने की व्यवस्था करने का प्रस्याव है।

अन्तर्देशीय मछली-उद्योग के विकास के लिए चालू योजनाओं में से एक योजना मछली फार्म चलाने वालों की विकास एजेंन्सियों से सम्बद्ध है। ऐसी लगभग 93 एजेन्सियां विद्यमान हैं तथा कार्य कर रही हैं। इनकी संख्या, विशेषकर उत्तर-पूर्व के राज्यों बढ़ाने का प्रस्ताव है।

अन्तर्देशीय मछली-उद्योग के सम्बन्ध में सबसे बड़ी बाधा मछली-बीज की अपर्याप्तता है। अनुमान है कि कुल आवश्यकता लगभग 600 करोड़ मछली फ्राई की है। जब कि वास्तविक उपलब्धता 100 करोड़ मछली फ्राई भी नहीं होगी। हम सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में मछली-बीज-उत्पादन की बड़े पैमाने पर व्यवस्था का विकास करने के लिए कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं।

अन्तर्देशीय मछली उद्योग के क्षेत्र में सबसे अधिक आशाजनक क्षेत्र खारा पानी एक्वा-कल्चर का है। खारे पानी में मछली पालन का पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरल में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। अब तक 300 हैक्टर क्षेत्र में प्रायोगिक परियोजनाएं चालू की गई हैं। इस प्रयोजन के लिए और बड़ी परियोजनाएं सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है।

आने वाले वर्षों में विकास के अत्यधिक आशाजनक क्षेत्रों में से एक समुद्री मछली उद्योग से सम्बद्ध होगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, हाल ही में समुद्र-विधि में परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप भारत का क्षेत्राधिकार इसके तट से 200 मील तक बढ़ गया है।

यह अतिरिक्त क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसके परिणामस्वरूप 22 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक समुद्री क्षेत्र हमारे देश के सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न अधिकार में है। इससे हमें एक नई चुनौती और साथ-साथ एक नया अवसर मिलता है।

इस नई सम्पदा को काम में लाने के लिए हमें मछली-उद्योग के साधनों के सर्वेक्षण के लिए अपनी व्यवस्था में तेजी लानी होगी ताकि मछली उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने के लिए आंकड़े उपलब्ध हो सकें। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय बजट में, जिस पर बहस चल रही है, पिछले वर्ष के 7 करोड़ रुपये की तुलना में 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

गहरे समुद्र में मछली की उपलब्धता के सर्वेक्षण के लिए हम समन्वेषी मछली उद्योग परियोजना को मजबूत बनाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। आठ आधुनिकतम नौकाएं पहले ही इस परियोजना के पास हैं। नए बजट के अन्तर्गत हम पांच नौकाएं और देना चाहते हैं।

समुद्र के विभिन्न भागों में मछली पकड़ने के अच्छे क्षेत्रों का पता लगाने में मछली उद्योग की सहायता करने के लिए हमारा गहरे समुद्री क्षेत्रों में उपलब्ध मछली के बारे में बुले-टिनों या रेडियो प्रसारण के द्वारा समय-समय पर उपयोगी आंकड़े देने का प्रस्ताव है।

समुद्री मछली उद्योग के विकास के लिए मछली पकड़ने के बन्दरगाहों की व्यवस्था करना अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। वर्ष 1980-81 के दौरान पारादीप में मछली पकड़ने के एक वृहत बन्दरगाह के लिए काम शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, चिन्नामुत्तम (तमिलनाडु), मीनाडकारा (केरल) और अस्त्रंग (उड़ीसा) में तीन छोटे बन्दरगाहों और मछली किनारे पर लाने के लगभग दस स्थलों के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

मुझे प्रसन्नता है कि देशभर में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। इसे राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिए, परिचालित किया गया है। 1979-80 के दौरान मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के विकास पर कुल व्यय तीन करोड़ रुपए से कम था। 1980-81 में हमारा इस राशि को दोगुनी से अधिक करने का प्रस्ताव है।

समुद्री मछली उद्योग में सबसे बड़ी रुकावट प्रशिक्षित स्कीपरों, डेकहैंडों तथा इन्जीनियरों की कमी से होती है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय मछली उद्योग, नौचालन और इन्जीनियरी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को नया रूप दिया जा रहा है।

अब प्रशिक्षणार्थियों को संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा अपेक्षित नौ-सेवा की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समाप्ति पर वे सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए अर्हता प्राप्त कर लें। अब तक स्वयं प्रशिक्षणार्थी ही नौ-सेवा की व्यवस्था बहुत कठिनाई से करते थे।

मुझे इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि गहरे समुद्र में मछली उद्योगों का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक आवश्यक नौकाएं खरीदने के लिए दीर्घकालीन या अल्पकालीन ऋण नहीं दिए जाते। यह दायित्व पोत परिवहन विकास निधि समिति को सौंपा गया था वर्ष 1979-80 के दौरान कई प्रकार की कार्यविधि सम्बन्धी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण वास्तव में कोई ऋण नहीं दिया गया।

1980-81 के दौरान हमारा इस मामले पर विशेष ध्यान देने तथा कठिनाइयों को दूर करने का प्रस्ताव है। हमें आशा है कि 1980-81 के दौरान लगभग 6 करोड़ रुपए के ऋण दिए जाएंगे।

1980-81 के दौरान जिन पहलुओं पर हम विशेष ध्यान देना चाहते हैं, वह है गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाएं चार्टर करने सम्बन्धी नीति। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए हमारा इस नीति को कार्यक्षम बनाने का प्रस्ताव है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि तटीय मछली उद्योग का आवश्यकता से अधिक उपयोग न किया जाए।

हम यह भी देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किराये पर ली गई नौकाओं की आड़ में मछलियों की चोरी न हो। हम यह भी देखने का प्रयत्न करेंगे कि चार्टर करने की नीति से मछली उद्योग सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने तथा भारतीय कार्मिकों के प्रशिक्षण में सुविधा हो।

हम सब के लिए यह बहुत चिन्ता का विषय है कि लगभग 30 वर्ष के नियोजन तथा विकास के होते हुए भी ग्रामीण निर्धनों की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया है। इस बात के प्रमाण विद्यमान हैं कि आर्थिक विषमताओं में और साथ-साथ क्षेत्रीय असन्तुलन में वृद्धि हुई है।

अधिक कुल राष्ट्रीय उत्पाद के उद्देश्य और सामान्य आर्थिक विकास की ओर ध्यान देते समय ग्रामीण निर्धनों की उपेक्षा की गई है। वास्तव में सामान्य विकास के दृष्टिकोण की सीमा का अनुभव हो जाने से तथा इस धारणा से कि इस समस्या का समाधान प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम के अनुसार गरीबी का प्रत्यक्ष तथा डटकर मुकाबला करने से किया जा सकता है, वर्गोन्मुखी और क्षेत्र-विशेष-कार्यक्रम तैयार किए गए, जैसे लघु कृषक विकास एजेन्सी कार्यक्रम, अकाल उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, आदि।

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उन में प्रमुख हैं—ग्रामीण इलाकों से गरीबी दूर करना, क्षेत्रीय असमानताएं दूर करना, रोजगार की व्यवस्था करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन लाना। इस उद्देश्य की प्राप्ति, यह मंत्रालय लघु कृषक विकास अभिकरण, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/रेगिस्तान विकास कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों के जरिए करता है।

इस मन्त्रालय का, गरीबी-हटाओ कार्यक्रम में तेजी लाना और सरकार द्वारा किए गए चुनाव वायदों को यथासम्भव शीघ्र कार्यान्वित करने का विचार है। इस सन्दर्भ में, लघु कृषक विकास अभिकरण तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दोनों के वास्तव में एक समान दिशा निर्देश हैं।

लघु कृषक विकास अधिकरण-समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य गाँव में व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए सीधे कदम उठाना है। इसके लिए गांव के गरीब लोगों की आय बढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि उन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर लाया जा सके। परिवार को एक इकाई के रूप में माना जाता है। ये कार्यक्रम, एक विशेष वर्ग, जिसमें लघु और सीमान्तक किसान, खेतीहर मजदूर, हरिजन और आदिवासी तथा ग्रामीण कारीगर एवं दस्तकार शामिल हैं के लिए ही बनाया गया है।

इन कार्यक्रमों में पूंजी लगाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता का दिया जाना तथा बैंकिंग संस्थानों द्वारा ऋणों का दिया जाना शामिल हैं, जिससे लाभ पाने वाले परिवारों की आय वास्तव में बढ़ेगी। वास्तव में, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण इलाके में संभव प्रत्येक आर्थिक गतिविधि के लिए सहायता दी जाती है।

कृषि, पशु पालन, डेरी, मुर्गी पालन और अन्य सहायक धन्धों को इन कार्यक्रमों में विशेष स्थान है। इन कार्यक्रमों के अधीन ग्रामीण उद्योगों और सेवाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है।

जिस वर्ग विशेष के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है, उसके जरूरत मन्द लोगों की पहचान कर, उन्हें राज सहायता दी जाती है। छोटे किसानों को योजना की- लागत के 25% के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाती है। सीमान्त किसानों और खेतीहर मजदूरों को 33-1/3%

के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाती है । योजना के अधीन लाभ पाने वाले एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 3000 रु० ग्रार्थिक सहायता मिल सकती है । ग्रनुसूचित जनजाति के मामले में यह सीमा 5000 रु० है ।

इस समय, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सारे देश के 5004 खंडों में से 2,900 खंडों में लागू किया जा रहा है । लघु कृषक विकास ग्रभिकरण-समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष में राशि बढ़ाकर 92 करोड़ रुपये कर दी गई है जबकि 1979-80 के लिए यह राशि 85.92 करोड़ रु० थी ।

पर्याप्त राशि उपलब्ध न किए जाने की बात तो दूर, वर्तमान सरकार तो ग्रामीण विकास के लिए ज्यादा साधन उपलब्ध करा रही है ।

बजट में क्या व्यवस्था है, यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है; ग्रधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकारें ग्रौर कार्यान्वित करने वाले ग्रभिकरण बजट में नियत धनराशि को प्रभावकारी तरीके से उपयोग में लाने में कितने सक्षम हैं बहुत-सी बाधाओं के होते हुए भी राज्य सरकारें ग्रौर कार्यान्वित करने वाले ग्रभिकरण, बजट में निर्धारित की गई राशि के काफी बड़े भाग का उपयोग करने में सफल रहे हैं तथा वे इस कार्यक्रम के लिए काफी मात्रा में ऋण प्राप्त करने में भी सफल रहे हैं ।

यह अनुमान लगाया गया है कि जिस विशेष वर्ग के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है, उसके औसतन 10 लाख परिवारों को कार्यक्रम के अधीन एक वर्ष में सहायता दी जाएगी । सहायता दिए गए इन परिवारों में से कम से कम 1/5 परिवार ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जनजाति के हैं । एक वर्ष में सहायता प्राप्त करने वाले इन परिवारों की संख्या बढ़कर 15 लाख होने का ग्रनुमान है ।

सरकार देश के प्रत्येक भाग में इस कार्यक्रम के अधीन दुर्बल वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत ही उत्सुक है । तदनुसार, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जहां कहीं भी ग्रावश्यक हो इस प्रकार के सुधार लाकर, जितनी हो सके, इस कार्यक्रम को पूरे भारत में लागू किए जाने का हमारा विचार है ।

एक बार यह कार्यक्रम देश के प्रत्येक खंड तक पहुंचा दिया जाए और इस बारे में प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, तो हम हर साल, अपनी जनसंख्या के सबसे गरीब वर्ग के कई लाख परिवारों की सहायता कर सकेंगे तथा इससे भारत के ग्रामीण इलाकों में गरीबी दूर करने में सहायता मिलेगी ।

निश्चित वर्ग के परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों को लागू करते समय हम विशेष रूप से पिछड़े ग्रौर ग्रनुपयुक्त पर्यावरण वाले इलाकों को भी यह लाभ पहुंचाए जाएं इस बात पर भी उतना ही महत्व दे रहे हैं ।

क्षेत्रीय विकास के प्रमुख कार्यक्रम हैं सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम। इसमें से पहला 74 जिलों में बनाए गए 557 खंडों में लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य, जिन इलाकों में बार-बार सूखा पड़ता है, वहां के परिवेश और उत्पादन स्थिति में सुधार लाना है।

कार्यक्रम के अधीन जल संसाधनों में वृद्धि किए जाने पर ही जोर नहीं दिया जाता अपितु खेती करने के लिए सुधरी हुई शुष्क भूमि के विकास को बढ़ावा देना तथा पशु पालन क्षेत्र के धन्धों को आर्थिक सहायता देकर गैर-फसल साधनों के जरिए भी आय बढ़ाने के सुअवसर उत्पन्न करना शामिल है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण और भू-संरक्षण का वृहत् कार्यक्रम भी शामिल किया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहकर आलोचना की है कि कार्यक्रम के लिए अपर्याप्त आर्थिक सहायता दी गई है। कार्यक्रम का खर्च, इस समय संघ सरकार और संबद्ध राज्य सरकार दोनों समान रूप से उठा रही हैं। कार्यक्रम को वास्तव में लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। खर्च हमेशा यथेष्ट मात्रा में नहीं किया गया जिस वजह से हम पूरी केन्द्रीय सहायता नहीं दे सके।

हम राज्य सरकारों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और उनसे कह रहें हैं कि वे खर्च बढ़ाएं जिससे कि इन संसाधन की कमी वाले क्षेत्रों में ज्यादा पूंजी लगाई सा सके।

कुछेक माननीय सदस्यों ने कार्यक्रम के विस्तार को बढ़ाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। यह समझा जा सकता है, कि यह कार्यक्रम, मार्गदर्शी कार्यक्रम है तथा भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों के स्थान पर नहीं है।

तथापि, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि इस बारे में और अन्य संबद्ध प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक तदर्थ दल गठित किया गया है।

सूखा विकास कार्यक्रम, 20 जिलों में बनाए गए 132 खंडों में लागू किया गया है। मोटे तौर पर इस कार्यक्रम के वही उद्देश्य हैं, जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के हैं लेकिन इस कार्यक्रम में रेगिस्तान के नियंत्रण पर ज्यादा जोर दिया जाता है।

राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के उष्ण मरुस्थल तथा लद्दाख क्षेत्र और स्पीति के शीत मरुस्थलों को इस कार्यक्रम के अधीन लाया गया है। कथित तदुद्देशीय दल भी इस कार्यक्रम की कार्य प्रणाली की जांच करेगा।

माननीय सदस्यों को पता है कि बहुत से भूमि सुधार उपायों द्वारा, कृषि ढांचे को फिर से तैयार करने तथा भूमि संसाधनों के और ज्यादा समान रूप से वितरित करने के लिए, प्रयत्न किए गए हैं।

यह सही है कि ये उपाय समान रूप से सफल नहीं हुए हैं और ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां इन सुधार कानूनों का क्रियान्वयन संतोषजनक रूप से नहीं हुआ, लेकिन कुल मिलाकर भूमि सुधारों को लेकर भारत में किया गया कार्य सभी दृष्टियों से काफी अच्छा रहा है।

जमींदारी, जागीरदारी इत्यादि सामन्तवादी प्रथायें समाप्त कर दी गयी हैं और इन क्षेत्रों में किसानों और राज्य के बीच सीधा सम्बन्ध है। बहुत से राज्यों में काश्तकारों को जमीन का मालिक बना दिया गया है। उनसे अब निर्दयतापूर्वक लगान वसूल नहीं किया जा सकता और जब चाहे बेदखल नहीं किया जा सकता।

यह मानना पड़ेगा कि सभी क्षेत्रों में इन प्रगतिशील कानूनों का समान रूप से लाभ नहीं मिला है और कानून का उलंघन करके काश्तकारों का भारी शोषण किया जाता है। सौभाग्य से ऐसे क्षेत्रों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि काश्तकारों में अब धीरे-धीरे जागृति आ रही है।

भूमि-सीमा सम्बन्धी कानूनों में 1972 में व्यापक संशोधन किया गया। 23·6 लाख एकड़ भूमि को अपने अधिकार में लिया गया और, उसमें लगभग 16·8 लाख एकड़ भूमि भूमिहीन किसानों में बांट दी गयी।

भूमि पुनर्वितरण संबंधी मौजूदा नीति की सबसे अच्छी बात यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन किसानों को स्पष्ट रूप से लाभ पहुंचा है। जिन लोगों को भूमि दी गई है, उनमें 40·6% अनुसूचित जातियों और 12·5% अनुसूचित जनजातियों के हैं।

सरकार को पता है कि भूमि-सीमा सम्बन्धी कानूनों को उतनी तेजी से क्रियान्वित नहीं किया गया जितनी तेजी से वह चाहती थी। फालतू घोषित किए गये क्षेत्र और अधिकार में लिए गए क्षेत्र में अन्तर है तथा अधिकार में लिए गये क्षेत्र बांटे गये क्षेत्र में काफी अन्तर है। भूमि-सीमा सम्बन्धी मामलों पर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता की ओर हमने राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। हमें आशा है कि इस दिशा में शीघ्र ठोस प्रगति होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाने वाला ऋण पर्याप्त नहीं है। मुझे सभा को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बेंकों द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण दिए जाने के कार्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

उदाहरण के लिए सहकारी बेंकों द्वारा छोटे किसानों को दिया अल्पावधिक और मध्यावधिक ऋण जो 1973-74 में 212·37 करोड़ रुपये था, वह 1977-78 में बढ़कर 488-80 हो गया। 1973-74 में यह कृषि के लिए दिये गए कुल ऋण का 27·8% था जो 1977-78 में बढ़कर 38.4% हो गया।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे किसानों को दिया गया ऋण जो 1973-74 में 118.81 करोड़ रुपये (28.1%) था, 1977-78 में बढ़कर 457.46 करोड़ (37.1%) हो गया। मार्च, 1979 के अन्त में, वाणिज्यिक बेकों द्वारा जिन लोगों को ऋण दिया गया, उनमें से 67.5% छोटे किसान थे।

सरकार यह जानती है कि छोटे किसानों, बहुत छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों सहित समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण दिए जाने के कार्य में तेजी लायी जानी चाहिए।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ऋण की समय पर स्वीकृति, अतिरिक्त राशि, जमानत सम्बन्धी मानदण्ड, ऋण देने की प्रक्रिया, साधारण ऋण और आवेदन पत्र जैसे विषयों पर हाल ही बहुत से मार्ग निर्देश दिये गए हैं।

सरकार ने यह परामर्श भी दिया है कि 1982-83 के अन्त तक कृषि के लिए दिए गए कुल ऋण में कम से कम 50 प्रतिशत छोटे तथा बहुत छोटे किसानों को मिलना चाहिए।

कमजोर वर्ग के लोगों को बैंक ऋण में वृद्धि के लिए सरकार ने मार्च 1980 में निम्न लिखित उपायों की घोषणा की :

1. बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में से 33.3% ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने का जो लक्ष्य फरवरी, 1977 में बनाया गया था, उसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया जो अगले पाँच वर्षों में पूरा करना है।

   इस लक्ष्य के अन्तर्गत काफी मात्रा में धनराशि 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसे फिर से तेज किया जायेगा, के अन्तर्गत आने वाले लाभ भोगियों को दी जायेगी।

2. अपनी जिला-ऋण योजनाओं के एक अंग के रूप में बैंक 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभ-भोगियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष योजनाएं बनाएंगे।

3. भिन्न ब्याज दर की योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के कार्यक्रम को और अधिक जोर से चलाया जाएगा।

4. 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विभिन्न बैंकों के कार्य निगरानी के लिए रिजर्व बैंक एक मानिटरिंग तंत्र बनायेगा।

5. बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे क्षेत्रीय भाषाओं में सरल आवेदन-पत्र बनायें और ऋण-देने की प्रक्रिया को सरल बनायें और कृषि क्षेत्र को ऋण-देने में जमानत तथा अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धों मानदण्डों में कुछ छूट दें।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अब ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का हिस्सा है। आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले ग्रामोद्योगों के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक औद्योगीकरण के कार्य में वृद्धि की जायेगी।

इस समय खादी सहित 25 ग्रामोद्योग खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास हैं। इस सूची में 15 और ग्राम-उद्योगों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

जैसा कि आप जानते हैं, चालू वर्ष में इन कार्यों के लिए वित्तीय परिव्यय आयोग 85·88 करोड़ रुपए हैं। 1979-80 में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में कुल 412·65 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ आशा है, कि चालू वर्ष में यह उत्पादन 504·36 करोड़ रुपए का होगा।

इसी प्रकार चालू वित्त वर्ष के अन्त तक इस क्षेत्र में रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या मौजूदा 29·45 लाख से बढ़ाकर 33·79 लाख करने का प्रस्ताव है। इसमें पूर्णकालिक तथा अंशकालिक दोनों प्रकार के कामगर शामिल हैं।

पूर्णकालिक कारीगरों/उद्यमियों की संख्या में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। भारी संख्या में लाभदायक रोजगार अवसर पैदा करने के लिए कुछ ग्रामोद्योग, जैसे तेलघानी ग्राम-चमड़ा, कुटीर माचिस, खाद्य तेलों के अलावा अन्य तेल, साबुन धागा, पौली वस्त्र के विस्तार का प्रस्ताव है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से चल रहा है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने अपने हाल ही में पूरे किए गये अध्ययन में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो दोष और कमियां पाई हैं, उन्हें ध्यान में रखकर इसमें सुधार किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों के अलावा नकद धनराशि भी दी जा रही है, ताकि इसके अन्तर्गत जो आने वाली परिसम्पत्तियां टिकाऊ रह सकें। इस कार्यक्रम को और अधिक दृढ़ बनाया गया है और युक्तियुक्त बनाया गया है और इसे जैसा कि बजट में बताया गया है राष्ट्रीय ग्राम रोजगार रोजगार कर्यक्रम कहा जाएगा।

कार्यक्रम पर होने वाली कुल लागत 340 करोड़ रुपए हैं जिसमें 20 लाख टन अनाज है और 70 करोड़ रुपए नकद हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पीने के पानी के कुएं, सामुदायिक निर्माण स्थल, सामुदायिक सिचाई कुएं बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है।

साथ ही, लोगों के लिए वन स्थल और वनरोपण के लिए 10 प्रतिशत संसाधन देने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुआ है और इससे लोगों को भोजन मिल सकेगा । इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचा काफी मजबूत हो जायेगा ।

ग्रामीण परिवारों के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव है । इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वे गरीबी रेखा से नीचे ही रह रहे हों।

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिवर्ष प्रत्येक खण्ड के 50 युवकों को आवश्यक तकनीकी ज्ञान तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी । ऐसा करने से ग्रामीण समाज के सभी वर्गों को रोजगार अवसर उपलब्ध किये जा सकेंगे ।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं । पूरी जानकारी मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री वीरेन्द्र सिंह राव देंगे । धन्यवाद ।

श्री लहना सिंह तुर (तरन-तारन) : महोदय, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा । पता नहीं क्यों पंजाबी भाषा के अनुवादक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जबकि अन्य सभी भाषाओं के अनुवादक उपलब्ध हैं ।

महोदय, पंजाब केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का 60 प्रतिशत अंशदान करता है । परन्तु इसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलता ।

श्री मूलचंद डगा (पाली) : महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक सदस्य को अपना भाषण पढ़ने की अनुमति है ।

सभापति महोदय : डागा जी आपने यह प्रश्न उठाया है मैं उसका उत्तर देता हूं । आम तौर पर भाषण पढ़ना संसदीय प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है । माननीय मन्त्री महोदय लगभग 40 मिनट तक बोलते रहे और यह सारा भाषण लिखित था, परन्तु मैं उन्हें बीच में टोकना नहीं चाहता था । यदि सदस्य तथ्यों का हवाला दे रहा हो या कोई लिखित सूचना आदि का हवाला दे रहा है । तब तो पढ़ना उचित है । चूंकि हमने मन्त्री जी को यह छूट दी है, तो यदि कोई सदस्य चाहता है तो उसको भी अनुमति दी जाएगी ।

श्री एल०एस० तुर : रेलवे, उर्जा, उद्योग, सिंचाई तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग ही नहीं यहां तक कि कृषि मन्त्रालय का भी पंजाब के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च करता है परन्तु अब तक पंजाब में एक भी संस्थान या योजना नहीं खोली गई । अच्छा ही होता यदि पंजाब का अंश पंजाब सरकार या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को दिया जाता । राज्य विषयों से सम्बन्धित विभागों को चाहिए कि बैंकिंग तथा राजस्व विभाग की तरह वे भी राज्यों का अंश निर्धारित कर दें ताकि राज्य इन परियोजनाओं की उचित ढंग से देख-भाल कर सकें, बजाय उसके कि वहां निगम बनाएं जाए । जब निगम बना दिये जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का अधिकतर पैसा मंत्रियों के लिए

हीं खर्च कर दिया जाता है मन्त्री इन निगमों का दुरुपयोग करते हैं। मेरा केवल यही अनुरोध है कि मन्त्री तथा चमचों की मदद करके इस पैसे का दुरुपयोग न किया जाए। महोदय, आई० डी० ए० किसानों को दिए गए ऋण पर 100 रुपये पर 75 पैसे की दर से ब्याज लेता है। परन्तु केन्द्रीय सरकार किसानों को कृषि कार्यों के लिए दिए गए ऋण पर 15 से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लेती है। किसानों को ऋण दिलवाने वाले बिचौलियों के खर्च सहित यह दर तीन या चार प्रतिशत अधिक होनी चाहिए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कोई फसल बीमा नीति क्यों नहीं बनाई गई। प्रत्येक ट्रेड के लिए बीमा है और बीमा पालिसी ली जा सकती है। मैं नहीं जानता कि पशुओं तथा फसल के लिए बीमा योजना क्यों नहीं लागू की गई। समझ में नहीं आता कि फसल तथा पशुओं को बीमा योजना से बाहर क्यों रखा गया है। किसानों को बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं तथा पशुओं के मरने और फसल के नुकसान तथा अन्य चीजों से होने वाली हानि से बचाने के लिए सरकार इनका बीमा करके किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। सीजन शुरू होने पर वह पशु नहीं खरीद सकता, वह बैल नहीं खरीद सकता। जैसे कि अन्य ट्रेडों में बीमे द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, इसी प्रकार कृषि के लिए भी बीमा सुविधाएं प्रदान की जांए ताकि किसानों को बाढ़, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसी हद तक बचाया जा सके।

5·26 म. प. (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, हर साल बुवाई शुरू होने से पहले विभिन्न फसलों के मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिएं। अन्यथा, यदि फसल पहले बो दी जाती है तो किसान इस दुविधा में रहता है कि कटाई के बाद उसे फसल के उचित दाम मिलेंगे भी कि नहीं। परन्तु जहां तक व्यापार का सम्बन्ध है, व्यापारी यह जानता है कि किसी चीज का लागत मूल्य क्या है और उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में वे सरकार के साथ बातचीत करें। और बुवाई सीजन शुरू होने से पहले विभिन्न फसलों के मूल्यों की घोषणा करने की व्यवस्था करें ताकि किसान यह निश्चय कर सके कि वह कौनसी फसल बोए, किस फसल में उसे ज्यादा लाभ होगा आदि आदि।

महोदय, 70 प्रतिशत किसानों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और उनकी कठिनाईयों के बारे में बताने के लिए उनकी कोई यूनियन नहीं है। सरकार भी उन्हें बाध्य कर रही है कि वे अपनी यूनियन बनाएं ताकि यूनियन के माध्यम से वे अपनी मांगे तथा शिकायतें प्रस्तुत कर सकें। प्राक्कलन समिति ने अपनी 1979 की रिपोर्ट के पैरा 1·7 तथा 2·10 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा की गई अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सरकार ने विभिन्न राजपत्रित तथा अराजपत्रित कार्मिकों के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया हुआ है। परन्तु जहां तक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का संबंध है, वैज्ञानिकों तथा अन्य तकनीकी कार्मिकों की भर्ती बोर्ड करता है और इस बोर्ड का गठन

स्वयं भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह एक निजी निकाय है और कर्मचारियों की सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का रवैया पक्षपातपूर्ण है और इसके विरूद्ध बहुत सी शिकायतें हैं।

महोदय, बड़े उत्साह के साथ एन० ई० एस० खंड खोले गए थे। राज्यों पर मन्त्रियों के खर्च का भारी बोझ डाल दिया गया। केन्द्र सरकार द्वारा इस प्लान में किसानों के लिए कोई योजना शामिल नहीं की गई। एन० ई० एस० ब्लाक अधिकारियों को किसानों की उन्नति का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया परन्तु वे अब सीमेंट, डीजल आदि बांटने का काम करते हैं और इस प्लान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को शुरू करने के लिए कोई धन नहीं दिया गया। किसानों की सहायता तथा सीजन के बाद उनके खाली समय के सदुपयोग के लिए विभिन्न खण्ड बनाए गए। गांवों में लघु उद्योग शुरू करने का प्रस्ताव था और इसके लिए आवश्यक स्टाक उपलब्ध कराना था। परन्तु गरीब किसानों की मदद के लिए, इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। पंजाब के किसान बहुत मेहनती हैं और देश के लिए अधिक से अधिक खाद्यान्न पैदा करते हैं परन्तु उनके लिए कुछ नहीं किया गया। वे भारी कर्ज से दबे हुए हैं क्योंकि उनकी पैदावार के उन्हें उचित दाम नहीं मिलते। माननीय कृषि मन्त्री श्री वीरेन्द्र सिंह राव से मेरा अनुरोध है कि दूसरे लोगों द्वारा लूटे जाने वाले किसानों के हितों की रक्षा की जाए। कृषि उपकरण, उर्वरक तथा दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं उन्हें उचित दामों पर उपलब्ध कराई जाएं। इस समय इन वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए हैं। कृषि कार्यों के लिए काम आने वाली अन्य वस्तुओं के दामों को ध्यान में रखकर खरीफ की फसलों की कीमत घोषित की जाए ताकि किसान ये चीजें खरीद सकें। फसल बीमा योजना जल्दी से जल्दी लागू की जाए।

(इसके बाद माननीय सदस्य कुछ शब्द पंजाबी में बोले।)

श्री सतीश प्रसाद सिंह (खगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, सब लोगों को यह ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय आय का सब से बड़ा स्रोत कृषि है कृषि-ही हम लोगों का सबसे पुराना और प्रधान आय का स्रोत है। इंडस्ट्री या वाणिज्य से हमें जो आमदनी होती है, वह कृषि के मुकाबले कम होती है। हम लोग कृषि में तरक्की करते जा रहे हैं। हमारे कुछ साथी कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं की है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि पहली पंच-वर्षीय योजना में हमारी जो हालत थी, उससे दिन-प्रति-दिन हमारी तरक्की होती गई है। हमारी टैक्नालाजी बढ़ती गई और जो हमारे अनुसंधान करने वाले हैं उन्होंने भी मेहनत की, यहां के काश्तकारों ने भी मेहनत की। प्रथम पंच वर्षीय योजना में 611 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और हमें 692 लाख टन अनाज मिला। उसी तरह द्वितीय पंच वर्षीय योजना में 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और 820 लाख टन हम लोगों की उपज हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने बजट को और बढ़ाया और उस समय से अनाज में वृद्धि होनी शुरू हुई। 1780 करोड़ रुपये का हमने प्रावधान किया और 920 लाख टन उपज हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 3815 करोड़ रुपया हम लोगों ने बजट में रखा और 1200 लाख टन अनाज मिला। फिर पांचवी पंच

वर्षीय योजना में हमने 8084 करोड़ रुपया लगाया, उसके बदले 1290 लाख टन उपज हम लोगों को मिली । इस ढंग से हम देखते हैं कि हमारी कृषि में वृद्धि होती जा रही है और अब तो पोजीशन ऐसी हो गई है कि हमारा बफर स्टाक भी काफी है । साथ-साथ हमने इस देश से कुछ चावल और गेहूं बाहर भी निर्यात किया है ।

लेकिन उसी के समकक्ष कुछ चीजों में हमें और तरक्की करनी है । जैसे दलहन और तिलहन में हम लोगों की उपज में जो वृद्धि होनी चाहिये थी उस हिसाब से वृद्धि नहीं हो पाई है और हमें बाहर से इन चीजों का मंगाना पड़ता है जिन चीजों को पहले नहीं मंगाना पड़ता था । दाल की उपज के लिए और तिलहन को बढ़ाने के लिए हमारे अनुसन्धानकर्त्ताओं को ध्यान देना चाहिये और ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिये कि कम समय में हम उस चीज को अपने देश में इतना पैदा करें कि हमें दूसरे देशों से मंगाना न पड़े ।

जहां तक हमारे अनुसन्धानकर्त्तागण हैं जैसे राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान परिषद् है और ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी मदद से काफी अच्छे किस्म के बीज और अच्छे ढंग से उसकी शिक्षा का प्रचार करने की कोशिश की गई है । जहां ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनके माध्यम से बहुत सारा काम हुआ है और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा अच्छे किस्म के बीज तैयार किए गए हैं । लेकिन उसका प्रचार जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पाया हैं । किसानों को जिस समय वह मिलना चाहिए उस समय नहीं मिल पाता है । इस वजह से जितनी तरक्की हमारी होनी चाहिए, जितनी पैदावार हमें बढ़ानी चाहिए उतना नहीं बढ़ा सकते हैं ।

हमारी तरक्की तो हुई है लेकिन इस के साथ कुछ बात और ऐसी भी हुई है जो हमारे देश के लिये घातक है । जो छोटे किसान हैं, सीमान्त किसान हैं, लघु किसान हैं उनकी तरक्की नहीं हो पायी है । उनकी हालत दिन प्रति दिन बदत्तर हुई है यहां तक कि जो बहुत छोटे किसान हैं जैसे एक एकड़ या एक बीघा जमीन जिसके पास है उसकी तो हालत यह हो गई है कि न तो वह खेती कर पाता है और खेती की जो लागत लगती है वह भी उसको नहीं मिलती है तो वह उस खेत को बेच कर शहर की तरफ जाना चाहता है, मजदूरी करना पंसद करता है । एक एकड़ में जो उसको मुनाफा होना चाहिए वह नहीं हो पाता है । इसलिए छोटे किसानों को इस बजट में प्रावधान रहने के बावूजद भी अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है । इस बार इस बजट में 1026 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । जो 1979-80 का बजट था उस तुलना में 41 परसेन्ट ज्यादा इसमें रखा गया है । और सब मुहकमों में 21 परसेन्ट ज्यादा रखा गया है लेकिन ऐग्रीकल्चर में 41 परसेन्ट ज्यादा वृद्धि की गई । यह संतोषप्रद बात है और इससे जाहिर होता है कि सरकार का ध्यान ऐग्रीकल्चर की तरफ गया है । और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके लिए कुछ बातों पर खास तौर से ध्यान देना होगा । छोटे किसान आज खेती से विमुख हो गए हैं, वे खेती करना पसन्द नहीं करते हैं, खेती छोड़ कर शहर की तरफ मजदूरी करने के लिए जाना चाहते हैं । इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना होगा । बीससूत्री कर्यक्रम में बहुत सारे प्रावधान हैं लेकिन अगर उनका ठीक तरह से एग्जी-

क्यूशन नहीं हुआ, अगर सही माने में छोटे किसानों तक उनका लाभ नहीं पहुंचा तो इस दिशा में सुधार होने की आशा बहुत कम है। इसलिए बीससूत्री कार्यक्रम का लाभ सही रूप में छोटे किसानों तक पहुंचना चाहिए। सरकार को यह बात सोचनी चाहिये कि छोटे किसान जिस ढंग से खेती करते हैं उसके अन्तर्गत उनको क्या लाभ पहुंचाए जा सकते हैं ताकि वे खेती से विमुख न हों, वे खेती में ज्यादा उपज पैदा कर सकें और मजदूरी करने के बजाए खेती करके अधिक लाभ कमा सकें।

सरकार बहुत ज्यादा पूंजी लगाकर खाद के कारखाने खोलती है लेकिन कुछ ऐसी मौलिक चीजें हमारे देश में हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान बहुत कम है। यदि उस तरफ समुचित ध्यान दिया जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि फर्टिलाइजर के बड़े कारखाने न खोले जायें, वे खोले जाएं लेकिन किसानों को मुसीबत होती है कि सही मात्रा में कितनी खाद डालें जिससे जो उनका आउटपुट हो उसमें मुनाफा हो सके। मुनाफा न होने की वजह से उनमें असन्तोष पैदा होता है और वे खेती से विमुख हो जाते हैं। मेरी राय में छोटे से छोटे किसान, जिसके यहां दो-चार मवेशी होते हैं उसके गोबर के यूटिलाइ-जेशन के लिए गोबर गैस प्लान्ट्स लगाने की सुविधा प्रदान की जाए। इस प्रकार से उसको गैस भी मिल सकती है जिससे वह ईन्धन का काम ले सकता है। अभी उसको जो किरोसीन आयल या लकड़ी जलानी पड़ती है उसको भी रोका जा सकता है। वह गैस से अपना खाना बना सकता है और जो उसमें बाई-प्रोडक्ट होता है, खाद के रूप में उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। उस खाद को डालने से भूमि में मायस्चर को रोकने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इस प्रकार जमीन भी सुधर जाती है जबकि कैमिकल फर्टिलाइजर देने से वह लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मेरी राय में हमारे टेक्निशियन्स के द्वारा गोबर गैस के छोटे प्लान्ट तैयार किए जाने चाहिए ताकि एक गरीब किसान जो दो मवेशी भी रखता है वह भी उसका इस्तेमाल कर सके। सैन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर ऐसे प्लान्ट्स पर 75 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, केवल 25 प्रतिशत ही किसान से लेना चाहिए। प्रत्येक किसान परिवार को ऐसे प्लान्ट मुहैया कराने चाहिए ताकि हमारे किसानों की हालत सुधर सके। इसी प्रकार से ग्रीन मैन्योरिंग, जिससे कि जमीन की उर्वरा शक्ति कायम रहती है, उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी कैमिकल खाद की तरफ ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से बिजली डिपार्टमेंट को यह हिदायत होनी चाहिए कि वे किसानों के साथ ज्यादती न करें। अभी जो बिजली के पम्प लगे हुए हैं वहां बिजली मिलती नहीं है लेकिन 5 हार्स पावर पर सौ रुपए मंथली वसूल कर लिया जाता है। पैसा न देने पर बिजली का सामान उठा लिया जाता है। इस ढंग से उन्हें तंग किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप वहां पर एक मीटर लगा दें और जितनी बिजली कन्ज्यूम हो, उतना पैसा वह दे दे। इसमें काश्तकार को कोई शिकायत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वे बिजली देते नहीं और बिजली उन्हें मिलती नहीं और उसके बावजूद भी 100 रु० महीना उनसे टैक्स वसूल किया जाता है, इस प्रकार की परेशानी उनके साथ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कुछ बैंक खोले हैं, जिनसे लोगों को काफी लोन मिलता है और छोटे किसानों को भी मिलता है, लेकिन उसका इन्टरेस्ट रेट इतना ज्यादा है, 11 से 13 प्रतिशत उनसे ब्याज लिया जाता है। उसे लोन के बदले में उनको ऐसी मशीनें दे दी जाती हैं जो जल्दी खराब हो जाती है और उसको ठीक करने के लिए एजेन्ट्स वहां पर बहाल कर दिए जाते हैं। जब वह एजेंट वहां से चला जाता है तो किसानों को परेशानी हो जाती है। डीज़ल ठीक नहीं मिलता है, डीजल खराब मिलने से बराबर मशीन खराब होती रहती है और उस मशीन के स्पेयर पार्ट्स भी उनको नहीं मिलते हैं और मिलते भी हैं तो उन्हें एक रुपए की जगह छः रुपए देने पड़ते हैं। ऐसी हालत में इन सब बातों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश में पावर क्राइसिस है, बिजली की कमी है, तेल की कमी है, डीजल की कमी है, ऐसी हालत में जो साधन हम लोगों को मुहैया कर सकते हैं, वे हमें करने चाहिए। जैसे पहाड़ी एरिया में हम एयर-मिल बनाकर बैठाते हैं, उनमें सब्सिडी देते हैं, तो किसान उससे पानी लिफ्ट कर सकता है, कुछ बिजली पैदा करके रोशनी भी जला सकता है और कुछ छोटे-मोटे उद्योग भी चला सकता है। इसलिए इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र के सम्बन्ध में भी मैं कुछ बातें कह देना चाहता हूं और वे यह हैं कि मेरा क्षेत्र दो प्रसिद्ध नदियों के बीच है – एक गंगा नदी और दूसरी कोसी नदी। मेरा क्षेत्र कभी कोसी की बाढ़ से तबाह हो जाता है और कभी गंगा की बाढ़ से तबाह हो जाता है। कभी गंगा जमीन को काट ले जाती है, कभी कोसी जमीन को काट ले जाती है। इसके लिए मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को लिखा था कि उनके किनारों को मजबूत कीजिए। मेरे क्षेत्र की जमीन इतनी उर्वर जमीन है, इतनी अच्छी जमीन है, यदि वहां सिर्फ पानी का इन्तजाम कर दिया जाए, जो पानी बरबाद होता है, यदि उस पानी को काम में लाया जाए, तो मेरा क्षेत्र काफी अन्न पैदा कर सकता है। जिस ढंग से पंजाब कहता है कि मैं भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों को भी खिलाता हूं।

मैं भी कहता हूं कि यदि गंगा और कोसी की तराई एरिए में अगर पानी का इन्तजाम हो जाए, स्टेट ट्यूबवैल का इन्तजाम हो जाए, तो बिहार भी कह सकता है कि मैं भी भारत के बहुत बड़े हिस्से को अनाज दे सकता हूं।

मैं इन शब्दों के साथ इस बजट का मैं अनुमोदन करता हूं और उम्मीद करता हूं, मन्त्री महोदय इन सब बातों पर ध्यान देंगे और रिसर्च में जो साइनटिस्ट लगे हुए हैं, उन्हें आदेश देंगे कि जो हमारे देश में कमी है, उसकी ओर ज्यादा ध्यान दें। जिन चीजों के लिए यह देश नामी रहा है, जिसको देखकर अंग्रेज यहां आए थे और 300 वर्षों तक राज करके चले गए, उन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। जो हमारे यहां मसाले पैदा होते हैं, उसकी कहां बिक्री होगी, कहां उसकी जरूरत है, किस देश में उसकी जरूरत है, उन मसालों की बिक्री के लिए उस

देश में मार्केट खोजने का काम सरकार का है। किसान पैदा करता है, उसका सामान बिकता नहीं है। इसलिए इस ढंग का कोई कारपोरेशन बनाना चाहिए, कोई इन्तजाम करना चाहिए, ताकि उनके सामान को दूसरे देशों में सही मूल्य पर बेचा जा सके और उन्हें लाभ हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

***श्री गदाधर साहा (बीरभूम)** : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सब जानते हैं, भारत में कृषि जनता का मुख्य व्यवसाय है और स्वतन्त्र भारत में कृषि की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। गरीब लोगों की संख्या और वह लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विभिन्न राज्यों के बीच असन्तुलन भी बढ़ता जा रहा है। खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट रही है और उत्पादन भी गिर रहा है। अधिक उपज वाले बीज सम्बन्धी कार्यक्रम में शिथिलता आ रही है चाहे सरकार ऐसा न माने। कृषि में निश्चिलता तो है ही, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में भी मन्दी आने लगी है। प्रत्येक व्यक्ति को यह दशा सहनी पड़ेगी। इसलिए जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं यह सुझाव दूंगा कि भंडारण सुविधा और फसल बीमा योजना का तुरन्त विस्तार किया जाना चाहिए। खाद्यान्नों की कीमतों और पूर्ति में स्थिरता आनी चाहिए। बिचौलियों को हटा देना चाहिए जो गरीब किसानों का खाद्य फसलों और वाणिज्यिक फसलों दोनों में शोषण करते हैं। राज्यों को सीधा उत्पादकों से खरीदना चाहिए। सट्टे के लिए जमाखोरी समाप्त कर दी जानी चाहिए। ग्रामीण इलाकों के कृषकों, बरगदारों और बटाईदारों को संस्थागत ऋण सरलता से मिलने चाहिए। बैंक से ऋण मिलने की भी सुविधा होनी चाहिए। खेतीहर मजदूरों को सारे वर्ष मजदूरी का आश्वासन रहना चाहिए, जिससे कि उनका जीवन चिन्ता रहित रहे। बढ़ती हुई कीमतों और उनके निरन्तर गिरते हुए जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए गरीब मजदूरों के हितों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। खाद्यान्नों और दुर्लभ वस्तुओं का आवंटन राज्यों की जनसंख्या और उनकी वास्तविक मांग के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्य आवश्यक वस्तुएं भी इसी आधार पर उचित मूल्य और उचित समय पर वितरित की जानी चाहिए। विभिन्न राज्यों के बीच सम्पत्तियों की क्षेत्रीय असमानता, आदमी और आदमी के बीच वेतन की असमानता और मूल्यों की असमानता बढ़ रही है। इस प्रकार भूमि संबन्धी विवादों की 491 घटनाएं, बलपूर्वक फसल कटवाने की 185 घटनाएं, मजदूरी सम्बन्धी विवादों के 191 मामले, बंधुआ मजदूरी के 191 मामले और ऋणग्रस्तता के 107 मामले वहां हुए।

महोदय, यह आवश्यक है कि वर्तमान कृषि संबंधी ढांचे, जिससे शोषण का आधार तैयार होता है और जो हमारे उत्पादन की वृद्धि के रास्ते में आता है, का पूर्णतया पुनर्निर्माण करना चाहिए। यह आवश्यक है कि वर्तमान भूमि व्यवस्था को पूरी तरह बदला जाए।

राष्ट्रीय कृषि सम्बन्धी आयोग ने कृषि के ढांचे, और उन किसानों को किराए की उस भूमि पर पुनः स्थापित किया जाए, जिनसे उन्हें निकाला गया था तथा इन कृपकों के अधिकारों

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

को बहाल करने की स्पष्ट सिफारिशें की हैं। कृषि नीति के सम्बन्ध में भी कई सिफारिशें दी गई हैं। आदमी आदमी के बीच सम्पत्ति और भूमि सम्पत्ति की असमानता हटानी पड़ेगी। जहां तक नई कृषि नीति का संबंध है, संसार के अन्य देशों में तथा अनुसंधान आदि के द्वारा भी यह साबित हो चुका है कि वेतन और सम्पत्ति में क्षेत्रीय असामता हटाने, जनता के जीवन स्तर को सुधारने, गरीबी हटाने और विकास के क्षेत्रीय असन्तुलन को हटाने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। और जब यह दृष्टिकोण मान लिया जाएगा कि बड़े खेतों के स्थान पर छोटे खेतों में अधिक उत्पादन हो सकता है तो भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है,-तब केन्द्र सरकार अपने कार्यक्रमों और नीतियों के द्वारा हमारी कृषि में पूंजीवाद ला सकता है। कृषि में नई योजना और नई तकनीक लागू की गई। केन्द्र सरकार ने उस पर निर्भर करना मुनासिब समझा और यह सोचा कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ जाएगा और असमानताएं दूर हो जाएंगी। वे लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते थे परन्तु उन्हें स्वयं बहुत अच्छी तरह पता था कि वे क्या कर रहे हैं। उनका यही लक्ष्य था। इस कार्यक्रम और नीति से हालत खराब हो गई। वही पूंजीवादी व्यवस्था और शोषण के तत्व, जिन्हें समाप्त करने के लिए जमींदारी प्रणाली को समाप्त किया गया था, अब पुनः स्थापित हो गए हैं। जमींदारी प्रणाली तो समाप्त हो गई पर सामन्ती भूस्वामियों के स्थान पर पुंजीवादी भूस्वामी आ गए, और उन्होंने बड़े-बड़े खेत हथिया लिए। गरीब किसानों की जमीनें उनके कब्जे में आ गई। अभिधृत विधान और भूमि सुधार अधिनियम में जो भी अच्छाइयां थीं वह केन्द्र द्वारा दृढ़ता से लागू नहीं की गईं, दूसरी ओर अभिधृत विधान के 'अभिधृत भूमि का पुनर्ग्रहण' के अन्तर्गत स्वामित्व अधिकार का उपबन्ध था जिसकी सहायता से भू-स्वामियों ने काश्तकारों और बरगदारों से व्यक्तिगत खेती के लिए जमीन का कब्जा ले लिया, परन्तु उन्होंने प्राधिकारियों को धोखा दिया और किराये के मजदूरों से भूमि में खेती करवाई। इस प्रकार इस विधान के कारण बड़े पैमाने पर बेदखली की गई। भूमि वितरण में असमानत और निर्धनता में वृद्धि हुई। कृषि सम्बन्धी समाज में जो तनाव और झगड़े पैदा होते हैं तथा उन्हें जन्म देने वाली शोषण की शक्तियों को और भी बढ़ावा मिला। वह मजबूत हुए और फैलते चले गए। हम बिना किसी शक के यह कह सकते हैं कि पुरानी कृषि सम्बन्धी व्यवस्था में जो शोषण के जन्मजात तत्व थे और जिन्हें हटाना था, वह नई व्यवस्था से और भी मजबूत हुए। और सरकार इस नए वर्ग पर, जो पूंजीवादी और अभिजात तत्व थे, अधिक से अधिक निर्भर रहने लगी। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह नई नीति बड़े और धनी भू-स्वामियों के हितों के लिए लागू की गई थी।

महोदय, बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसका क्या परिणाम निकला ? इन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े भू-स्वामियों को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता दी गई जिसके परिणामस्वरूप धनी किसान और भूस्वामी और अधिक धनी होते गए। परन्तु गरीब और सीमान्त किसानों और बरगदारों को आज भी इन बैंकों से ऋण लेने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके ऋण की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार की नीति से थोड़े से धनी किसानों को मदद मिलती है जबकि गरीब किसानों के एक बहुत बड़े समूह पर ध्यान नहीं दिया गया। इस वर्ष के बजट में भी वही नीति देखने

को मिलती है। सरकार ने कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर से आय-कर हटा दिया है। यह स्पष्ट है कि इससे किसको फायदा होगा। इस नए वर्ग के समक्ष उन्होंने पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया। महोदय, लोकतन्त्र वास्तव में खतरे में है।

केवल पश्चिम बंगाल में ही भूमि सम्बन्धी विधान में ऐसा संशोधन किया गया है जहां भू-स्वामियों पर अभिधृत भूमि के पुनर्ग्रहण पर प्रतिबंध लगाया गया है। जहां काश्तकारों की बेदखली संज्ञेय अपराध है। कृषि संबंधी कार्यों में शारीरिक रूप से भाग लिए जाने के मामले में ही भूमि के पुनर्ग्रहण की आज्ञा दी गई है। किराये पर मजदूर लगाने की आज्ञा नहीं है। भूस्वामी को उसी इलाके में रहना होगा और उस भूमि से होने वाली आय ही उसकी मुख्य आय का साधन होगी। पश्चिम बंगाल में बरगदारों से भूमि के पुनर्ग्रहण की इजाजत नहीं है। महोदय, कई राज्यों में तो रसीद जारी करने के उपबन्ध का भी पालन नहीं किया जाता, ना ही उस पर जोर दिया जाता है। परन्तु पश्चिम बंगाल में रसीद जारी न करना भी संज्ञेय अपराध है और इसके लिए 6 महीने की सजा और 1,000/- रुपए का जुर्माना है। भूमि सुधार अधिनियम को लागू करने और इस नीति के कारण, जिससे छोटे किसानों और बरगदारों के हितों की रक्षा होती है, पश्चिम बंगाल की सरकार पर बार-बार आक्षेप लगाए जा रहे हैं, यद्यपि वह राष्ट्रीय कृषि आयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशस्त मार्ग पर ही कार्य कर रहे हैं। बिना किन्हीं उचित कारणों के ही उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। महोदय, मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा। खाद्यान्नों का उत्पादन जनहित के अनुकूल है। परन्तु सरकार की खाद्यान्न नीति और कृषकों की न्यूनतम जीवन-निर्वाह आवश्यकताओं के बावजूद अतिरिक्त खाद्यान्न के अन्तरण के लिए अपनाई गई, प्रक्रिया और इस अन्तरण का मूल्य, यह दोनों नीति सम्बन्धी मुझे राजनैतिक रूप से बहुत अधिक विवादास्पद मामले हैं। जो बड़े किसान वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं वह सब इस वसूली नीति के खिलाफ हैं। इन बड़े किसानों के द्वारा विरोध किए जाने पर सरकार का खाद्यान्नों का एक विशाल भण्डार बनाने का स्वप्न पहले ही धूल में मिल चुका है। केन्द्र सरकार अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं के हितों और राजनैतिक संकल्पों की कमी के कारण बड़े किसानों के इस समूह के समक्ष पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुकी है। हमारे देश में अनाज की कुल खपत में से सरकार की बिक्री 10 प्रतिशत लगभग बैठती है।

महोदय, किसानों से खाद्यान्न व अन्य वाणिज्यिक फसलें जिस कीमत पर प्राप्त की जाती हैं वह बहुत कम और अलाभकर है। जबकि, बड़े किसान जिनके पास अधिक धन है, वह यह सब वस्तुएं सस्ते दामों पर खरीद कर उन्हें जमा कर लेते हैं और मूल्य बढ़ने पर बेच देते हैं। इस प्रकार वे बहुत अधिक लाभ कमा लेते हैं। सरकार की माल खरीदने वाली एजेंसियां जैसे जूट निगम और अन्य निगम उत्पादकों से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वसूली मूल्य पर सीधी खरीदारी नहीं करते हैं। यदि राज्य खाद्यान्न व अन्य वाणिज्यिक फसलें सीधे ही किसानों से खरीदे तो किसानों के हितों की रक्षा हो सकती है।

महोदय, मछली के बढ़े हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मछली उत्पादन और मछली-उद्योग के विकास का बड़ा महत्व है। परन्तु मद्रास स्थित केन्द्रीय मछली उद्योग निगम का एकक बन्द कर दिया गया है और पश्चिम बंगाल में हावड़ा में स्थित उनका एकक भी बन्द होने वाला है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। माननीय मंत्री से उसको दोबारा चालू करने की प्रार्थना की गई है। यदि उसे दोबारा चालू नहीं किया जा रहा है तो मेरी यह प्रार्थना है कि कोई छंटनी नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों को अन्य उद्यमों में आत्मसात कर लेना चाहिए।

आधे घंटे की चर्चा

बिहार में विधान सभा चुनावों के परिणाम घोषित करने में विलम्ब

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : हमारे नियन्त्रण से बाहर कुछ परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्यवश इस विषय पर चर्चा में विलम्ब हुआ है, इसे दो बार स्थगित किया जा चुका है। तथापि, मुझे हर्ष है कि अब इस पर चर्चा की जाएगी।

इस पर चर्चा करने का मेरा उद्देश्य मात्र यही है कि हाल ही में बिहार में हुए विधान सभा चुनावों में घटित उन कुछ घटनाओं पर इस सदन में प्रकाश डाला जाए जिन्होंने इन चुनावों में गड़बड़ी उत्पन्न की। यह मामला इसलिए नहीं उठाया गया है क्योंकि यह विभिन्न दलों के बीच झगड़े का प्रश्न है—इस विषय पर जोर देने का मेरा कोई इरादा नहीं है—परन्तु जैसा इस बार हुआ है वह अभूतपूर्व है तथा वैसा हमारे देश के अब तक के चुनावों में पहले कभी नहीं हुआ। मेरे विचार से यह सभी लोगों के लिए, चाहे वे किसी भी दल के हों, चिन्ता का विषय होना चाहिए क्योंकि यदि इसे पुन: घटित होने दिया गया तो मुझे भय है कि समस्त निर्वाचन प्रणाली तथा स्वयं निर्वाचन तन्त्र नष्ट हो जाएगा।

उस दिन पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 340 के उत्तर में मंत्री महोदय ने सभा पटल पर एक वक्तव्य रखा जिसमें स्वयं उनके अनुसार, बिहार के समस्त 81 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव परिणामों की घोषणा करने में विलम्ब हुआ तथा इनके कारणों को संक्षेप में बताते हुए उन्होंने लगभग सभी मामलों में एक समान कारणों का उल्लेख किया। अर्थात् मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना, मतपत्रों को छीन लेना, प्रत्याशी विशेष के पक्ष में मोहर लगाना इत्यादि। इन सब कारणों का स्वयं मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है। इनमें से अधिकतर एक जैसे हैं, यथा मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना, मतपेटियों तथा मतपत्रों को छीन लेना, मतपेटियों को नष्ट कर देना, घातक हथियारों से लैस व्यक्तियों द्वारा मतपत्रों को छीन लेना इत्यादि।

बिहार विधान सभा में कुल सीटों की संख्या 324 है। इनमें से 71 निर्वाचन क्षेत्रों में इन कारणों का इतना अधिक असर हुआ था कि मतदान की समाप्ति के 10 अथवा 12 दिनों

तक भी चुनाव परिणामों की घोषणा न की जा सकी थी। इसका अर्थ है कि मन्त्री महोदय के वक्तव्य के ग्रनुसार, लगभग 25 प्रतिशत, अर्थात् कुल निर्वाचन क्षेत्रों के एक-चौथाई भाग पर इन कारणों का असर पड़ा था। मुझे नहीं पता कि वक्तव्य विस्तृत है ग्रथवा नहीं। अन्य कई स्थानों पर भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई थी।

चुनावों में गड़बड़ी तथा मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना, विशेषकर बिहार में, कोई नई बात नहीं है। हमें पता है कि पहले के अनेक चुनावों में भी वहां पर कुछ सीमा तक गड़बड़ी तथा मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने जैसी, घटनाएं हुई हैं। परन्तु इस समय यह सर्वाधिक हुई है। यदि 81 निर्वाचन क्षेत्रों में अथवा 25 प्रतिशत अथवा कुल निर्वाचन क्षेत्रों के एक चौथाई भाग में मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने जैसी घटनाएं होती हैं, तब हमारे सामने पहला प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या इस प्रकार की घटना सम्भव है क्या निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन ग्रधिकारी, निरीक्षक मजिस्ट्रेट जैसे अन्य ग्रनेक अधिकारियों के सक्रिय सहयोग के बिना इस हद तक मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना सम्भव है। सहज बुद्धि के अनुसार यह प्रतीत होता है कि सारे मामले में प्रशासन के व्यापक सहयोग के बिना यह सम्भव नहीं है। मैं इसी मुद्दे पर जोर देने का प्रयास कर रहा हूं। यह बात नहीं है कि यह पहली बार है कि जब वहां चुनावों के दौरान गड़बड़ी तथा मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने जैसी घटनाएं हुई हैं। बिहार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल शायद ग्रपने दिल पर हाथ रखकर यह नहीं कह सकता कि उसके पहले ग्रान्दोलन कभी भी इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं की।

इस बार जो कुछ हुआ है वह इतने व्यापक स्तर पर हुग्रा है कि इस मामले में प्रशासन के सक्रिय सहयोग के बिना वैसा करना बिल्कुल सम्भव नहीं था। इस समय के बिहार के चुनावों में हमें इस प्रकार के खतरे से सावधान रहना है।

महोदय, इस समय मेरे पास अपनी पार्टी—भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी—की बिहार शाखा की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को दिए गए ज्ञापन की एक प्रति है। मैं चाहता था कि इस ज्ञापन के कुछ ग्रंश मै यहां पढ़ पाता। परन्तु इसके लिए मेरे पास समय नहीं है। परन्तु मैं केवल एक अथवा दो बातों का उल्लेख करूंगा। इनके ग्रनुसार, पहले समय के अधिकतर मामलों में ये अधिकारीगण ज्यादातर सशस्त्र गुंडों द्वारा ग्रपने अधिकार में ले लिये जाते थे तथा मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने वाले तत्वों की मर्जी पर चलने के लिए मजबूर किये जाते थे। परन्तु इस समय जो कुछ हुआ, वह थोड़ा भिन्न प्रकार का था। इस बार अधिकतर मामलों में इन अधिकारियों ने स्वयं गुंडों की ओर कोई ध्यान न दिया तथा इस प्रकार गुंडों द्वारा मतदान केन्द्रों पर कब्जा किए जाने में सहयोग दिया। इस बार यह नई घटना घटित हुई है।

मैं इस बारे में बिहार के उन कुछ प्रमुख समाचार पत्रों को उद्धृत करना चाहता हूं—जो कि निश्चय ही कम्युनिस्ट समाचार पत्र नहीं हैं। ग्रपने दिनांक 6 जून के सम्पादकीय में **'दि टाइम्स ग्राफ इण्डिया'** ने लिखा है :

"बिहार में मतगणना सम्बन्धी गड़बड़ी राज्य की निर्वाचन प्रक्रिया में बार-बार हुए व्यापक व्यवधान का ही एक अंश है।"

अपने 6 जून के समाचार पत्र में 'दि टाइम्स ग्राफ इण्डिया' ने लिखा था कि 21 मई को चुनाव पूरे हो चुके थे, तथापि कोई नहीं जानता कि किन कारणों से 35 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव परिणाम घोषित नहीं किये गए।

इसके अतिरिक्त **दि इण्डियन नेशन** ने अपने दिनांक 14 जून के सम्पादकीय में लिखा था :

"कई निर्वाचन क्षेत्रों में मध्यकालीन सामन्ती सरदारों की आपसी लड़ाइयों की याद दिलाने वाले युद्धों जैसी स्थिति दृष्टिगोचर होती थी।" इसके अतिरिक्त, बिहार के प्रमुख हिन्दी दैनिक, **'ग्रार्यवर्त'** ने अपने दिनांक 6 जून के सम्पादकीय में लिखा था :

'बीस से पच्चीस व्यक्तियों का समूह मतदान केन्द्रों पर पहुंचता है। वे एक अथवा दो बम फेंकते हैं। कुछ हवाई फायर किए जाते हैं। उनके सामने खड़े व्यक्ति भाग जाते हैं। निर्वाचन अधिकारियों से मतपत्रों को छीन लिया जाता है तथा उन्हें मतपत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकाया जाता है। इसके पश्चात् दो अथवा चार व्यक्ति शीघ्रता से मतपत्रों पर एक विशेष चुनाव चिन्ह की मोहर लगा देते हैं तथा कुछ मतपत्रों को छोड़कर बाकी बचे हुए मतपत्रों को मतपेटिका के भीतर डाल देते हैं। इतना करके, एक अथवा आधे घंटे में यह गिरोह यहां से निकलकर दूसरे मतदान केन्द्र पर पहुंच जाता है। इस प्रकार की घटनाएं बिहार के एक मतदान केन्द्र पर नहीं अपितु सैंकड़ों तथा हजारों मतदान केन्द्रों में घटित होता है।"

इस प्रकार यह उद्धरण समाप्त होता है जो कि **'ग्रार्यावर्त'** का उद्धरण है।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि चुनावों से पहले अधिकारियों का व्यापक स्तर पर तबादला किया जाता है। जो कि सामान्य नियमों, जिनका पालन किया जाना चाहिए के विरूद्ध है। चुनावों से कुछ समय पूर्व निर्वाचन के दस अथवा पन्द्रह दिनों पहले—ऐसे व्यापक स्तर पर तबादले किए गए थे, जिनके विरूद्ध विरोध किया गया था तथा तार भी भेजे गये थे परन्तु इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अधिकारियों के तबादले स्पष्टतया कुछ उद्देश्यों के लिए जानबूझकर किए गए थे तथा इनके पीछे एक सुनिश्चित योजना थी। तथा मतगणना के समय इसका वास्तविक प्रमाण मिला था।

अब कृपया मुझे एक अथवा दो ऐसे उदाहरणों को बताने की अनुमति दें जिससे कि आपको पता चल सके कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किस सीमा तक असहाय कर दिया गया था। मधुबनी जिले में हरलाखी नामक एक निर्वाचन क्षेत्र है। यहां स्थित एक केन्द्र में, जो कि मंत्री

महोदय द्वारा दी गई सूची में उल्लिखित है, बिलौना नामक स्थान पर केन्द्र संख्या 75 में तीन बार मतदान किया गया —पहले आरम्भिक मतदान तत्पश्चात् पुनः मतदान तथा फिर दूसरी बार पुनः मनदान। विवाद प्रस्तुत करने वाले दलों का कहना था कि बिनौला केन्द्र के चुनाव अधिकारी ने, जो कि एक सब- डिबीजनल आफिसर थे, स्वयं वहां खड़े होकर मतदान केन्द्रों पर कब्जा करवाने तथा मतपत्रों पर मोहर लगवाने के कार्य का संचालन किया था। उस अधिकारी तथा उसके अन्य सहायकों ने अन्य दलों के चुनाव एजेन्टों को, जो कि केन्द्र में बैठे थे, वहां से बाहर भगा दिया। उस अधिकारी के आदेशों के अनुसार उन्होंने मतदाताओं को भगा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मतदाता अपने पास कुछ बिल्ले अथवा चुनाव चिन्हों को रखते हैं। उन मतदाताओं को, जहां वे लाईन बनाकर खड़े थे, वहां से भगा दिया गया तथा स्वयं सब डिवीजनल आफिसर ने मतपत्रों पर मोहर लगाने के कार्य का निरीक्षण किया अर्थात् मतदान केन्द्र पर कब्जा करने के कार्य का निरीक्षण किया। बिलौना में तीन बार मतडाले गए तथा अन्तिम बार स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त ने आदेश दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से चार प्रेक्षक बिलौना में उपस्थित रहेंगे, जिनमें से दो मतदान केन्द्र के भीतर तथा दो केन्द्र के बाहर खड़े होंगे तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। तथा मुझे यह कहते हुए खेद है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रेक्षकों के समक्ष उस चुनाव अधिकारी को बदला नहीं गया, वहीं सब डिवीजनल आफिसर को वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के साथ पुनः तैनात किया गया—पहले हमें बताया गया था कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वहां तैनात नहीं किया जाएगा तथा सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मतदान केन्द्र की रक्षा करेंगे। परन्तु वहां पुनः केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात किया गया था तथा उनके साथ समाज विरोधी तत्व भी मौजूद थे। तथा तीसरी बार, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा भेजे गए प्रेक्षकों के सम्मुख भी पुनः वही घटना घटित हुई तथा प्रेक्षकगण असहाय होकर देखते रहे, कुछ भी हस्तक्षेप न कर सके। इसके पश्चात्, उन्होंने उस स्थान पर हरलाखी नामक निर्वाचन क्षेत्र पर, 240 मतों की अथवा इसके आस-पास वाली संख्या से, विजय प्राप्त की ……।

एक माननीय सदस्य : 138 मतों से।

श्री इन्द्रजीत गुप्त :……138 मतों से।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चुनाव परिणामों की बात न करें। इससे चर्चा भिन्न रूप ले लेगी।

महोदय, आप मेरा समय ले रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बार चुनाव से पूर्व ये निर्देश जारी किए थे कि मतगणना करते समय किसी मतदान केन्द्र के मत पत्रों पर यदि एक विशेष प्रत्याशी के ही पक्ष में मत पाये जाते हैं, जैसे—मत पेटी से निकले 85 से 90 प्रतिशत मत-पत्र यदि किसी विशेष प्रत्याक्षी के पक्ष में हैं, चाहे वह प्रत्याशी किसी भी दल से सम्बन्ध रखता हो, तो इसे **प्रथम दृष्टयः** गड़बड़ी अथवा सन्देहास्पद माना जायेगा—क्योंकि सामान्य मतदान इस प्रकार का नहीं हो सकता—तथा यदि कोई शिकायत की जाती है, तो इस सम्बन्ध

में उन्होंने आदेश दिये थे कि निर्वाचन अधिकारी अथवा पीठासीन अधिकारी ऐसे मामलों को उन्हें (मुख्य चुनाव आयुक्त) को भेजेगा तथा इस बात का निर्णय कि क्या पुनः चुनाव कराना आवश्यक है या नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त करेगा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त के इस निर्देश का बिहार में पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ है। ऐसे मामलों में जहां पुनः मतदान होने चाहिए थे, पुनः मतदान नहीं हुए। किंतु ऐसे मामलों में जहां उनकी—विशेष रूप से कांग्रेस (आई०) की हार हो रही थी—उन्होंने भारी हुल्लड़, शोरगुल मचाया, कुछ शिकायतें दर्ज की गई तथा इस बात पर जोर दिया कि पुनः मतदान होना चाहिये। मैं आपको एक अथवा दो उदाहरण दे सकता हूं।

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 211, फुलवाडी में यह देखने में आया है कि नौ मतदान केन्द्रों में कांग्रेस (आई) ने कुल 23,957 मतों में से 22,774 मत डलवाये। किंतु पुनः मतदान की मांग किए जाने के बावजूद भी पुनः मतदान नहीं कराया गया मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार यह एक ऐसा मामला है जिसे जैसा लगता है, वैसा नहीं समझना चाहिए, इसे इस प्रकार देखना चाहिए कि क्या यह सामान्य है अथवा असामान्य, क्या यह इस बात का प्रथम दृष्टयः प्रमाण है कि मत पत्रों पर जबर्दस्ती मुहर लगाई गई है। इसका विरोध किया गया, पुनः चुनाव कराने की मांग की गई किंतु पुनः चुनाव की अनुमति नहीं दी गई।

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 260, वर्साली गंज में 32 मतदान केन्द्रों में, जिन पर कब्जा कर लिया गया था, कांग्रेस-आई० ने कुल 23,957 मतों में से 22,774 मत पत्र डाले। किंतु पुनः मतदान की मांग किए जाने के बावजूद कोई पुनः मतदान नहीं कराए गए।

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 246, घोसी में, मेरे पास इन सभी मतदान केन्द्रों के आंकड़े हैं, पूरी सूची उसमें है—28 मतदान केन्द्रों में शत-प्रतिशत मतदान हुआ है तथा 50 मतदान केन्द्रों में 90 प्रतिशत से ज्यादा मत पड़े हैं। एक या दो मतदान केन्द्रों में जहां हुए मतदान की संख्या 103 प्रतिशत है, अर्थात इन केन्द्रों को आवंटित मतों की कुल संख्या से तीन प्रतिशत ज्यादा मतदान हुआ है। पुनः मतदान की अनुमति नहीं दी गई। वे 7000 अतिरिक्त मतों से जीत गए।

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 117, सहरसा में, 63 मतदान केन्द्रों में 90 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुआ। चार मतदान केन्द्रों में 100 प्रतिशत से ज्यादा मत पड़े। यदि आप चाहें तो मैं उन निर्वाचन क्षेत्रों के नाम तथा आंकड़े दे सकता हूं, किंतु मेरे पास समय नहीं है। लेकिन पुनः मतदान की अनुमति प्रदान नहीं की गई।

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 191, शेखपुरा में, कब्जा किए गए 69 मतदान केन्द्रों के मतों की कुल संख्या 48,642 थी जिसमें से कांग्रेस आई ने 47,368 मत डाले। लेकिन पुनः मतदान की अनुमति नहीं दी गई।

इस तरह से ये घटनाएं हुई हैं। दुर्भाग्यवश मेरे पास समय नहीं है। अन्यथा मैं इससे भी ज्यादा रोचक तथ्य दे सकता था, जो घटित हुए हैं। सारा मुद्दा जो मै इसमें से उठाना चाहता

हूं वह इस प्रकार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे मामलों में, जहां 90%, 99%, 100% अथवा 103% मत पड़ें हैं (व्यवधान)। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय पुनः मतदान के आदेश देंगे·········(व्यवधान) आप जानना चाहते है 'क्यों' ? यदि आप मुझे एक मिनट का समय दें तो मैं आपको आंकड़े बताऊंगा। मैं आपको यह बात भी बताऊंगा। यहां मेरे पास सभी आंकड़े मौजूद हैं। (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : गुप्ता जी, हाईकोर्ट में जाइए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हा, वह भी होगा। यह हाईकोर्ट नही है यह पार्लियामेंट है। यह हाईकोर्ट होता तो आप यहां नहीं होते। सहरसा निर्वाचन क्षेत्र में, मतदान केन्द्र संख्या 70 में कुल मतों की संख्या 883 है तथा डाले गए कुल मतों की संख्या 886 थी अर्थात 100·3% (व्यवधान)। यह दल कोई भी हो सकता हैं, यह मेरा दल हो सकता है अथवा आपका दल हो सकता है अथवा कोई भी ऐसा कर सकता है। इसका क्या तात्पर्य है ? इसका अर्थ है कि चुनाव प्रणाली का अंत।

77 मतदान केन्द्रों में, 511 मतों में से, इस मतदान केन्द्र में डाले गए कुल मतों की संख्या 513 थीं। क्या ऐसा होने दिया जाएगा ? और इन घटनाओं के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता ? कोई पुनः मतदान नहीं हुआ ; सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी से कोई स्पष्टिकरण नहीं मांगा गया। मैं समझता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चाहिए कि वह ऐसे निर्वाचन अधिकारियां तथा पीठासीन अधिारियों से स्पष्टीकरण मांगे कि पूर्व निर्देशों के उल्लघन में ये घटनायें क्यों हुई। इन असंगतियों को दूर करने के लिए कोई कदम नही उठाया गया, कोई पुनः मतदान नहीं कराया गया; कोई जांच नहीं की गई। इस सम्बन्ध में जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, वह यह है। इस ढंग से मतदान केन्द्र पर कब्जा करने के कार्य के लिए सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रशासन पर दबाव डाला गया। वे कहेंगे कि सभी दल ऐसा करते हैं। यदि सभी दल ऐसा करते हैं, तब तो यह काफी बुरी बात है। किंतु, यदि तत्कालीन सत्तारूढ़ दल ने इस कार्य के लिए समूचे प्रशासनिक तंत्र पर दबाव डाला कि वे मतदान केन्द्र पर कब्जा करने तथा जाली मतदान करने में सक्रिय योगदान करें, तो स्पष्ट है कि अन्य सभी दल, यदि करना भी चाहें तो, प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ न होंगे। यदि समूचे प्रशासन, मजिस्ट्रेट, मतदान अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी मतदान अधिकारी सत्तारूढ़ दल के लिए सक्रिय रूप से ऐसा कर रहे हों तो वे मतदान की गड़बड़ी में भी भाग नहीं ले सकते, तब स्पष्ट है कि अन्य लोगों (दलों) के लिए यह एक अभिशाप है तथा वह कुछ करने की आशा नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि सम्पूर्ण चुनाव प्रणाली, जैसी कि हमारे संविधान तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिकल्पित की गई है नष्ट हो गई है (व्यवधान) और यही कारण है कि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान भी, अनेक मामलों में निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्याशी को बताया गया कि वह इतने मतों-506 मतों से विजयी हुआ है-तथा दो या तीन घण्टे पश्चात, यह घोषित किया गया कि वह विजयी नहीं हुआ अपितु हार गया है। सम्पूर्ण मतगणना को 8 दिन, 10 दिन अथवा 12 दिन के लिए रोक दिया गया; परिणामों को घोषित नहीं किया गया; यहां तक कि जहां पुनः मतदान हुए हैं, वे मेरे प्रश्न के उत्तर में कह रहे थे कि

पुन: मतदान कराने आदि में समय लगता है । किंतु मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं; मैं कह रहा हूं कि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां कोई पुन: मतदान नहीं कराया गया था, वहां चुनाव परिणामों को 8 दिन, 10 दिन तथा 12 दिन तक घोषित नहीं किया गया । क्यों ? क्योंकि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान, हेरा-फेरी की गई थी, जानबूझकर हेरा-फेरी की गई थी क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं मिल रहा था । इस सबके बावजूद भी बिहार में उन्हें बहुत ही कम बहुमत मिला है । अब वहां पर और फूट डाली जा रही है । जिस दिन चुनाव-परिणाम अन्तिम रूप से घोषित किए गए, इस सबके बावजूद यह पाया गया, कि उन्होने किसी प्रकार झगड़ा किया । अन्यथा, बिहार में बहुमत प्राप्त करने का कोई और रास्ता नहीं था । इसी वजह से ऐसा किया गया तथा जहां कांग्रेस प्रत्याशी हार रहे थे वहां प्रतिवाद तथा चुनौतियाँ दी गई, यहां तक की मत गणना में भी हेरा-फेरी की गई ।

अत: अन्तिम रूप से जो मैं कहना चाहता हूं वह है कि समूची प्रणाली के लिए यह एक गम्भीर चुनौती है मुझे कहना चाहिए कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त की सद्भावना को भी चुनौती दे रही है । इतना होने के बाद भी मैं नहीं जानता कि मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय की क्या आवश्यकता है । यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों की इस निर्लज्ज ढंग से अवेहलना की जाती है ।

महोदय, अतः मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि तत्काल कुछ उपाय करना आवश्यक है । कम से कम विधि मंत्री महोदय को, उस पद की निष्पक्षता के अनुरूप, जिस पर वे हैं, के अनुसार, इस बात को देखना चाहिए, मैं चुनाव याचिका के प्रश्न के बारे में नहीं कहना चाहता, अनेक प्रत्याशियों ने चुनाव याचिकायें दायर की होंगी, मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप उन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारियों तथा पीठासीन अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिए जायें जहां 90%, 99%, 100% तथा 103% के अंधाधुंध आंकड़े दिखाए गए हैं । उन्होंने ऐसे मामले मुख्य चुनाव आयुक्त के पास क्यों नहीं भेजे, जैसा कि उनसे कहा गया था ? उन्होंने उनके निर्देशों का उल्लंघन क्यों किया ? ऐसे मामलों में इन कर्मचारियों से स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए तथा यदि वे कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं देते तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए तथा ऐसे चुनावों में जहाँ इस प्रकार से हेरा-फेरी हुई है, को रद्द करना चाहिए और दोबारा चुनाव कराये जाने चाहिए । मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि एक विशेष समिति का गठन किया जाए, जिसमें भारत के सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हों और उन्हें इस हेरा-फेरी तथा मतदान केन्द्र पर कब्जों के बारे में गम्भीर विचार-विमर्श करना चाहिए । यदि यह सोचते भी कि समय के बीतने के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति को इन बातों को भूल जाना चाहिए, इन घटनाओं को होने दिया गया, तब मुझे भय है कि भविष्य में चुनाव पद्धति की यह विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी । इस बार बिहार की घटना इस बात के लिए एक गम्भीर चेतावनी है और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें ।

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त जी द्वारा चुनाव में की गयी अनियमितताओं जैसे चुनाव केन्द्रों पर कब्जा

करना मतपत्रों चुनाव सामग्री का छीनना तथा मतपेटियों में बलात मत डालना तथा इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के बारे में व्यक्त की गई वेदना खेद तथा चिन्ता से सहमत हूं। लेकिन मुझे विचित्र तथा हास्य जनक जो बात महसूस हुई वह यह है कि लोक सभा के 1977 तथा विधान सभाओं के 1977 तथा लोकसभा के 1980 के चुनावों की गड़बड़ियों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में बहुत से लेख प्रकाशित किये गये थे तथा जनता ने भी इस सम्बन्ध में अपनी आवाज उठायी थी श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा उनकी पार्टी ने उनके बारे में उंगली भी नहीं उठायी है। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान जी मैंने उनकी बात ध्यानमग्न होकर सुनी है। आप मुझे भी कहने का अवसर दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में केवल विधान सभा के चुनाव में गड़बड़ी इसलिए हुई थी कि वहां उस समय राष्ट्रपति शासन था और उस समय वहां ये गड़बड़ियां हुई हैं उसका स्वतः अर्थ नहीं है जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त कहने का प्रयास कर रहे हैं —

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : आपका स्वतः से क्या अभिप्राय है ?

श्री पी० शिवशंकर : इसका ठीक वही अभिप्राय: है आपने यहां तक कहा है कि इन गड़बड़ियों के लिए हमारा दल जिम्मेवार है। इस टिप्पणी के लिए मुझे खेद है। श्रीमान, मैं आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58 की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए इस अधिनियम के एक भाग को पढ़कर बताऊंगा जिससे उन्हें अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का पता लग सके। धारा 58 में इस प्रकार कहा गया है।

यदि किसी निर्वाचन में—

(क) मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत स्थान में उपयोग में लाई गई कोई मतपेटी पीठासीन अधिकारी या चुनाव अधिकारी की अभिरक्षा में से विधिविरुद्धत या निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय विनष्ट हो जाती या कर दी जाती है या खो जाती या खो दी जाती है। अथवा इस विस्तार तक उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। या उसमें गड़बड़ी कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता ; अथवा

(ख) मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में प्रक्रिया सम्बन्धी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है जिससे यह सम्भाव्य है कि मतदान दूषित हो जाए।

तो चुनाव अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तत्क्षण करेगा।

निर्वाचन आयोग तब सब तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर या तो ······मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं—

चुनाव अधिकारी को ऐसे निर्देश जारी किए जाएं जो उचित प्रतीत होते हों।

अब जो कुछ भी हुआ है, वह इस प्रकार है। 81 चुनाव क्षेत्रों में जो भी विविध प्रकार की गड़बड़ियां हुई उनके बारे में चुनाव अधिकारी ने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58 के सन्दर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश मांगें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो नमूने के तौर पर निर्देश दिया था मैं केवल उसी को पढ़ रहा हूं और मैं केवल उसके केवल एक अंश को ही पढ़ूंगा। इस निर्देश में यह कहा गया है :

"मतगणना समाप्त होने के पश्चात यदि अग्रणी अभ्यर्थी और द्वितीय स्थान के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों का अन्तर उपर्युक्त मतदान केन्द्र को नियत मतों से ज्यादा हैं ; तो इन चुनाव क्षेत्रों के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिये जाते हैं ; यदि अन्तर इससे कम है तो वह और अनुदेशों के लिए तत्क्षण आयोग को रिपोर्ट करेगा।

इस प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58 के ये निर्देश थे जो सभी 81 चुनाव क्षेत्रों को आमतौर पर जारी किए गए थे। जहां इनकी मांग की गई थी।

तत्पश्चात जो घटना घटी वह इस प्रकार है : 31 मई, को चुनाव हुए। कार्यक्रम के अनुसार मतों की गणना के पश्चात् पहली और दूसरी जून को परिणामों की घोषणा की जानी थी। अब बहुत से चुनाव अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत निर्देशों की मांग की। उन्हें उत्तर भेज दिए गए। इसके फलस्वरूप स्थिति यह है। मैं आपको इसका विश्लेषण करके बताऊंगा। 81 चुनाव क्षेत्रों में से 13 चुनाव क्षेत्रों के परिणाम पहले ही दिन अर्थात् 1 जून, 1980 को घोषित कर दिये गए। 35 चुनाव क्षेत्रों के परिणाम निर्देश प्राप्त होने पर 2 जून, 1980 को घोषित किए गए, 7 चुनाव क्षेत्रों के परिणाम 3 जून, 1980, चार चुनाव क्षेत्रों के परिणाम 4 जून, 1980 और दो चुनाव क्षेत्रों के परिणाम क्रमशः 5 और 6 जून, 1980 को घोषित किए गए, इस प्रकार स्थिति इस प्रकार है : 81 चुनाव क्षेत्रों में से 61 चुनाव क्षेत्रों के परिणाम 6 जून, तक घोषित किए गए और इनमें से दो चुनाव क्षेत्रों के परिणाम क्रमशः 5 और 6 जून, 1980 को घोषित किए गए। वस्तुतः 81 चुनाव क्षेत्रों में से 59 चुनाव क्षेत्रों के परिणाम 4 जून, 1980 तक घोषित किए गए थे दो दिन की जो देर परिणाम घोषित करने में हुई है वह चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव आयुक्त से निर्देश प्राप्त करने के कारण हुई है और इसमें 1 या 2 दिन लगना स्वाभाविक है। इसलिए, श्रीमान जी कृपया आप इसे देखिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अन्तिम परिणाम कब घोषित किया गया ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं आपको सभी 81 चुनाव क्षेत्रों का विश्लेषण दे रहा हूं। आपने जो कुछ कहा है उससे आपका तर्क थोथा प्रतीत होता है। कृपया आप मेरी बात सुनिये। 81 चुनाव क्षेत्रों में से 61 चुनाव क्षेत्रों के सभी परिणाम घोषित कर दिए गए थे। मैंने आपको 2 या 3 दिन परिणाम घोषित करने में देर होने के कारण भी बता दिए हैं कि यह देर निर्देश प्राप्त करने के कारण हुई है। श्रीमान जी अन्य 20 चुनाव क्षेत्रों के परिणामों की स्थिति इस प्रकार है। जैसाकि मैंने कहा है, यदि निर्देशों के अनुसार, अन्तर इस प्रकार का

है कि चुनावों की घोषणा नहीं की जा सकती तो उन्हें दोबारा निर्देश प्राप्त करने चाहिए। तब ये चुनाव अधिकारी इन 20 चुनाव क्षेत्रों के मामलों में उनके साथ यह कहते हुए साथ आते कि श्रीमान जी हमें आपके निर्देशों की अपेक्षा है। जिन निर्देशों को आपने जारी किया है उनके अनुसार परिणाम घोषित करना हमारे लिए इसलिए सम्भव नहीं है कि अन्तर बहुत थोड़ा है। अब इन परिस्थितियों में उन चुनाव क्षेत्रों के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिए थे कि वहां दोबारा चुनाव कराए जायें और दोबारा चुनाव कराने के निर्देशों के अनुसार दोबारा चुनाव कराये गए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कितने चुनाव केन्द्रों पर दोबारा चुनाव कराये गये ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं इसका ब्यौरा आपको दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा को आप गुमराह न करें क्योंकि हमारे पास सभी आंकड़े हैं।

श्री पी० शिव शंकर : हां, मैं परिणामों के बारे में जानता हूं तथा मैं यह भी जानता हूं कि मैं बहुत अच्छी तरह भी बोल सकता हूं। अब, आप इस मामले को खुद ही देख सकते हैं। श्रीमान् जी आप इन 20 चुनाव क्षेत्रों में दोबारा चुनाव कराने के आदेश दे दिए गये थे और दोबारा चुनाव कराने में कुछ देर हो गई थी। आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि केवल हरलखी चुनाव क्षेत्र का परिणाम 14 जून को घोषित किया गया था तथा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अन्य चुनाव क्षेत्रों के परिणाम 7 जून 1980 को घोषित किये गये थे और शेष 18 चुनाव क्षेत्रों में परिणाम 6 जून, 1980 या इससे पहले घोषित किये गये थे। इसलिये ये 2 या 3 दिन के भीतर घोषित होंगे। मतदान के बाद भी एक जम्मू चुनाव क्षेत्र में परिणाम 7 जून को घोषित किये गये थे और जहां तक हरलखी चुनाव क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां दोबारा चुनाव कराने के आदेशों के बाद भी फिर यह आपत्ति की गयी कि यह चुनाव क्षेत्र ही वह क्षेत्र है जहां गड़बड़ी की गयी है मेरे मित्र का कहना ठीक है और इस तथ्य को चुनाव आयोग की जानकारी में लाया गया था। चुनाव आयोग ने अपने पर्यवेक्षक भेजे तथा उनकी देख-रेख में वहां 14 जून को मतदान किया गया तथा उसी दिन परिणाम भी घोषित किये गये। अब स्थिति इस प्रकार है कि 81 चुनाव क्षेत्रों में से 80 चुनाव क्षेत्रों में 7 जून को परिणाम घोषित किये गए और केवल एक ही चुनाव क्षेत्र में जहां दोबारा मतदान 14 जून 1980 को हुआ था, वहां परिणाम उसी दिन घोषित किये गये थे।

अब स्थिति यह है कि मेरे मित्र ने सुझाव दिया है कि इसमें अधिकारियों की सांठ-गांठ है। अच्छा, मैं इस बात को सीधे तो नहीं मान सकता हूं लेकिन इसे इस सभा की जानकारी में ला सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसकी जांच करवाई जाए।

श्री पी० शिव शंकर : जो कुछ भी हुआ वह इस प्रकार है कि चुनाव आयोग ने जो कानून के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र प्राधिकरण है तथा इसे संविधानिक प्राधिकार भी प्राप्त है, एक विशेष अनुभाग की स्थापना की है और यही विशेष अनुभाग अधिकारियों की सांठ-गांठ के मामले की देख-भाल कर रही है क्योंकि इसका गठन ही इस काम के लिए किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा गठित यह विशेष अनुभाग मामले की जांच कर रहा है तथा मुझे विश्वास है कि यदि जांच के बाद कोई बात होती है तो इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि इससे सभा को अवगत कराया जाये, मैं परिणामों से सभा को अवश्य ही अवगत कराऊंगा। मैं यह निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं कि मैंने इस सभा के समक्ष जो भी तथ्य दिये हैं उनके संदर्भ में मैं यह पूछना चाहूंगा कि मेरे मित्र ने जो आरोप लगाये हैं उनके लिए मेरी पार्टी किसी भी रूप में जिम्मेदार है या नहीं .....।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : प्रस्थित यह है कि उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे स्थान हैं जहां ..।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने उत्तर प्रदेश का उल्लेख नहीं किया है।

श्री पी० शिव शंकर : आपने बिहार का उल्लेख किया है और मैंने उत्तर प्रदेश को आपको बताने के लिए खुद इसलिए जोड़ा है कि इन दो राज्यों में कुछ दलों द्वारा मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना बहुत साधारण बात है।

यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्य की बात है, और मैं इसे मानता हूं, किन्तु इस राजनीतिक बाजीगरी से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। संभवत: जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वे भी प्राधिकारियों को यही कह रहे हैं "देखिए इस प्रकार की अनियमितताएं बरती जा रही हैं" ताकि दूसरे पक्ष को अनजाने ही घर दबाया जाए। यही संभव है। जहां तक प्राधिकारियों का सम्बन्ध है, मामले की जांच की जा रही है, और समुचित जांच के बाद यदि कुछ पता चलेगा, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त की धारणा का कोई आधार नहीं है। मैं इस निष्कर्ष को सही नहीं मानता कि पूरी तरह से प्रशासन ही जिम्मेदार है, और प्रशासन की जटिलताओं के कारण ही ऐसा हुआ था। कभी-कभी पाशविक बल भी अपनी भूमिका अदा करता है, इसीलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

मेरे मित्र के इस आरोप, कि जहां भी चुनाव के परिणाम देर से निकाले गए हैं, वहां दुबारा निर्वाचन नहीं आयोजित किया गया, के उत्तर स्वरूप मैं यह कहना चाहता हूं कि परिणाम

घोषित होने की प्रक्रिया के बारे में वास्तविक विवरण प्रस्तुत कर दिए गए हैं और चुनाव आयोग से निर्देश प्राप्त करने की बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी यह नहीं कह सकता कि परिणाम प्रस्तुत करने में देर हुई थी। इन परिस्थितियों में मेरा यही निवेदन है कि हमारे विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, सब से पहले तो मैं मंत्री जी के इस कथन का जोरदार शब्दों में खण्डन करना चाहता हूं कि 1977 के चुनाव में ··(व्यवधान) ।

तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि 1977 में जनता पार्टी ने भी उसी अस्त्र का इस्तेमाल किया था।

श्री शिव शंकर : आप भी थे उसमें।

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं बार बार आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि हम जनता पार्टी के साथ थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (बसिरहाट) : मेरे विचार से आपको गलतफहमी है। दुर्भाग्यवश 1977 में हम आपके साथ थे और उससे हमें दिक्कत हुई। हम जनता पार्टी के साथ नहीं थे।

श्री रामावतार शास्त्री : रांग आइडिया लेकर मत चलिये। उस समय भी रिगिंग हुआ था। ·· (व्यवधान)···और उपाध्यक्ष जी, कानून मंत्री जी को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि सन् 1980 में जो इस साल लोक सभा के चुनाव हुए, उसमें बहुत जगह रिगिंग करके आप ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और 30 चुन कर आप आए। उसके बारे में एक क्वेश्चन का जवाब दिया गया था आपकी तरफ से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कई कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने शिकायत की थी। इसलिए मेहरबानी, करके यह मत कहिये कि हमने इस बारे में आवाज नहीं उठाई थी। हम लगातार बूथ केपचरिंग के खिलाफ रहे हैं आवाज उठाते रहे हैं और आज भी उठाएंगे। आपने यह बात तो कह दी। ···(व्यवधान)··· आप अभी आ रहे हैं, जरा सीखिये। मेरे ख्याल से बिहार में ऐसा लगता है कि जनतंत्र नहीं है, वहां लाठी तंत्र है, बन्दूक तंत्र है, बम-तंत्र है, और बुरा न मानिये तो गुण्डा तंत्र है। अगर यही तंत्र चलेगा, तो जनतंत्र कहां चलेगा, वह कराहता रहेगा। इसलिए आपको सारी बातों को देखना चाहिए। मेरी कांसटीटुएन्सी में फुलवारी एक जगह है, उसकी बात मैं जानता हूं। कैसे-कैसे वहां बूथ केपचरिंग किया गया और यह भी सुन लिया कि कितने परसेंट वोट आए। फिर मेरी कांस्टीटुयेन्सी में एक जगह दानापुर है, जिसकी बात उन्होंने नहीं कही, जहां से कांग्रेस (इन्दिरा) के उम्मीदवार 1400 वोट से जीते हैं और अब लोक निर्माण विभाग के मिनिस्टर बन गये हैं। जब वहां काउंटिंग हो रही थी, तो काउंटिंग के समय रिटर्निंग आफिसर ने दूसरे तमाम दलों के एजेन्टों को भगा दिया। ···(व्यवधान)···।

दानापुर कांस्टीटुएंसी जो कि मेरी कांस्टीटुएंसी है उससे तमाम काउंटिंग एजेन्टस को भगा दिया गया। क्या यह उचित था ? क्या आप इसकी जांच करने के लिए तैयार हैं ? इसकी शिकायत मैं कर रहा हूं। वहां से विधान सभा के लिये जो आपका उम्मीदवार चुना गया है वह 14 00 मतों से बिजयी हुआ है। यह जो काउटिंग एजेन्टस् को भगाया गया क्या ऐसा करना उस अधिकारी का अधिकार था ?

इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत दी थी कि बी० एस० एफ० के लोग रहेंगे, फिर सी० आर० पी० के लोगों को वहां तैनात करने की किसने इजाजत दी ? किसने उनको एम्प्लाए किया ? (**व्यवधान**)।

आपने इस बात का जबाब नहीं दिया कि भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसको आप दिल से या बेदिल से रोकने के लिए तैयार हैं ? क्या आप सभी आल इन्डिया रिकगनाइज्ड पार्टियों की एक कमेटी बनाकर इन तमाम पहलुओं की जांच करने के लिए तैयार हैं ? इसका भी आपने जवाब नहीं दिया, इसे भी इवेड किया। क्या आप इस तरह की कमेटी बनाना चाहते हैं जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटे ?

ये मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। (इति)

श्री निरेन घोष (दम-दम) : ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी जल्दी हमारे देश में भी लातीनी अमेरिका की भांति चुनाव होने लगे हैं। जिस प्रजातन्त्र और प्रजातान्त्रिक ढांचे का संचालन स..धारी दल कर रहा है। उस पर से बहुत जल्दी लोगों का विश्वास उठ गया है। जो कुछ भी हमने देखा उससे काफी बड़े पैमाने पर यह प्रक्रिया 1972 में ही शुरू हो गयी थी और सत्ताधारी दल ने ही ऐसा किया था। बिहार में 26 हत्याएं हुईं, उत्तर प्रदेश में राजनैतिक हत्याएं हुईं। चूंकि मन्त्री महोदय ने उत्तर प्रदेश का उल्लेख किया है. इसीलिए मैं भी उसका जिक्र कर रहा हूं। ये सब बातें संसदीय चुनाव अथवा संसदीय प्रजातन्त्र का उपहास कर रही हैं। यदि यह लोगों के दिमाग पर दबाव डालता है, तो यह न आप के लिए अच्छा है, और न ही विरोधी दल के लिए उचित है। विरोधी पक्ष तो विरोधी ही है, वे सत्ताधारी दल के काम में बाधा डाल रहे हैं। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आप के लिए भी बुरा है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी मन्त्री महोदय ने कहा है क्या मैं उसके बारे में प्रश्न कर सकता हूं ? उन सभी 81 चुनाव-क्षेत्रों में दुवारा चुनाव क्यों नहीं करवाए गए ? सभी दलों की एक समिति क्यों नहीं गठित की गई ? मैं सभी दलों की एक संयुक्त समिति गठित करने के लिए आग्रह कर रहा हूं। क्योंकि सपिति की सिफारिशें संसद की सम्पत्ति हो जाएंगी और तब हमें उस पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी दलों की समिति गठित किए जाने की मांग करता हूं। तीसरी बात यह है कि क्या वे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू करने के लिए तैयार हैं ? ऐसी स्थिति में उन घांधले-बाजियों के बावजूद भी राजनैतिक दलों को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। आप उन

सभी चुनाव क्षेत्रों में सीधे सरल ढंग से चुनाव नहीं करवा सकते ; यह बात भारत में ग्रभी भी संभव नहीं है।

विधि मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक चुनावों में अनियमितताओं का सम्बन्ध है, उनके बारे में सभा के समक्ष मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि वे किसी भी प्रकार की हों उनको निरुत्साहित किया जाना चाहिए और सभी के द्वारा उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। मेरे मित्र श्री रामावतार शास्त्री ने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं ग्रौर कांग्रेस (यू) के नामिती के प्रति थोड़ी सहानुभूति व्यक्त की है, जो कि अपने चुनाव क्षेत्र में हार गये हैं। मुझे उनकी सहानुभूति पर दया आती है ; उनके प्रत्याशी के हार जाने पर, जिनके प्रति उन्हें सहानुभूति है, मैं और कर ही क्या सकता हूं ?

समिति के बारे में एक सुझाव दिया गया है। क्या मैं सभा के ध्यान में यह बात ला सकता हूं कि चुनाव आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है, इसकी स्वतन्त्र कार्य प्रणाली है, उसकी कार्य-प्रणाली पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। यदि गणना में किसी प्रकार की ग्रनियमितता हो जाती है, तो कानूनी कार्रवाई की जाती है। यहां कानून है और फिर उसकी प्रक्रिया है जिसका ग्रवश्य ही पालन किया जाना है। इन सभी सांविधिक उपबन्धों और विधि के होने के बावजूद, यह सुझाव दिया गया है, जिस पर मैं विचार करूंगा, यद्यपि इस सुझाव के बारे में शीघ्रता से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव नहीं है, क्योंकि मुझे उसके निहितार्थ पर विचार करना होगा, यथा क्या ऐसी समिति का सांविधिक उपबन्धों पर प्रभाव पड़ेगा ग्रौर उसका कार्य क्या होगा। यह एक ऐसा मामला है जिसमें इस चरण पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। यह सुझाव एक ऐसा मामला है जिस पर मैं विचार करूंगा।

श्री निरेन घोष के जो 81 चुनाव क्षेत्रों में पुन: चुनाव का जिक्र है, उसके लिए मैं संविधान के ग्रनुच्छेद 327 और लोक प्रतिनिधित्व ग्रधिनियम के उपबन्धों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। केवल चुनाव याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। मेरी यह समझ में नहीं आता कि किस आधार पर चुनाव के घोषित परिणामों को अकृत माना जाए। ऐसा केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता है। आखिरकार कानूनी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। यह कानून से बनी सरकार है और हम उसका पालन करते हैं। यदि ग्राप चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के अलावा कोई और प्रक्रिया अपनायी जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके कारण चुनाव याचिका की प्रक्रिया के अलावा किसी और प्रक्रिया से चुनावों को रद्द किया जा सके। यदि कोई चुनाव याचिका दायर की गयी है। तो इस चरण पर मैं उस पर चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि वह इस समय उच्च न्यायालय के विचाराधीन होगी।

उसके बाद मेरे मित्र ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया ; यह आधे घण्टे की चर्चा की सीमा से बाहर है, यह चुनाव सम्बन्धी सुधार का ग्रंग है। मैं सभा के समक्ष पहले ही

निवेदन कर चुका हूं कि चुनाव सम्बन्धी सभी प्रकार के सुधारों पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है।

6.30 म० प० तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 17 जुलाई, 1980/26 आषाढ़ 1902 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

1980 लोक सभा सचिवालय को प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, दी इण्डियन प्रेस द्वारा मुद्रित,